


संगठन चार्ट



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली

वर्ष २०१५-२०१६ का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० द्वारा भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा ३(II) दिनांक १०.०८.१९७१ के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। भारत सरकार द्वारा उक्त राजपत्र में समय-समय पर संशोधन करते हुए सदस्यता में परिवर्तन किया गया है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :-

- i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तिब्ब और सोवा रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में मान्यता (समावेश/से मान्यता को वापिस लिए जाने) से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।
- v) भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय, स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या अतिरिक्त विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पर विचार करना व भारत सरकार को अनुशंसाए भेजना।

स्थापना वर्ष १९७१ से ही केन्द्रीय परिषद स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा अर्थात आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तिब्ब की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को बनाती एवं लागू करती रही है।

परिषद् द्वारा स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्न पाठ्यक्रम पहले से ही विहित किए जा चुके हैं। परिषद् द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तिब्ब हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक तथा पाठ्य विवरण भी विहित किए गए हैं:-

आयुर्वेद

आयुर्वेदाचार्य (बैचुलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसन एण्ड सर्जरी)	५-१/२ वर्ष
आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी. आयुर्वेद)	३ वर्ष
आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस.आयुर्वेद)	३ वर्ष
आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	२ वर्ष

यूनानी तिब्ब

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचुलर ऑफ यूनानी मेडीसन एण्ड सर्जरी)	५-१/२ वर्ष
माहिर-ए-तिब्ब(एम.डी.यूनानी)	३ वर्ष
माहिर-ए-जराहत (एम.एस.यूनानी)	३ वर्ष
यूनानी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	२ वर्ष

सिद्ध

सिद्ध मरुथ्वा अरिग्नर (बैचुलर ऑफ सिद्ध मेडीसन एण्ड सर्जरी)	५-१/२ वर्ष
सिद्ध मरुथ्वा पेरिग्नर (एम.डी.सिद्ध)	३ वर्ष
सिद्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (विषय विशेष)	२ वर्ष

भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है। ये महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर तथा पाठ्यविधि एवं पाठ्य-विवरण का अनुसरण कर रहे हैं ।

भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के संशोधन के अनुसरण में, केन्द्रीय परिषद् को भारत सरकार के समक्ष अनुशंसाएं प्रेषित करनी थी। तदनुसार, वर्ष २०१५-१६ हेतु छात्रों के प्रवेश हेतु शिक्षण एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारण करने तथा अंतिम परिदर्शन के पश्चात् महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन का तथा महाविद्यालयों द्वारा किए गए विकास का सत्यापन करने हेतु समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया । परिदर्शन प्रतिवेदनो की समीक्षा की गई तथा इन पर विचार किया गया, जिसके बाद भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारत सरकार को अनुशंसाएं प्रेषित की। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् तथा यदि आवश्यक हो तो, साथ-साथ सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् भारत सरकार ने प्रवेश हेतु महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की/नहीं की ।

इस सम्बन्ध में, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष २०१५-१६ के लिए आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन पर विचार करते समय भारत सरकार को स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा धारा १३ग/१३क के अधीन अनुमति प्रदान

करने/अनुमति प्रदान न करने हेतु, जैसा मामला हो, अनुशंसा भेजने हेतु भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के वर्ष २०१५-१६ हेतु पत्रांक आर.११०११/१०/२०१५ ई.पी. (आई.एम.-१) दिनांक ०५.०५.२०१५ के द्वारा अग्रेषित निम्नलिखित नीतियों को अपनाया:-

१. शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (ए.एस.यू.) महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा अन्य हेतु दिनांक २३.०३.२०१५ तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) से प्राप्त परिदर्शन प्रतिवेदनों सहित प्रारंभिक प्राप्तिओं की सावधानिपूर्वक जांच करने पर, शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों को सशर्त अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने के मामलों की प्रक्रिया हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं (एम.एस.आर.) के निम्नलिखित तीन मानदंडों में छूट प्रदान करने हेतु तथा आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी के महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं विनियमों के अधीन सशर्त अनुमति के खंड को स्वीकार करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया तथा यह छूट मात्र शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु ही लागू होगी तथा शैक्षिक सत्र २०१६-१७ हेतु लागू नहीं होगी।

- I. **बाह्य रोगी विभाग/अंतः रोगी विभाग में कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली** : सत्र २०१५-१६ हेतु न्यूनतम मानक विनियमों के विनियम ७ के उपविनियम (३) में यथा विनिर्दिष्ट बाह्य रोगी विभाग/अंतः रोगी विभाग में रोगियों के कम्प्यूटरीकृत अभिलेख के अनुरक्षण की स्थिति पर छूट होगी।
- II. **उपस्कर एवं उपकरण** : न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची VII में यथा विनिर्दिष्ट उपस्कर एवं उपकरणों की अपेक्षित संख्या की उपलब्धता पर कुल अपेक्षा के ४०% तक की छूट होगी अर्थात् सत्र २०१५-१६ हेतु ६०% अपेक्षा विच्छेदक है। तथापि, महाविद्यालयों से ३१ दिसम्बर, २०१५ तक उपस्कर की कुल अपेक्षा के ६०% की पूर्ति करना अपेक्षित होगा।
- III. **अंशकालिक शिक्षक** : २०१५-१६ हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची V की टिप्पणी में यथा विनिर्दिष्ट कुल अपेक्षा में से न्यूनतम ३ अंशकालिक शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- IV. **विभागों में कम से कम एक शिक्षक की उपलब्धता** :
 - (i) **आयुर्वेद एवं सिद्ध महाविद्यालयों हेतु** : साठ तक अथवा इक्कसठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम मानक विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट १४ विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक पात्र शिक्षक रखना होगा।
 - (ii) **यूनानी महाविद्यालयों हेतु** : साठ तक अथवा इक्कसठ से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले यूनानी महाविद्यालयों को न्यूनतम मानक विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट १४ विभागों के स्थान पर १२ विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक पात्र शिक्षक रखना होगा।
- V. **उच्च संकाय** : न्यूनतम मानक अपेक्षाओं की अनुसूची V में यथा विनिर्दिष्ट उच्च संकायों की उपलब्धता पर निम्नवत् छूट होगी :

- (i) **आयुर्वेद एवं सिद्ध महाविद्यालयों हेतु** : साठ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम ७ विभागों में वितरित कम से कम १२ उच्च संकाय (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट) रखने होंगे। इक्सट से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम १० विभागों में वितरित कम से कम १६ उच्च संकाय (आयुर्वेद तथा सिद्ध न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट) रखने होंगे।
- (ii) **यूनानी महाविद्यालयों हेतु** : साठ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम ६ विभागों में वितरित कम से कम ११ उच्च संकाय (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट १२ उच्च संकायों के स्थान पर) रखने होंगे। इक्सट से सौ तक की सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को न्यूनतम ६ विभागों में वितरित कम से कम १७ उच्च संकाय (यूनानी न्यूनतम मानक अपेक्षाओं में यथा विनिर्दिष्ट १६ उच्च संकायों के स्थान पर) रखने होंगे।

यह नोट किया जाए कि शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के महाविद्यालयों को सशर्त अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने हेतु अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं पर बिना किसी छूट के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० तथा संबंधित विनियमों जिनमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के संबंधित न्यूनतम मानक अपेक्षाओं विनियम भी सम्मिलित है, के अनुसार विचार किया जाएगा।

२. सत्र २०१५-१६ हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं के अधीन पात्रता के मानदंड में उपर्युक्त छूट हेतु विचार मात्र ऐसे सभी अपूर्ण महाविद्यालयों द्वारा एक वचनबंध प्रस्तुत किए जाने पर ही किया जायेगा कि वे पूर्वोक्त अधिनियम एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निश्चित रूप से ३१ दिसम्बर, २०१५ से पूर्व इन मानदंड में कमियों को पूरा कर लेंगे। अगले शैक्षिक सत्र २०१६-१७ हेतु अनुमति के लिए मामले पर विचार करने के लिए इस संबंध में ऐसे महाविद्यालयों द्वारा किए गए अनुपालन तथा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों हेतु सम्बन्धित न्यूनतम मानक विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट समस्त पात्रता मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपने आप कराये गये निरीक्षण/परिदर्शन के माध्यम से की जायेगी। उन महाविद्यालयों को, जिन्हें उपर्युक्त अनुच्छेद १ में किसी छूट के लिए वचनबंध प्रस्तुत करना है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से इसे विनिर्दिष्ट फार्मेट में तथा रीति से निश्चित समय अवधि में प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।

३. इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर (पी.जी.) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों हेतु समस्त तीन स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम अंतिम रूप दिए जाने के अधीन हैं। शैक्षिक सत्र २०१४-१५ हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने/अनुमति प्रदान न करने हेतु स्वीकार किये गए नीतिगत निर्णय को शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नवत् बढ़ा दिया गया :-

(क) स्नातकीय पाठ्यक्रम वाली स्नातकोत्तर संस्थाओं हेतु :-

- (i) शिक्षक :- स्नातकीय (यू.जी.) के अतिरिक्त शिक्षकों की अपेक्षा सम्बन्धित विभाग में 9 उच्च संकाय (प्राध्यापक अथवा प्रवाचक) + 9 व्याख्याता तथा शिक्षक -छात्र अनुपात (9:3 प्राध्यापक, 9:2 प्रवाचक हेतु तथा 9:9 व्याख्याता हेतु)
- (ii) अस्पताल में शय्याएं :- आयुर्वेद/सिद्ध के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम 900 शय्याओं का अस्पताल तथा यूनानी के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम 95 शय्याओं का अस्पताल + स्नातकीय छात्रों की प्रवेश क्षमता (60 सीटों तक अथवा 69 से 900 सीटों तक) हेतु शय्याओं की कुल अपेक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक स्नातकोत्तर नैदानिक सीटों हेतु 9:8 का छात्र शय्या अनुपात।
- (iii) औसत उपस्थिति :- स्नातकीय छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु अपेक्षाओं के अनुसार बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की औसत उपस्थिति सम्बन्धित न्यूनतम मानक अपेक्षाएं विनियमों में यथा निर्दिष्ट।
- (iv) अंतः रोगी विभाग : अंतः रोगी विभाग में न्यूनतम 50% शय्या अधिभोग तथा
- (v) अन्य प्रावधानों की पूर्ति सम्बन्धित स्नातकोत्तर शिक्षा विनियमों के अन्तर्गत स्टॉफ की अपेक्षा जैसे गैर-शिक्षण स्टॉफ, नैदानिक निबन्धक इत्यादि को सम्मिलित करते हुए।

(ख) केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं हेतु :-

- (i) शिक्षक :- ऐसे संस्थान को जिनमें स्नातकीय पाठ्यक्रम नहीं है, सम्बन्धित विषय विशेष का 9 प्राध्यापक अथवा प्रवाचक +9 व्याख्याता रखना होगा तथा छात्र-शय्या अनुपात (प्राध्यापक हेतु 9:3, प्रवाचक हेतु 9:2, व्याख्याता हेतु 9:9) की पूर्ति करनी होगी।
- (ii) अंतः रोगी विभाग में शय्याएं :- 9:8 के छात्र-शय्या अनुपात के आधार पर शय्याओं की संख्या न्यूनतम 95 तथा नैदानिक स्नातकोत्तर सीटों की संख्या की गणना की जानी चाहिए।
- (iii) शय्या अधिभोग :- अतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग न्यूनतम 50%,
- (iv) बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन **900 रोगियों की औसत उपस्थिति**, तथा
- (v) अन्य प्रावधानों की पूर्ति सम्बन्धित स्नातकोत्तर शिक्षा विनियमों के अन्तर्गत स्टॉफ की अपेक्षा जैसे गैर-शिक्षण स्टॉफ, नैदानिक निबन्धक इत्यादि को सम्मिलित करते हुए।

४. शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों के संबंध में अनुमति प्रदान करने / अनुमति प्रदान न करने हेतु अपनी अनुसंशाएं तथा प्रतिवेदन अग्रेषित करते समय इन अपेक्षाओं पर केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त नीति निर्णय पर विचार करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनुरोध किया गया है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालयों हेतु संबंधित न्यूनतम मानक अपेक्षाओं तथा स्नातकीय/स्नातकोत्तर विनियमों के अनुसार समस्त अपेक्षाओं पर विचार किया जाना है।
५. इसके अतिरिक्त, शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को सशर्त अनुमति प्रदान करने/प्रदान न करने हेतु अपनाएं गए इस नीति निर्णय को सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को तत्काल सम्प्रेषित करने हेतु तथा साथ ही विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु इसे परिषद् की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु भी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनुरोध किया गया है।
६. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हैं। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण और उसका अद्यतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका परिषद् की वेबसाईट www.ccimindia.org पर प्रदर्शित की जा चुकी है, अतः चिकित्साभ्यासी भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में अपना नाम प्रमाणित कर सकते हैं।

वर्ष २०१५-१६ के दौरान, निम्न राज्यों की केन्द्रीय पंजिका को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए भारत के राजपत्र भाग III, अनुभाग IV में अधिसूचित किया गया : -

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या	दिनांक
१.	बिहार	१ अप्रैल, २०१३ से ३१ मार्च, २०१४	२६७	३१ अगस्त, २०१५

२.	गोवा	१ अप्रैल, २०१३ से ३१ मार्च, २०१४	२६६	३१ अगस्त, २०१५
३.	हिमाचल प्रदेश	१ अप्रैल, २०१३ से ३१ मार्च, २०१४	२६८	३१ अगस्त, २०१५
४.	पंजाब	१ अप्रैल, २०१३ से ३१ मार्च, २०१४	३००	३१ अगस्त, २०१५
५.	मध्य प्रदेश	११ जुलाई, २०१३ से ३१ मार्च, २०१४	२५	१५ जनवरी, २०१६
६.	विभिन्न राज्यों की सम्मिलित केन्द्रीय पंजिका (सी.सी. आर.)	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड	२३	१५ जनवरी, २०१६
७.	हरियाणा (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१४	२३१	२७ जून, २०१५
८.	बिहार (लोप)	जनवरी, १६८७ से ३१ मार्च, २०१३	३३६	१ अक्तूबर, २०१५
९.	हिमाचल प्रदेश (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१३	३३६	१ अक्तूबर, २०१५
१०.	छत्तीसगढ़ (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१४	३३६	१ अक्तूबर, २०१५
११.	गुजरात (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१५	३३६	१ अक्तूबर, २०१५
१२.	मध्य प्रदेश (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१४	३३६	१ अक्तूबर, २०१५
१३.	उत्तर प्रदेश (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१३	२२	१५ जनवरी, २०१६
१४.	कर्नाटक (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २००६	२४	१५ जनवरी, २०१६
१५.	मध्य प्रदेश (लोप)	प्रारंभ से १० जुलाई, २०१३	३६	२२ जनवरी, २०१६
१६.	पंजाब (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१३	३७	२२ जनवरी, २०१६
१७.	उत्तर प्रदेश (लोप)	प्रारंभ से ३१ मार्च, २०१३	३८	२२ जनवरी, २०१६
१८.	महाराष्ट्र (लोप)	प्रारंभ से दिसम्बर, २००७	३६	२२ जनवरी, २०१६

“दिनांक ०१.०४.२०१५ से ३१.०३.२०१६ तक के केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए गए तथा दिनांक ०१.०४.२०१५ से ३१.०३.२०१६ तक के सीधा पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए गए।”

		केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	सीधा पंजीयन प्रमाणपत्र
अप्रैल-१५	४५२८ से ४५५४	२७	शून्य
मई-१५	४५५५ से ४५८१	२७	शून्य
जून-१५	४५८२ से	शून्य	शून्य
जुलाई-१५	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	१५	शून्य
अगस्त-१५	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	शून्य	शून्य
सितम्बर-१५	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	२८	शून्य
अक्तूबर-१५	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	३६	शून्य
नवम्बर-१५	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	४५	शून्य
दिसंबर-१५	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	४०	शून्य

जनवरी-१६	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	शून्य	शून्य
फरवरी-१६	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	५५	शून्य
मार्च-१६	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र	२११	शून्य
कुल		५४+४३०	

०१ अप्रैल, २०१५ से ३१ मार्च, २०१६ तक की अवधि के दौरान ४८४ केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किए गए। कोई सीधा पंजीयन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।

प्रशासनिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

दिनांक ३१ मार्च, २०१६ को केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य थे :-

१. आयुर्वेद

१.	डा. मल्लु प्रसाद	२.	डा. मरदाना लक्ष्मु नायडु
३.	डा. गजेन्द्र भराली	४.	डा. बसन्त कुमार सिंह
५.	डा. मंतोष कुमार झा	६.	डा. सुभाष चन्द्र वर्मा
७.	डा. प्रजापति त्रिपाठी	८.	डा. रवि कुमार किचारिया
९.	डा. कर्ण सिंह	१०.	डा. सावंत प्रमोद पांडुरंग
११.	डा. भरतकुमार खोदाभाई बोधरा	१२.	डा. कमलेश चंदुलाल राजगौर
१३.	डा. विश्वजीत सिंह	१४.	डा. अशोक कुमार भार्मा
१५.	डा. नरेन्द्र कुमार	१६.	डा. गुरुलिंगानागौडा वासनगौडा पाटिल
१७.	डा. गौडर अमरगौड़ा महंतगौड़ा	१८.	डा. राजशेखर शंकरप्पा गानीगर
१९.	डा. वी.जी. उदय कुमार	२०.	डा. राम मोहन
२१.	डा. सुरेन्द्र पटेल	२२.	डा. थोराट दन्यानेश्वर एकनाथ
२३.	डा. सरदेशमुख सदानंद प्रभाकर	२४.	डा. वाघ सूर्यकिरण परशुराम
२५.	डा. सावंत आशानंद इन्द्रकुमार	२६.	डा. देवपुजारी जयंत यशवन्त
२७.	डा. सुदर्शन बहेरा	२८.	वैद्य जगजीत सिंह
२९.	वैद्य रघुनन्दन शर्मा	३०.	डा. वेद प्रकाश त्यागी
३१.	डा. हरि राम भदोरिया	३२.	डा. फूल चन्द्र चौधरी
३३.	डा. भृगुपति पाण्डे	३४.	डा. सुधांशु दत्त शर्मा
३५.	डा. मनोज कुमार मिश्रा	३६.	डा. प्रसन्ता कुमार सरकार
३७.	डा. अमिताभ कुमार	३८.	डा. जागेश्वर प्रसाद चौरसिया
३९.	डा. आर. आर. चौधरी	४०.	डा. उमेश शुक्ला
४१.	डा. डी. पी. दास	४२.	वैद्य श्रीकान्त गुणवंतराव देशमुख

४३.	डा. बी. आर. रामाकृष्ण	४४.	डा. नंदिनी विजय
४५.	प्रो. सत्य नारायण सिंह	४६.	डा. राजेश कुमार शर्मा
४७.	डा. रमेश बाबू देवल्ला	४८.	प्रो. कुलवंत सिंह
४९.	डा. निरंजन सिंह त्यागी	५०.	डा. मुकेश शर्मा
५१.	वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा	५२.	डा. श्रीमती रागनी राजन पाटिल
५३.	डा. गनी के. मंसूरी	५४.	डा. रमेश कृष्ण देशमुख
५५.	डा. एस. सारंगपाणि	५६.	डा. श्रीनिवास के बन्नीगोल
५७.	डा. एम. मोहन अल्वा	५८.	डा. प्रो. एम. आर. वी. नम्पुतिरी
५९.	डा. स्वपन कुमार भूनिया	६०.	प्रो. (डा.) बंदी प्रसाद शॉ
६१.	डा. (श्रीमति) वनिता मुरलीकुमार	६२.	डा. प्रसन्ना नरसिम्हा राव
६३.	डा. अरविंद कुमार चौधरी		

२. यूनानी

१.	डा. मदनापल्ली फसीर अहमद	२.	डा. तबरेज अख्तर
३.	डा. राशिदुल्लाह खान	४.	डा. विनोद पुंडीर
५.	डा. इलियास मजहर हुसैन	६.	डा. अब्दुल कबीर दार
७.	डा. शमीम अहमद खान	८.	डा. शुहाबुद्दीन
९.	हकीम यूसुफ खलील हुसैनी	१०.	डा. शेख जुबेर अहमद मोहम्मद इब्राहीम
११.	डा. मोहम्मद शफीक	१२.	हकीम सयैद शफीक अहमद
१३.	डा. मोहम्मद हारून	१४.	डा. अनवर सईद
१५.	डा. सैय्यद आरिज अहमद कादरी	१६.	हकीम सैय्यद फैजान अहमद
१७.	प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी	१८.	प्रो. मोहम्मद आयूब
१९.	प्रो. (श्रीमति) शगुफता अलीम	२०.	डा. एम.डी. कलीमुर रहमान
२१.	हकीम अजहर हसन	२२.	डा. रश्मिदा सुभानी
२३.	प्रो. डा. मीर युसूफ अली	२४.	प्रो. अनीस अहमद अंसारी
२५.	डा. शाकिर जमील	२६.	प्रो. खालिद जमन खान

३. सिद्ध

१.	डा. बी. मुथुकुमार	२.	डा. वी. बी. विजयकुमार
३.	डा. वी. बानुमति	४.	डा. वी. अरुणाचलम

४. सोवा रिग्पा

१.	डा. थिनली यांगजोर
----	-------------------

समितियां

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा ६ (१) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं यथा :-

१. आयुर्वेद समिति
२. सिद्ध समिति
३. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित/मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त है ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा ३ उपधारा (२) के प्रावधानानुसार अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है ।

दिनांक ३१.०३.२०१६ को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

१.	अध्यक्ष	डा. वेद प्रकाश त्यागी
२.	उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)	डा. अमिताभ कुमार
३.	उपाध्यक्ष (यूनानी)	डा. राशिदुल्लाह खान
४.	उपाध्यक्ष (सिद्ध)	डा. वी. अरुणाचलम

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचों में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, १९७६ की धारा ६ के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। भारतीय चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, १९७६ के खण्ड ६ (१) के अधीन उनकी अपनी-अपनी समितियों द्वारा किया जाता है।

दिनांक ३१.०३.२०१६ तक कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :-

१. डा. वेद प्रकाश त्यागी, अध्यक्ष, भा.चि.के.प. सभापति
२. डा. अमिताभ कुमार, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) सदस्य

३. डा. राशिदुल्लाह खॉं, उपाध्यक्ष (यूनानी)	सदस्य
४. डा. वी. अरूणाचलम, उपाध्यक्ष, (सिद्ध)	सदस्य
५. डा. भृगुपति पाण्डेय	सदस्य
६. डा. वी.जी. उदयकुमार	सदस्य
७. डा. उमेश शुक्ला	सदस्य
८. डा. श्रीनिवास के. बन्नीगोल	सदस्य
९. डा. मोहम्मद शफीक	सदस्य
१०. डा. शुहाबुद्दीन	सदस्य
११. डा. बी. मुथुकुमार	सदस्य

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं इसकी विभिन्न समितियों की बैठकें

वर्ष २०१५-१६ के दौरान निम्नलिखित बैठकें हुई :-

१.	४६ ^{वीं} आयुर्वेद समिति तथा ५१ ^{वीं} यूनानी समिति तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (यूनानी तथा सिद्ध) की विलम्ब अधिसूचना के संबंध में नई दिल्ली में हुई पूछताछ समिति की बैठक।	०६.०४.२०१५
२.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१० ^{वीं} बैठक।	०७.०४.२०१५
३.	नई दिल्ली में हुई पंजीयन समिति की ४० ^{वीं} बैठक।	०८.०४.२०१५
४.	बी.यू.एम.एस अंतिम व्यावसायिक सत्र के पाठ्य विवरण को अंतिम रूप देने हेतु बैठक।	२१-२२.०४.२०१५
५.	डॉ. पी. आर. शर्मा, सचिव, भा.चि.के.प. के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन की जांच करने हेतु उपसमिति की बैठक।	२१.०४.२०१५
६.	भा.चि.के.प. के वर्तमान कर्मचारियों हेतु वर्तमान भर्ती नियमों को पुनरीक्षित करने हेतु उपसमिति की बैठक।	२२.०४.२०१५
७.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २११ ^{वीं} बैठक।	२२.०४.२०१५
८.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१२ ^{वीं} बैठक।	०६.०५.२०१५
९.	डॉ. राम सिंह, श्री कुंवर शेखर, श्री विजेंद्र तथा अन्य आयुर्वेद महाविद्यालयों के संबंध में नई दिल्ली में हुई सुनवाई समिति की बैठक।	०५.०५.२०१५
१०.	डॉ. राम लाल शर्मा पिता डॉ. दीपिका शर्मा (श्री सत्य साईं मुरलीधर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मोगा, पंजाब की बी.ए.एम.एस छात्रा) की शिकायत के संबंध में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक।	०५.०५.२०१५
११.	नई दिल्ली में हुई यूनानी की छानबीन समिति की बैठक।	०७.०५.२०१५
१२.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद की छानबीन समिति की बैठक।	०६-०८.०५.२०१५
१३.	एक शिक्षक अर्थात् डॉ. आशीष परवीन की डुप्लीसिटी के संबंध में सुनवाई समिति की बैठक।	१२.०५.२०१५
१४.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद की छानबीन समिति की बैठक।	१३-१४.०५.२०१५

१५.	नई दिल्ली में हुआ उपाध्यक्ष (सिद्ध) का निर्वाचन।	१५.०५.२०१५
१६.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१३ ^{वाँ} बैठक।	१५.०५.२०१५
१७.	भा.चि.के.प. के कार्यालय में डॉ. पी. आर. शर्मा, सचिव, के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन की जांच करने हेतु बैठक।	१६.०५.२०१५
१८.	आशुलिपिक ग्रेड-II (हिन्दी-अ.पि.व. हेतु आरक्षित) के एक पद हेतु अभ्यर्थिता पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक।	२६.०५.२०१५
१९.	सुनवाई समिति की कार्यवाही एवं इसकी बैठक के अभिलेख के संबंध में बैठक।	२७.०५.२०१५
२०.	न्यूनतम मानक अपेक्षाओं, शिक्षा के न्यूनतम मानक तथा आयुर्वेद के स्नातकोत्तर विनियमों के संशोधनों के संबंध में नई दिल्ली में हुई उपसमिति की बैठक।	२७.०५.२०१५
२१.	न्यूनतम मानक अपेक्षाओं, शिक्षा के न्यूनतम मानक तथा यूनानी के स्नातकोत्तर विनियमों के संशोधनों के संबंध में नई दिल्ली में हुई यूनानी उपसमिति की बैठक।	२७.०५.२०१५
२२.	भा.चि.के.प. के कर्मचारियों के स्थाई आदेशों के पुनरीक्षण की बैठक।	२८.०५.२०१५
२३.	भा.चि.के.प. के सदस्यों हेतु टैबलेट के क्रय हेतु गठित उपसमिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	२८.०५.२०१५
२४.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१४ ^{वाँ} बैठक।	२८.०५.२०१५
२५.	न्यूनतम मानक अपेक्षाओं, शिक्षा के न्यूनतम मानक तथा आयुर्वेद एवं यूनानी के स्नातकोत्तर विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों हेतु नई दिल्ली में हुई उपसमिति की बैठक।	२८.०५.२०१५
२६.	भा.चि.के.प. के कर्मचारियों के स्थाई आदेशों के पुनरीक्षण की बैठक।	१६.०६.२०१५
२७.	भा.चि.के.प. के सदस्यों हेतु टैबलेट के क्रय के संबंध में गठित उपसमिति की बैठक।	१६.०६.२०१५
२८.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद तथा यूनानी की छानबीन समिति की बैठक।	१६.०५.२०१५
२९.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१५ ^{वाँ} बैठक।	१६.०६.२०१५
३०.	डॉ. एस.एन. शर्मा, प्रोफेसर, दयानंद आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सिवान तथा जे.डी. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अलीगढ़ के संबंध में नई दिल्ली में हुई सुनवाई समिति की बैठक।	१७.०६.२०१५
३१.	डॉ. पी. आर. शर्मा, सचिव, भा.चि.के.प. के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन की जांच करने हेतु नई दिल्ली में हुई उपसमिति की बैठक।	१७.०६.२०१५
३२.	बंगलौर में आयुर्वेद की क्षेत्रीय कार्यशाला की बैठक।	०३-०४.०७.२०१५
३३.	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी परिचर्या व देखभाल तथा शिक्षा पर चर्चा करने के संबंध में नई दिल्ली में हुई बैठक।	०७.०७.२०१५
३४.	बी.ए.एम.एस. हेतु हमदर्द विश्वविद्यालय, बांग्लादेश द्वारा अनुसरित पाठ्य विवरण के संबंध में बैठक।	०७.०७.२०१५
३५.	नई दिल्ली में हुई आयुर्वेद तथा यूनानी की छानबीन समिति की बैठक।	०८.०७.२०१५
३६.	आशुलिपिक ग्रेड-II (हिन्दी-अ.पि.व. हेतु आरक्षित) के पद हेतु नई दिल्ली में हुई चयन समिति की बैठक।	०८.०७.२०१५
३७.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१६ ^{वाँ} बैठक।	०९.०७.२०१५
३८.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१७ ^{वाँ} बैठक।	२२.०७.२०१५

३९.	डॉ. पी. आर. शर्मा, सचिव, भा.चि.के.प. के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन की जांच करने हेतु उपसमिति की बैठक।	२३.०७.२०१५
४०.	बी.एस.एम.एस. तृतीय एवं चतुर्थ व्यावसायिक हेतु पाठ्य विवरण तैयार करने हेतु राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई में हुई बैठक।	३०-३१.०७.२०१५
४१.	आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी के विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार विजेताओं के चयन हेतु जूरी की नई दिल्ली में हुई बैठक।	०६.०८.२०१५
४२.	महाविद्यालय तथा शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों में कमियों संबंधी मामलों में आयुर्वेद महाविद्यालयों की सुनवाई समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	१०.०८.२०१५
४३.	श्री बी.के. बासवाराजू, उ.श्रे.लि., भा.चि.के.प. के कार्य की जांच करने हेतु बैठक।	१८.०८.२०१५
४४.	शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय केन्द्र (टी.टी.टी.) के समन्वयकों की नई दिल्ली में हुई बैठक।	१८.०८.२०१५
४५.	नई दिल्ली में हुई सिद्ध समिति की बैठक।	१८.०८.२०१५
४६.	महाविद्यालय तथा परिदर्शक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों में कमियों संबंधी मामलों में आयुर्वेद की सुनवाई समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	१९.०८.२०१५
४७.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१ ^{वीं} बैठक।	१९.०८.२०१५
४८.	धारा १३क के अधीन यूनानी महाविद्यालय के परिदर्शनों हेतु परिदर्शन टीम शेड्यूल तैयार के करने के संबंध में बैठक।	१९.०८.२०१५
४९.	डॉ. पी. आर. शर्मा, सचिव, भा.चि.के.प. के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन की जांच करने हेतु बैठक।	०८.०९.२०१५
५०.	श्री बी.के. बासवाराजू, उ.श्रे.लि., भा.चि.के.प. के कार्य की जांच करने हेतु बैठक।	०८.०९.२०१५
५१.	बी.एस.एम.एस. तृतीय व्यावसायिक हेतु पाठ्यक्रम के पुनर्विलोकन हेतु राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई में हुई बैठक।	०५.०९.२०१५
५२.	१३क विनियमों के पुनर्विलोकन तथा संशोधन हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	२१.०९.२०१५
५३.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २१ ^{वीं} बैठक।	२१.०९.२०१५
५४.	आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर संस्थान हेतु न्यूनतम मानक आधारभूत संरचना पर विनियमों का प्रारूप तैयार करने के संबंध में नई दिल्ली में हुई बैठक।	२२-२३.०९.२०१५
५५.	शिक्षकों को प्रशिक्षण (टी.टी.टी.) हेतु बेसिक कोर्स मॉड्यूल तैयार करने हेतु नई दिल्ली में संसाधनों, व्यक्तियों की बैठक।	२२-२३.०९.२०१५
५६.	डॉ. पी. आर. शर्मा, सचिव, भा.चि.के.प. के संबंध में पूछताछ प्रतिवेदन की जांच करने हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	२३.०९.२०१५
५७.	सिद्ध स्नातकोत्तर विनियमों के प्रारूप तथा स्नातकोत्तर सिद्ध महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाओं के विनियम के प्रारूप को अंतिम रूप देने हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	३०.०९.२०१५ एवं ०१.१०.२०१५
५८.	स्नातकीय विनियम (यूनानी), २०१३ में सुधार हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	०१.१०.२०१५
५९.	विनियमों के पुनरीक्षण एवं उन्हें अंतिम रूप प्रदान करने हेतु नई दिल्ली में हुई समिति की बैठक।	१२-१३.१०.२०१५
६०.	भा.चि.के.प. के कार्यालय में वरिष्ठ, कनिष्ठ आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध के तकनीकी	१४.१०.२०१५

	एसोसिएट तथा मल्टीमीडिया ग्राफिक डिजाइनर हेतु वॉक इन इंटरव्यू।	
६१.	आयुर्वेद की छानबीन समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	२६-२७.१०.२०१५
६२.	सिद्ध शिक्षा समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	२७.१०.२०१५
६३.	आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	२८.१०.२०१५
६४.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२० ^{वीं} बैठक।	२८.१०.२०१५
६५.	परिषद् के सामान्य अधिवेशन तथा इसकी विभिन्न समितियों की नई दिल्ली में हुई बैठक।	२९.१०.२०१५
६६.	टी.टी.टी. (शिक्षकों को प्रशिक्षण) के रिसोर्स व्यक्तियों हेतु अनुस्थापन की नई दिल्ली में हुई बैठक।	१७.११.२०१५
६७.	भा.चि.के.प. के समस्त पदों हेतु भर्ती नियमों के पुनरीक्षण के संबंध में नई दिल्ली में हुई बैठक।	१०.१२.२०१५
६८.	सोवा रिग्ना के विनियम प्रारूप पर चर्चा करने हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	०९-१०.१२.२०१५
६९.	भा.चि.के.प. के समस्त पदों हेतु भर्ती नियमों के पुनरीक्षण के संबंध में नई दिल्ली में हुई बैठक।	१०.१२.२०१५
७०.	स्नातक आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा विनियमों में प्रस्तावित विषयों हेतु शिक्षण के घण्टे तैयार करने हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	१०.१२.२०१५
७१.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२१ ^{वीं} बैठक।	११.१२.२०१५
७२.	स्नातक आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा विनियमों में प्रस्तावित विषयों हेतु शिक्षण के घण्टे तैयार करने हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	११.१२.२०१५
७३.	सौसायटी फंड की नई दिल्ली में हुई प्रथम बैठक।	११.१२.२०१५
७४.	आयुर्वेद के बारे में एलोपैथी चिकित्सकों को इसकी ओर प्रवृत्त करने हेतु सी.एम.ई. मॉड्यूल तैयार करने के लिए नई दिल्ली में हुई बैठक।	१४-१५.१२.२०१५
७५.	यूनानी में सेमेस्टर पद्धति में शिक्षण के घण्टों के वितरण हेतु बैठक।	२१.१२.२०१५
७६.	स्नातकीय विनियम सिद्ध में प्रवृत्त घण्टों के वितरण पर चर्चा करने हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	२३.१२.२०१५
७७.	इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२२ ^{वीं} बैठक।	३०.१२.२०१५
७८.	इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में हुई एडवाइजरी पैनल की बैठक।	३०.१२.२०१५
७९.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२३ ^{वीं} बैठक।	१२.०१.२०१६
८०.	इल्मुल सैदला तथा औषधिय पौधे (यूनानी) के संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्य विवरण को अंतिम रूप देने हेतु बैठक।	२०.०१.२०१६
८१.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२४ ^{वीं} बैठक।	२०.०१.२०१६
८२.	वरिष्ठ एवं कनिष्ठ तकनीकी एसोसिएट तथा टी.टी.टी. प्रोग्राम/ई-लर्निंग (ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन) हेतु वॉक इन इंटरव्यू।	२१.०१.२०१६
८३.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२५ ^{वीं} बैठक।	२५.०१.२०१६
८४.	डॉ. वी.पी. त्यागी द्वारा दुराचार के संबंध में नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	२५.०१.२०१६
८५.	बी.एन.एम. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, बिजापुर से डॉ. सीमा तथा डॉ. सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, सिसा तथा उत्तरांचल	१७.०२.२०१६

	आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून के कार्य मुक्ति आदेश के संबंध में नई दिल्ली में हुई सुनवाई समिति की बैठक।	
८६.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति (आयुर्वेद) की बैठक (१३१/१३१ के सत्र २०१६-१७ के अधीन)।	१८.०२.२०१६
८७.	नई दिल्ली में हुई छानबीन समिति (यूनानी) की बैठक।	१८.०२.२०१६
८८.	भा.चि.के.प. के कर्मचारियों के लिए मानदेय के संबंध में बैठक।	१८.०२.२०१६
८९.	समूह "क" पदों हेतु भर्ती नियमों के पुनरीक्षण तथा पंजीयन अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के संबंध में भा.चि.के.प., नई दिल्ली में हुई बैठक।	१८.०२.२०१६
९०.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२ ^{वीं} बैठक।	१८.०२.२०१६
९१.	पंजीयन/समावेश के संबंध में नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	२६.०२.२०१६
९२.	भा.चि.के.प. की कम्पलेन्ट रिट्रेसल कमेटी के गठन हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	२६.०२.२०१६
९३.	एम.बी.बी.एस. स्नातको हेतु आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण को तैयार करने के संबंध में उप समिति की बैठक।	२६.०२.२०१६
९४.	आयुष मंत्रालय की जॉच दल तथा निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसरण में संबंधित निरीक्षण टीम के सदस्यों तथा ०६ आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सुनवाई के संबंध में नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	०१.०३.२०१६
९५.	यूनानी महाविद्यालयों के संबंध में भारत सरकार द्वारा कराये गये औचक परिदर्शन के संबंध में नई दिल्ली में हुई सुनवाई समिति की बैठक।	०१.०३.२०१६
९६.	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी की पुनरीक्षित न्यूनतम मानक अपेक्षाओं को तैयार करने के संबंध में उप समिति की बैठक।	०२.०३.२०१६
९७.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा २० के प्रावधान के अनुसार डॉ. सुरेन्द्र पटेल को परिदर्शक के रूप में मानने पर विचार किये जाने संबंधी प्रकरण हेतु अतिरिक्त कार्यसूची मद संख्या १३ के अन्तर्गत २२ ^{वीं} कार्यकारिणी समिति द्वारा अग्रेषित नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	०२.०३.२०१६
९८.	नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी समिति की २२ ^{वीं} बैठक।	०२.०३.२०१६
९९.	महाविद्यालयों के श्रेणी निर्धारण सहित पुनरीक्षित न्यूनतम मानक अपेक्षाएं (आयुर्वेद तथा यूनानी) के संबंध में भा.चि.के.प., नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	०८.०३.२०१६
१००.	महाविद्यालयों हेतु सिद्ध की पुनरीक्षित न्यूनतम मानक अपेक्षाओं को तैयार करने के संबंध में नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	१०.०३.२०१६
१०१.	डॉ० सीमा रुद्रामनेषा, प्रवाचक, बी.एन.एम. आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर के संबंध में सुनवाई हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	१०.०३.२०१६
१०२.	सिद्ध पद्धति से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा करने तथा आवश्यक कार्यवाई करने हेतु नई दिल्ली में हुई बैठक।	२१.०३.२०१६
१०३.	परिषद् से संबंधित विभिन्न कोर्ट केसों पर चर्चा करने के संबंध में नई दिल्ली में हुई बैठक।	२२.०३.२०१६
१०४.	डॉ. पी.आर. शर्मा, निबंधक सह-सचिव, भा.चि.के.प. पर कार्यालय आदेश दिनांक	२३.०३.२०१६

	१८.०१.२०१६ के द्वारा लगाए गए आरोपो के संबंध में तथ्य खोजने हेतु भा.चि.के.प., नई दिल्ली में हुई उप समिति की बैठक।	
१०५	अनापत्ति - प्रमाण पत्र के संबंध के मामलों में गठित उप समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	३०.०३.२०१६
१०६	विधि संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति तथा खर्चों की जांच करने हेतु गठित उप समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक।	३१.०३.२०१६

आयुर्वेद

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की धारा १४ उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में आयुर्वेद की निम्नलिखित चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया तथा विश्वविद्यालय की मान्यता के साथ महाविद्यालय का नाम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया:-

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संश्लेषक	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
"११६. ६३८	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (डीम्ड यूनीवर्सिटी), नागपुर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	१ जनवरी, २०१२ से ३१ दिसम्बर, २०१४ तक : यदि वर्ष २००७ से भारत सरकार की अनुज्ञा से महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज, सावंगी (मेघे), वर्धा, महाराष्ट्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रदान की गई हो।"	का.आ. १७४(अ) दिनांक ०८.०१. २०१५
"१२१.	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	आयुर्वेद धनवंतरि	एम.एस. आयुर्वेद	१ जनवरी, २००७ से ३१ दिसम्बर, २०१४ तक, यदि उन छात्रों को प्रदान की गई हों जिन्हें आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसन्धान	का.आ. १३५४ (अ) दिनांक १२.०५. २०१५

				संस्थान, निदेशक का कार्यालय, सुश्रुत भवन, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जी.जी. अस्पताल रोड, जामनगर-३६१००८ गुजरात में वर्ष २००४ के बाद केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से प्रवेश दिया गया था।”	
”१२२. ११७ एवं ११७क	पश्चिमी बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	०१ मई, २०१० से ३१ दिसम्बर, २०१४ तक, यदि वर्ष २००४-०५ से २००८-०९ तक केन्द्रीय सरकार की सम्मति से निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है, अर्थात्:- (i) जे.बी. राय राज्य आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, १७०-१७२, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कोलकाता-७००००४, पश्चिम बंगाल; (ii) बेल्ली शंकरपुर राजीव गांधी स्मारक आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल, पोस्ट कुशडंगा, जिला-उत्तर २४-परगना, निकट रेलवे स्टेशन, कंकीनाडा- ७४३१२६,	का.आ. १५६४ (अ) दिनांक ०४.०६. २०१५

	पश्चिमी बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी.(आयुर्वेद)	पश्चिम बंगाल'' “१ जनवरी, २००७ से ३१ दिसम्बर, २०१४ तक, यदि वर्ष २००४-०५ से २००८-०९, २०१०-११ और २०११-१२ तक केंद्रीय सरकार की सम्मति से स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान श्यामदास विद्या शास्त्र, पीठ, २६४/३/१ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-७००००६, पश्चिमी बंगाल में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है”	
१२५ २५ क.	जम्मू विश्वविद्यालय	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	२००६ से आगे	का.आ. २८४६ (अ) दिनांक २४.०९. २०१५
		बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस	आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जम्मू के छात्रों के लिए १९६६ से १९८१ तक	
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. आयुर्वेद	२०११ से आगे	
		आयुर्वेद धन्वंतरि	एम.एस. आयुर्वेद	केंद्रीय सरकार द्वारा जम्मू इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, जम्मू तवी को अनुमति प्रदान करने के अध्यक्षीन	

१२६. ”हृख	पं. रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	२००१ से आगे	का.आ. २८४७ (अ) दिनांक १३.१०. २०१५
		आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी (आयुर्वेद)	२००१ से २००६ तक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् द्वारा प्रवेश के लिए श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त अनुज्ञा के अध्यधीन २०१० से २०११ तक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवेश के लिए श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त अनुज्ञा के अध्यधीन	
		आयुर्वेद धनवंतरि	एम.एस. (आयुर्वेद)	२०१० से २०११ तक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवेश के लिए श्री नारायण प्रसाद अवस्थी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त अनुज्ञा के अध्यधीन”	
१२६. ”८८ ड.	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पंजाब,	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	क.२०१२ से २०१३ तक; यदि निम्नलिखित महाविद्यालयों	का.आ. २६३३ (अ) दिनांक

	होशियारपुर		<p>में प्रवेश लेने वाले २००७ के नियमित बैच और २००२ से २००७ के अतिरिक्त बैच के छात्रों को प्रदान की जाती है, अर्थात्-</p> <p>(१) बाबे के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, दौधर, जिला मोगा;</p> <p>(२) दयानन्द आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालंधर</p> <p>(३) देश भगत आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मंडी गोबिन्दगढ़;</p> <p>(४) राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटियाला;</p> <p>(५) गुरू नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, गोपालपुर;</p> <p>(६) गुरू नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मुक्तसर;</p> <p>(७) माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मुक्तसर;</p> <p>(८) संत सहारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, भटिंडा</p> <p>(९) शहीद करतार</p>	२७.१०. २०१५
--	------------	--	--	----------------

				<p>सिंह सराभा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, सराभा; (१०) श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अमृतसर; (११) श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंसेस, होशियारपुर; (१२) श्री सत्य साईं मुरलीधर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मोगा</p> <p>ख.२०१४ से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रवेश हेतु दी गई अनुज्ञा के अध्यधीन, अर्थात:-</p> <p>(१) बाबे के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, दौधर, जिला मोगा;</p> <p>(२) दयानन्द आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जालंधर</p> <p>(३) देश भगत आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मंडी गोबिन्दगढ़;</p> <p>(४) राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटियाला;</p> <p>(५) गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, गोपालपुर;</p> <p>(६) गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मुक्तसर;</p> <p>(७) माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मुक्तसर;</p> <p>(८) संत सहारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, भटिंडा</p> <p>(९) शहीद करतार सिंह सराभा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, सराभा;</p> <p>(१०) श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अमृतसर;</p> <p>(११) श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, होशियारपुर;</p> <p>(१२) श्री सत्य साईं मुरलीधर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मोगा”</p>	
१२८ ६३ च.	भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) पुणे	<p>(क) आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)</p> <p>(ख) आयुर्वेद वाचस्पति</p> <p>(ग) आयुर्वेद धन्वन्तरि</p>	<p>बी.ए.एम.एस.</p> <p>एम.डी. (आयुर्वेद)</p> <p>एम.एस. (आयुर्वेद)</p>	<p>२००० से आगे”</p> <p>२००२ से आगे”</p> <p>२००८ से २००९ तक</p>	<p>का. आ. २६३२ (अ) दिनांक २७.१०. २०१५</p>

				<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, पुणे-४११०४३, महाराष्ट्र को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन।</p> <p>२०१० से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, पुणे-४११०४३, महाराष्ट्र को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन”</p>	
१३०. ”६ कख.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	<p>आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)</p> <p>आयुर्वेद वाचस्पति</p>	<p>बी.ए.एम.एस.</p> <p>एम.डी. (आयुर्वेद)</p>	<p>१९६२ से आगे</p> <p>१९६३ से २०१० तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल, कदम कुंआ, पटना-०३, बिहार को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन।</p> <p>२०११ के आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा</p>	<p>का.आ. २६६० (अ) दिनांक ०२.११. २०१५</p>

				राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल, कदम कुंआ, पटना-०३, बिहार को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन”	
”७६ड	केएलई विश्वविद्यालय, बेलगांव	(क) आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	२०१५ से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा केएलई श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन।	का.आ. १२७८ (अ) दिनांक १५.०३. २०१६
		(ख) आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	१ जुलाई, २०१२ से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा केएलई श्री बी.एम. कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन।”	
		(ग) आयुर्वेद धन्वन्तरी	एम.एस. (आयुर्वेद)		
”२४ख ग	पंडित भगवत दयाल शर्मा, यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक, हरियाणा	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस.	२०१४ से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कॉलेजों में प्रवेश के लिए दी गई अनुमति के अधीन रहते हुए, अर्थात:- (i) श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्थल बोहर, रोहतक। (ii) गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, ब्राह्मणवास,	का.आ. १२७९ (अ) दिनांक २२.०३. २०१६

				रोहतक। (iii) मुरारीलाल रसिवसिया आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, चरखी दादरी, भिवानी। (iv) श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, उमरी रोड, कुरुक्षेत्र। (v) चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जगाधरी, यमुना नगर।”	
--	--	--	--	---	--

चतुर्थ अनुसूची

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता	संक्षेपाक्षर	वैधता की अवधि	राजपत्र अधिसूचना संख्या
१२०	त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा संस्थान काठमांडु, नेपाल	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र-शास्त्री)	बी.ए.एम.एस.	१ जनवरी, २००० से आगे”	का.आ. ११६८ (अ) दिनांक २५.०४.२०१५

वर्ष २०१५-१६ हेतु धारा १३(क) के अंतर्गत नये प्रस्ताव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३(क) एवं नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्राशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ के प्रावधानानुसार भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ५६ प्रस्ताव, नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/ वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु ४३ प्रस्ताव तथा विभिन्न महाविद्यालयों से प्राप्त ११ सम्मिलित स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर प्रस्ताव परिषद् को अग्रिष्ठित किये गए। केन्द्रीय परिषद् ने संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इस परियोजना के अनुमोदन/निरनुमोदन हेतु आयुष मंत्रालय को अनुशंसाए भेजी।

धारा १३ क के अधीन नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष २०१५-२०१६ में प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्रम. संख्या	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार का निर्णय पत्र संख्या एवं दिनांक सहित
1.	बाबा हीरा दास आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गाँव व पोस्ट ऑफिस बादल, जिला -मुक्तसर -१५२११३ (पंजाब)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २७.०१.२०१६
2.	हॉर्मोनि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, एडजोईंग एफ.सी.आई. गोडाउन्स, कच्चा जीरा रोड़, फिरोजपुर सीटी (पंजाब)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/११/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २५.०२.२०१६
3.	श्री गुरू नानक देव आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, रायकोट रोड़, गाँव रकबा मुल्लानपुर, लुधियाना -१४१४२२ (पंजाब)	आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/३७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
4.	सरस्वती प्रोफेसनल एवं हायर एजुकेशन सोसायटी, गाँव व पोस्ट धरौन - १४०४१३, तहसील खरर, जिला एस.ए. एस. नगर मोहाली, (पंजाब)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/०७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६

5.	खालसा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, (पंजाब)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/१७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०४.२०१६
6.	सी आई टी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर " एन एच-३०, नया रायपुर, अभानपुर, जिला : रायपुर - ४६३६६१ (छतीसगढ़)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०५.०१.२०१६
7.	भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल" पूलगाँव चौक, दुर्ग, (छतीसगढ़)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/१४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २५.०२.२०१६
8.	नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद धनी गरन रोड़ बरवाला -१२५१२१, हिसार, (हरियाणा)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/०८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २५.०२.२०१६
9.	गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एवं रिसर्च, गांव छायासा वल्लभगढ़, फरीदाबाद - १२१००४ (हरियाणा)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/३२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०२.०५.२०१६

10.	मां कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल राजौलतु नामकुम, रांची - ८३४०१० (झारखण्ड)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	भारत सरकार द्वारा अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
11.	शिव आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल "गॉव लुहानू कनेटैन, पोस्ट ऑफिस चांदपुर तहसील सदर, जिला बिलासपुर -१७४००४ (हिमाचल प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
12.	स्वामी विवेकानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (कल्याण सेवा संस्थान की एक इकाई), माधव विला, सिमोलतला, जमुई - (बिहार)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/१२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०२.०३.२०१६
13.	साई आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र गेट नं०. ६७, धेनगले - पाटिल नगर, सोलापुर-वर्शा हाईवे तहशील -वर्शा, (महाराष्ट्र)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/०६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
14.	डॉ० आर. एन. लोहटी आयुर्वेदिक कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट सुल्तानपुर, तहसील -लोनार, बुलढाणा, पिन- ४४३३०७, (महाराष्ट्र)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/३१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
15.	श्री राशिक लाल मानिकचंद धारीवाल आयुर्वेद कॉलेज एवं	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों

	हॉस्पिटल” गिरीविहार, तेलेटी रोड़ पालीताना, (गुजरात)	में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/३०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
16.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एवं हॉस्पिटल” ओपोजिट हिल वियू क्लब, कलावड़ रोड़ १५० फुट ईश्वरीया रिंग रोड़ राजकोट-३६०११० (गुजरात)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित (अपेक्षित १०० सीटों के क्योंकि राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र ६० सीटों के लिए था तथा महाविद्यालय ने भी परिदर्शन पत्र में ६० सीट ही भरी थी।) एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गयं एफ न. आर. १२०११/५७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
17.	स्टेट मॉडल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साईंसिज, सी/ओ ब्लॉक न०. १,२ फ्लोर्स, जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय, कोलावाड़ा गौधीनगर, (गुजरात)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/०५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
18.	”श्री स्वामीनारायन आयुर्वेदिक कॉलेज” ओपोजिट. कलोल जीआईडीसी नेशनल हाईवे न०. ८, एवं पोस्ट - साईजी, तहसील- कलोल, जिला- गौधीनगर- ३८२७२१ (गुजरात)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/१३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
19.	ईवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेद ” सुपेदी, जनजमेर रोड़ सुपेदी, जिला, राजकोट- ३६०४४०(गुजरात)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

			एफ न. आर. १२०११/१०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
20.	मंजुश्री रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज” पेटापुर महुदी रोड़ नियर जीजीएस, पीपलाज गाँधीनगर -३२२६१०(गुजरात)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/५६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
21.	हरिद्वार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, मुस्तफाबाद (पदरथा), धनपुरा, हरिद्वार -२४६४०५ (उत्तराखण्ड)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६०६. ०३.२०१६
22.	मदरहुड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, गाँव- करौंदी, पोस्ट ऑफिस भगवानपुर, रुडकी, जिला- हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
23.	ओम आयुर्वेदिक कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, नियर क्रिस्टल वर्ल्ड, रुरकी हरिद्वार एन. एच-५८, गाँव पंचायानपुर, पोस्ट ऑफिस दौलतपुर, रुरकी हरिद्वार-२४६४०२, (उत्तराखण्ड)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/५१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
24.	साल्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, शशीकल, तहसील-सल्ट, जिला- अल्मोड़ा, (उत्तराखण्ड) -२६३६७६	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

			एफ न. आर. १२०११/४४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०४.२०१६
25.	फैक्टरी ऑफ आयुर्वेदा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, हरतवाला, देहरादून -२४८००१ (उत्तराखण्ड)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/१६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०५.२०१६
26.	डॉ० एन.ए. मगदुम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अंकाळी, तालुका- चिकोडी, जिला बेलगम, (कर्नाटका)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित (अपेक्षित १०० सीटों के क्योंकि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र तथा आर.जी.यू.एच.एस. से संबद्धता का सहमति पत्र ६० सीटों के लिए था) एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/३३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
27.	शारदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मुन्डर्गा, यादगिर जिला (कर्नाटका)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २७.०१.२०१६
28.	बिदर विद्या केन्द्र (आर.) अक्कमहादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, चिडरी, बिदर, (कर्नाटका)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/०६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
29.	प्रसन्ना कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एवं हॉस्पिटल, ललिया बेलठनगडी, (कर्नाटका)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय

		महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
30.	के.टी.जी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, श्रीगंधाडाकवल, हेग्नहाली क्रॉस, सुनकवाकट्टे - पीन्या रोड, विश्वानीदमा पोस्ट, बंगलोर, (कर्नाटक)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/६१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १४.०३.२०१६
31.	प्राशर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जरनिया नर्सिंगार्द रोड, प्रावलिया भोपाल-४६२००३, (मध्य प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०५.२०१६
32.	पीपल्स यूनिवर्सिटी, पिपलस कैम्पस भानपुर, अयोध्या बाईपास रोड भोपाल -४६२०३७, (मध्य प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/१५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०४.२०१६
33.	अष्टमागम आयुर्वेदा चिकित्सालय एवं विद्यापीठम वावनौर, कोट्टानाद, पलक्कड, (केरला)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
34.	विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसज एवं हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड,	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय

	पोस्ट अग्री, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/०२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०२.२०१६
35.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एवं धनवंतरी लाइफ लाइन हॉस्पिटल, गाँव एवं पोस्ट-शेरपुर खानजादपुर, जिला सहारनपुर- २४७१६२ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
36.	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, गाँव- कुडना चौक, नियर ब्रिजघाट, जिला - अमरोहा, पिन- २४४२३५ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/१६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
37.	एस.आर.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गाँव -सिकंदरापुर, पोस्ट ऑफिस टिहरा, ग्वालियर रोड़, जिला आगरा-२८२००१ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
38.	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, लाडनपुर, कोषागंज, जिला मऊ (उत्तर प्रदेश) - २७५१०१	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
39.	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, नियर पॉलटेक्निक कॉलेज, आगरा	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय

	रोड़, जिला हथरस - २०४१०१ (उत्तर प्रदेश)	महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
40.	के.वी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं देव हॉस्पिटल, कुबेरपुर, एन.एच.-२, आगरा-२८३२०२ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/५३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०३.२०१६
41.	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, रिसर्च सेन्टर, कमलापुर, अकौनी चन्दीली, (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/३५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
42.	'आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, काशीपुर, सुरई, साथीयोन, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) - २४३५०१	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
43.	'जी.एस. आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गोंव-पीपलाबंदपुर, नियर रेलवे स्टेशन पिलखुवा, जिला हापुड़-२४५३०४(उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/५६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०२.२०१६
44.	ग्लोकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सांइसिज एवं रिसर्च सेन्टर, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग (स्टेट हाईवे नं. ५७), मिर्जापुर, - पोल, जिला-	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

	सहारनपुर -२४७१२२ (उत्तर प्रदेश)	गई।	एफ न. आर. १२०११/२२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १४.०३.२०१६
45.	आर.बी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जलेसर रोड़ अगारा, (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/३४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
46.	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पोहाली साराधना रोड़, मेरठ, (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
47.	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गॉंव दुर्गावली, प्रतापपुर बाईपास रोड़ (दिल्ली -हरिद्वार हाईवे), जिला- मेरठ - २५०१०३ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/५८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
48.	'इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साईंसिज, विमलार्जुन नगर, भागोखेडा, मोहनार्जुन नगर, लखनऊ -२६१००५ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/६०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
49.	डॉ० विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर गॉंव - भान्दहा कला, पोस्ट, कैथी, वाराणसी, (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया।

			एफ न. आर. १२०११/६२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
50.	श्री रामचन्द्रा वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, यमुना विहार, मल्हौर रोड़, नियर इलाडिको टिहरा, चिनहट, लखनऊ -२२६०८२ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/०४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १३.०७.२०१६
51.	जे.पी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल " जी.टी. रोड़, सिक्ंदराराव, हाथरस - २०४२१५ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०३.२०१६
52.	प्रकाश इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसिज एवं रिसर्च, झज्जर, बुलन्दशहर, (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
53.	भगवन्त आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, भगवन्तपुरम, १७ माईल स्टोन, बिजनौर -दिल्ली हाईवे, गॉव - केलापुर जसमोर, तहसील - जनसाठ जिला - मुज्जफरनगर - २५१३१५ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/५२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १०.०५.२०१६
54.	डब्लू टी एम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गॉव - फतेहपुर माफि, पोस्ट-पालाउला जोया -सभंल रोड़ जिला अमरोहा- २४४२२० (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/४६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १०.०५.२०१६

55.	एसआरसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गॉव रसूलपुर, पोस्ट - मगोरा, जिला - मधुरा, पिन - २८१००१ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में १०० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/५५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १३.०४.२०१६
56.	धन्वतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, गॉव चितौली, पोस्ट ऑफिस फतेहगंज (डब्लू), जिला बरेली - २४३५०१ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० सीटों सहित एक नया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १२०११/२४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०२.२०१६

धारा १३ क के अधीन वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु/नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु (२०१५-२०१६)

क्रम. संख्या	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंज्ञाएं	भारत सरकार का निर्णय
1.	पी एन एन एम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, शौरनुर, पोस्ट ऑफिस चेरटूरुथी - ६७६५३१, तालुक थालापली, जिला - थिरसूर करेला	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से शल्यतंत्र (सामान्य) में ०३ सीटों सहित ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से शल्यतंत्र (सामान्य) में ०३ सीटों सहित ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/२५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
2.	आयुर्वेद कॉलेज, २४२ बी ट्रिचि रोड, सूलूर कोयम्बटूर - ६४११०८, तमिलनाडू	निम्नलिखित ०६ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) संहिता सिद्धांत, (ii) रसशास्त्र, (iii) रोग निदान, (iv) द्रव्यगुण, (v) कायचिकित्सा (vi) शल्य तंत्र, ०५ सीट प्रत्येक विषय के साथ शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०६ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) संहिता सिद्धांत, (ii) रसशास्त्र, (iii) रोग निदान, (iv) द्रव्यगुण, (v) कायचिकित्सा (vi) शल्य तंत्र, ०५ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर.

			१४०११/१६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
3.	राजीव गाँधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तालुका रोड़, जिला गदग - ५८२२०६, (कर्नाटक)	निम्नलिखित ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) शरीर रचना, (ii) प्रसुति एवं स्त्री रोग, (iii) पंचकर्मा सहित शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) शरीर रचना, (ii) प्रसुति एवं स्त्री रोग, (iii) पंचकर्मा ०६ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/२६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०४.२०१६
4.	पारुल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पोस्ट ऑफिस लिम्डा तालुका. वागहोडिया जिला वड़ोदरा -३६१७६० (गुजरात)	निम्नलिखित ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) शल्य काया तंत्रा (शिरो नासा करना एवं कंठ रोग), (ii) पंचकर्मा एवं (iii) शल्य तंत्रा (सामान्य) शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम i) शल्य काया तंत्रा (शिरो नासा करना एवं कंठ रोग), (ii) पंचकर्मा एवं (iii) शल्य तंत्रा (सामान्य) ०६ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/०७/२०१५-ईपी (आई एम-१), एफ न. आर. १४०११/०६/२०१५-ईपी (आई एम-१), एफ न. आर. १४०११/०५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०४.२०१६
5.	महात्मा गाँधी आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, सालोद (एच), वार्धा - ४४२००४, (महाराष्ट्र)	निम्नलिखित ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कौमारभूत्य शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०६ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कौमारभूत्य में ०६ सीट प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/१४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १४.०३.२०१६
6.	जे.आर. ततिया श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज, हनुमानगढ़ रोड़ आर.	निम्नलिखित ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) रचना शरीर ०६	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर ०६ (ii) स्वस्थवृत्त

	आई.सी.सी.ओ. श्रीगंगानगर राजस्थान	(ii) स्वस्थवृत्त ०४ (iii) द्रव्यगुण ०६ सीटों शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०६ एवं सीटों सहित।	०४ (iii) द्रव्यगुण, ०६ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/०३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
7.	श्री डी.जी.एम. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, डॉ० एस.वी. सावादी रोड, शिवानन्दा नगर, जीएडीएजी, जिला-धारवाड़ (कर्नाटक)	निम्नलिखित ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कौमारभृत्य शैक्षिक (ii) प्रसुति एवं स्त्री रोग एवं (iii) शल्य तंत्र सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कौमारभृत्य शैक्षिक (ii) प्रसुति एवं स्त्री रोग एवं (iii) शल्य तंत्र, ०५ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/३०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
8.	नितेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बावन बिधा, कन्होली, पोस्ट ऑफिस रामना मुज्जफरनगर -८४२००२ (बिहार)	निम्नलिखित ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा (ii) शल्यकाया तंत्र एवं (iii) पंचकर्मा सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा (ii) शल्यकाया तंत्र एवं (iii) पंचकर्मा , ०६ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/०८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
9.	धन्वतरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस सिद्धापुर - ५८१३५५ जिला नार्थ कनाड़ा (कर्नाटक)	निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) कायचिकित्सा (ii) पंचकर्मा सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा (ii) पंचकर्मा, ०५ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/३१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १३.०४.२०१६
10.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, बालानगिर- ७६७००१, उड़ीसा	निम्नलिखित ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान में ०४ सीट प्रारंभ करने हेतु आशय

		०४ सीटों सहित।	पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/१६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १६.०३.२०१६
11.	पं० खुशीलाल शर्मा गर्वमेंट (ऑटोनोमस) आयुर्वेद कॉलेज एवं इन्सटीट्यूट साईंसिज हिल्स, भोपाल -४६२००३, मध्य प्रदेश	निम्नलिखित ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (प) क्रिया शरीर सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) क्रिया शरीर में ०५ सीट प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/२६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १६.०३.२०१६
12.	गर्वमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय अजवा रोड़, वडोदरा- ३६००१६ (गुजरात)	निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) द्रव्यगुण (ii) रसाशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण (ii) रसाशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना, ०५ सीट प्रत्येक विषय में प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/२३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १६.०३.२०१६
13.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, सदर बाग, जुनागढ़- ३६२००१, (गुजरात)	निम्नलिखित नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : संहिता सिद्धांत सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संहिता सिद्धांत में ०५ सीट प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/०६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १६.०३.२०१६
14.	टी.ए.एम.ई सोसायटीज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सर्कलापुर, तन्डा बल्लारी रोड़ होस्पेट - ५८३२०१(कर्नाटका)	निम्नलिखित ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शल्य तंत्र में ०३ सीटों से ०६ सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई सत्र २०१६-१७ से।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शल्य तंत्र में ०३ से ०६ सीट बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १४०११/४०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०३.२०१६
15.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट	निम्नलिखित ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०१

	आयुर्वेद विश्वशांति धाम वाघोली -४१२२०७ तालुका हावेली, जिला पुणे, (महाराष्ट्र)	रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान (०३ सीट) प्रारंभ करने हेतु तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रचना शारीर में ०३ से ०६ सीट बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई सत्र २०१६-१७ से।	नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान में ०३ सीट तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रचना शारीर में ०३ से ०६ सीट बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/०८/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/०२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
16.	डॉ.डी.वाई.पाटिल प्रतिष्ठान आयुर्वेद कॉलेज पिम्परी, पुणे - ४११०१८, (महाराष्ट्र)	निम्नलिखित ०४ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान - ०५ सीट (०६ की अपेक्षा) (ii) अगदतंत्र-०५ सीट (०६ की अपेक्षा) (iii) कौमारभृत्य -०४ सीट (०६ की अपेक्षा) तथा (iv) शालक्य तंत्र (नेत्र रोग) - ०२ सीट (०४ की अपेक्षा) (सीट महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गए राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र के अनुसार हैं) तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम काया चिकित्सा में ०३ से ०६ सीट बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई सत्र २०१६-१७ से।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०४ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान - ०५ सीट (०६ की अपेक्षा) (ii) अगदतंत्र-०५ सीट (०६ की अपेक्षा) (iii) कौमारभृत्य -०४ सीट (०६ की अपेक्षा) तथा (iv) शालक्य तंत्र (नेत्र रोग) - ०२ सीट (०४ नेत्र रोग की तथा ०६ सीट शिरोनासा एवं कंठ रोग)(सीट महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गए राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र के अनुसार हैं) तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम काया चिकित्सा में ०३ से ०६ सीट बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/२३/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/१५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
17.	भगवान महावीर जैन आयुर्वेद कॉलेज, गजेन्द्रगढ, - ५८२११४ जिला गदग (कर्नाटक)	निम्नलिखित नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : प्रसूति तंत्र सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रसूति तंत्र में ०५ सीट प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर.

			१४०११/२७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०४.२०१६
--	--	--	---

मात्र धारा १३ क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु वर्ष २०१५-२०१६ में प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्रम. संख्या	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार का निर्णय
1.	रानी दुल्लैया आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जेड -२४, जोन -१, एम पी नगर भोपाल ४६२०११ मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/२५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
2.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं रिसर्च, बंगलौर प्लेस क्रम्याउन्ड, जया महल रोड बंगलौर -५६०००६ कर्नाटक	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४५ से ६० सीटें बढ़ाने हेतु कमिययों के कारण ०५ वर्षों का सत्र २०१४-१५ से २०१८-१९ तक का आशय पत्र वापस करने के लिए संस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४५ सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एफ न. आर. १७०११/५६/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०८.२०१४	भारत सरकार से अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है
3.	पं. शक्तिराल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, ४६७ काटजु नगर, रतलाम मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/४३/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १३०११/०४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६
4.	भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, १० के.एम. रुरकी रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर.

			१३०११/०३/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर.
5.	गोविन्दभाई जोराभाई पटेल आयुर्वेद कॉलेज एवं अनुसन्धान केन्द्र, बी/एच जी.आइ.डी.सी., न्यू वल्लभ विद्यानगर, तालुक, जिला आनन्द-३८८१२१ गुजरात	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/०६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
6.	महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी, एमइएस आयुर्वेद महाविद्यालय, घनेखुन्ट -लोटे, तालुका खेद, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/२१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १४.०३.२०१६
7.	विमला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल वनधारी, पौस्ट- तडाली तालुका एवं जिला - चन्द्रपुर महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/०६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
8.	राजीव गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय ई-८, तरीलंगा कॉलोनी जिला. शाहपुर भोपाल-४६२०३६ मध्य प्रदेश	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/३८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
9.	उत्तरांचल आयुर्वेद कॉलेज, आयुर्वेद स्टेट, १७, पुराना मसूरी रोड़ राजपुर, देहरादून -२४८००६, उत्तरांचल	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर.

			१३०११/०७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
10.	दादा साहेब सूरुपसिंह नायक आयुर्वेद कॉलेज, श्री सुवालाल बफना, विद्यानगर, मुम्बई आगरा हाईवे, ननगोंव, जिला धूले -४२४००४ महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ५० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। (राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र ४० से ५० सीटों के लिए था)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ५० सीटें बढ़ाने हेतु (अपेक्षित ६० सीटों के क्योंकि राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र ५० सीटों के लिए था) आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/१३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
11.	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, पुनालिक नगर, देगोंव, रिसोरट जिला. वासिम, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/३६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०३.२०१६
12.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, कॉलेज रोड नडियाड -३८७००१(गुजरात)	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/२७/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०३.२०१६
13.	मुनियाल इन्सटीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साईंसिज नं०. ३४/सी, शिवाली इन्डस्ट्रीयल एरिया तालुका एवं जिला. उड़पी मनिपाल -५७६१०४ कर्नाटक	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/४६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
14.	रामा कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १००	भारत सरकार से अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है

	सेन्टर, #५४/२, रामागौदानहाली, येलहांका, बंगलौर-५६००६४ कर्नाटक	सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। (मुल्यांकन विवरण साथ में सलंगन हैं) जोकि परिषद द्वारा परिर्दशन से पहले अनुमति के लिए जमा कि गई।	
15.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज, अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-११०००५	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/३२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
16.	श्री गुलाब कुनवेबा आयुर्वेद महाविद्यालय, धन्वतरी मंदिर, जामनगर -३६१००८, गुजरात	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/०२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०३.२०१६
17.	अस्विनी रुरल आयुर्वेद कॉलेज, साधवी प्रिति सुधाजी महाराज नगर, मंची हिल, अस्वी बी.के. तालुका संगमनेर, जिला. अधमेदनगर -४१३७१४, महाराष्ट्र	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/११/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०३.२०१६
18.	बी.एम. एजुकेशन फाउन्डेशन ट्रस्ट, शेखवटी आयुर्वेदिक कॉलेज बेहल रोड, हरीकुंज, गंगा कॉलोनी, तहसील. चिरवा, जिला. झुनझून पिलानी-३३३०३१, राजस्थान	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/०५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
19.	पंजाब मेडिकल, टेक्नीकल एवं जर्नल एजुकेशनल सोसायटी, पटियालज पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, एस आर आई गंगानगर, राजस्थान	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र न जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारत सरकार से अभी तक आशय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है

20.	राजीव गांधी राजकीय गर्वमेंट आयुर्वेदिक पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज, जिला कंगारा, पपरोला-१७६११५ हिमाचल प्रदेश	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/०३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०३.२०१६
21.	के.वी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कुलुंजी बाग सुल्लिया-५७४३२७ जिला. दक्षिण कर्नाडा कर्नाटक	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/४४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
22.	के.एम.सी.टी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मानेसरी, पोस्ट ऑफिस, तालुका एवं जिला कोजीक्कोडे-६७३६०२ केरला	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/२०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०४.२०१६
23.	श्री हिंगुलाम्बिका एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज सिदरामराव अस्थीकर मार्ग भवानी नगर, मक्तमपुरा गुलबर्गा-५८५१०१ कर्नाटक	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/४५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०३.२०१६
24.	विष्णु आयुर्वेदा कॉलेज, पोस्ट ऑफिस गर्वमेंट प्रेस, शोरानूर-६७६१२२ जिला. पलक्कड केरला	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/३१/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं १४०११/२४/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १०.०५.२०१६
25.	श्री धन्वतरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल सेक्टर ४६ बी	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १००	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस)

	चण्डीगढ़-१६००१७	सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र न जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न. आर. १३०११/१६/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०४.२०१६
26.	श्री धन्वतरी आयुर्वेद कौलेज मेडिकल कौलेज एवं रिसर्च सेन्टर, छाता, मथुरा	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न. आर. १३०११/४१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक २६.०४.२०१६

सम्मिलित स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर प्रस्ताव २०१५-२०१६

क्रम. संख्या	महाविद्यालय का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुसंशाएं	भारत सरकार का निर्णय
1.	श्री बासवेश्वर विद्या वर्षक संघा आयुर्वेद कौलेज, बगलकोट जिला. बगलकोट-५८७१०१ बिजापुर कर्नाटक	वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित, प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-(i) द्रव्यगुण (ii) कार्यचिकित्सा (जिसे अनुमति पत्र हेतु महाविद्यालय द्वारा भा.चि.के. प.द्वारा परिदर्शन किये जाने से पूर्व पूरा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय ने उसके पत्र संख्या ए.एम.वी.बी.१५-१६/७८५ दिनांक २३.११.२०१५ के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि उसने शालक्य तंत्र (क्षारसूत्र) तथा आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अपने आवेदन को इसलिए वापस लिया क्योंकि उन्होंने त्रुटिवश इन ०२ अतिरिक्त विषयों हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था। अतः, शैक्षिक सत्र २०१६-१७ के लिए अनुमति पत्र के लिए उपर्युक्त विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ हेतु आयुर्वेदाचार्य वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् (i) द्रव्यगुण (ii) कार्यचिकित्सा, प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित, प्रारंभ करने हेतु तथा शैक्षिक सत्र २०१६-१७ हेतु महाविद्यालय द्वारा वापस लिए जाने के कारण, ०२ अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, अर्थात् (i) शल्य तंत्र (ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत, वापस लेने हेतु आशय पत्र जारी किया गया। संख्या आर- १३०११/३४/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं १४०११/२८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१६

2.	सुर्या मुखी दिनेश आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल दिनेश नगरम बोटी, रांची-८३५२१७ झारखण्ड	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०४ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) पंचकर्मा (ii) स्वस्थवृत (iii) संहिता सिद्धांत (iv) शल्य तंत्र, सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०४ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) पंचकर्मा (ii) स्वस्थवृत (iii) संहिता सिद्धांत (iv) शल्य तंत्र, प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/३७/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/१८/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १४.०३.२०१६
3.	पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पतंजलि योग पीठ, महर्षि दयानन्द ग्राम, नियर बहाद्रबाद हरिद्वार-२४६४०२, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०८ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई : (i) संहिता सिद्धांत (ii) क्रिया शारीर (iii) द्रव्यगुण (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (v) कायचिकित्सा (vi) शल्य क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म (vii) कर्ण नासा कंठ एवं शिरोरोग (viii) पंचकर्मा सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०८ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ((i) संहिता सिद्धांत (ii) क्रिया शारीर (iii) द्रव्यगुण (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (v) कायचिकित्सा (vi) शल्य क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म (vii) कर्ण नासा कंठ एवं शिरोरोग (viii) पंचकर्मा प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया। (अपेक्षित राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र के अनुसार vii) शाल्क्य (कर्ण नासा कंठ एवं शिरोरोग के स्थान पर) लिए था) एफ न. आर. १३०११/१७/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/१०/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०४.२०१६

4.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पोस्ट कडवड, नागौर रोड, जोधपुर-३४२००५, राजस्थान	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई : (i) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र (ii) पंचकर्मा, सत्र २०१६-१७ से प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम i) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र (ii) पंचकर्मा प्रत्येक विषय में १२ सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/४७/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/३५/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ११.०३.२०१६
5.	पंकज कस्तुरी आयुर्वेद कॉलेज, किले जे.एन. कल्लोदे, कलटकडा, तिरुवंतपुरम, केरला	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संहिता सिद्धांत में ०४ सीट (अपेक्षित ६ सीटों के क्योंकि राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र ०४ सीटों के लिए था) आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०१ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संहिता सिद्धांत में ०४ सीट (अपेक्षित ६ सीटों के क्योंकि राज्य सरकार से प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय से संबद्धता का सहमति पत्र ०४ सीटों के लिए था) सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/४२/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/३३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १३.०४.२०१६
6.	ऋषिकुल कैम्पस, उत्तराखण्ड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरिद्वार-२४६४०१, उत्तराखण्ड	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०७ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) बाल रोग -०३ सीट (ii) रचना शारीर -०६ सीट (iii) क्रियाशारीर -०६ सीट (iv) अगद तंत्र -०६ सीट (v) स्वस्थवृत -०६ सीट (vi) रोगनिदान -०६ सीट (vii) मौलिक सिद्धांत -०६ सीट आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ६० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०७ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम i) बालरोग -०३ सीट (ii) रचना शारीर -०६ सीट (iii) क्रिया शारीर -६ सीट (iv) अगदतंत्र -०६ सीट (v) स्वस्थवृत -०६ सीट (vi) रोगनिदान -०६ सीट

			<p>(vii) मौलिक सिद्धांत -०६ सीट आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।</p> <p>एफ न. आर. १३०११/२६/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/२२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०२.०५.२०१६</p>
7.	मन्म आर्युर्वेद मेडिकल कॉलेज मन्नाम शुगर मिल्स कार्पोरेटिव लिमिटेड. ४३२४ पंडालम -६८६५०१ केरला	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रसाशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०३ सीट (ii) द्रव्यगुण -०४ सीट आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	<p>शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम i) रसाशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०३ सीट (ii) द्रव्यगुण -०४ सीट आशय पत्र जारी किया गया</p> <p>एफ न. आर. १३०११/३०/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/३२/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक दिनांक १८.०३.२०१६</p>
8.	डॉ० एन.आर. शास्त्री गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज बिसाइड वी.के. सुपर बाजार, भन्डार रोड़, विजयवाड़ा -५२०००२ आंध्र प्रदेश	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ३० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा -०५ सीट (ii) प्रसूति तंत्र -०३ सीट (अपेक्षित -०५ सीटें) (iii) द्रव्यगुण -०३ सीट आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	<p>शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ३० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०३ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा -०५ सीट (ii) प्रसूति तंत्र -०५ सीट (iii) द्रव्यगुण -०५ सीट</p> <p>एफ न. आर. १३०११/१२/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/१३/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक १३.०४.२०१६</p>
9.	गर्वमेंट गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार -२४६४०४,	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०६ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i)	<p>शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से १०० सीटें</p>

	उत्तराखण्ड	कायचिकित्सा -०४ सीट (ii) पंचकर्मा -०६ सीट (iii) शल्य तंत्र -०२ सीट (iv) शालक्य तंत्र - ०२ सीट (v) कौमारभृत्य -०२ सीट एवं (vi) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र - ०२ सीटों हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०६ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा -०४ सीट (ii) पंचकर्मा -०३ सीट (iii) शल्य तंत्र -०२ सीट (iv) शालक्य तंत्र - ०२ सीट (v) कौमारभृत्य -०२ सीट एवं (vi) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र - ०२ सीटों आशय पत्र जारी किया गया। एफ न. आर. १३०११/२८/२०१५-ईपी (आई एम-१) एवं एफ न. आर. १४०११/२१/२०१५-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०४.०५.२०१६
10.	अश्विनी एजुकेशनल एशोसिएशन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं पी. जी. सेन्टर, #405/1 ओपो. बेठी लेक, 'अश्विनी नगर' पी.बी. रोड, दवन्गिरी- ५७७५६६ कर्नाटका	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा ०५ से ०६ सीट एवं (ii) शल्य तंत्र ०५ से ०६ सीट निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (ii) कौमारभृत्य. ०६ एवं (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग -०६ सीट आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम. एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा ०५ से ०६ सीट एवं (ii) शल्य तंत्र ०५ से ०६ सीट निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (ii) कौमारभृत्य. ०६ एवं (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग -०६ सीट सहित आशय पत्र जारी किया गया। एफ.न०.आर. १३०११/२६/२०१५- ईपी (आई एम-१) एण्ड एफ.न०.आर. १४०११/२०/२०१५- ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३.२०१५
11.	आयुर्वेद महाविद्यालय, हेगरी एकशर्टेशन, ओल्ड हुबली-५८००२४, कर्नाटका	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी. ए.एम.एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचना शारीर ०३ सीट (ii) रोगनिदान -०४ सीट एवं मौजूदा (i) कायचिकित्सा ०५ से ०६ सीट (ii) पंचकर्मा ०५ से ०६ सीट (iii) रसाशास्त्र ०५ से ०६ सीट (iv) बेसिक प्रिंसिपल ०५ से ०६ सीट (v) शल्य तंत्र ०२ से ०६ सीट तथा निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा ०५ से ०६ सीट	शैक्षिक सत्र २०१६-१७ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम. एस) में ५० से ६० सीटें बढ़ाने हेतु तथा निम्नलिखित ०२ नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) रचना शारीर ०३ सीट (ii) रोगनिदान -०४ सीट एवं मौजूदा (i) कायचिकित्सा ०५ से ०६ सीट (ii) पंचकर्मा ०५ से ०६ सीट

		<p>०६ सीट एवं (ii) पंचकर्मा ०५ से ०६ सीट (ii) रसशास्त्र ०५ से ०६ सीट (ii) बेसिक प्रसिपल ०५ से ०६ सीट (ii) शल्य तंत्र ०५ से ०६ सीट आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।</p>	<p>(iii) रसाशास्त्र ०५ से ०६ सीट (iv) बेसिक प्रिसिपल ०५ से ०६ सीट (v) शल्य तंत्र ०२ से ०६ सीट तथा निम्नलिखित ०५स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा ०५ से ०६ सीट एवं (ii) पंचकर्मा ०५ से ०६ सीट (ii) रसशास्त्र ०५ से ०६ सीट (ii) बेसिक प्रसिपल ०५ से ०६ सीट (ii) शल्य तंत्र ०५ से ०६ सीट आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एफ.न०.आर. १३०११/१८/२०१५- ईपी (आई एम-१) एण्ड एफ.न०. १४०११/११/२०१५ - आर ईपी (आई एम-१) दिनांक १८.०३. २०१५</p>
--	--	---	--

धारा १३ क के अधीन पूर्व वर्ष प्राप्त हुए महाविद्यालयों के प्रस्तावों हेतु अनुमति की स्थिति (अनुमति पत्र हेतु)

क्रम. संख्या	संस्थान का नाम	भारत सरकार को भेजी गई संस्तुतियाँ	भारत सरकार से अनुमति
1.	नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बवन बीघा, कन्हौली, मुजफ्फरपुर- ८४२००२ बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर विषयों में ११ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:- (i) शल्य तंत्र -०६ सीटें तथा (ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग - ०५ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर विषयों में १२ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर-१४०११/५२/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक १९.१०. २०१५
2.	जे. एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, कॉलेज रोड, नाडियाड - ३८७००१ गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के

		<p>:- (i) रचना शरीर - ०५ सीटें (ii) द्रव्यगुण - ०५ सीटें (iii) पंचकर्म - ०५ सीटें</p>	<p>लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) रचना शरीर - ०५ सीटें (ii) द्रव्यगुण - ०५ सीटें (iii) पंचकर्म - ०५ सीटें</p> <p>आर-१४०११/०८/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>
3.	<p>गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, अजवा रोड, पानी गेट के बाहर, वडोदरा-३६००१६ गुजरात</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३५ से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई ।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३५ से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।</p> <p>आर-१३०११/२३/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५</p>
4.	<p>सेठ जे.पी. गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, सरदार बाग के सामने, पनवाडी, भावनगर -३६४००१ गुजरात</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३५ से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई ।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३५ से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।</p> <p>आर-१३०११/५०/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५</p>
5.	<p>गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पंचेश्वर रोड, गीता सिनेमा के समीप, जूनागढ़-३६२००१ गुजरात</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३५ से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३५ से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।</p> <p>आर-१३०११/५६/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५</p>

<p>6.</p>	<p>इन्स्टीट्यूट फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, निदेशक कार्यालय, सुश्रुत भवन, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जी.जी. हॉस्पिटल रोड, जामनगर -३६१००८ गुजरात</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अतिथिनियम १९७०, की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०३ वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:- (i) रसाशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०५ से ०६ सीटें (ii) शलाक्य तंत्र -०५ से ०६ सीटें (iii) कौमारभृत्य ०४ से ०५ सीटें तथा निम्नलिखित ०२ वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा ०४ से ०६ सीटें (ii) शल्य तंत्र ०५ से ०६ सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अतिथिनियम १९७०, की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०३ वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) रसाशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०५ से ०६ सीटें (ii) शलाक्य तंत्र -०५ से ०६ सीटें (iii) कौमारभृत्य ०४ से ०५ सीटें तथा निम्नलिखित ०२ वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई की गई:- (i) कायचिकित्सा ०४ से ०६ सीटें (ii) शल्य तंत्र ०५ से ०६ सीटें</p> <p>आर-१३०११/४७/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक २८.१०.२०१५</p>
<p>7.</p>	<p>पारूल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, पोस्ट. लिमडा, तालुका. वाघोडिया, जिला. वडोदरा, गुजरात -३६१७६०</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अतिथिनियम १९७०, की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर विषयों में ३० सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:- (i) रसाशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०६ सीटें (ii) क्रिया शारीर (दूशा मल विज्ञान) -०६ सीटें (iii) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान -०६ सीटें (iv) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत ०६ सीटें, (v) रचनाशरीर - ०६ सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अतिथिनियम १९७०, की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर विषयों में ३० सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) रसाशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०६ सीटें (ii) क्रिया शारीर (दूशा मल विज्ञान) -०६ सीटें (iii) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान -०६ सीटें (iv) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत ०६ सीटें, (v) रचनाशरीर - ०६ सीटें</p> <p>आर-१४०११/३७/२०१४-ई पी. (आई एम-१), आर-१४०११/३८/२०१४-ई पी. (आई एम-१), आर-१४०११/४०/२०१४-ई पी. (आई एम-१), आर-१४०११/४१/२०१४-ई पी.</p>

			(आई एम-१), आर-१४०११/४२/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
8.	श्री मारू सिंह मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, वी.पी.ओ. खानपुर कलौ, सोनीपत, हरियाणा-१३१३०५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-१३०११/१३/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक १२.११.२०१५
9.	सेठ मुरारीलाल रसिवासिया आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, राम कृष्ण गुन्ना मार्ग, चरखी दादरी, हरियाणा-१२७३०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-१३०११/०६/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक १४.०८.२०१५
10.	चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, ग्राम-भगवानगढ़, पोस्ट ऑफिस-फतेहपुर, बुरिया रोड, जगाधरी, यमुना नगर, हरियाणा- १३५१०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी नहीं करने के लिए अनुसंशा की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-१३०११/०२/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक ०८.१०.२०१५
11.	ए.वी. समिति आयुर्वेद महाविद्यालय, विद्या नगर, बगलकोट रोड, बीजापुर, कर्नाटक -५८६१०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से

		<p>स्नातकोत्तर विषयों में १८ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई :-</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत - ०४ सीटें, (ii) द्रव्यगुण - ०५ सीटें, (iii) कायचिकित्सा - ०५ सीटें, (iv) शल्य तंत्र - ०४ सीटें</p>	<p>६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई :-</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत - ०३ सीटें, (०४ सीटों के स्थान पर) (ii) द्रव्यगुण - ०५ सीटें, (iii) कायचिकित्सा - ०५ सीटें, (iv) शल्य तंत्र - ०४ सीटें</p> <p>आर-१४०११/२२/२०१४-ई पी. (आई एम-१) एवं आर-१३०११/४१/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक ३०.१०. २०१५</p>
12.	<p>के. एल.ई. यूनिवर्सिटी श्री. बी.एम. कनकनवाडी आयुर्वेद महाविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एण्ड रिसर्च सेन्टर, बेलगाम, शाहपुर, कर्नाटक -५६०००३</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ७५ से १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् (i) स्वास्थ्यवृत्त (ii) कायचिकित्सा- रसायन एवं वाजीकरण (iii) शालाक्य तंत्र, प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित, प्रारंभ करने हेतु तथा निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई :-</p> <p>(i) कायचिकित्सा-०३ से ०६ सीटें (ii) संज्ञाहरण- ०२ से ०३ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर) (iii) शल्य तंत्र - ०३ से ०६ सीटें</p>	<p>सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ७५ से १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् (i) स्वास्थ्यवृत्त (ii) कायचिकित्सा- रसायन एवं वाजीकरण (iii) शालाक्य तंत्र, प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित, प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>तथा सत्र २०१५-१६ हेतु महाविद्यालयों द्वारा प्रस्ताव के वापस लिए जाने के कारण संज्ञाहरण - ०२ से ०६ सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>आर-१४०११/२३/२०१४-ई पी. (आई एम-१) एवं आर-१३०११/३७/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक ०१.१०. २०१५</p>

13.	जे.एस.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, न०. ४१/ई, ललिथद्वीपुरा रोड, मैसूर, कर्नाटक-५७००२८	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु ०२ स्नातकोत्तर विषयों में १० सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई :- (i) रोगनिदान - ०५ सीटें (ii) शल्य तंत्र - ०५ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु ०२ स्नातकोत्तर विषयों में १० सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई :- (i) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान - ०५ सीटें (ii) शल्य तंत्र - ०५ सीटें आर-१४०११/४५/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
14.	सिंदगी शांतावीरेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, शांतावीर नगर, पी.बी. रोड, इजारीलकमापुर, हावेरी, कर्नाटक -५८१११०	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों (२० अतिरिक्त सीटें) की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-१३०११/४६/२०१४-ई पी. (आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
15.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड रोड, इल्कल, तालूका हुंगुद, जिला बगलकोट, कर्नाटक -५८७१२५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०२ विषयों में प्रत्येक में ०५ सीटों सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई :- (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत (ii) शल्य तंत्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०२ विषयों में प्रत्येक में ०५ सीटों सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई :- (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत (ii) शल्य तंत्र

			<p>आर-१४०११/१६/२०१४-ईपी. (आई एम-१)तथा आर-१३०११/२६/२०१४-ईपी. (आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५</p>
16.	<p>टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, संकलापुरा तान्डा, बेल्लारी रोड, हॉस्पेट, कर्नाटक -५८३२०१</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंधान की गई ।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।</p> <p>आर-१३०११/४०/२०१४-ईपी. (आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५</p>
17.	<p>टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, टी. एम.ए. ई. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, निदीग पोस्ट, शिमोगा, कर्नाटक -५७७२२२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंधान की गई ।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।</p> <p>आर-१३०११/७५/२०१४-ईपी. (आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५</p>
18.	<p>बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बापूजी कैम्पस, टी.आर. नगर, चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग, कर्नाटक -५७७५२२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंधान की गई ।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई ।</p> <p>आर-१३०११/६७/२०१४-ईपी. (आई एम-१) दिनांक २७.१०. २०१५</p>

19.	श्री जे.जी. कॉर्पोरेटिव हॉस्पिटल सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, घटप्रभा, तालूक गोकक, जिला. बेलगाम, कर्नाटक -५६१३१०	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई । आर-१३०११/३६/२०१४-ईपी. (आई एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५
20.	श्री कालभैरवश्वरा स्वामी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, न०१०, पार्सप लाइन रोड, आरपीसी लेआउट, बंगलौर विजयानगर, बंगलौर. कर्नाटक -५६०१०४ बेंगलूरु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ६० से १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित वर्तमान ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में ०५ से ०६ सीटों (प्रत्येक विषय में ०१ सीट) की वृद्धि करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई :- (i) पंचकर्म, (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग (iii) शल्य तंत्र (iv) शालाक्य तंत्र (v) कायचिकित्सा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ६० से १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित वर्तमान ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में ०५ से ०६ सीटों (प्रत्येक विषय में ०१ सीट) की वृद्धि करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई :- (i) पंचकर्म, (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग (iii) शल्य तंत्र (iv) शालाक्य तंत्र (v) कायचिकित्सा आर-१३०११/०८/२०१४-ईपी. (आई एम-१) तथा आर-१३०११/०६/२०१४-ईपी. (आई एम-१) दिनांक ०४.०.२०१५
21.	अल्वास आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, सुन्दरी आनन्द अल्वा केम्पस विद्यागिरी, मूदबिदरी, मंगलौर, कर्नाटक-५७४२२७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु प्रत्येक विषय में ०४ सीटों सहित निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु प्रत्येक विषय में ०४ सीटों सहित निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र की अनुमति प्रदान की गई:-

		<p>(i) मनोविज्ञान एवं मानसरोग</p> <p>(ii) शरीरक्रिया</p> <p>(iii) स्वास्थ्यवृत्त</p> <p>(iv) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान तथा</p> <p>(v) शालक्य तंत्र</p>	<p>(i) शरीरक्रिया</p> <p>(ii) स्वास्थ्यवृत्त</p> <p>(iii) मनोविज्ञान एवं मानसरोग</p> <p>(iv) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान तथा</p> <p>(v) शालक्य तंत्र</p> <p>आर-१४०११/०५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.०८.२०१५</p>
22.	<p>एस.एन.वी.वी. समस्थे एसजीवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बैलहोंगल, मिनि विधान सौधा, के पास, धारवाड़ रोड, बैलहोंगल, बेलगम, कर्नाटक-५६११०२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०४ सीटों सहित निम्नलिखित ०४ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए सरकार को अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) स्वास्थ्यवृत्त</p> <p>(ii) कार्यचिकित्सा</p> <p>(iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग तथा</p> <p>(iv) कौमारभृत्य</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों (२० अतिरिक्त सीटों) की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०४ सीटों सहित निम्नलिखित ०४ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) स्वास्थ्यवृत्त एवं योग</p> <p>(ii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग</p> <p>(iii) कौमारभृत्य - बालरोग</p> <p>(iv) कार्यचिकित्सा</p> <p>आर-१४०११/३३/२०१४-ईपी(अ आई एम-१) एवं आर-१३०११/३६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>
23.	<p>श्री शिवयोगेश्वर रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बैलहोंगल - गोकक रोड, इन्चल, तालुका सोन्दती, जिला बेलागवी, बेलगाम, कर्नाटक-५६११०२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने के लिए सरकार को अनुसंशा की गई:-</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान की</p>

		<p>(i) शरीर रचना (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना तथा (iii) कायचिकित्सा</p>	<p>गई:- (i) शरीर रचना (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना तथा (iii) कायचिकित्सा आर-१४०११/४७/२०१४-ईपी(आई एम-१), आर-१३०११/३६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५</p>
24.	श्री जगद्गुरु गविसद्देश्वर संस्थान, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पी.जी. स्टडीज गवीमठ कैम्पस, कोपल-५२३२३१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-१३०११/१६/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
25.	कलमठडा पूज्य श्री विरूपक्ष शिवाचार्य आयुर्वेद कॉलेज, सिंधनूर रोड, मानवी तालूक - मानवी, जिला- रायचूर कर्नाटक -५२४१२३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-१३०११/५३/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०२.११.२०१५ पत्र संख्या आर. १७०११/६७/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०८.२०१४ के द्वारा ४० स्नातकीय सीटों हेतु महाध्यालय को अधिकतम ०५

			वर्षों की अवधि हेतु प्रदान की गई अनुमति को एतद्वारा वापस लिया जाता है तथा शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/क के अधीन ४० स्नातकीय साठों हेतु सर्शत अनुमति ।
26.	श्री बासवेश्वर वीरशैव वैद्य वर्धक संघ, बीवीवीएस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बगलकोट कैम्पस, बगलकोट कर्नाटक -५८७१०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:- (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना तथा शल्य तंत्र	सत्र २०१५-१६ से प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना तथा (ii) शल्य तंत्र आर-१४०११/१८/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५
27.	श्री एस.बी. सिद्धालिंग शिवाचार्य स्वामीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल मुंदरगी श्री एस.बी.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कोपल रोड, मुंदरगी, जिला -गडग, कर्नाटक-५८२११८	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ३०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-१३०११/५५/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक २३.१०.२०१५
28.	श्री वीरगुलिकेशी वैद्यवर्धक समस्थ रुरल आयुर्वेद कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, जे.एम.एफ.सी. कोर्ट के सामने, रामदुर्ग रोड, बादामी, पोस्ट बगलकोट, कर्नाटक -५८७२०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

			आर-१३०११/४६/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक २७.१०. २०१५
29.	राजीव गाँधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक कॉलेज, गडग रोड, रोड, जिला गडग, कर्नाटक -५८२२०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमति पत्र के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-१३०११/३१/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक ३०.०६. २०१५
30.	रामाकृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, न०. ५४/२ रामगौदनहल्ली, बंगलौर कर्नाटक -५६००६४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित निम्नलिखित ०५ विषयों में नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:- (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (ii) द्रव्यगुण (iii) कायचिकित्सा (iv) शल्य तंत्र (v) पंचकर्म	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों (२० अतिरिक्त सीटों) की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०५ सीटों सहित निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (ii) द्रव्यगुण विज्ञान (iii) कायचिकित्सा (iv) शल्य तंत्र (v) पंचकर्म आर-१४०११/१५/२०१४-ईपी (आई एम-१) एवं आर-१३०११/२८/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०. २०१५
31.	कर्नाटक आयुर्वेद कॉलेज, के.ई.सी.टी टॉवर, नियर दैवागना कल्याण मंतपा होड्गेबैल, अशोकनगर पोस्ट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- १००	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस)

	मंगलौर, कर्नाटक-५७५००६	<p>सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) कायचिकित्सा-०५ सीटें (ii) रसाशस्त्र सीटें -०५ सीटें (iii) पंचकर्म -०५ सीटें</p>	<p>पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०-१०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) कायचिकित्सा-०५ सीटें (ii) रसाशस्त्र सीटें -०५ सीटें (iii) पंचकर्म -०५ सीटें</p> <p>आर-१४०११/०२/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर-१३०११/०७/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ३०.१०.२०१५</p>
32.	सुश्रुथा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, प्रशांति कुटीर, एस.वी.वार्ड. ए.एस.ए. कैम्पस, जोदिबिगीपुरा, जिगनीहुब्ली अनेकल, तालुका बंगलौर, कर्नाटक -५६०१०६	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- १०० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०-१०० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>आर-१४०११/०६/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर-१३०११/१४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २३.१०.२०१५</p>
33.	श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसेज एण्ड रिसर्च, २१ के.एम., कनकपुरा रोड, उदयपुरा पोस्ट, बंगलौर, कर्नाटक -५६००२२	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा १५ सीटों सहित निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत- ०४ सीटें (ii) द्रव्यगुण -०५ सीटें (iii) रसाशस्त्र एवं भैषज्य कल्पना -</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०-१०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा १५ सीटों सहित निम्नलिखित ०३ विषयों में नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p>

		०६ सीटें	<p>(i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत- ०४ सीटें</p> <p>(ii) द्रव्यगुण विज्ञान -०५ सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें</p> <p>आर-१४०११/१२/२०१२-ईपी (आई एम-१) एवं आर-१३०११/१२/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>
34.	अश्विनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, रिंग रोड, मारालूर, तुमकुर, कर्नाटक-५७२१०५	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ६०- १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में ०४ से ०५ सीटों की वृद्धि हेतु</p> <p>(i) कायचिकित्सा, (ii) पंचकर्म, (iii) द्रव्यगुण तथा (iv) शालक्य तंत्र</p> <p>तथा निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) स्वास्थ्यवृत - ०५ सीटें</p> <p>(ii) किन्नाशरीर -०५ सीटें</p> <p>(iii) शल्य तंत्र -०५ सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ६०- १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में ०४ से ०५ सीटों की वृद्धि हेतु</p> <p>कायचिकित्सा, (ii) पंचकर्म, (iii) द्रव्यगुण तथा (iv) शालक्य तंत्र</p> <p>तथा निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) स्वास्थ्यवृत - ०५ सीटें</p> <p>(ii) किन्नाशरीर -०५ सीटें</p> <p>(iii) शल्य तंत्र -०५ सीटें</p> <p>आर-१४०११/२५/२०१४-ईपी (आई एम-१) एवं आर-१३०११/३८/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक १५.१०. २०१५</p>
35.	एस.डी.एम. ट्रस्ट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पदमा नगर, ए/पी टरडल, तालुका जामखंडी, जिला बगलकोट, कर्नाटक-५८७३१५	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर विषयों में १४ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु भारत सरकार को</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा मात्र निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति</p>

		<p>अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) रचना शरीर- ०२ सीटें (०५ सीटों के स्थान पर)</p> <p>(ii) क्रियाशरीर -०३ सीटें (०५ सीटों के स्थान पर)</p> <p>(iii) अगद तंत्र - ०४ सीटें (०५ सीटों के स्थान पर)</p> <p>(iv) स्वास्थ्यवृत्त - ०५ सीटें</p>	<p>पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) अगद तंत्र - ०५ सीटें</p> <p>(ii) स्वास्थ्यवृत्त एवं योग - ०५ सीटें</p> <p>तथा निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:-</p> <p>(i) रचना शरीर</p> <p>(ii) क्रियाशरीर</p> <p>आर-१४०११/२६/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर-१३०११/१५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०६.११.२०१५</p>
36.	<p>श्रीमती राजेश्वरी कर्पुरमठ मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रिसर्च सेन्टर, कर्पुरमठ कैम्पस, १०० फीट रिंग रोड, के.सी नागा के पीछे, सोलापुर रोड के पास, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक-५८६१०३</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर विषयों में ११ सीटों में नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता तथा सिद्धांत - ०२ सीटें</p> <p>(ii) स्वास्थ्यवृत्त -०३ सीटें</p> <p>(iii) प्रसूति एवं स्त्री रोग - ०३ सीटें</p> <p>(iv) शालक्य तंत्र - ०३ सीटें</p>	<p>सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर विषयों में ११ सीटों सहित नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता तथा सिद्धांत - ०२ सीटें</p> <p>(ii) स्वास्थ्यवृत्त -०३ सीटें</p> <p>(iii) प्रसूति एवं स्त्री रोग - ०३ सीटें</p> <p>(iv) शालक्य तंत्र - ०३ सीटें</p> <p>आर-१४०११/५४/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर-१३०११/७३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५</p>
37.	<p>श्री सिद्धीविनायक रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हरुगेरी गोकक</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में</p>

	रोड, हरुगेरी, बेलगाम, कर्नाटक -५६१२२०	अनुमति पत्र जारी करने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर-१३०११/४८/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २८.१०.२०१४
38.	पकंज कस्तूरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, किल्ली, काट्टाकाडा, तिरुवंतपुरम, केरल-६६६५५७२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु अध्ययन के निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा -०४ सीटें (ii) शालक्य तंत्र -प्रत्येक विषय में ०४ सीटों सहित	सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा -०४ सीटें (ii) शालक्य तंत्र -प्रत्येक पाठ्यक्रम में ०४ सीटों सहित आर-१४०११/१३/२०१२-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.१०.२०१५
39.	श्री नारायण इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एण्ड रिसर्च, आर शंकर नगर, करीमपिनपुझा पोस्ट ऑफिस, पुथूर, कोल्लम, केरल -६६१५०७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों (१० अतिरिक्त सीटें) की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर-१३०११/७०/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.०६.२०१५
40.	परासियनिकादवु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ऑफिस परासियनिकादवु, जिला कन्नूर, केरल-६७०५६३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु अध्ययन के निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक -०३ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर) क्योंकि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र ०४ सीटों के लिए है तथा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता की सहमति ०३ सीटों के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु अध्ययन के निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक -०३ सीटें। (ii) पंचकर्म - ०४ सीटों सहित

		<p>लिए है तथा</p> <p>(ii) पंचकर्म - ०४ सीटों सहित (०६ सीटों के स्थान पर) क्योंकि राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र ०४ सीटों के लिए है तथा सम्बद्धता की सहमति १० सीटों के लिए है।</p>	<p>आर-१४०११/०१/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १७.११.२०१५</p>
41.	<p>पं० खुशीलाल शर्मा गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, साईंस हिल्स, मानित के पीछे, नेहरू नगर, कोलर बाईपास रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश -४६२००३</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रचना शरीर- ०६ सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।</p>	<p>सत्र २०१५-१६ हेतु ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रचना शरीर- ०६ सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>आर-१४०११/१३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.१०.२०१५</p>
42.	<p>आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय, गणेशवाडी, गडग महाराज ब्रिज के पास, पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र -४२२००३</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०-६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।</p>	<p>सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०-६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>आर-१३०११/१८/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.१०.२०१५</p>
43.	<p>गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, तूलियापुर रोड, औस्मानाबाद, महाराष्ट्र -४१३५०१</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित वर्तमान ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अर्थात् (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना तथा (ii) शल्य तंत्र में प्रवेश क्षमता में प्रत्येक पाठ्यक्रम में ०२- ०६ सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित निम्नलिखित ०६ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) रचना शरीर (ii) क्रिया शरीर (iii) द्रव्यगुण (iv) अगद तंत्र (v) प्रसूति तंत्र (vi) कौमारभृत्य</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित वर्तमान ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अर्थात् (i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना तथा (ii) शल्य तंत्र में प्रवेश क्षमता में प्रत्येक पाठ्यक्रम में ०२-०६ सीटों की वृद्धि हेतु तथा प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित निम्नलिखित ०६ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) रचना शरीर (ii) क्रिया शरीर (iii) द्रव्यगुण (iv) अगद तंत्र (v) प्रसूति तंत्र (vi) कौमारभृत्य</p>

			<p>आर-१४०११/०४/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर-१३०११/६२/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>
44.	<p>श्रीमती के.सी. अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालय, दयासागर एजुकेशनल कैम्पस, आगरा रोड, देवपुर, धूले, महाराष्ट्र -४२४००२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् स्वास्थ्यवृत्त - ०५ सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् स्वास्थ्यवृत्त - ०५ सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>आर-१४०११/५०/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.१०.२०१५</p>
45.	<p>आयुर्वेद प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, सियन रेलवे स्टेशन के पास, सियन, मुम्बई, महाराष्ट्र-४०००२२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में ०६ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु तथा वर्तमान स्नातकीय (बी. ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर विषयों हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता - ०२ से ०६ सीटें, (ii) द्रव्यगुण -०२ से ०३ सीटें तथा (iii) कायचिकित्सा -०२ से ०६ सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में ०६ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु तथा वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर विषयों हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) आयुर्वेद संहिता- ०२ से ०६ सीटें, (ii) द्रव्यगुण -०२ से ०३ सीटें तथा (iii) कायचिकित्सा -०२ से ०६ सीटें</p> <p>आर-१४०११/४९/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर-१३०११/६४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>
46.	<p>नालासोपारा आयुर्वेद कॉलेज (स्वर्गीय श्री सुरेश नृसिंह</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क</p>

	दुबे), न०. ११२, मेडिकल कॉलेज रोड, नालासोपारा ई, तालूका- वसाई, जिला- पालघर, थाणे, महाराष्ट्र-४०१२०६	२०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।	के अधीन सत्र २०१५-१६ से वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५०- ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर-१३०११/७२/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
47.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सक्कराद्रा सक्वेयर, उमरीद रोड, नागपुर महाराष्ट्र -४४००२४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०५ सीटों सहित (०६ सीटों के स्थान पर) अध्ययन का ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु तथा निम्नलिखित ०६ वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:- (i) रचना शरीर - ०४ से ०६ सीटें, (ii) क्रिया शरीर - ०४ से ०६ सीटें, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०२ से ०५ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर) (iv) कायचिकित्सा - ०२ से ०६ सीटें (v) स्वास्थवृत्त - ०१ से ०६ सीटें (vi) शल्य तंत्र - ०३ से ०६ सीटें (vii) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान - ०१ से ०६ सीटें (viii) शालक्य तंत्र - ०१ से ०६ सीटें (ix) अगद तंत्र - ०३ से ०६ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०६ सीटों सहित अध्ययन का ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु तथा निम्नलिखित ०६ वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) रचना शरीर - ०४ से ०६ सीटें, (ii) क्रिया शरीर - ०४ से ०६ सीटें, (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०२ से ०६ सीटें (iv) कायचिकित्सा - ०२ से ०६ सीटें (v) स्वास्थवृत्त - ०१ से ०६ सीटें (vi) शल्य तंत्र - ०३ से ०६ सीटें (vii) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान - ०१ से ०६ सीटें (viii) शालक्य तंत्र - ०१ से ०६ सीटें (ix) अगद तंत्र - ०३ से ०६ सीटें आर-१४०११/१२/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर-१३०११/१६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५

<p>48.</p>	<p>महादेवराव शिवंकर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, गोदिया एम. एस.- कुडवा, तालुका गोदिया, जिला - गोदिया, एम.एस. महाराष्ट्र - ४४१६१४</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०५ नये विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०२ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर)</p> <p>(ii) कायचिकित्सा - ०६ सीटें</p> <p>(iii) शल्य तंत्र (सामान्य) - ०६ सीटें</p> <p>(iv) शालक्य तंत्र (नेत्ररोग)- ०३ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर)</p> <p>(v) पंचकर्म - ०६ सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०३ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) पंचकर्म - ०६ सीटें</p> <p>(ii) शल्य तंत्र - ०६ सीटें</p> <p>(iii) कायचिकित्सा - ०६ सीटें</p> <p>तथा निम्नलिखित ०२ नये विषयों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई:-</p> <p>रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें</p> <p>शलक्य तंत्र -०६ सीटें</p> <p>आर- १४०११/४४/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५</p>
<p>49.</p>	<p>स्व. केदारी रेडेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गंधिंगलाज पी/२, एमआईडीसी क्षेत्र, शेन्दी मल, गंधिंगलाज, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र -४१६५०२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा अध्ययन के निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) पंचकर्म - ०६ सीटें,</p> <p>(ii) संज्ञाहरण - ०४ सीटें,</p>	<p>सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा अध्ययन के निम्नलिखित ०२ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) पंचकर्म - ०६ सीटें,</p> <p>(ii) संज्ञाहरण - ०४ सीटें,</p> <p>आर- १४०११/१६/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर- १३०११/३४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०७.१०.२०१५</p>
<p>50.</p>	<p>प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेद कॉलेज एवं श्री एकनाथ आयुर्वेद रूग्णालय, शेवगाँव, तालुका- शेवगाँव, महाराष्ट्र - ४१४५०२</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर विषयों में ०६ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से अध्ययन के निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में</p>

		<p>करने के लिए अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) प्रसूति एवं स्त्री रोग - ०३ सीटें, (ii) शल्य तंत्र (सामान्य)- ०३ सीटें,</p>	<p>०६ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) प्रसूति एवं स्त्री रोग - ०३ सीटें, (ii) शल्य तंत्र (सामान्य)- ०३ सीटें,</p> <p>आर- १४०११/५३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>
51.	डॉ० डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर, पिम्परी, पुणे, सन्त तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे- ४११०१८ महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ७५ से १०० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ७५ से १०० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।
52.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वजीराबाद, नान्देड, वजीराबाद, महाराष्ट्र -४३१६०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-
		<p>(i) क्रियाशरीर - ०४ से ०६ सीटें, (ii) रोगनिदान - ०२ से ०४ सीटें, (iii) कौमारभृत्य - ०३ से ०६ सीटें, (iv) शल्य तंत्र - ०४ से ०६ सीटें</p>	<p>(i) क्रियाशरीर - ०४ से ०६ सीटें, (ii) रोगनिदान - ०२ से ०६ सीटें, (iii) कौमारभृत्य - ०३ से ०६ सीटें, (iv) शल्य तंत्र - ०४ से ०६ सीटें</p> <p>आर- १३०११/५८/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>

53.	डॉ० जे.जे. मगदूम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जयसिंहपुर सी.एस. न०. २६५, अग्र भाग, शीरोल - वाडी रोड, ए/पी. जयसिंहपुर, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र -४१६१०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ४० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १३०११/३२/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
54.	एसएमबीटी आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, नन्दी हिल्स, धमनगाँव, तालुका. इगतपुरी, जिला. नासिक, महाराष्ट्र -४२२४०३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०७ स्नातकोत्तर विषयों में ४२ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा - ०६ सीटें, (ii) पंचकर्म - ०६ सीटें, (iii) प्रसूति एवं स्त्री रोग - ०६ सीटें (iv) बालरोग - ०६ सीटें (v) संज्ञाहरण - ०६सीटें (vi) शल्य तंत्र - ०६ सीटें (vii) शालक्य तंत्र -०६ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०७ स्नातकोत्तर विषयों में ४० सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) कायचिकित्सा - ०६ सीटें, (ii) पंचकर्म - ०६ सीटें, (iii) प्रसूति एवं स्त्री रोग - ०६ सीटें (iv) बालरोग - ०६ सीटें (v) संज्ञाहरण - ०४सीटें (०६ सीटों के स्थान पर) (vi) शल्य तंत्र - ०६ सीटें (vii) शालक्य तंत्र -०६ सीटें आर- १४०११/४३/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर- १३०११/६१/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
55.	श्री के.आर. पाण्डव आयुर्वेद कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बहादुरा, नियर डिघोरी नाका उमरीद रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-४११२०४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए	सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

		अनुसंशा की गई।	आर- १३०११/६०/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.१०.२०१५
56.	माई भागो आयुर्वेदिक कॉलेज फॉर वीमेन, फिरोजपुर रोड, मुक्तसर, पंजाब- १५२०२६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १३०११/०६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ३१.०८.२०१५
57.	श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, वी.पी.ओ. खरकन, जिला. होशियारपुर, पंजाब-१४६११०	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से १०० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों (१०० सीटों के स्थान पर) की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १३०११/२२/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०५.११.२०१५
58.	बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, वी. पी.ओ. दौधर, मोगा, पंजाब -१४२०५३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ से वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ६० से १०० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	आशय पत्र दिनांक २०.०३.२०१५ को वापस लिए जाने के कारण वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ६० से १०० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी किया गया। आर- १३०११/०३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २८.१०.२०१५
59.	श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसेज एण्ड हॉस्पिटल, तांतिया यूनिवर्सिटी, आर.आई.आई.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.)

	सी.ओ. बस स्टैंड के पास, गंगानगर, राजस्थान-३३५००२	की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १३०११/६६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.०६.२०१५
60.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, डॉ. एस.आर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर, एनएच -६५, नागौर रोड, करवर, जोधपुर, राजस्थान-३४२०३७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों (१० अतिरिक्त सीटों) की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १३०११/२०/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.०६.२०१५
61.	गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, केप रोड, कोट्टर, नगरकोडल, तमिलनाडू- ६२६००२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १३०११/६३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५
62.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -२२६००३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर विषयों में १५ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) कौमारभृत्य - ०५ सीटें, (ii) द्रव्यगुण - - ०५ सीटें, (iii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्थान पर) प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) कौमारभृत्य - ०५ सीटें,

		सीटें,	(ii) द्रव्यगुण - - ०५ सीटें, तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०५ सीटें, प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- १४०११/०३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ३०.१०.२०१५
63.	अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड ए.सी.एन हॉस्पिटल, अलीगढ़, एफ. एम. टावर के सामने, अनूपशहर रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश -२०२००२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से ६० सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १३०११/०५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २३.१०.२०१५
64.	जे.डी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल भकंरी, जी.टी. रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश -२०२००१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०५ विषयों में २६ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता तथा सिद्धांत - ०६ सीटें (ii) क्रियाशरीर - ०६ सीटें (iii) रचना शरीर - ०६ सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें (v) कायचिकित्सा - ०५ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में ५० से १०० सीटों की वृद्धि हेतु तथा निम्नलिखित ०५ विषयों में २६ सीटों सहित नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता तथा सिद्धांत - ०६ सीटें (ii) क्रियाशरीर - ०६ सीटें (iii) रचना शरीर - ०६ सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें (v) कायचिकित्सा - ०५ सीटें

			<p>आर- १४०११/२६/२०१४-ईपी(आई एम-१) एवं आर- १३०११/३५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.१०.२०१५</p>
65.	मेजर एस.डी. सिंह पी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेवर रोड फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश -२०६६०१	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु निम्नलिखित ०६ विषयों में नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) द्रव्यगुण - ०६ सीटें (ii) स्वास्थ्यवृत्त - ०६ सीटें (iii) अगदतंत्र - ०६ सीटें (iv) कौमारभृत्य - ०६ सीटें (v) शालक्य तंत्र - ०६ सीटें (vi) पंचकर्म - ०६ सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु निम्नलिखित ०६ विषयों में नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) द्रव्यगुण - ०६ सीटें (ii) स्वास्थ्यवृत्त - ०६ सीटें (iii) अगदतंत्र - ०६ सीटें (iv) कौमारभृत्य - ०६ सीटें (v) शालक्य तंत्र - ०६ सीटें (vi) पंचकर्म - ०६ सीटें</p> <p>आर- १४०११/२०/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५</p>
66.	फेकल्टी ऑफ आयुर्वेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश -२२१००५	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु निम्नलिखित ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् (i) शल्य-क्षारसूत्र एवं अनुशास्त्र कर्म - ०६ सीटें प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुसंशा की गई।</p> <p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु निम्नलिखित ०१ नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् (i) शल्य-क्षारसूत्र एवं अनुशास्त्र कर्म - ०६ सीटें प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>आर- १४०११/३५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.१०.२०१५</p>
67.	श्री आदि शिवा सद्गुरु अली साहेब सिवारयुला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गुन्टाकल-५१५८०१,	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया</p>

	अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश	लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/२५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०६.०८.२०१५
68.	मारिया एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, चैवराकोड, वीयानूर-पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला-६२२९१७७, तमिलनाडु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/२३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
69.	श्री धर्मास्थला मंजुनाथेश्वरा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड हॉस्पिटल, अनचेपाल्या, कुम्बालागौडु ग्राम, बैंगलूरु, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/१८/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.०७.२०१५
70.	तपोवन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, दूझबाथी- ५७७५६६, देवनगरे, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/१६/२०१४-ईपी(आई

			एम-१) दिनांक १६.०८.२०१५
71.	फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ज्योति विद्यापीठ वीमेन यूनिवर्सिटी, वेदान्त ज्ञान वेली, झरना, महाला-जोबनेर लिंक रोड, जयपुर- अजमेर एक्सप्रेसवे, जयपुर-३०३१२२, राजस्थान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/१२/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
72.	मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोलार रोड, भोपाल-४६४२०२४ मध्य प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित (१०० सीटों के स्थान पर) नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/११/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १८.११.२०१५
73.	शांति इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हॉयर स्टूडीज, शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मझौली- बलिया, उत्तर प्रदेश -२७७००१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/०५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.०६.२०१५
74.	शहीद नरेन्द्र कुमार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पिस्वा रोड, चन्दन्स, अलीगढ़-२१२१३२ उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित (१०० सीटों के स्थान पर) नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया

		अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/१६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १२.१०.२०१५
75.	डॉ० कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, सरमौ, झांसी- २८४००३ उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ५० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ५० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/०४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १२.०८.२०१५
76.	श्री बाबू सिंह दादूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कृष्णा नगर (बाघर), कानपुर रोड, फतेहगढ़- फर्रुखाबाद-२०६६०१ उत्तर प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/०३/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
77.	श्री वी.एम. मेहता इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ४०५, शिल्प टॉवर, टैगोर रोड, भक्तिनगर रेलवे स्टेशन के पास, राजकोट, कैम्पस गर्दी विद्यापीठ, कलवड रोड, ग्राम आनन्दपुर, राजकोट-३६११६२, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ५० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ५० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/०६/२०१४-ईपी(आई

			एम-१) दिनांक ०३.०६.२०१५
78.	फेकल्टी ऑफ इण्डियन मेडिकल सिस्टम, एसजीटी यूनिवर्सिटी, चन्दू- बूडेडा, गुडगावं- बादली रोड, हरियाणा-१२२५०५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/१४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१५
79.	श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, भाउपुर, बेवर रोड, फतेहगढ़, जिला. फर्रुखाबाद-२०६६०२(उ.प्र.)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/०६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.०७.२०१५
80.	गंगापुत्र आयुर्वेदिक कॉलेज, कैथल रोड, कडेला, जिला. जिंद -१२६१०२ हरियाणा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/२८/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
81.	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, १० के.एम. माइल स्टोन, खैर रोड, लोधा, अलीगढ़-२०२००१,	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया

	उत्तर प्रदेश	लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- १२०११/३५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०३.०६.२०१५
82.	यशवंतराव चवन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, शिव ट्रस्ट कैम्पस, निपानी भालगाँव, विडियोकॉन कॅम्प्यूनिक्शन लिमिटेड के समीप, बीड हाईवे रोड, औरंगाबाद-४३१००५, महाराष्ट्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। आर- २०११/३६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.०६.२०१५

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष २०१५-१६ (०१ अप्रैल २०१४ से ३१ मार्च २०१५) तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ (ग) के अधीन भारत सरकार को अनुशांसाएं भेजने के लिए निम्नलिखित आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया।

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वर्ष २०१५-१६ हेतु भा.चि.के.प. द्वारा की गई संस्तुतियां	वर्ष २०१५-१६ हेतु भारत सरकार का निर्णय
1.	डॉ. बी.आर.के.आर. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, एसआइ हॉस्पिटल एरांगडा के सामने, तेलंगाना -५०००३८ हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ५० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम - ३० सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा - १० सीटें (ii) शल्य तंत्र -०३ सीटें (iii) शालाक्य तंत्र -०३ सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग- ०४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ५० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम - ३१ सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (i) कायचिकित्सा - १० सीटें (ii) शल्य तंत्र -०३ सीटें (iii) शालाक्य तंत्र -०३ सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग- ०४ सीटें (v) द्रव्यगुण -०६ सीटें

		<p>सीटें</p> <p>(v) द्रव्यगुण -०६ सीटें</p> <p>(vi) पंचकर्म- ०४ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर)</p> <p>तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०६ सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।</p>	<p>(vi) पंचकर्म- ०४ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर)</p> <p>०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०६ सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>आर- १७०११/०१/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.०६.२०१५</p>
2.	डॉ. एन.आर. शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, एमजी रोड, भण्डार लॉक्स के समीप, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश-५२०००२	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ३० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में - ०५ सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ३० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में - ०५ सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>आर- १७०११/०२/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५</p>
3.	श्री वेंकटेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज, एसवीआईएमएस कैम्पस -५१७५०७, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ४० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में - २८ सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) द्रव्यगुण -०६ सीटें</p> <p>(ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें</p> <p>(iii) शल्य तंत्र -०६ सीटें</p> <p>(iv) पंचकर्म- ०६ सीटें</p> <p>(v) कौमारभृत्य - ०४ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर)</p> <p>तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०६ सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५ -१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ४० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में - २६ सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:-</p> <p>(i) द्रव्यगुण -०६ सीटें</p> <p>(ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें</p> <p>(iii) शल्य तंत्र -०६ सीटें</p> <p>(iv) पंचकर्म- ०६ सीटें</p> <p>(v) कौमारभृत्य - ०५ सीटें (०६ सीटों के स्थान पर)</p> <p>तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०६ सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>आर- १७०११/०३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५</p>

4.	अनन्त लक्ष्मी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, लेबर कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस लक्ष्मीपुरा, नर्समपेट रोड, वारंगल तेलंगाना-५०६०१३ आन्ध्रा प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ५० सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम - ५० सीटों सहित के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर- १७०११/०४/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
5.	वाग्देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ग्राम बोल्लीकुन्टा संगम, तेलंगाना-५०६००५, वारंगल, आन्ध्रा प्रदेश	महाविद्यालय द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु बी.ए.एम. एस. पाठ्यक्रम में - ५० सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- १२०११/२३/२००७-ईपी(आई एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
6.	श्री वागेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, राम कृष्ण कॉलोनी, एलएमडी पुलिस स्टेशन थिम्मापुर के समीप, करीमनगर, तेलंगाना-५०५४८९, आन्ध्र प्रदेश	महाविद्यालय द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु बी.ए.एम. एस. पाठ्यक्रम में - ५० सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- १२०११/१२/२००७-ईपी(आई एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
7.	एम.एन.आर. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, एम.एन.आर. नगर, फसलवाडी, तेलंगाना -५०२००१ संगरेडुडी आन्ध्र प्रदेश	महाविद्यालय द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु बी.ए.एम. एस. पाठ्यक्रम में - ५० सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- १२०११/३२/२००७-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
8.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, गुवहाटी, आसाम जलूकबारी, गुवहाटी-७८१०१४ असम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु वर्तमान स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम तथा निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान न करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में - ५० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत -०६ सीटें

		(ii) संहिता सिद्धात	(ii) रचना शरीर- ०२ सीटें (iii) रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान - ०३ सीटें (iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग -०४ सीटें (v) कायचिकित्सा- ०६ सीटें (vi) शल्य तंत्र -०३ सीटें आर- १७०११/०५/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
9.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कदमकुओं, पटना -८००००३ बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम -४० सीटों सहित तथा निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में - ०८ सीटों सहित हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई:- (i) द्रव्यगुण -०४ सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०४ सीटें आर- १७०११/०६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
10.	रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज, मोतीहारी, जिला. ईस्ट चम्पारन-८४५४०१ बिहार	महाविद्यालय द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत सरकार को अनुसंशा नहीं की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ हेतु बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में - ४० सीटों सहित प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। आर- १७०११/०७/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
11.	राजकीय अयोध्या शिवकुमार आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल सुरीद नगर नियर रेलवे स्टेशन, बेगुसराय-८५१२१८ बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में मौजूदा ३० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र न जारी करने के लिए संस्तुति की गई	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ३० सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/०८/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५

12.	स्वामी राघेवन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद महाविद्यालय करजरा स्टेशन पोस्ट ऑफिस मंडोली पिन-८०५१३१ वाया वजीरगंज गया-८२३००१ बिहार	परिदर्शन नहीं किया गया	शैक्षिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पूर्व में ही ५ वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/०९/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१४
13.	श्री मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल बाडा तेल्पा, छपरा-८४१३०१, सरन बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय में ३० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/१०/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
14.	नीतिश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बावन बिधा, कन्होली, मुजफ्फरपुर- ८४२००१ बिहार	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस (आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/११/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
15.	आयुर्वेद महाविद्यालय घुधारी तन्ड, गया- ८२३००१	गैर-अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया। एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ४० सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/१२/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
16.	दयानन्द आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल डी.ए. मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सिवान बिहार ८४१२२६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एवं ०८ सीटों निम्नलिखित ०२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस) में ५० सीटों एवं ०८ सीटों निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कार्यचिकित्सा-०४ सीटों (ii) द्रव्यगुण-०४

		स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कार्यचिकित्सा-०४ सीटें (ii) द्रव्यगुण-०४ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया । एफ न०. आर- १७०११/१३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
17.	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, रायपुर जी.ई. रोड़, रायपुर, छत्तीसगढ़-४६२०१०	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एवं २८ सीटें निम्नलिखित ०७ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०३ (iii) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-०३ सीटें (iv) रचना शारिर-०३ सीटें (v) शल्य तंत्र -०३ सीटें (vi) द्रव्यगुण-०६ सीटें (vii) रोग निदान-०५ सीटें (०६ सीटों के अपेक्षित) हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एवं २६ सीटें निम्नलिखित ०७ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०३ (iii) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-०३ सीटें (iv) रचना शारिर-०३ सीटें (v) शल्य तंत्र -०३ सीटें (vi) द्रव्यगुण-०६ सीटें (vii) रोग निदान-०६ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया । एफ न०. आर- १७०११/१५/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
18.	राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज गोंव- चन्द्रखुरी पौस्ट- चन्द्रखुरी जिला- दुर्ग छत्तीसगढ़- ४६१२२१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया । एफ न०. आर- १७०११/१६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २७.०७.२०१५
19.	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एन.एच.-६, जी.ई. रोड़ मंकी, राजनन्दगोंव-४६१४४१, छत्तीसगढ़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में मौजूदा ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया ।

			एफ न०. आर- १२०११/०३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
20.	श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं डाबर धन्वंतरी हॉस्पिटल, सेक्टर-४६-बी, चण्डीगढ़-१६००४७	परिदर्शन नहीं किया गया	शैक्षिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पूर्व में ही ५ वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/१४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २५.०६.२०१४
21.	आयुर्वेद एवं यूनानी लिब्बिया कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अजमल खान रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली- ११०००५, नई दिल्ली	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एवं निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कायचिकित्सा-०३ सीटें (ii) क्रिया शारिर -०३ सीटें हेतु आशय पत्र न जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क / १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एवं निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कायचिकित्सा-०३ सीटें (ii) क्रिया शारिर -०३ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/१३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
22.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान, गावें व पोस्ट ऑफिस खेरा डाबर, नजफगढ़- ११००७३, नई दिल्ली	सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में १०० सीटों हेतु एवं २६ सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) रचना शारिर-०६ सीटें (ii) क्रिया शारिर-०६ सीटें (iii) रोग निदान-०६ सीटें (iv) कायचिकित्सा-०५ सीटें (v) पंचकर्मा-०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में १०० सीटों हेतु एवं निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) रचना शारिर (ii) कायचिकित्सा (iii) रोग निदान एवं विक्रति विज्ञान प्रत्येक विषय में ०६ सीटों सहित आशय पत्र जारी किया गया। एवं निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) पंचकर्मा-०५ सीट और (ii) क्रिया शारिर-०६ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १२०११/०३/२०१०-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५

23.	भारतीय संस्कृति प्रबौध्दिस गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रिसर्च सेन्टर आरोग्यधाम विजय, शिरोडा तालुका. पोन्डा जिला उत्तरी गोवा-४०३१०३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/१८/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १३.०८.२०१५
24.	गर्वमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, लाल दरवाजा, भद्रा, अहमदाबाद- ३८०००१, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु एवं निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कायचिकित्सा (ii) पंचकर्मा (iii) शल्य सामान्य और (iv) शाल्यक-कर्ण, नासा, कंठ और सिरो रोग हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों (७५ सीटों के अपेक्षित) हेतु एवं निम्नलिखित ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम: (i) कायचिकित्सा-०६ सीटें (ii) पंचकर्मा-०५ सीटें (iii) शल्य सामान्य-०५ सीटें और (iv) शाल्यक-कर्ण, नासा, कंठ और सिरो रोग- ०५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/१९/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १०.१०.२०१५
25.	जे.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, कॉलेज रोड नडियाड-३८७००१ गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय में ६० सीटों हेतु एवं निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) भेषज्य कल्पना-०५ सीटें और (ii) कायचिकित्सा-०५ सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु एवं निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) भेषज्य कल्पना-०५ सीटें और (ii) कायचिकित्सा-०५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२०/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
26.	गर्वमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, अजवा रोड, बाहरी पानी गेट, वड़ोदरा-३८००१६, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ३५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/ १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ३५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी

		जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२१/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
27.	आर्याकन्या सुधा आयुर्वेद महाविद्यालय, करेली बाग, वड़ोदरा-३६००१८ गुजरात	गैर-अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया। एवं संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ३० सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२२/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५
28.	सेठ जे.पी गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, विपरित सरदार बाग, पनवाड़ी भावनगर-३६४००१ गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ३५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क / १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ३५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
29.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, पंचेश्वर रोड़, नजदीक गीता सिनेमा, जुनागढ़-३६२००१, गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ३५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क / १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ३५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२४/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
30.	श्री बालहनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट-लोधरा तालुका-मनसा, जिला-गांधीनगर गुजरात-३८२८३५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में पाठ्यक्रम हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ३५ सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२८/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.१०.२०१५
31.	श्री ओह नजर आयुर्वेद महाविद्यालय नियर रेलवे स्टेशन लाल दरवाजा रोड़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क / १३

	सुरत गुजरात-३६५००३	अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०५.०८.२०१५
32.	श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय धन्वतरा मंदिर, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी गुजरात-३६१००८ जामनगर	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२७/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०८.२०१५
33.	इंन्स्टीट्यूट फोर पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग एवं रिसर्च इन आयुर्वेदा ऑफिस निर्देशक सुश्रता भवन गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जी.जी. हॉस्पिटल रोड़ जामनगर-३६१००८ गुजरात	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ में ४६ सीटों (५० सीटों के अपेक्षित) निम्नलिखित १० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) आयुर्वेद संहिता एव सिद्धांत-०६ सीटें (ii) द्रव्य गुण-०६ सीटें (iii) कोमारभृत्य-०४ सीटें (iv) रोगनिदान-०३ सीटें (v) शाल्क्य तंत्र -०५ सीटें (vi) शल्य तंत्र -०५ सीटें (vii) रसाशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-०५ सीटें (viii) पंचकर्मा-०६ सीटें (ix) कायचिकित्सा-०३ (०४ सीटों के अपेक्षित) (x) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०६ सीटें एव निम्नलिखित ०६ डिप्लोमा पाठ्यक्रम: (i) क्षार क्रम-०२ सीटें (०५ सीटों के अपेक्षित) (ii) बाल रोग-०२ सीटें (०५ सीटों के अपेक्षित) (iii) नेत्र रोग विज्ञान-०५ सीटें (iv) रसाशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-०५ सीटें (v) आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी एवं त्वक रोग-०२ सीटें (vi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग- ०२ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ में ४६ सीटें (५० सीटों के अपेक्षित) निम्नलिखित १० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) आयुर्वेद संहिता एव सिद्धांत-०६ सीटें (ii) द्रव्य गुण-०६ सीटें (iii) कोमारभृत्य-०४ सीटें (iv) रोगनिदान-०३ सीटें (v) शाल्क्य तंत्र -०५ सीटें (vi) शल्य तंत्र -०५ सीटें (vii) रसाशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-०५ सीटें (viii) पंचकर्मा-०६ सीटें (ix) कायचिकित्सा-०३ (०४ सीटों के अपेक्षित) (x) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०६ सीटें एव १७ सीटें निम्नलिखित ०४ डिप्लोमा पाठ्यक्रम: (i) बाल रोग-०५ सीटें (ii) नेत्र रोग-०५ सीटें (iii) रसाशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-०५ सीटें (iv)) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग- ०२ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एवं ०७ सीटें निम्नलिखित ०२ डिप्लोमा पाठ्यक्रम: (i) आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी एव त्वक रोग-०२ सीटें (ii) क्षार कर्म-०५ सीटें हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया।

			एफ न०. आर- १७०११/२८/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
34.	पारुल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पोस्ट लिम्डा तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा, राज्य - गुजरात -३६१७६०	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय में १०० सीटों हेतु एवं ३० सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कौमार भृत्य-०६ सीटें और (ii) शल्य तंत्र-शारकर्म एवं अनुशस्त्र कर्म ०६ सीटें (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०६ सीटें (iv) कायचिकित्सा-०६ सीटें (v) द्रव्य गुण-०६ सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु (बी.ए.एम. एस.) में १०० सीटों हेतु एवं ३० सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कौमार भृत्य (ii) शल्य तंत्र-शारकर्म एवं अनुशस्त्र कर्म (iii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (iv) कायचिकित्सा और (v) द्रव्य गुण प्रत्येक विषय में ०६ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १२०११/०४/२००५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.०८.२०१५
35.	गोविन्दभाई जोराभाई पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज एवं रिसर्च, बी/एच जी.आई.डी.सी नया बल्स विद्यानगर, गुजरात-३८८१२१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई। एवं (महाविद्यालय ने ०२ स्नाकोत्तर विषय कायचिकित्सा और रोग निदान प्रत्येक में ०५ सीट के लिए आत्मसमर्पण किया)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एवं १० सीटें निम्नलिखित ०२ स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम: (i) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०५ सीटें और (ii) कायचिकित्सा- ०५ सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १२०११/०१/२००५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
36.	श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज गावें व पोस्ट अस्थल बोहर, रोहतक हरियाणा-१२४०२१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/२६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २७.०८.२०१५
37.	श्री मारु सिंह मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मारु सिंह मेमोरियल	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के

	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बीपीएस महिला विश्वविद्यालय गॉव व पौस्ट-खानपुर कलॉ, सोनीपत हरियाणा-१२१३०५	अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/३०/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.०८.२०१५
38.	गौड़ ब्राहमण आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल ब्राहमणवास, रोहतक, हरियाणा-१२४००१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में १०० सीटों हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में १०० सीटों हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/३१/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.११.२०१५
39.	सेंट मुरारीलाल रसीवसिया आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल राम कृष्णा गुप्ता मार्ग चरखी दाद्री हरियाणा-१२७३०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/३२/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २७.१७.२०१५
40.	श्री कृष्णा गर्वमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल उमरी रोड सेक्टर-८ कुरुक्षेत्र हरियाणा-१२६११८	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/३३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
41.	चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद लाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद गॉव-भगवानगढ़, पोस्ट ऑफिस - फतेहपुर बुरिया रोड जगधारी, यमुना नगर हरियाणा-१२५१०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/३४/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०५.१८.२०१५

42.	आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल पंजुना खैरिया रोड, जोधपुरिया, सिरसा, हरियाणा-१२५०७६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १२०११/११/२००६-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
43.	राजीव गाँधी गर्वमैट पोस्ट- ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला तहसील- बैजनाथ, जिला कांगड़ा-१७६११५, हिमाचल प्रदेश	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों एवं निम्नलिखित ११ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कायचिकित्सा-०६ सीटें और (ii) शल्य तंत्र- ०४ सीटें (iii) शाल्यक तंत्र-०४ सीटें (iv) संहिता सिद्धांत-०४ सीटें (v) रसशास्त्र-०३ (vi) द्रव्यगुण-०३ सीटें (vii) रोग निदान-०३ सीटें (viii) प्रसूति तंत्र-०३ सीटें (ix) बाल रोग- ०३ सीटें (x) पंचकर्मा-०३ सीटें (गप) स्वस्थवृत-०३ सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों एवं निम्नलिखित ११ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) कायचिकित्सा-०६ सीटें और (ii) शल्य तंत्र- ०४ सीटें (iii) शाल्यक तंत्र-०४ सीटें (iv) आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें (v) रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना-०३ (vi) द्रव्यगुण-०३ सीटें (vii) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०३ सीटें (viii) प्रसूति तंत्र-०३ सीटें (ix) कौमारभृत्य (बाल रोग)- ०३ सीटें (x) पंच कर्मा-०३ सीटें (गप) स्वस्थवृत-०३ सीटें हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/३५/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २८.०८.२०१५
44.	जम्मू इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एवं रिसर्च, नरदनी, रायपुर बंतलाब रोड़ जम्मू एवं कश्मीर -१८११२३ जम्मू	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों एवं ०५ सीटें निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) क्रिया शरिर और (ii) कायचिकित्सा (iii) शाल्य हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ६० सीटों एवं १५ सीटें निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) क्रिया शरिर और (ii) कायचिकित्सा (iii) शाल्य ०५ सीटें प्रत्येक विषय में हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/३६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५

45.	सुर्यामुखी दिनेश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पौस्ट-ऑफिस बोटी, वाया नियोरी विकास दुमदागा, रांची झारखंड-८३५२१७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटों हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ४० सीटों हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया । एफ न०. आर- १७०११/३७/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
46.	गर्वमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल नई सययजीराव रोड़ मैसूर-५७०००१ कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों एवं १२ सीटें निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-०५ सीटें और (ii) कार्यचिकित्सा-०७ सीटें हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों एवं १२ सीटें निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-०५ सीटें और (ii) कार्यचिकित्सा-०७ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया । एफ न०. आर- १७०११/३६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५
47.	अरूर लक्ष्मीनारायण राव मेमोरियल आयुर्वेदिक महाविद्यालय कछकल रोड़, कोप्पा, चिकमगलरू, कर्नाटक-५७७१२६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों एवं १६ सीटें निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) द्रव्यगुण-०६ सीटें और (ii) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भेषज्य-०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ६० सीटों एवं १६ सीटें निम्नलिखित ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) द्रव्यगुण विज्ञान-०६ सीटें और (ii) रसशास्त्र एवं भेषज्य-०५ सीटें (iii) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया । एफ न०. आर- १७०११/३६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५

48.	गर्वमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, धन्वंतरी रोड, बंगलौर-५६०००६, कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों एवं ४० सीटें निम्नलिखित ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) द्रव्यगुण-०७ सीटें और (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य-०६ सीटें (iii) रोगनिदान-०६ सीटें (iv) शल्य तंत्र -०७ सीटें (v) शाल्क्य तंत्र -०७ सीटें (vi) पंचकर्मा -०७ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई ।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ६० सीटों एवं ४० सीटें निम्नलिखित ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : (i) द्रव्यगुण-०७ सीटें और (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य-०६ सीटें (iii) रोगनिदान-०६ सीटें (iv) शल्य तंत्र -०७ सीटें (v) शाल्क्य तंत्र -०७ सीटें (vi) पंचकर्मा -०७ सीटें सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/४०/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
49.	तारानाथ गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज डॉ० राजकुमार रोड, बिल्लारी, कर्नाटक-५८३१०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटें एवं ०७ सीटें स्नातकीय पाठ्यक्रम रसशास्त्र हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ४० सीटें एवं ०७ सीटें ०१ स्नातकीय पाठ्यक्रम रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/४१/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.०६.२०१५
50.	ए.वी. समिति आयुर्वेद महाविद्यालय विद्या नगर बगलकोट रोड बिजापुर कर्नाटक - ५८६१०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं ०५ सीटें स्नातकीय पाठ्यक्रम रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटें एवं ०५ सीटें स्नातकीय पाठ्यक्रम रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/४१/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.०६.२०१५
51.	आयुर्वेद महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल हेगेरी एक्सटेंशन पुरानी हुबली कर्नाटक -५८००२४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं २२ सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) संहिता सिद्धांत- ०५ सीटें (ii) रसशास्त्र एवं	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटें एवं २२ सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) संहिता सिद्धांत- ०५ सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०५ सीटें (iii)

		<p>भैषज्य कल्पना-०५ सीटें (iii) कार्यचिकित्सा- ०५ सीटें (iv) शल्य तंत्र- ०२ सीटें और (v) पंचकर्मा-०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।</p>	<p>कार्यचिकित्सा- ०५ सीटें (iv) शल्य तंत्र- ०२ सीटें और (v) पंचकर्मा-०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया।</p> <p>एफ न०. आर- १७०११/४३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २१.०७.२०१५</p>
52.	<p>के.एल.ई यूनिवर्सिटी श्री बी.एम. कान्कनवाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एवं रिसर्च सेन्टर बेलगाम शाहपुर -५६०००३</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ७५ सीटें एवं ४२ सीटें निम्नलिखित ०८ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कार्यचिकित्सा-०३ सीटें (ii) शल्य तंत्र-०३ सीटें (iii) संग्याहरण- ०२ सीटें (iv) द्रव्यगुण-०५ सीटें और (v) रसशास्त्र-११ (vi) अगद तंत्र-०६ (vii) कौमाभृत्य-०६ (vii) पंचकर्मा-०६ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ७५ सीटें एवं ४२ सीटें निम्नलिखित ०८ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कार्यचिकित्सा-०३ सीटें (ii) शल्य तंत्र-०३ सीटें (iii) संग्याहरण- ०२ सीटें (iv) द्रव्यगुण-०५ सीटें और (v) रसशास्त्र-११ (vi) अगद तंत्र-०६ (vii) कौमाभृत्य-०६ (vii) पंचकर्मा-०६ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया।</p> <p>एफ न०. आर- १७०११/४४/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०३.०८.२०१५</p>
53.	<p>अश्विनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं पी.जी. सेन्टर ४०५/१, ओ.पो. बैथी लेक, पी. बी. रोड, दावणगिरी कनार्टक-५७७५६६</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं १० सीटें निम्नलिखित ०२ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें (ii) शल्य तंत्र-०५ हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटें एवं १० सीटें निम्नलिखित ०२ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें (ii) शल्य तंत्र-०५ हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया।</p> <p>एफ न०. आर- १७०११/८४/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.०८.२०१५</p>
54.	<p>एन.के. जबशेट्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं पी.जी. सेन्टर बिदर सिद्धारुद्र मठ कॅम्पस, गुम्फा मनहाली रोड, बिदर कनार्टक-५८५४०३</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटें एवं ३० सीटें निम्नलिखित ०७ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर-०५ सीटें (ii) द्रव्यगुण-०४ (iii) रसशास्त्र एवं</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटें एवं ३० सीटें निम्नलिखित ०७ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) रचना शरीर-०५ सीटें (ii) द्रव्यगुण-०४ (iii)</p>

		<p>भैषज्य कल्पना- ०४ सीटें (iv) रोग निदान-०४ सीटें (v) प्रसूति तंत्र-०५ सीटें (vi) शल्य तंत्र-०५ सीटें (vii) पंचकर्मा-०३ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।</p>	<p>रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना- ०४ सीटें (iv) रोग निदान-०४ सीटें (v) प्रसूति तंत्र-०५ सीटें (vi) शल्य तंत्र-०५ सीटें (vii) पंचकर्मा-०३ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया।</p> <p>एफ न०. आर- १७०११/४५/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५</p>
55.	<p>डॉ. बी.एन.एम रुरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्रीमती सुशीला देवी नगर कॉलोनी, कॉलेज रोड़ बिजापुर, कर्नाटक-५८६१०१</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं २१ सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) काय चिकित्सा-०५ सीटें (ii) पंचकर्मा-०३ सीटें (iii) आयुर्वेद समहिता सिद्धान्त - ०७ सीटें (iv) द्रव्यगुण विज्ञान-०३ सीटें (v) सवस्तय वृत्त-०३ सीटें हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं २१ सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) काय चिकित्सा-०५ सीटें (ii) पंचकर्मा-०३ सीटें (iii) आयुर्वेद समहिता सिद्धान्त - ०७ सीटें (iv) द्रव्यगुण विज्ञान-०३ सीटें (v) सवस्तय वृत्त-०३ सीटें हेतु आशय पत्र जारी नहीं किया गया।</p> <p>एफ न०. आर- १७०११/४६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ३०.१०.२०१५</p>
56.	<p>जे.एस.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, न०. ४१/ई ललिथादरिपुरा रोड़, मैसूर, कर्नाटक-५७००२८</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में १०० सीटें एवं १६ सीटें निम्नलिखित ०४ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगण-०४ (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना- ०४ सीटें (iii) पंचकर्मा -०५ सीटें (iv) सवस्तय वृत्त-०३ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में १०० सीटें एवं १६ सीटें निम्नलिखित ०४ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगण-०४ (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना- ०४ सीटें (iii) पंचकर्मा -०५ सीटें (iv) सवस्तय वृत्त-०३ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया।</p> <p>एफ न०. आर- १७०११/४७/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ३०.०७.२०१५</p>
57.	<p>सिंदगी शांताविरेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शांतावीर नगर, पी.बी. रोड़, इजरीलाकमपुर,</p>	<p>परिदर्शन नहीं किया गया</p>	<p>शैक्षिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पूर्व में ही ५ वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया।</p>

	हावेरी, कनार्टक-५८१११०		एफ न०. आर- १७०११/४८/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०६.०८.२०१५
58.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बस स्टैण्ड रोड, इलकल तालुका- हुनगोड जिला बागलकोट बागलकोट कनार्टक-५८७१२५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं २० सीटें निम्नलिखित ०४ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा -०५ सीटें (ii) पंचकर्मा-०५ (iii) प्रसूति तंत्र एव स्त्री रोग -०५ सीटें (iv)शालक्य तंत्र -०५ सीटें हेतु आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं २० सीटें निम्नलिखित ०४ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) कायचिकित्सा -०५ सीटें (ii) पंचकर्मा-०५ (iii) प्रसूति तंत्र एव स्त्री रोग -०५ सीटें (iv)शालक्य तंत्र -०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/४८/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ११.०८.२०१५
59.	बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, शिमोगा विपरित. ए.जी. कॉलेज, चनण्मुमबपुरा, शिमोगा, कनार्टक -५७७२२५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५०/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०८.२०१५
60.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज संकल्पपुरा तन्डा, बेल्लारी रोड, हॉस्पिट कनार्टक-५८३२०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी. ए.एम.एस में ५० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५१/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
61.	टी.एम.ए.ई. सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज टी.एम.ए.ई. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल निडगे पोस्ट. शिमोगा कनार्टक -५७७२२२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी. ए.एम.एस में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५२/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५

62.	अमृता आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बिहाइन्ड ओनाके ओबावा . स्टेडियम चित्रदुर्गा कर्नाटक -५७७५०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी. ए.एम.एस में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
63.	बापूजी आयुर्वेद कॉलेज बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बापूजी कॅम्पस, टी.आर. नगर, चल्लाकेरी, चित्रादुर्गा-५७७५२२	परिदर्शन नहीं किया गया	शैक्षिक सत्र २०१६-१६ तक महाविद्यालय को पूर्व में ही ५ वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०६.०८.२०१५
64.	श्री धर्मास्थला मंजुनाथेश्वरा कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एवं हॉस्पिटल पौस्ट बाक्स न०. १६४, थन्निरुहाला, बी. एम. रोड़ हस्सन-५७३२०१ कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया	शैक्षिक सत्र २०१६-१६ तक महाविद्यालय को पूर्व में ही ५ वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५५/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १२.०८.२०१५
65.	के. वी.जी. आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, अम्बाटे अडका, कर्लूजी बाग, सुल्लिया , कर्नाटका-५७४३२७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों एवं ३४ सीटों निम्नलिखित ०६ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण -०६ सीटों (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना ०६ (iii) अगद तंत्र -०५ सीटों (iv) कायचिकित्सा v) शल्य तंत्र -०३ सीटों और (vi)पंचकर्मा-०६ हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों एवं ३४ सीटों निम्नलिखित ०६ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण -०६ सीटों (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना ०६ (iii) अगद तंत्र -०५ सीटों (iv) कायचिकित्सा v) शल्य तंत्र -०३ सीटों और (vi)पंचकर्मा-०६ हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
66.	श्री जे.जी. कॉंपरेटिव हॉस्पिटल सोसायटीज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, घटप्रभा, तालुका गोकक, जिला.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से

	बेलगांव, कर्नाटका बेलगम कर्नाटका-५६१३१०	स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं निम्नलिखित १० स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण -०५ सीटें (ii) पंचकर्मा ०५ (iii) स्वस्थवृत्त -०५ सीटें (iv) रसशास्त्र (v) रोगनिदान -०५ सीटें (vi)शालक्य तंत्र-०५ (vii) कौमारभृत्य-०५ सीटें (viii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०५ सीटें (ix) शल्यतंत्र -०५ सीटें (x) कायचिकित्सा-०५ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं निम्नलिखित १० स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण -०५ सीटें (ii) पंचकर्मा ०५ (iii) स्वस्थवृत्त -०५ सीटें (iv) रसशास्त्र (v) रोगनिदान -०५ सीटें (vi)शालक्य तंत्र-०५ (vii) कौमारभृत्य-०५ सीटें (viii) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०५ सीटें (ix) शल्यतंत्र -०५ सीटें (x) कायचिकित्सा-०५ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५७/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
67.	श्री कालभैरवेश्वर स्वामी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज न०. १०, पाईप लाइन रोड, आरपीसी लेआउट, बंगलौर विजयनगर, बंगलौर कर्नाटका-५६०१०४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटें एवं २५ सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) प्रसूति एवं स्त्री रोग (ii) कायचिकित्सा (iii) शल्य तंत्र (iv) शालक्य तंत्र (v)पंचकर्मा प्रत्येक विषय में -०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटें एवं २५ सीटें निम्नलिखित ०५ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) प्रसूति एवं स्त्री रोग (ii) कायचिकित्सा (iii) शल्य तंत्र (iv) शालक्य तंत्र (v)पंचकर्मा प्रत्येक विषय में -०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५८/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ३०.०७.२०१५
68.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एवं रिसर्च बंगलौर प्लेस कम्पाउन्ड, जयामहल रोड, जे.सी. नगर, बंगलौर-५६०००६ कर्नाटक	परिदर्शन नहीं किया गया	शैक्षिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पूर्व में ही ५ वर्ष से अधिक नहीं हेतु आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/५६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ११.०८.२०१५
69.	महागणपति आयुर्वेदिक कॉलेज होयसालनगर -५८०००३ हलयाल रोड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटें

	जिला-धारवाड़ कर्नाटक	क के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ६० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/६२/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
70.	अल्वास आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, सुन्दरी आनन्द अल्वा कैंपस विद्यागिरी, मूढबिदरी, मंगलौर कर्नाटक-५७४२२७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में १०० सीटें एवं ५५ सीटें निम्नलिखित १० स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) आयुर्वेद सिद्धान्त-०५ सीटें (ii) रचना शरीर - ०५सीटें (iii) द्रव्यगुण -०५ सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -१० सीटें (v) अगद तंत्र -०५ सीटें (vi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०५ सीटें (vii) कौमारभृत्य -०५ सीटें (viii) शल्यतंत्र -०५ सीटें (ix) कायचिकित्सा -०५ सीटें (x) पंचकर्मा -०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में १०० सीटें एवं ५५ सीटें निम्नलिखित १० स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) आयुर्वेद सिद्धान्त-०५ सीटें (ii) रचना शरीर - ०५सीटें (iii) द्रव्यगुण -०५ सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -१० सीटें (v) अगद तंत्र -०५ सीटें (vi) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०५ सीटें (vii) कौमारभृत्य -०५ सीटें (viii) शल्यतंत्र -०५ सीटें (ix) कायचिकित्सा -०५ सीटें (x) पंचकर्मा -०५ सीटें हेतु सशर्त आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११६/६०/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
71.	एस एन वी वी समस्थे एस जी वी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर बेलहौगल नियर मिनि विधान सुधा धारवाड़ रोड बेलहौगल, नियर बेलगाम, कर्नाटक -५६११०२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटों हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ क/१३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से बी.ए.एम.एस में ४० सीटों हेतु सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) आशय पत्र जारी किया गया। एफ न०. आर- १२०११/६१/२००६-ईपी(आई एम-१) दिनांक १८.०८.२०१५
72.	श्री शिवयोगेश्वर रुरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेलहौगल-गोकक रोड, इन्चल ताल्लुका सोन्दलती, जिला बेलगावी, बेलगाम कर्नाटका-५६११०२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं निम्नलिखित ०३ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण -०५ सीटें (ii)	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं निम्नलिखित ०३ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) द्रव्यगुण -०५

		शल्यतंत्र (iii) पंचकर्मा प्रत्येक विशय में ०५ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	सीटें (ii) शल्यतंत्र (iii) पंचकर्मा प्रत्येक विशय में ०५ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/६३/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
73.	तालुका शिक्षण प्रसारक सहकारा मंडल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सिंधगी -५८६१२८, जिला बीजापुर कर्नाटक	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी न करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ४० सीटों हेतु सशर्त आशय पत्र जारी नहीं किया गया। एफ न०. आर- १७०११/६४/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०८.०६.२०१५
74.	श्री जगदगुरु गावी सिद्धेश्वर संस्थान, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, पी.जी. स्टूडीज गावीमठ कैम्पस कोपल-५८३२३१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं ४१ सीटें निम्नलिखित ०६ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) क्रिया शरीर -०४ सीटें (ii) द्रव्यगुण -०५ सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भेषज्यकल्पना -०५ सीटें (iv) सवस्थवृत्त -०५ सीटें (v) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०४ सीटें (vi) कोमारभृत्य-०४ सीटें (vii) शल्यतंत्र -०५ सीटें (viii) शालक्य तंत्र-०४ (ix) पंचकर्मा -०५ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी करने के लिए संस्तुति की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग/१३ क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से आयुर्वेदाचार्य स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) में ५० सीटें एवं ४१ सीटें निम्नलिखित ०६ स्नातकीय पाठ्यक्रम (i) क्रिया शरीर -०४ सीटें (ii) द्रव्यगुण -०५ सीटें (iii) रसशास्त्र एवं भेषज्यकल्पना -०५ सीटें (iv) सवस्थवृत्त -०५ सीटें (v) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०४ सीटें (vi) कोमारभृत्य-०४ सीटें (vii) शल्यतंत्र -०५ सीटें (viii) शालक्य तंत्र-०४ (ix) पंचकर्मा -०५ सीटें हेतु आशय पत्र सत्र २०१६-२० (०५ वर्षों से अधिक नहीं) जारी किया गया। एफ न०. आर- १७०११/६५/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
75.	श्री हिंगूलम्बिका एजुकेशन सोसायटी, आयुर्वेद कॉलेज, भावसर नगर, सीडम रोड, गुलबर्गा, कर्नाटक -५८५१०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में वर्तमान	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ ग के अधीन सत्र २०१५-१६ हेतु स्नातकीय (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम में वर्तमान

		४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति हेतु संस्तुति की गई।	४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की की गई। आर-१७०११/६६/२०१५-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१५
76.	कलमथडा पूज्या श्री विरुपाक्षा शिवाचार्य आयुर्वेद कॉलेज सिंधानूर रोड, मानवी तालुका - मानवी, जिला -रायचूर कर्नाटका-५८४१२३	-----	शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-१७०११/१४/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २५.०६.२०१४
77.	श्री बसवेश्वर वीरशिवा विद्या वर्धक संघस, बी.वी.वीएस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, बगलकोट. कॅम्पस, बगलकोट कर्नाटका -५८७१०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/६८/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १८.०८.२०१५
78.	श्री बाहूबली विद्यापीठस जे.वी. मण्डलस जमीन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज टेडल गुरुकूल कॅम्पस ए/पी-टेडल-५७३१५ तालुका जामखण्ड जिला बगलकोट कर्नाटका-५८७३१५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/६६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १८.०८.२०१५
79.	श्री एस.बी. सिद्धेलिंगा शिवाचार्य स्वामीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल मुंदरगी श्री एस.बी.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कोण्पल रोड, मुंदरगी, जिला-गदग कर्नाटका-५८२११८	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ३० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ३० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७०/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
80.	डीजीएम, जे.एस.वी.वी. समस्थज दनाप्या गुरुशिद्धपपा मेलमालगी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं पी.जी. रिसर्च सेन्टर शिचानन्दा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा

	नगर डॉ० एस.वी.सावदी रोड, गदग, कर्नाटका-५८२१०३	प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंधान की गई:- (i) द्रव्य गुण-०४ सीटें (ii) रसशास्त्र-०५ सीटें (iii) कायचिकित्सा-०५ सीटें (iv) पंचकर्म-०५ सीटें	नहीं स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों द्रव्य गुण-०४ सीटें, रसशास्त्र-०५ सीटें, कायचिकित्सा-०५ सीटें, पंचकर्म-०५ सीटें के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
81.	श्री वीरपुलीकेशी विद्यावर्धक समस्थान रुरल आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर, ओपोजिट जे.एम.एफ.सी. कोर्ट रामदुर्ग रोड, बदामी, पोस्ट बगलकोट कर्नाटका-५८७२०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३ के अधीन सत्र २०१५-१६ (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधान की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७२/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५
82.	कन्नाडा बलगा सोसायटी रुरल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मेन डबल रोड, ऑटोनगर, बेलगम-५८००१६ कर्नाटका	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३ के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी न करने की अनुसंधान की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ४० सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७३/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
83.	भगवान मोहवीर जैन आयुर्वेद कॉलेज, पीजी सेन्टर गजेन्द्रगढ़, कर्नाटका-५८२११४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३ के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंधान की गई:- (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-०५ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०५ सीटें (iii) शल्य तंत्र-०५ सीटें (iv) पंचकर्म-०५ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-०५ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०५ सीटें (iii) शल्य तंत्र-०५ सीटें (iv) पंचकर्म-०५ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७४/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१५
84.	श्री कालिदास आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रोड बदामी कर्नाटका -५८७२०१ बगलकोट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३ के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३३/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की

		लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७५/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५
85.	राजीव गाँधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक कॉलेज गदक रोड़, रोन, डी.टी. गदग कर्नाटका-५८२२०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) द्रव्यगुण-०६ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०६ सीटें (iii) शल्य तंत्र-०६ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १८ सीटों के लिए (i) द्रव्यगुण-०६ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०६ सीटें (iii) शल्य तंत्र-०६ सीटें के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
86.	मुनियाल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साईंसिज, न०. ३४-सी शिवाली इन्डस्ट्रीयल एरिया, मनीपाल, उदूपी, कर्नाटका-५७६१०४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २६ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) द्रव्यगुण-०५ सीटें (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-०६ सीटें (iii) कायचिकित्सा-०५ सीटें (iv) शल्य तंत्र-०५ सीटें (v) पंचकर्म-०५ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों के लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २६ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-०६ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०५ सीटें (iii) शल्य तंत्र-०५ सीटें (iv) पंचकर्म-०५ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/७७/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
87.	धन्वतरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस अवरगुप्पा तालुका सिद्धापुुर उत्तराखण्ड कर्नाटका-५८१३५५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७८/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५

88.	रामा कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नं०. ५४/२ रामगोदाहली बेंगलुरु, कर्नाटका -५६००६४	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/७९/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
89.	श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा लक्ष्मीनारायण नगर कुथपडे, उदूपी कर्नाटका-५७४११८	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ७५ सीटों के लिए तथा १३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ७१ सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (ii) रचनाशारीर-०६ सीटें (iii) द्रव्य गुण-०६ सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -०६ सीटें (v) रोगनिदान-०५ सीटें (vi) स्वस्थवृत्त-०४ सीटें (vii) अगदतंत्र-०५ सीटें (viii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०६ सीटें (ix) कौमारभृत्य-०४ सीटें (x) कायचिकित्सा-०६ सीटें (xi) मानस रोग-०५ सीटें (xii) शल्यतंत्र-०६ सीटें (xiii) पंचकर्म-०६ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में ७५ सीटों के लिए तथा १३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ७१ सीटों के लिए अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (ii) रचनाशारीर-०६ सीटें (iii) द्रव्य गुण-०६ सीटें (iv) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -०६ सीटें (v) रोगनिदान-०५ सीटें (vi) स्वस्थवृत्त-०४ सीटें (vii) अगदतंत्र-०५ सीटें (viii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०६ सीटें (ix) कौमारभृत्य-०४ सीटें (x) कायचिकित्सा-०६ सीटें (xi) मानस रोग-०५ सीटें (xii) शल्यतंत्र-०६ सीटें (xiii) पंचकर्म-०६ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/८०/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
90.	कर्नाटका आयुर्वेद कॉलेज के.ई.सी.टी. टोंवर, नियर देवंगा कल्याणा मंतपा होगेबली, अशोकनगर पोस्ट, मंगलोर, कर्नाटका -५७५००६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) द्रव्यगुण-०५ सीटें

		(i) द्रव्यगुण-०५ सीटें (ii) शल्य तंत्र-०५ सीटें	(ii) शल्य तंत्र-०५ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/८१/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
91.	सुश्रुत्या आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रशांति कुटेरा, एसवीवाईएसए कैंपस, जोदीबिगीपुरा, जिंगनीहोबली एनेकल, तालुक बेंगलुरु कर्नाटका -५६०१०६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/८२/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०९.१०.२०१५
92.	श्री श्री कॉलेज ऑफ़ आयुर्वेदिक साईंसिज एवं रिसर्च २१ के.एम. कनकपुरा रोड उदयपुरा पोस्ट, बंगलोर कर्नाटका-५६००८२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) ५० सीटों के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/१३/२००४-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
93.	अश्विनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर रिंग रोड, मरलूर, टूमकूर कर्नाटका-५७२१०५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १६ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) द्रव्यगुण-०४ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०४ सीटें (iii) पंचकर्म-०४ सीटें (iv) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १६ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) द्रव्यगुण-०४ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०४ सीटें (iii) पंचकर्म-०४ सीटें (iv) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें पत्र क्रमांक आर-१२०११/२५/२००३-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
94.	डीबीएचपीएस श्री सी.बी. गुट्टल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल श्री आर.एफ. नीरलाकट्टम् एजुकेशनल कैंपस गर्ग रोड मुम्मीगट्टी धारवड कर्नाटका-५८००११	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।

		५० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधा की गई।	पत्र क्रमांक आर-१२०११/१८/२००४-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
95.	अदरेया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, कक्कहाली रोड, कडगहली पोस्ट, डोड्डाबल्लोपुरा, बैंगलूरु कर्नाटका -५६१२०३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/०५/२००५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
96.	श्री राघवेन्द्रा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अनन्येश्वरमा ट्रस्ट एस.आर.ए.एम.सी. मल्लादील्ली चित्रदुर्गा-जिला होलेकेरे-तालुका कर्नाटका- ५७७५३१	-----	शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-१२०११/४३/२००३-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १२.०८.२०१४
97.	एसडीएम ट्रस्ट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पदमा नगर ए/पी ट्रेडल -५८७३१५, तालुका जामखण्डी, जिला बगलकोट, कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका-५८७३१५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/१२/२००५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
98.	धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, एसएम-१ ४, शिवशंकर नगर, इन्ड ट्रस्टीयल इस्टेट जराहत रोड निपानी, तालुका - चिकोडी, जिला- बेलगम कर्नाटका- ५६१२३७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पाँच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पाँच वर्ष से ज्यादा नहीं) ४० सीटों के लिए अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/८६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
99.	श्रीमती राजेश्वरी कपूरमठ मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रिसर्च सेन्टर कपूरमठ कैम्पस, १०० फ्रीट रिंग रोड, बिहाइन्ड के.सी. नागा नियर सोलापुर रोड विजयवपुरा, बिजापुर, कर्नाटका-५८६१०३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंधा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/८५/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ३०.०७.२०१५

100.	येटस श्री सिद्धरामेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नौबाद, बिदर, कर्नाटका- ५८५४०२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ३० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी न करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ३० सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/८८/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २६.१०.२०१५
101.	श्री सिद्धिविनायक रूरल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर हरुगेरी गोकक रोड हरुगेरी बेलगम, कर्नाटका -५६१२२०	-----	शैक्षिक सत्र २०१८-१९ तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) महाविद्यालय को पांच साल की अनुमति दी जा चुकी है। पत्र क्रमांक आर-१२०११/१७/२००७-ईपी(आई एम-१) दिनांक ११.०८.२०१४
102.	लेट्टे एजुकेशन सोसायटीज, आचार्य देशभुषण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, नियर वॉटर प्यूरिफिकेशन, बेदकिहल-शामनेवाडी, कर्नाटका-५६१२१४	-----	शैक्षिक सत्र २०१८-१९ तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) महाविद्यालय को पांच साल की अनुमति दी जा चुकी है। पत्र क्रमांक आर-१७०११/८७/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक १४.०८.२०१४
103.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, धन्वतरी नगर, तालुका कन्यानूर, जिला एर्नाकुलम-६८२३०१, तिरुपुथिरा, केरला	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २५ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) शल्य तंत्र-५ सीटें (ii) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें (iii) रसशास्त्र तंत्र-०४ सीटें (iv) द्रव्यगुण-०४ सीटें (v) पंचकर्म-०४ सीटें (vi) स्वस्थयुत-०४ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २५ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) शल्य तंत्र-५ सीटें (ii) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें (iii) रसशास्त्र तंत्र-०४ सीटें (iv) द्रव्यगुण-०४ सीटें (v) पंचकर्म-०४ सीटें (vi) स्वस्थयुत-०४ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/८६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १०.१०.२०१५
104.	नांगेलील आयुर्वेद कॉलेज नांगेलील आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज कोटमंगलम, निल्लीकू जेडएचवाई. पी.ओ केरला -६८६६६१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की

		लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/६०/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०३.०८.२०१५
105.	पी.एन पानीकेर सौरदा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज प्रकलाई, पी.ओ. कनहनागद, केरला-६७१५३१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/०१/२००७-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
106.	शांतिगिरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आलसेय, पी.ओ. कोदुम्बा तालुका एवं जिला पलक्कड -६७८५५१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/६१/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१५
107.	वैद्यारत्नम आयुर्वेद कॉलेज विद्यारत्नम ऑलार, थिकट्टयेरी, थिसूर-६८३०६, केरला	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०४ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०४ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। कायचिकित्सा पत्र क्रमांक आर-१७०११/६२/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १४.०६.२०१५
108.	विष्णु आयुर्वेद कॉलेज पी.ओ. गर्वमेंट प्रेस, सोरानुर केरला - ६७६१२२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/६३/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५

109.	विद्यारत्न पी.एस. वार्रीर आयुर्वेद कॉलेज, कोट्टाक्कल एदरीकोडे पो.ओ. कोट्टाक्कल मलापुरम केरला-६७६५०१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २२ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) मानसरोग-६ सीटें (ii) अगद तंत्र-०४ सीटें (iii) पंचकर्म-०४ सीटें (iv) द्रव्यगुण-०४ सीटें (v) स्वस्थवृत्त-०४ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २२ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) मानसरोग-६ सीटें (ii) अगद तंत्र-०४ सीटें (iii) पंचकर्म-०४ सीटें (iv) द्रव्यगुण-०४ सीटें स्वस्थवृत्त-०४ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/९४/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
110.	के. एम.सी.टी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मनसरी पो.ओ., मुक्कम काजहीकोडे केरला -६७३६०२	-----	शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-१२०११/१२/२००४-ईपी(आई एम-१) दिनांक २५.०९.२०१४
111.	मन्नम आयुर्वेद को-ऑरिटिव मेडिकल कॉलेज एम.एस. एम पो.ओ, पंडलाम, पथानमथिट्टा पंडलाम- ६८६५०१ केरला	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/२६/२००५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २०.०७.२०१५
112.	पेम्मली नीलाकंदन नामद्रीपड मेमोरियल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चेरुथरुथी पो.ओ. शोरानूर थिरुसूर-६७६५३१ केरला	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/३३/२००६-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५
113.	गर्वमैट आयुर्वेद कॉलेज, तिरुवंतपुरम एम.जी.रोड तिरुवंतपुरम केरला-६६५००१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से

		<p>पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ७० सीटों के लिए तथा ११ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६३ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत-०६ सीटें</p> <p>(ii) द्रव्य गुण-०६ सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -१२ सीटें</p> <p>(iv) स्वस्थवृत्त-०६ सीटें</p> <p>(v) अगदतंत्र-०५ सीटें</p> <p>(vi) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०६ सीटें</p> <p>(vii) कौमारभृत्य-०५ सीटें</p> <p>(viii) कायचिकित्सा-०६ सीटें</p> <p>(ix) शल्यतंत्र-०३ सीटें</p> <p>(x) शालाक्य तंत्र-०३ सीटें</p> <p>(xi) पंचकर्म-०५ सीटें</p>	<p>स्नातकीय पाठ्यक्रम में ७० सीटों के लिए तथा ११ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६३ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>(i) आयुर्वेद एवं संहिता सिद्धांत-०६ सीटें</p> <p>(ii) द्रव्य गुण-०६ सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -१२ सीटें</p> <p>(iv) स्वस्थवृत्त-०६ सीटें</p> <p>(v) अगदतंत्र-०५ सीटें</p> <p>(vi) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०६ सीटें</p> <p>(vii) कौमारभृत्य-०५ सीटें</p> <p>(viii) कायचिकित्सा-०६ सीटें</p> <p>(ix) शल्यतंत्र-०३ सीटें</p> <p>(x) शालाक्य तंत्र-०३ सीटें</p> <p>(xi) पंचकर्म-०५ सीटें</p> <p>पत्र क्रमांक आर-१७०११/६५/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५</p>
114.	पंकज कस्तुरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, किल्ले, तिरुवतपुरम केरला-६६५५७२	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>पत्र क्रमांक आर-१७०११/६६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१५</p>
115.	श्री नारायण इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टूडीज एवं रिसर्च आर संकर नगर, करीमपुज्हा पो.ओ. कोल्लाम केरला- ६६१५०७	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>पत्र क्रमांक आर-१२०११/४४/२००३-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २०.०७.२०१५</p>
116.	परिसिक्कडवु आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, पो.ओ परीसेनीकदवु, जिला. कन्नूर केरला- ६७०५६३	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०१</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में</p>

		स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६ सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र न जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	०६ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना पत्र क्रमांक आर-१७०११/६७/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
117.	गर्वमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, पो. ऑ. परीयाराम कन्नूर, केरला- ६७०५०३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए तथा ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र न जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) क्रिया शारीर-०५ सीटें (ii) रोगनिदान-०५ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों के लिए तथा ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) क्रिया शारीर-०५ सीटें (ii) रोगनिदान-०५ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/६८/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १८.०७.२०१५
118.	अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा चलापना पोस्ट करुंगापल्ली तालुका- कोल्लाम केरला- ६६०५२५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३८ सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें (ii) द्रव्य गुण-०४ सीटें (iii) स्वस्थवृत्त-०४ सीटें (iv) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०४ सीटें (v) कायचिकित्सा-०४ सीटें (vi) शल्यतंत्र-०४ सीटें (vii) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें (viii) पंचकर्म-०४ सीटें (ix) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -०६ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३८ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें (ii) द्रव्य गुण-०४ सीटें (iii) स्वस्थवृत्त-०४ सीटें (iv) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०४ सीटें (v) कायचिकित्सा-०४ सीटें (vi) शल्यतंत्र-०४ सीटें (vii) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें (viii) पंचकर्म-०४ सीटें (ix) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -०६ सीटें पत्र क्रमांक आर-१२०११/५६/२००३-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
119.	अहिल्या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोजीहय्यारा पोस्ट पलाक्कड केरला-	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३क के

	६७८५५७	अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/०२/२००६-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २०.०७.२०१५
120.	गर्वनमेंट ऑटो, आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल अमखो लक्सर ग्वालियर मध्य प्रदेश - ४७४००६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रियाशारीर में ०४ सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति पत्र न जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्रियाशारीर में ०४ सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/६६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५
121.	कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एवं हॉस्पिटल बराघटा, नियर रेलवे अन्डर ब्रिज, झांसी रोड, ग्वालिया-४७४००१ मध्य प्रदेश	गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/४७/२००६-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
122.	गर्वमेंट ऑटोनूमस आयुर्वेद कॉले, जबलपुर गवारीघाट मध्य प्रदेश- ४८२००७	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११-१००/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
123.	गर्वमेंट धन्वतरी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल मंगलपनाथ रोड उज्जैन मध्य प्रदेश- ४५६००१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीनशैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६ सीटों के लिए महाविद्यालय को अनुमति प्रदान नहीं की गई। (i) कायचिकित्सा-०३ सीटें (ii) द्रव्यगुण-०४ सीटें (iii) रचनाशारीर-०२ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०१/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १४.०६.२०१५
124.	पं० शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय आयुष	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के

	परिषद बंजली, सैलाना रोड़ रत्नाम मध्य प्रदेश- ४५७००१	अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १८ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०६ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०६ सीटें (iii) पंचकर्म-०६ सीटें	अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १८ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०६ सीटें (ii) कायचिकित्सा-०६ सीटें (iii) पंचकर्म-०६ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०२/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१५
125.	श्रीमती धैरिया प्रभा देवी सुजातिया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, नामथूर, भानपुरा- ४५८७७५ जिला मंदसूर मध्य प्रदेश	गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुशंसा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/३६/२००६-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
126.	पं. शिवनाथ शास्त्री गर्वमेंट ऑटो. आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल नियर शिकारपुरा पानी की टंकी बुर्हानपुर मध्य प्रदेश - ४५०३३१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३१ के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र जारी न करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३१/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०३/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५
127.	गर्वमेंट ऑटोमानस अषटंग आयुर्वेदिक कॉलेज लोकमान्या नगर, केशरबाग रोड़ इन्दौर, मध्य प्रदेश -४५२००६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३१ के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए अनुमति पत्र जारी न करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३१/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०४/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
128.	आचार्य ज्ञान आयुर्वेद कॉलेज, ७८७, जवाहर मार्ग, मालगंज चौराहा इन्दौर मध्य प्रदेश	गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुशंसा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०५/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
129.	शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ग्राम दत्तोडा, खण्डवा रोड़, नियर चोकी धानी, इन्दौर मध्य प्रदेश- ४५२०२०	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३१ के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २१ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।

		<p>लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २१ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) कायचिकित्सा-०३ (बजाय ०५) सीटें</p> <p>(ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०५ सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -०५ सीटें</p> <p>(iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-०५ सीटें</p> <p>(v) पंचकर्म-०३ (बजाय ०५) सीटें</p>	<p>(i) कायचिकित्सा-०५ सीटें</p> <p>(ii) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०५ सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना -०५ सीटें</p> <p>(iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-०५ सीटें</p> <p>(v) पंचकर्म-०५ सीटें</p> <p>पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०६/२०१५-ई पी. (आई एम-१) दिनांक १७.०८. २०१५</p>
130.	<p>गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल तमारा रोड़ निपानिया रेवा मध्य प्रदेश - ४८६००१</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३१ के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०५ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई।</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३१/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में ०५ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०७/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५</p>
131.	<p>अजीवन स्वास्थ्य सर्वधन आयुर्वेद महाविद्यालय आरोग्यधाम, दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट चित्राकोट, जिला स्तना - ४८५३३१ मध्य प्रदेश</p>	<p>गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुसंशा नहीं की गई।</p>	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई।</p> <p>पत्र क्रमांक आर-१२०११/०८/२००७-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५</p>
132.	<p>पं. खुशीलाल शर्मा, गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज साईसिज हिल्स, बिहाइंड मानित नेहरू नगर कोलार बाईपास रोड़ भोपाल मध्य प्रदेश- ४६२००३</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३१ के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २५ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:-</p> <p>(i) स्वस्थवृत्त-०४ सीटें</p> <p>(ii) द्रव्यगुण-०५ सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र -०५ सीटें</p> <p>(iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-०६ सीटें</p>	<p>भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३१/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २५ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>(i) स्वस्थवृत्त-०४ सीटें</p> <p>(ii) द्रव्यगुण-०५ सीटें</p> <p>(iii) रसशास्त्र -०५ सीटें</p> <p>(iv) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान-०६ सीटें</p> <p>(v) पंचकर्म-०५ सीटें</p>

		(v) पंचकर्म-०५ सीटें	पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०८/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
133.	राजीव गाँधी आयुर्वेद महाविद्यालय ई-८, तिरलंगा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल मध्य प्रदेश -४६२०३६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/१०६/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
134.	रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पी.जी. कॉलेज एवं हॉस्पिटल कलॉ भादभाडा रोड़ भोपाल मध्य प्रदेश- ४६२०४४	-----	शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-१७०११/११०/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०२.०६.२०१४
135.	वीणावादिनी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल अकबरपुरा फेस - २ बिहाइन्ड कान्हा कुंज कोलार रोड, भोपाल मध्य प्रदेश - ४६२०४२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/१११/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १७.०८.२०१५
136.	ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जामठी, पो.ओ. भारत भारती, बेतूल-४६०००१ मध्य प्रदेश	गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुसंशा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/११२/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २३.१०.२०१५
137.	भंवर लाल नहाता स्मृति संस्थान, मंदसूर इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एवं रिसर्च मंदसूर इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एवं रिसर्च महोव - नीममूच रोड, ओपो. कृषि उपज मंडी मंदसूर मध्य प्रदेश -४५८००१	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/१०/२००६-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
138.	भानवर लाल नहाता स्मृति संस्थान, मंदसूर इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एवं रिसर्च मंदसूर	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १६७०, की धारा १३क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ५०

	इन्सट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एवं रिसर्च महोव - नीममूच रोड, ओपो. कृषि उपज मंडी मंदसूर मध्य प्रदेश - ४५२००१	पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१२०११/१०/२००६-ई पी.(आई एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
139.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय ५२३/२, रास्ता पेट, पुणे महाराष्ट्र-४११०११	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु १०० सीटों के लिए तथा १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ५७ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०३ सीटें (ii) रचनाशारीर-०५ सीटें (iii) क्रियाशारीर-०४ सीटें (iv) द्रव्य गुण-०३ सीटें (v) रसशास्त्र -०५ सीटें (vi) संज्ञाहरण-०३ सीटें (vii) रोगनिदान-०४सीटें (viii) स्वस्थवृत्त-०२ सीटें (ix) अगदतंत्र एवं विधिवैद्यक-०४ सीटें (x) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०४ सीटें (xi) कायचिकित्सा-०६ सीटें (xii) शल्यसामान्य-०४ सीटें (xiii) शालाक्य-०४ सीटें (xiv) पंचकर्म-०४ सीटें (xv) कौमारभृत्य-०२ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों के लिए तथा १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ५७ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०३ सीटें (ii) रचनाशारीर-०५ सीटें (iii) क्रियाशारीर-०४ सीटें (iv) द्रव्य गुण-०३ सीटें (v) रसशास्त्र -०५ सीटें (vi) रोगनिदान-०४सीटें (vii) स्वस्थवृत्त-०२ सीटें (viii) अगदतंत्र -०४ सीटें (ix) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०४ सीटें (x) कौमारभृत्य-०२ सीटें (xi) कायचिकित्सा-०६ सीटें (xii) शल्य संज्ञाहरण-०३ सीटें (xiii) शल्यसामान्य-०४ सीटें (xiv) शालाक्य-०४ सीटें (xv) पंचकर्म-०४ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/११४/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २२.०७.२०१५
140.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय २०६२, सदाशिव पीठ विजयानगर कॉलोनी, पुणे महाराष्ट्र- ४११०३०	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०३ सीटें (ii) रचनाशारीर-०३ सीटें (iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०३ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०३ सीटें (ii) रचनाशारीर-०३ सीटें (iii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०३ सीटें पत्र क्रमांक

			आर-१७०११/२१०/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
141.	आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय गणेशवाडी, नियर गदग महाराज बिन्न पंचवटी, नासिक महाराष्ट्र-४२२००३	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा-०५ सीटें (ii) शल्य तंत्र- ०४ सीटें (iii) पंचकर्म-०१ सीट	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से शैक्षिक सत्र २०१६-२० तक (पांच वर्ष से ज्यादा नहीं) स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा-०५ सीटें (ii) शल्य तंत्र- ०४ सीटें (iii) पंचकर्म-०१ सीट पत्र क्रमांक आर-१७०११/११५/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५
142.	श्री गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय विश्रामबाग, मालावाडा तिलक रोड, अहमदनगर महाराष्ट्र-४१४००१	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/११६/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०६.०६.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-१७०११/११६/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०६.०६.२०१४
143.	कर्मवीर व्यंकटराव तानाजी रंधीर आयुर्वेद कॉलेज, बुराडी, तालुका शिरपुर, जिल धुले पोस्ट- बुराडी तालुका- शिरपुर जिला-धुले महाराष्ट्र-४२५४२८	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ३० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ३० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/११७/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
144.	वसंत दादा पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, संगली संगली - मिराज रोड साउथ शिवाजी नगर, संगली महाराष्ट्र-४१६४१६	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति पत्र जारी करने की अनुसंशा की गई।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पत्र क्रमांक आर-१७०११/११८/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २०.०७.२०१५

145.	श्री विवेकानंद नर्सिंग होम ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय ए/पी- रहूरी फैक्ट्री तालुका- रहूरी जिला - अहमदानगर महाराष्ट्र-४१३७०६	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/११९/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक ०१.०८.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है पत्र क्रमांक आर-१७०११/११९/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.०८.२०१४
146.	महाराष्ट्र आरोग्य मण्डलस सुमतीभाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय क्रम संख्या १६५ ए, मालवाडी, हदापसर, पुणे महाराष्ट्र-४११०२८	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा १३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ७८ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०६ सीटें (ii) रचनाशारीर-०६ सीटें (iii) क्रियाशारीर-०६ सीटें (iv) द्रव्य गुण-०६ सीटें (v) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-०६ सीटें (vi) रोगनिदान-०६ सीटें (vii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०६ सीटें (viii) अगदतंत्र -०६ सीटें (ix) कायचिकित्सा-०६ सीटें (x) शल्य तंत्र-०६ सीटें (xi) स्वस्थवृत्त-०६ सीटें (xii) शालाक्य (नेत्र)-०६ सीटें (xiii) पंचकर्म-०६ सीटें तथा निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए १० सीटें तथा प्रत्येक विषय में ०५ सीटें (i) आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा १३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ७८ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०६ सीटें (ii) रचनाशारीर-०६ सीटें (iii) क्रियाशारीर-०६ सीटें (iv) द्रव्य गुण-०६ सीटें (v) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना-०६ सीटें (vi) रोगनिदान-०६ सीटें (vii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०६ सीटें (viii) अगदतंत्र -०६ सीटें (ix) कायचिकित्सा-०६ सीटें (x) शल्य तंत्र-०६ सीटें (xi) स्वस्थवृत्त-०६ सीटें (xii) शालाक्य (नेत्र)-०६ सीटें (xiii) पंचकर्म-०६ सीटें तथा निम्नलिखित ०२ स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए १० सीटें तथा प्रत्येक विषय में ०५ सीटें (i) आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स (ii) रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना पत्र क्रमांक आर-१७०११/१२०/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०९.२०१५
147.	पुणे जिला एजुकेशन एसोसिएशन, कोलेज ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेन्टर सेक्टर न०. २५, प्राधिकरण,	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/१२१/२०१४-ईपी (आई	शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ तक महाविद्यालय को पाँच साल की अनुमति दी जा चुकी है

	नियर विट्ठल रुक्मनी मंदिर, निगडी, पुणे - ४११०४४ एम.एस. महाराष्ट्र-४११०४४	एम-१) दिनांक ०१.०८.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पत्र क्रमांक आर-१७०११/१२१/२०१४-ईपी(आई एम-१) दिनांक ०१.०८.२०१४
148.	संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय नासिक- पुणे हाईवे, संगमनेर जिला- अहमदनगर महाराष्ट्र-४२२६०५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १५ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (i) कायचिकित्सा-०५ सीटें (ii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०५ सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-०५ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १५ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) कायचिकित्सा-०५ सीटें (ii) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०५ सीटें (iii) शालाक्य तंत्र-०५ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/१२२/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक १५.०८.२०१५
149.	सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय पिम्पराणे रोड, संगमनेर खुर्द, तालुका. संगमनेर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र-४२२६०५	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग के अधीन सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए तथा ०७ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २४ सीटों के लिए महाविद्यालय को सशर्त अनुमति पत्र जारी करने हेतु अनुसंशा की गई:- (iv) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०२ सीटें (v) कौमारभृत्य-०२ सीटें (vi) शल्यतंत्र-०२ सीटें (vii) कायचिकित्सा-०२ सीटें (viii) रचनाशारीर-०४ सीटें (ix) संस्कृत संहिता एवं सिद्धांत-०६ सीटें (x) रोगनिदान-०६ सीटें	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम १९७०, की धारा १३ग/क के अधीन शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए तथा ०७ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २४ सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) प्रसूति एवं स्त्रीरोग-०२ सीटें (ii) कौमारभृत्य-०२ सीटें (iii) शल्यतंत्र-०२ सीटें (iv) कायचिकित्सा-०२ सीटें (v) रचनाशारीर-०४ सीटें (vi) संस्कृत संहिता एवं सिद्धांत-०६ सीटें (vii) रोगनिदान-०६ सीटें पत्र क्रमांक आर-१७०११/१२३/२०१५-ई पी.(आई एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
150.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय विश्वशांती धाम ऑफ केसनन्द रोड महाराष्ट्र-४१२२०७	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६ सीटों हेतु

		के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) कायचिकित्सा-०३ सीटें (२) संहिता-०३ सीटें एवं (३) रचना शरीर-०३ सीटें	सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः (१) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (२) रचना शरीर एवं (३) कायचिकित्सा आर.-१७०११/१२४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
151.	छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण, संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय कंचनवाडी, पैथान रोड, औरांगाबाद महाराष्ट्र-४३१००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) रचना भारीर-०६ सीटें (२) कायचिकित्सा-०६ सीटें (३) प्रसूति एवं स्त्री रोग-०६ सीटें (४) कौमारभृत्य-०६ सीटें (५) शल्य -०६ सीटें (६) संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (७) रोग निदान-०६ सीटें (८) द्रव्य गुण-०६ सीटें (९) अगद तंत्र-०६ सीटें (१०) पंचक्रम ०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः (१) अगद तंत्र (२) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (३) द्रव्य गुण (४) कौमारभृत्य (५) कायचिकित्सा (६) पंचकर्म (७) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (८) रचना शरीर (९) रोग निदान एवं (१०) शल्य तंत्र आर. -१७०११/१२५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ३०.०७.२०१५
152.	गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज तुलजापुर रोड ओसमानाबाद महाराष्ट्र- ४३२५०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०२ सीटें एवं (२) शल्य तंत्र-०२ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः (१) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०२ सीटें एवं (२) शल्य तंत्र-०२ सीटें आर. -१७०११/१२६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
153.	सेठ चन्दनमल मुथा आयुर्वेद वैद्यक महाविद्यालय आई.टी.आई रोड नजदीक राम ध्यान मंदिर गेदामल सतारा	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा

	महाराष्ट्र - ४१५००२	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषय में ०३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) कायचिकित्सा	१३१/१३३ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ०३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्: (१) कायचिकित्सा आर. -१७०११/१२७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.०८.२०१५
154.	सेठ गोविन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय २१/ए./१३, बुधवार पेट, सम्राट चौक, सोलापुर महाराष्ट्र - ४१३००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३१ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ०५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई : (१) कायचिकित्सा-०५ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३१/१३३ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ०५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्: (१) कायचिकित्सा-०५ सीटें आर. -१७०११/१२८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २०.०७.२०१५
155.	यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेन्टर, कोडोली ए/पी कोडोली तालुका पनहाला, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र -४१६११४	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३१ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) आयुर्वेद संहिता (२) कायचिकित्सा (३) रसशास्त्र (४) रचना शरीर (५) स्वस्थवृत् (६) प्रसूति एवं स्त्री रोग (७) कौमारभृत्य (८) शल्य तंत्र (सामान्य) (९) रोग निदान (१०) अगद तंत्र (११) शालाक्य तंत्र (१२) क्रिया शरीर (१३) द्रव्य गुण विज्ञान (१४) पंचकर्म एवं (१५) संज्ञाहरण	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० शैक्षिक सत्र तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३१/१३३ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामतः- (१) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत (२) रचना शरीर (३) क्रिया शरीर (४) द्रव्य गुण (५) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (६) रोग निदान (७) स्वस्थवृत् (८) अगद तंत्र (९) प्रसूति एवं स्त्री रोग (१०) कौमारभृत्य (११) कायचिकित्सा (१२) संज्ञाहरण (१३) शल्य तंत्र (१४) शालाक्य तंत्र एवं (१५) पंचकर्म आर. -१७०११/१२६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५

156.	हनुमान शिक्षा प्रसारक मण्डल सावरडे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पेट, वाडेगाँव, जिला कोल्हापुर-४१६११२ महाराष्ट्र	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१३०/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
157.	गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, १४७/ए गंगा हॉस्पिटल बिल्डिंग रानकल्वेस दुधाली, जिला. कोल्हापुर-४१६०१२ महाराष्ट्र	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु प्रवेश लेने हेतु अनुमति नहीं दी गई। आर. -१७०११/१३१/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ३०.१०.२०१५
158.	श्रीमती के.सी. अजमेर आयुर्वेद महाविद्यालय दयासागर एजुकेशनल कैंम्पस, आगरा रोड, देवपुर, धुले महाराष्ट्र- ४२४००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. -१७०११/१३२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
159.	दादा साहेब सूरुपसिंह नायक आयुर्वेद महाविद्यालय सुवालाल बफना, विद्यानगर, तालुका एवं पोस्ट -नागौन, जिला धुले -४२४००४ महाराष्ट्र	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. -१७०११/१३३/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०७.०९.२०१५
160.	किसान दन्योदेय मण्डल गुद्वेज आयुर्वेद कॉलेज धुले रोड चालिसगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र-४२४१०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर. -१७०११/१३४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५

161.	चैतन्या आयुर्वेद महाविद्यालय एन.एच.६ चैतन्यावन, साकेगांव भुसावल जिला जलगांव महाराष्ट्र-४२५२०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर. - १७०११/१३५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
162.	आर.ए. पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज डॉ. अन्नी बसंत रोड बरैली मुम्बई महाराष्ट्र-४०००१८	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में १०० सीटों एवं १३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में ४२ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई। नामतः (१) आयुर्वेद संहिता-०३ सीटें (२) द्रव्यगुण-०२ सीटें (३) रसशास्त्र-०३ सीटें (४) शल्य तंत्र-०४ सीटें (५) शरीर क्रिया-०२ सीटें (६) कार्यचिकित्सा-०८ सीटें (७) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग-०५ सीटें (८) रचना शरीर-०३ सीटें (९) स्वस्थवृत्त-०२ सीटें (१०) शालाक्य तंत्र-०३ सीटें (४ सीटों की बजाय) (११) रोगनिदान-०२ सीटें (१२) अगद तंत्र-०१ सीटें एवं (१३) पंचकर्म-०४ सीटें (६ सीटों की बजाय)	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ३५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः (१) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०३ सीटें (२) द्रव्यगुण विज्ञान-०२ सीटें (३) रसशास्त्र एवं भैशज्य कल्पना-०३ सीटें (४) भाल्य तंत्र-०४ सीटें (५) क्रिया भारी-०२ सीटें (६) काया चिकित्सा-०८ सीटें (७) प्रसूति एवं स्त्री रोग-०८ सीटें (८) रचना भारी-०३ सीटें (९) स्वस्थवृत्त एवं योगा-०२ सीटें (१०) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०२ सीटें एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ११ सीटों हेतु अनुमति नहीं दी गई नामतः- (१) शालाक्य तंत्र (२) अगद तंत्र-०१ सीट (३) पंचकर्म-०६ सीटें आर. - १७०११/१३६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५ एवं १६.१०.२०१५
163.	श्रीमती कमलादेवी गौरीदत्त मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय वैद्य रामगोपाल शर्मा चौक नेताजी सुभाष रोड, चरनी रोड (पश्चिम), जिला मुम्बई- ४००००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई एवं ०४ स्नातकोत्तर

		<p>भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई नामतः</p> <p>(१) कायचिकित्सा-८सीटें</p> <p>(२) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें</p> <p>(३) द्रव्यगुण-०२ सीटें एवं</p> <p>(४) रसशास्त्र-०२ सीटें</p>	<p>पाठ्यक्रम में १६ सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार अर्थात्।</p> <p>(१) कायचिकित्सा-८सीटें</p> <p>(२) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें</p> <p>(३) द्रव्यगुण-०२ सीटें एवं</p> <p>(४) रसशास्त्र-०२ सीटें</p> <p>आर. -१७०११/१३७/२०१५-ई.पी.</p> <p>(आई.एम-१) दिनांक २७.०८.२०१५</p>
164.	<p>आयुर्विद्या प्रसारक मण्डल आयुर्वेद महाविद्यालय नजदीक सयान रेलवे स्टेशन सिंयान, मुम्बई महाराष्ट्र-४०००२२</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में ५० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में ०६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः</p> <p>(१) कायचिकित्सा-०२ सीटें,</p> <p>(२) संहिता सिद्धांत-०२ सीटें एवं</p> <p>(३) द्रव्यगुण-०२ सीटें</p>	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः</p> <p>(१) कायचिकित्सा-०२ सीटें</p> <p>(२) संहिता सिद्धांत-०२ सीटें एवं</p> <p>(३) द्रव्यगुण-०२ सीटें</p> <p>आर. -१७०११/१३८/२०१५-ई.पी.</p> <p>(आई.एम-१) दिनांक ०८.०९.२०१५</p>
165.	<p>डॉ. जी.डी. पोल फाउन्डेशन वाई.एम. टी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, संस्थानिक क्षेत्र सेक्टर-४, खारघर नवी मुम्बई महाराष्ट्र-४१०२१०</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में १०० सीटों एवं १३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में ५४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः</p> <p>(१) रचना शरीर-०४ सीटें</p> <p>(२) क्रिया शरीर-०४ सीटें</p> <p>(३) द्रव्यगुण-०४ सीटें</p> <p>(४) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०८ सीटें</p> <p>(५) कायचिकित्सा-०४ सीटें</p> <p>(६) शल्य तंत्र (सामान्य)-०२ सीटें</p> <p>(७) शल्य तंत्र (क्षार कर्म एवं अनुशास्त्र कर्म)-०४ सीटें</p> <p>(८) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें</p> <p>(९) संहिता सिद्धांत-०४ सीटें</p> <p>(१०) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०४ सीटें</p>	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ५४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः</p> <p>(१) रचना शरीर-०४ सीटें</p> <p>(२) क्रिया शरीर-०४ सीटें</p> <p>(३) द्रव्यगुण-०४ सीटें</p> <p>(४) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०८ सीटें</p> <p>(५) कायचिकित्सा-०४ सीटें</p> <p>(६) शल्य तंत्र (सामान्य)-०२ सीटें</p> <p>(७) शल्य तंत्र (क्षार कर्म एवं अनुशास्त्र कर्म)-०४ सीटें</p> <p>(८) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें</p> <p>(९) संहिता सिद्धांत-०४ सीटें</p> <p>(१०) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०४ सीटें</p> <p>(११) अगद तंत्र-०४ सीटें</p>

		(११) अगद तंत्र-०४ सीटें (१२) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०४ सीटें एवं (१३) पंचकर्म-०४ सीटें	(१२) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०४ सीटें एवं (१३) पंचकर्म-०४ सीटें आर. -१७०११/१३६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
166.	आर.जे.वी.एस. भाईसाहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालय सुतीकगृह परिसर, खासक्रीलवाडा सावंतवाडी तालुका-सावंतवाडी जिला सिन्धुदुर्ग महाराष्ट्र ४१६५१०	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी गई। आर. -१७०११/१४०/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ३०.०७.२०१५
167.	नालासोपारा आयुर्वेद कॉलेज (स्वर्गीय श्री सुरेश नरसिंग दुबे) सूवेरी न०. ११२, मेडिकल कॉलेज रोड़, नाल्लासपोरा ई, तालुका-वसई जिला-पालघर थाणे महाराष्ट्र-४०१२०६	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/१४१/२०१४-ईपी (आई.एम-१) दिनांक २४.०६.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पहले से ही कालेज को वर्ष २०१८-१९ तक (०५ वर्ष से अधिक नहीं) की अनुमति प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर -१७०११/१४१/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २४.०६.२०१४
168.	भाऊ साहेब मौलक आयुर्वेद महाविद्यालय ग्रेट नाग रोड़ नन्दनवान महाराष्ट्र- ४४०००६ नागपुर	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में ६० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें (२) रचना भारीर-०३ सीटें (३) क्रिया भारीर-०२ सीटें (४) रसशास्त्र एवं भैशज्य कल्पना -०४ सीटें (५) स्वस्थवृत्त-०३ सीटें (६) द्रव्यगुण-०१ सीट (७) अगद तंत्र-०३ सीटें (८) कौमारभृत्य-०२ सीटें (९) कायचिकित्सा-०१ सीट	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः (१) संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें (२) रचना भारीर-०३ सीटें (३) क्रिया भारीर-०२ सीटें (४) रसशास्त्र एवं भैशज्य कल्पना -०४ सीटें (५) स्वस्थवृत्त-०३ सीटें (६) द्रव्यगुण-०१ सीट (७) अगद तंत्र-०३ सीटें (८) कौमारभृत्य-०२ सीटें (९) कायचिकित्सा-०१ सीट आर. -१७०११/१४२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०५.०८.२०१५

169.	<p>गर्वमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय सककरदारा सक्वेयर उमरेद रोड सककरदारा सक्वेयर उमीद रोड नागपुर महाराष्ट्र - ४४००२४</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रमों में १०० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २१ सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः</p> <ol style="list-style-type: none"> (१) रचना शरीर-०४ सीटें (२) क्रिया शरीर-०४ सीटें (३) रसशास्त्र-०२ सीटें (४) स्वस्थवृत्त-०१ सीट (५) रोग निदान-०१ सीट (६) अगद तंत्र-०३ सीटें (७) शल्य तंत्र (सामान्य)-०३ सीटें (८) शालाक्य तंत्र-०१ सीट एवं (९) कायचिकित्सा-०२ सीटें 	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु १०० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २१ सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई नामतः</p> <ol style="list-style-type: none"> (१) रचना शरीर-०४ सीटें (२) क्रिया शरीर-०४ सीटें (३) रसशास्त्र-०२ सीटें (४) स्वस्थवृत्त-०१ सीट (५) रोग निदान-०१ सीट (६) अगद तंत्र-०३ सीटें (७) शल्य तंत्र (सामान्य)-०३ सीटें (८) शालाक्य तंत्र-०१ सीट एवं (९) कायचिकित्सा-०२ सीटें <p>आर. - १७०११/१४३/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५</p>
170.	<p>श्री आयुर्वेद महाविद्यालय हनुमान नगर करीदा चौक नागपुर महाराष्ट्र- ४४०००६</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु ७० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर विषयों में ३४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए संस्तुति की गई नामतः</p> <ol style="list-style-type: none"> (१) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (२) रचना शरीर-०४ सीटें (३) क्रिया शरीर-०३ सीटें (४) द्रव्यगुण-०३ सीटें (५) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०६ सीटें (६) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०३ सीटें (७) शल्य तंत्र-०४ सीटें (८) शालाक्य तंत्र-०३ सीटें एवं (९) पंचकर्म-०२ सीटें एवं ०४ स्नातकोत्तर विषयों हेतु संस्तुति नहीं की गई नामतः-स्वस्थवृत्त, अगद तंत्र, कौमारभृत्य एवं कायचिकित्सा 	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु ७० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में १८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई नामतः</p> <ol style="list-style-type: none"> (१) क्रिया शरीर-०३ सीटें (२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०६ सीटें (३) द्रव्यगुण-०३ सीटें एवं (४) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०६ सीटें एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २६ सीटों हेतु अनुमति देने से इंकार नामतः (१) रचना शरीर-०४ सीटें (२) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०३ सीटें (३) स्वस्थवृत्त-०३ सीटें (४) अगद तंत्र-०३ सीटें (५) शल्य तंत्र-०४ सीटें (६) शालाक्य तंत्र-०३ सीटें (७) पंचकर्म-०२ सीटें (८) कौमारभृत्य-०२ सीटें एवं

			(६) कायचिकित्सा-०५ सीटें आर. -१७०११/१४४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०६.२०१५
171.	राधाकृष्ण तोषनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय कोडिया प्लॉटस, जथारपेट रोड अकोला महाराष्ट्र- ४४४००५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु ५० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए संस्तुति की गई नामतः (१) कायचिकित्सा-०३ सीटें (२) शल्य तंत्र-०३ सीटें (३) रचना शरीर-०२ सीटें (४) संहिता एवं सिद्धांत-०२ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु ५० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई नामतः (१) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-०२ सीटें (२) रचना शरीर-०२ सीटें (३) कायचिकित्सा-०३ सीटें एवं (४) शल्य तंत्र-०३ सीटें आर. -१७०११/१४५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
172.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय धन्वन्तरी नगर छात्री तलाव रोड़ अमृतवटी महाराष्ट्र-४४४६०६	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु ५० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में ०८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए संस्तुति की गई नामतः (१) शल्य तंत्र-०३ सीटें (२) शालाक्य तंत्र-०१ सीट (३) स्वस्थवृत्त- ०२ सीटें एवं (४) कायचिकित्सा-०२ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु ५० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई अर्थात् नामतः (१) स्वस्थवृत्त-०२ सीटें (२) कायचिकित्सा-०२ सीटें (३) शल्य तंत्र-०३ सीटें एवं (४) शालाक्य तंत्र-०१ सीट आर. -१७०११/१४६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०३.०८.२०१५
173.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुदेव नगर गुरुकुंज आश्रम मोजरी अमरावती महाराष्ट्र-४४४६०२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों में प्रवेश लेने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. -१७०११/१४७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
174.	दयाभाई माओजी मैजीथिया आयुर्वेद महाविद्यालय शिवाजी नगर अरनी रोड़ यवतमाल महाराष्ट्र-४४५००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०६	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०२

		सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) कायचिकित्सा-०३ सीटें (२) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०३ सीटें	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात:- (१) कायचिकित्सा-०३ सीटें (२) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०३ सीटें आर. -१७०११/१४८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
175.	श्री गजानन महाराज संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय वासिम रोड़ निम्बी, तालुका पुसाद, जिला यवतमाल -४४५२०४ महाराष्ट्र	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों में प्रवेश लेने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. -१७०११/१४८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
176.	वन्दानातई ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय नियर रेनुका माता मंदिर बालापुर रोड़ पातुर - ४४४६०१ अकोला महाराष्ट्र	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में १२ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) शल्य तंत्र-०६ सीटें एवं (२) कायचिकित्सा-०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० शैक्षिक सत्र तक (०५ वर्ष की समय अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति प्रदान की गई अर्थात:- (१) शल्य तंत्र-०६ सीटें एवं (२) कायचिकित्सा-०६ सीटें आर. -१७०११/१५०/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
177.	स्व. सुनील रामसिंहजी चुनावाले आयुर्वेद कॉलेज दीनदयाल नगर, चिखली जिला बुलदाना महाराष्ट्र-४४३२०१	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/१५१/२०१४-ईपी (आई.एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पहले से ही कॉलेज को वर्ष २०१८-१९ तक ०५ वर्ष से अधिक नहीं की अनुमति प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर -१७०११/१५१/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१४
178.	महादेवराव शिवाकर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट गोंदिया एम.एस कुडवा, तालुका गोंदिया जिला एम.एस. महाराष्ट्र -४४१६१४	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की समय अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई अर्थात:-

			आर.-१७०११/१५२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५
179.	श्री सप्तश्रुंगी आयुर्वेद महाविद्यालय हॉस्पिटल, नासिक जिला नासिक महाराष्ट्र कमल नगर, हिरावाडी पंचवटी नासिक महाराष्ट्र - ४२२००३	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/१५३/२०१४-ईपी (आई.एम-१) दिनांक ०४.०८.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पहले से ही कालेज को वर्ष २०१८-१९ तक ०५ वर्ष से अधिक नहीं की अनुमति प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर -१७०११/१५३/२०१५-ई. पी. (आई.एम-१) दिनांक ०४.०८.२०१४
180.	स्व० केदारी रेडेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय गाधिगंलाज पी-२, एमआईडीसी एरिया, शेंद्री माल, गाधिगंलाज, जिला- कोल्हापुर महाराष्ट्र -४१६५०२ कोल्हापुर	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/१५४/२०१४-ईपी (आई.एम-१) दिनांक २८.०७.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पहले से ही कालेज को वर्ष २०१८-१९ तक ०५ वर्ष से अधिक नहीं की अनुमति प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर -१७०११/१५४/२०१५-ई. पी. (आई.एम-१) दिनांक २८.०७. २०१४
181.	परवारा मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेद कॉलेज एवं श्री एकनाथ आयुर्वेद रुग्णालय शेवगांव तालुका-शेवगांव महाराष्ट्र -४१४५०२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३३ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ८० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३२ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) रचना शरीर-०६ सीटें (२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें (३) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०५ सीटें (४) कायचिकित्सा-०६ सीटें (५) द्रव्यगुण-०३ सीटें (६) शालाक्य तंत्र एवं नेत्र रोग-०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० शैक्षिक सत्र तक (०५ वर्ष की समय अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३३/१३३ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ८० सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३२ सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई अर्थात:- (१) रचना शरीर-०६ सीटें (२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें (३) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०५ सीटें (४) कायचिकित्सा-०६ सीटें (५) द्रव्यगुण-०३ सीटें (६) शालाक्य तंत्र एवं नेत्र रोग-०६ सीटें आर. -१७०११/१५५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०८.०६.२०१५
182.	डॉ० डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेन्टर, पिम्परी, पुणे संत तुकाराम नगर, पिम्परी पुणे-४११०१८ महाराष्ट्र	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३३/१३३ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ७५ सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में ४८ सीटों हेतु सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष से अधिक	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३३/१३३ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ७५ सीटों एवं ०६ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में ४८ सीटों हेतु (०५ वर्ष की अवधि से

		<p>नहीं) अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः</p> <p>(१) संहिता-०६ सीटें (२) रचना शरीर-०६ सीटें (३) प्रसूति तंत्र-०४ सीटें (४) कायचिकित्सा-०४ सीटें (५) शल्य तंत्र-०४ सीटें (६) क्रिया शरीर-०६ सीटें (७) स्वस्थवृत-०६ सीटें (८) रसशास्त्र एवं भैशज्य कल्पना-०६ सीटें एवं (९) पंचकर्म-०६ सीटें</p>	<p>अधिक नहीं) अनुमति प्रदान की गई नामतः-</p> <p>(१) संहिता-०६ सीटें (२) रचना शरीर-०६ सीटें (३) प्रसूति तंत्र-०४ सीटें (४) कायचिकित्सा-०४ सीटें (५) शल्य तंत्र-०४ सीटें (६) क्रिया शरीर-०६ सीटें (७) स्वस्थवृत-०६ सीटें (८) रसशास्त्र एवं भैशज्य कल्पना-०६ सीटें एवं (९) पंचकर्म-०६ सीटें आर. -१७०११/१५६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१५</p>
183.	<p>गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वजीराबाद, नान्देड वजीराबाद महाराष्ट्र-४३३१६०१</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः</p> <p>(१) आयुर्वेद संहिता-०२ सीटें (२) रचना शरीर-०३ सीटें (३) क्रिया शरीर-०४ सीटें (४) द्रव्य गुण-०२ सीटें (५) रसशास्त्र-०२ सीटें (६) रोगनिदान एवं विकृति निदान-०२ सीटें (७) स्वस्थवृत एवं योगा-०२ सीटें (८) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०२ सीटें (९) कौमारभृत्य-०३ सीटें (१०) कायचिकित्सा-०४ सीटें (११) शल्य तंत्र (सामान्य)-०४ सीटें एवं (१२) शालाक्य तंत्र-०५ सीटें</p>	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः</p> <p>(१) आयुर्वेद संहिता-०२ सीटें (२) रचना शरीर-०३ सीटें (३) क्रिया शरीर-०४ सीटें (४) द्रव्य गुण-०२ सीटें (५) रसशास्त्र-०२ सीटें (६) रोगनिदान एवं विकृति निदान-०२ सीटें (७) स्वस्थवृत एवं योगा-०२ सीटें (८) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०२ सीटें (९) कौमारभृत्य-०३ सीटें (१०) कायचिकित्सा-०४ सीटें (११) शल्य तंत्र (सामान्य)-०४ सीटें एवं (१२) शालाक्य तंत्र-०५ सीटें आर. -१७०११/१५७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५ एवं २१.१०.२०१५</p>
184.	<p>जुपिटर आयुर्वेद कॉलेज एवं तारानी आयुर्वेद हॉस्पिटल शंकरपुरा, पोस्ट-खपरी, तहसील- जिला नागपुर महाराष्ट्र-४४११०८</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. -१७०११/१५८/२०१५-ई.पी.</p>

		सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई	(आई.एम-१) दिनांक ०६.१०.२०१५
185.	सम्मानীয় श्री अन्नासाहेब डांगे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ए/पी- अष्टा तालुका - वालवा जिला- सांगली महाराष्ट्र - ४१६३०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं १२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में ६४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई यानी: (१) पंचकर्मा-०३ सीटें (२) कौमारभृत्य-०५ सीटें (३) संज्ञाहरण-०५ सीटें (४) रचना शरीर-०६ सीटें (५) क्रिया शरीर-०५ सीटें (६) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०५ सीटें (७) शल्य तंत्र - ०५ सीटें (८) संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (९) कायचिकित्सा-०६ सीटें (१०) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०६ सीटें (११) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र-०६ सीटें (१२) शालाक्य तंत्र-०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० शैक्षिक सत्र तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं १२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६४ सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामत:- (१) पंचकर्मा-०३ सीटें (२) कौमारभृत्य-०५ सीटें (३) संज्ञाहरण-०५ सीटें (४) रचना शरीर-०६ सीटें (५) क्रिया शरीर-०५ सीटें (६) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०५ सीटें (७) शल्य तंत्र - ०५ सीटें (८) संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (९) कायचिकित्सा-०६ सीटें (१०) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०६ सीटें (११) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र-०६ सीटें (१२) शालाक्य तंत्र-०६ सीटें आर. -१७०११/१५६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
186.	मंजारा आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल जे.पी.स्कूल गांधी मैदान लातूर महाराष्ट्र -४१३५१२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत: (१) रचना शरीर-०४ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ०४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत:- (१) रचना शरीर-०४ सीटें आर. -१७०११/१६०/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०५.०८.२०१५
187.	बाल भगवान शिक्षण प्रसारक मण्डलस धन्वतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदगिर देगलूर रोड, उदगिर जिला-लातूर महाराष्ट्र - ४१३५१७	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/१६१/२०१४-ई.पी (आई एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१४	पहले से ही कालेज को वर्ष २०१८-१९ तक (०५ वर्ष से अधिक नहीं) की अनुमति प्रदान की गई है। पत्र संख्या आर -१७०११/१६१/२०१५-ई.

		के द्वारा ०५ (पॉच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पी. (आई.एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१५
188.	अश्विन रुरल आयुर्वेद कॉलेज मांचीहिल, अश्वि बी.के. तालुका- संगमनेर, जिला- अहमदनगर महाराष्ट्र -४१३७१४	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना- ०६ सीटें (२) कायचिकित्सा-०६ सीटें (३) शल्य तंत्र -०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई यानी:- (१) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना- ०६ सीटें (२) कायचिकित्सा-०६ सीटें (३) शल्य तंत्र -०६ सीटें आर -१७०११/१६२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
189.	बी.एस.एस.एस.एस. रामराव पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय एवं रुग्णालय बस स्टैण्ड रोड, पुरना तालुका पुरना जिला प्रभानी तकली रोड, पुरना तालुका पुरना जिला प्रभानी महाराष्ट्र- ४३१५११	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर -१७०११/१६३/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १२.०८.२०१५
190.	लोकनेते राजारामबापू पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, पी.जी. इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सेन्टर, उरुन इस्लामपुर उरुन - इस्लामपुर सांगली रोड इस्लामपुर तालुका- वाल्वा, जिला-सांगली महाराष्ट्र- ४१५४०६	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) स्वस्थवृत्त-०६ सीटें (२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें (३) अगद तंत्र एवं विधिवैद्यका-०६ सीटें (४) रोगनिदान-०६ सीटें (५) शल्य तंत्र-०५ सीटें (६) कौमारभृत्य-०६ सीटें (७) कायचिकित्सा-०५ सीटें (८) पंचकर्म-०६ सीटें (९) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०५ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० शैक्षिक सत्र तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ७८ सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई यानी:- (१) स्वस्थवृत्त-०६ सीटें (२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें (३) अगद तंत्र एवं विधिवैद्यका-०६ सीटें (४) रोगनिदान-०६ सीटें (५) शल्य तंत्र-०५ सीटें (६) कौमारभृत्य-०६ सीटें (७) कायचिकित्सा-०५ सीटें (८) पंचकर्म-०६ सीटें (९) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०५ सीटें

		(१०) शालाक्य तंत्र-०६ सीटें (११) द्रव्यगुण-०६ सीटें (१२) छाया एवं विकिरण विज्ञान-०६ सीटें (१३) अस्थि सन्धि एवं मरमागत रोग-०३ सीटें एवं (१४) संज्ञाहरण-०६ सीटें	(१०) शालाक्य तंत्र-०६ सीटें (११) द्रव्यगुण-०६ सीटें (१२) छाया एवं विकिरण विज्ञान-०६ सीटें (१३) अस्थि सन्धि एवं मरमागत रोग-०३ सीटें एवं (१४) संज्ञाहरण-०६ सीटें आर. -१७०११/१६४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
191.	एससीएसई,एस रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड रिसर्च सेन्टर एवं हॉस्पिटल विद्यागिरी, म्यानी तालुका, खटाव, जिला सतारा महाराष्ट्र-४१५१०२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर -१२०११/२६/२००३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०५.०८.२०१५
192.	डॉ. जे.जे. मगदम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जयसिंहपुर सी.एस.न०. २६५, अग्रभाग, शिरोल-वाडी रोड, ए/पी, जयसिंहपुर तालुका, शिरोल जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र-४१६१०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन मौजूदा स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. -१७०११/१६५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
193.	महात्मा गाँधी आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर सलोद-हिरापुर वर्धा महाराष्ट्र- ४४२००४	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के ०८ विषयों में ३८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) संहिता सिद्धांत-०४ सीटें (२) रचनाशरीर-०४ सीटें (३) द्रव्यगुण विज्ञान-०४ सीटें (४) अगद तंत्र-०६ सीटें (५) रसशास्त्र एवं भैषज्य-०६ सीटें (६) कायचिकित्सा-०६ सीटें (७) पंचकर्मा-०६ सीटें (८) शल्य तंत्र-०२ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०८ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई यानी:- (१) संहिता सिद्धांत-०४ सीटें (२) रचनाशरीर-०४ सीटें (३) द्रव्यगुण विज्ञान-०४ सीटें (४) अगद तंत्र-०६ सीटें (५) रसशास्त्र एवं भैषज्य-०६ सीटें (६) कायचिकित्सा-०६ सीटें (७) शल्य तंत्र-०२ सीटें एवं (८) पंचकर्मा-०६ सीटें आर -१२०११/११/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०७.२०१५
194.	अदित्य आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर शरदा इस्टेट नालावादी नाका, पिम्पलनेर रोड बीड-	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन

	महाराष्ट्र-४३११२२	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर -१२०११/०१/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१५
195.	महेश आयुर्वेद कॉलेज, अष्टि, तहसील अष्टि जिला. बीड-४१४२०३ महाराष्ट्र	गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुशंसा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। आर -१२०११/३७/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
196.	एसएमबीटी आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल नन्दी हिल्स, धमनगाँव, तहसील इगतपुरी, जिला नासिक महाराष्ट्र-४२२४०३	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर -१२०११/०२/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
197.	महिला उत्कृष्ट प्रतिष्ठान आयुर्वेद कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर पुण्डलिक नगर देगाव फाटा पोस्ट लिंगा के. तालुका रिसोद जिला वासिम महाराष्ट्र-४४४५०४	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१६-१६ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/३८/२०१४-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २५.०६.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पहले से ही कॉलेज को वर्ष २०१६-१६ तक (०५ वर्ष से अधिक नहीं) की अनुमति प्रदान की गई है। आर -१२०११/३८/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २५.०६.२०१४
198.	एस.एस.यू.डी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड रूरल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर कोली, तालुका करांजा, जिला वासिम महाराष्ट्र	गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुशंसा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। आर -१२०११/१०/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
199.	श्री के.आर. पाण्डव आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल बहादुरा नियर दिघोरी नाका उर्माद रोड नागपुर महाराष्ट्र-४११२०४	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर -१२०११/४३/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१५
200.	पद्मश्री डॉ० डी.वाई पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,

	डॉ० डी.वाई पाटिल विद्यानगर सेक्टर-७ नेरूल नवी मुम्बई, महाराष्ट्र-४००७०६	१९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ४५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) शरीर रचना- ०३ सीटें (२) शरीर क्रिया-०३ सीटें (३) संहिता सिद्धांत -०३ सीटें (४) स्वस्थवृत-०३ सीटें (५) रोग निदान-०३ सीटें (६) शल्य तंत्र-०३ सीटें (७) द्रव्यगुण-०४ सीटें (८) अगद तंत्र-०४ सीटें (९) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें (१०) कायचिकित्सा-०४ सीटें (११) शालाक्य -०३ सीटें एवं (१२) कौमारयभृत्य-०३ सीटें	१९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ४५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः- (१) शरीर रचना- ०३ सीटें (२) शरीर क्रिया-०३ सीटें (३) संहिता सिद्धांत -०३ सीटें (४) स्वस्थवृत-०३ सीटें (५) रोग निदान-०३ सीटें (६) शल्य तंत्र-०३ सीटें (७) द्रव्यगुण-०४ सीटें (८) अगद तंत्र-०४ सीटें (९) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें (१०) कायचिकित्सा-०४ सीटें (११) शालाक्य -०३ सीटें एवं (१२) कौमारयभृत्य-०३ सीटें आर-१२०११/०५/२००३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक ०५.०८.२०१५
201.	महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी, आयुर्वेद महाविद्यालय धानेखुंट-लोते तालुका खेड जिला रत्नागिरी-४१५७२२ महाराष्ट्र	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/१५/२००६-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५
202.	श्रीमती विमलादेवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल नई पोस्ट बॉक्स न०. ३३, मेन जी.पी.ओ. नियर वाटर टैंक चन्द्रपुर महाराष्ट्र-४४२४०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/१३/२००६-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक १६.०७.२०१५
203.	गोपालबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय वी. आई.पी. रोड़ पुरी, उड़िसा- ७५२००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों एवं ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १५ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में (०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बजाय) १३ सीटों (१५ सीटों के बजाय) हेतु सशर्त अनुमति

		(१) कायचिकित्सा- ०७ सीटें (२) शल्य तंत्र-०३ सीटें (३) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०२ सीटें (४) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०१ सीट एवं (५) कौमारभृत्य-०२ सीटें	प्रदान की गई नामतः- (१) कायचिकित्सा- ०७ सीटें (२) शल्य तंत्र-०३ सीटें (३) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०२ सीटें (४) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०१ सीट एवं एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कौमारभृत्य में ०२ सीटों हेतु अनुमति देने से इंकार। आर. -१७०११/१६६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
204.	इन्दिरा गाँधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज, एवं हॉस्पिटल पोखरीपुट, पोस्ट ऑफिस खाडंगिरी भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा उड़ीसा- ७५१०२०	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर. -१७०११/१६७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५
205.	मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय पोस्ट तकतपुर, वाया बारीपाड़ा, जिला मयूरभंज-७५७००३ उड़ीसा	गैर अनुपालन के कारण परिदर्शन नहीं किया गया एवं अनुशंसा नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति देने से इंकार। आर. -१७०११/१६८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
206.	कविराज अनन्त त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय तालूका एवं पो.ओ. अंकुशपुर वाया कुकुडाखण्डो बहरामपुर गंजम उड़ीसा- ७६११००	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु प्रवेश की अनुमति देने से इंकार। आर.-१७०११/१६६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २६.१०.२०१५
207.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज तुलसी नगर, बोलनगीर -७६७००१ उड़ीसा	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१७०/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५

208.	श्री श्री नरसिंगनाथ आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट नरसिंगनाथ पोस्ट-ऑफिस पैकमल जिला-बारगढ़-७६८०३६ उड़ीसा	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१७१/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.०६.२०१५
209.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, मोती बाग रोड़ पटियाला पंजाब- १४७००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति नहीं प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई अर्थात्: (१) रसशास्त्र- ०४ सीटें (२) द्रव्यगुण-०४ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ०८ सीटों हेतु अनुमति देने से इंकार नामत:- (१) रसशास्त्र- ०४ सीटें (२) द्रव्यगुण-०४ सीटें आर. -१७०११/१७२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
210.	देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल अमलोह रोड़, जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब -१४७३०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामत: (१) कायचिकित्सा- ०५ सीटें एवं (२) रसशास्त्र-०५ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामत: (१) कायचिकित्सा- ०५ सीटें एवं (२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०५ सीटें आर. -१७०११/१७३/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ३०.०७.२०१५
211.	श्री सत्या साईं मुरलीधर आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल जी.टी. रोड़, दुने-के-मोगा पंजाब-१४२००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१७४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
212.	माई भागो आयुर्वेदिक कॉलेज फोर वीमेन माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फिरोजपुर रोड़ मुक्तसर पंजाब- १५२०२६	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के

		अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर. - १७०११/१७५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २८.०७.२०१५
213.	गुरु नानक आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल नियर अजित सिनेमा बाराकंडी रोड़ नियर अजित सिनेमा, बाराकंडी रोड़ मुक्तसर पंजाब-१५२०२६	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर. - १७०११/१७६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २३.०७.२०१५
214.	गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट नियर देहलीन गावं व पनालय गोपालपुर, लुधियाना, पंजाब-१४१११८	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१७७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
215.	श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज नियर राधा स्वामी सत्संग भवन फतेहपुर, छब्बल रोड अमृतसर पंजाब-१४३००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१७८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१५
216.	दयानन्द आयुर्वेद कॉलेज महात्मा हंस राज मार्ग जी.टी. रोड, ओपो. बूरल्लन पार्क जालंधर पंजाब-१४४००८	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर. - १७०११/१७९/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०६.०७.२०१५
217.	शहीद करतार सिंह सरभा आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, शहीद करतार सिंह गावं व पोस्ट ऑफिस सरभा तहसील लुधियाना जिला लुधियाना पंजाब-१४११०५	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई।

		सरकार को संस्तुति की गई।	आर. - 9७०११/१८०/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
218.	श्रीमती उर्माली देवी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल गावं व पोस्ट खारकान जिला होशियारपुर पंजाब-१४६११०	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१८१/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
219.	बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गावं व पोस्ट ऑफिस दोघार मोगा पंजाब- १४२०५३	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में १६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) संहिता सिद्धांत- ०६ सीटें (२) रचना शरीर-०६ सीटें (३) द्रव्यगुण -०६ सीटें एवं (४) कौमारभृत्य-०१ सीट	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में १६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः (१) संहिता सिद्धांत- ०६ सीटें (२) रचना शरीर-०६ सीटें (३) द्रव्यगुण -०६ सीटें एवं (४) कौमारभृत्य-०१ सीट आर. -१७०११/१८२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
220.	संत सहारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मंसा रोड़ गावं व पोस्ट कोटशाहीर भाटिंडा पंजाब-१५१००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/१८/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
221.	राजीव गाँधी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल चालाक्करा नई एम.ए. एच.ई. पोस्ट ऑफिस पदुचेरी-६७३३११	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/०२/२०१०-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०५.०८.२०१५

222.	<p>नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद माधव विलास पैलेस आमेर रोड, जयपुर- ३२००२ राजस्थान</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६२ सीटों एवं ११ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों में ५६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः</p> <p>(१) आयुर्वेद संहिता- ०६ सीटें (०८ सीटों की बजाय)</p> <p>(२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें (०६ सीटों की बजाय)</p> <p>(३) पंचकर्म -०३ सीटें (०७ सीटों की बजाय)</p> <p>(४) क्रिया शरीर-०६ सीटें (०८ सीटों की बजाय)</p> <p>(५) द्रव्यगुण-०६ सीटें (०८ सीटों की बजाय)</p> <p>(६) कायचिकित्सा-०६ सीटें (०६ सीटों की बजाय)</p> <p>(७) स्वस्थवृत्त-०५ सीटें (०७ सीटों की बजाय)</p> <p>(८) रोग निदान-०६ सीटें (०८ सीटों की बजाय)</p> <p>(९) शल्य तंत्र-०६ सीटें (०७ सीटों की बजाय)</p> <p>(१०) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०५ सीटें (०७ सीटों की बजाय) एवं</p> <p>(११) अगद तंत्र -०४ सीटें (०६ सीटों की बजाय) एवं तीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुमति प्रदान नहीं करने की भी भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः</p> <p>(१) रचना शरीर-०७ सीटें</p> <p>(२) कौमारभृत्य-०७ सीटें</p> <p>(३) शालाक्य तंत्र-०६ सीटें</p>	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६२ सीटों एवं ११ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ८३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई नामतः-</p> <p>(१) आयुर्वेद सिद्धांत- ०८ सीटें</p> <p>(२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०६ सीटें</p> <p>(३) पंचकर्म -०७ सीटें</p> <p>(४) रचना शरीर-०७ सीटें</p> <p>(५) द्रव्यगुण-०८ सीटें</p> <p>(६) कायचिकित्सा-०६ सीटें</p> <p>(७) स्वस्थवृत्त एवं योग-०७ सीटें</p> <p>(८) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०८ सीटें</p> <p>(९) अगद तंत्र एवं विधिवैद्यका-०६ सीटें</p> <p>(१०) शल्य तंत्र-०७ सीटें</p> <p>(११) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०७ सीटें एवं तीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २१ सीटों के लिए अनुमति प्रदान करने से इंकार नामतः</p> <p>(१) क्रिया शरीर-०८ सीटें</p> <p>(२) शालाक्य तंत्र-०६ सीटें</p> <p>(३) कौमारभृत्य-०७ सीटें</p> <p>आर. -१७०११/१८४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५</p>
223.	<p>एम.एम.एम. गर्वमेंट आयुर्वेद कॉलेज, उदयपुर अम्बामाता चौराहा उदयपुर राजस्थान- ३१३००१</p>	<p>सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई यानी:</p>	<p>शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:-</p> <p>(१) कायचिकित्सा- ०५ सीटें</p>

		(१) कायचिकित्सा- ०५ सीटें (२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०५ सीटें एवं (३) द्रव्यगुण -०४ सीटें (०५ सीटों की बजाय)	(२) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०५ सीटें एवं (३) द्रव्यगुण -०५ सीटें आर. -१७०११/१८५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
224.	श्री भंवर लाल दुगर आयुर्वेद विश्वाभारती, श्री गौधी विद्या मंदिर राजस्थान-३३१४०३	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१८६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
225.	श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंसिज एवं हॉस्पिटल तौतिया यूनिवर्सिटी, नियर आरआईआईसीओ बस स्टैण्ड, गंगानगर राजस्थान-३३५००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/५८/२००३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
226.	पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हनुमानगढ़ रोड मोरजंड वाया लालगढ़ जाटन श्रीगंगानगर राजस्थान-३३५०३७	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति नहीं की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति प्रदान करने से इंकार। आर-११०११/१८/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०६.११.२०१५
227.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद डॉ० एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एनएच-६५ नागौर रोड करवर जोधपुर राजस्थान-३४२०३७	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में १७ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) कायचिकित्सा- ०५ सीटें (०६ सीटों की बजाय) (२) द्रव्यगुण-०६ सीटें एवं (३) शल्य तंत्र -०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:- (१) कायचिकित्सा- (२) द्रव्यगुण एवं (३) शल्य तंत्र प्रत्येक पाठ्यक्रम में ०६ सीटों सहित आर-१२०११/२८/२००३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०४.०६.२०१५

228.	शेखावटी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज नियर पहारी रामपुरा बेरी रोड़ झुनझुन पिलानी, राजस्थान- ३३३०३१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/०८/२००८-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
229.	श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल मुंडियागढ किशनगढ, रेनवाल राजस्थान-३०३६०३	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/१२/२००६-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक १६.०६.२०१५
230.	आयुर्वेद कॉलेज २४२-बी त्रिची रोड, सूलूर, कोयम्बटूर ४२४ -बी त्रिची रोड, सूलूर, कोयम्बटूर ४२४ सूलूर, कोयम्बटूर -६४१४०२ तमिलनाडू-६४१४०२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१८७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २१.०७.२०१५
231.	धर्मा आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल ४८, जीडब्ल्यू रोड, श्रीपेरुम्बटूर चेन्नई तमिलनाडू- ६०२१०५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने से इंकार। आर.-१७०११/१८८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २६.१०.२०१५
232.	श्री साईराम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर साई लियो नगर, पूनथदलम पश्चिम तम्बारम, श्रीपेरुम्बटूर तालुका, कांचीपुरम जिला चेन्नई तमिलनाडू- ६०००४४	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१८६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
233.	श्री जयेन्द्रा सरस्वती आयुर्वेद कॉलेज ४/२६५, बंगलौर हाई रोड़	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,

	नजरपेट चेन्नई तमिल नाडू-६००१२३	अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	१९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१९०/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ३१.०७.२०१५
234.	गर्वनमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल केप रोड कोट्टार नगरकोडल तमिल नाडू-६२६००२	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१२०११/२०/२००६-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
235.	त्रिषिकुल गर्वमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार त्रिषिकुल गर्वमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार उत्तराखण्ड-२४६४०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०७ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में ३३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई यानी: (१) शल्य तंत्र- ०५ सीटें (२) पंचकर्म-०५ सीटें (३) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०७ सीटें (४) द्रव्यगुण-०४ सीटें (५) कायचिकित्सा-०४ सीटें (६) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें (७) प्रसूति तंत्र-०४ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०७ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में ३३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई यानी:- (१) शल्य तंत्र- ०५ सीटें (२) पंचकर्म-०५ सीटें (३) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना -०७ सीटें (४) द्रव्यगुण-०४ सीटें (५) कायचिकित्सा-०४ सीटें (६) शालाक्य तंत्र-०४ सीटें (७) प्रसूति तंत्र-०४ सीटें आर.-१७०११/१९२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
236.	गर्वनमेंट गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज कडंगड़ी हरिद्वार-२४६४०४ उत्तराखण्ड	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर.-१७०११/१९१/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
237.	उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज १७ -पुराना मसूरी रोड राजपुर देहरादून उत्तराखण्ड-२४८००६	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन

		स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) मौलिक सिद्धांत- ०५ सीटें (२) स्वस्थवृत्त-०५ सीटें (३) अगद तंत्र -०५ सीटें एवं (४) द्रव्यगुण-०५ सीटें	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में २० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:- (१) आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत (२) स्वस्थवृत्त एवं योग (३) अगद तंत्र एवं विधि विषयका एवं (४) द्रव्यगुण विज्ञान प्रत्येक विषय में ०५ सीटें। आर.-१७०११/१६३/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
238.	हिमालयीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ग्राम फतेहपुर टांडा जीवनवाला पोस्ट -वाया डोडवाला देहरादून उत्तराखण्ड-२४८१४०	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषयों में २२ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) द्रव्यगुण- ०६ सीटें (२) क्रिया शरीर-०४ सीटें (०६ सीटों के बजाय) (३) रचना शरीर -०६ सीटें एवं (४) पंचकर्म-०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में २३ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:- (१) द्रव्यगुण- ०६ सीटें (२) क्रिया शरीर-०५ सीटें (०६ सीटों के बजाय) (३) रचना शरीर -०६ सीटें एवं (४) पंचकर्म-०६ सीटें आर-१२०११/१३/२००५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
239.	पंतजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान महर्षि दयानन्द ग्राम, दिल्ली - हरिद्वार हाईवे नियर बहादुराबाद, हरिद्वार उत्तराखण्ड-२४६४०५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/२०/२००८-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
240.	स्टेट आयुर्वेद कॉलेज तुलसीदास मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश -२२६००३	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) रचना शरीर - ०४ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०३ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १४ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:- (१) रचना शरीर - ०४ सीटें (२) क्रिया शरीर-०४ सीटें

		(२) क्रिया शरीर-०४ सीटें (३) कायचिकित्सा -०६ सीटें	(३) कायचिकित्सा -०६ सीटें आर.-१७०११/२०६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
241.	ललित हरी स्टेट पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पीलीभीत यू.पी. डाल चन्द पीलीभीत उत्तर प्रदेश-२६२००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम द्रव्यगुण में ०६ सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों एवं ०१ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम द्रव्यगुण में ०६ सीटों हेतु प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने से इंकार। आर.-१७०११/१६४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
242.	बुदेलखण्ड गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल ग्वालियर झांसी-२८४००१ उत्तर प्रदेश	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इंकार। आर.-१७०११/१६५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
243.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल अटारा, बंदा, यू.पी. बंदा रोड़ अटारा उत्तर प्रदेश-२१०२०१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इंकार। आर.-१७०११/१६६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
244.	एस.आर.एम. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल बांस मण्डी बरेली उत्तर प्रदेश-२४३००५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इंकार। आर.-१७०११/१६७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
245.	स्वामी कल्याणदेव आयुर्वेद कॉलेज रामपुर मुजफरनगर उत्तर प्रदेश -२५१००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में सशर्त अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इंकार।

			आर.-१७०११/१६८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
246.	श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक राजकीय आयुर्वेद गर्वमेंट कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री मार्क स्मारक जवाहर नगर, हन्डिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-२२१५०३	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ३० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इंकार । आर.-१७०११/१६८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
247.	शाम-ए-घौसिया माइनोरिटी पोस्ट-ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सहेरी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश- २३३३०२	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १७ सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग - ०४ सीटें (२) रोग निदान-०४ सीटें (३) कायचिकित्सा -०५ सीटें एवं (४) शल्य तंत्र-०४ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १७ सीटों (पांच सीटों से अधिक नहीं) हेतु अनुमति प्रदान की गई नामतः- (१) रचना शरीर - ०४ सीटें (२) क्रिया शरीर-०४ सीटें (३) कायचिकित्सा -०६ सीटें आर.-१७०११/२००/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०६.२०१५
248.	अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं एसीएन हॉस्पिटल, अलीगढ़ सामने एफ.एम. टॉवर, अनूपशहर रोड़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश-२०२००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के सशर्त लिए अनुमति दी गई । आर.-१७०११/२०१/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.०६.२०१५
249.	वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय के सामने धारपा पावर हाउस खुर्जा-बुलंदशहर जी.टी. रोड़ खुर्जा उत्तर प्रदेश - २०३१३१	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ७० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) क्रिया शरीर - ०५ सीटें (२) छाया एवं विकिरण-०५ सीटें (३) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग -०४ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १६७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ७० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामतः- (१) क्रिया शरीर - ०५ सीटें (२) छाया एवं विकिरण-०५ सीटें (३) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग -०४ सीटें (४) कायचिकित्सा-०५ सीटें (५) शल्य तंत्र-०५ सीटें (६) संज्ञाहरण-०५ सीटें

		<p>(४) कायचिकित्सा-०५ सीटें (५) शल्य तंत्र-०५ सीटें (६) संज्ञाहरण-०५ सीटें (७) पंचकर्म-०५ सीटें (८) कौमारभृत्य-०५ सीटें (९) स्वस्थवृत-०५ सीटें (१०) अगद तंत्र एवं व्यवहारआयुर्वेद-०५ सीटें (११) संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (१२) द्रव्यगुण-०५ सीटें (१३) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०५ सीटें एवं (१४) रचना शरीर-०५ सीटें</p>	<p>(७) पंचकर्म-०५ सीटें (८) कौमारभृत्य-०५ सीटें (९) स्वस्थवृत-०५ सीटें (१०) अगद तंत्र एवं व्यवहारआयुर्वेद-०५ सीटें (११) संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (१२) द्रव्यगुण-०५ सीटें (१३) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०५ सीटें एवं (१४) रचना शरीर-०५ सीटें आर.-१७०११/२०२/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०६.२०१५</p>
250.	श्री साई आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल सरसोल जी.टी. रोड़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश -२०२००१	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/२०३/२०१४-ईपी (आई एम-१) दिनांक १४.०८.२०१४ के द्वारा ०५ (पाँच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	पहले से ही कालेज को वर्ष २०१८-१९ तक (०५ वर्ष से अधिक नहीं) की अनुमति प्रदान की गई है। आर.-१७०११/२०३/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १४.०८.२०१५
251.	जे.डी. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भांकारी, जी.टी. रोड़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश-२०२००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर.-१२०११/३१/२००३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
252.	मेजर एस.डी. सिंह पी.जी. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बेवर रोड़, फतेहपुर उत्तर प्रदेश -२०६६०१	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं ०८ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ४८ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें (२) क्रिया शरीर-०६ सीटें (३) रचना शरीर -०६ सीटें (४) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०६ सीटें (५) रोग निदान-०६ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क/१३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों एवं ०८ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ४८ सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई नामतः- (१) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना - ०६ सीटें (२) क्रिया शरीर-०६ सीटें (३) रचना शरीर -०६ सीटें (४) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०६ सीटें (५) रोग निदान-०६ सीटें (६) आयुर्वेद संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (७) कायचिकित्सा-०६ सीटें एवं (८) शल्य तंत्र-०६ सीटें

		(६) संहिता सिद्धांत-०६ सीटें (७) कार्यचिकित्सा-०६ सीटें एवं (८) शल्य तंत्र-०६ सीटें	आर-१२०११/०७/२००५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १६.१०.२०१५
253.	फेकल्टी ऑफ आयुर्वेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश-२२१००५	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ३६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई अर्थात्: (१) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें (२) कौमारभृत्य-०३ सीटें (३) शालाक्य तंत्र-०२ सीटें (४) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०३ सीटें (५) रचना शरीर -०२ सीटें (६) क्रिया शरीर-०२ सीटें (७) द्रव्यगुण-०३ सीटें (८) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें (९) रोग निदान-०२ सीटें (१०) शल्य सामान्य-०५ सीटें (११) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०४ सीटें (१२) मानस रोग-०१ सीटें (१३) संज्ञाहरण-०२ सीटें एवं (१४) स्वस्थवृत-०१ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं १४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ३६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई अर्थात्:- (१) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०४ सीटें (२) कौमारभृत्य-०३ सीटें (३) शालाक्य तंत्र-०२ सीटें (४) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-०३ सीटें (५) रचना शरीर -०२ सीटें (६) क्रिया शरीर-०२ सीटें (७) द्रव्यगुण-०३ सीटें (८) कार्यचिकित्सा-०५ सीटें (९) रोग निदान-०२ सीटें (१०) शल्य सामान्य-०५ सीटें (११) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग-०४ सीटें (१२) मानस रोग-०१ सीटें (१३) संज्ञाहरण-०२ सीटें एवं (१४) स्वस्थवृत-०१ सीटें एवं ०२ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ०४ सीटों हेतु नामतः (१) कौमारभृत्य (बालरोग)-०२ सीटें एवं (२) संज्ञाहरण-०२ सीटें आर.-१७०११/२०४/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २३.१०.२०१५
254.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल, वाराणसी यू.पी. चौका घाट जी.टी. रोड़ वाराणसी उत्तर प्रदेश-२२१००२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर.-१७०११/२०५/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १७.०६.२०१५
255.	श्री आनन्द निकेतन धर्मशाला एवं धार्मिक ट्रस्ट, श्री धन्वतरि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर गांव सेमरी तहसील छत्ता एन.एच-२ मथुरा	जैसा कि महाविद्यालय को वर्ष २०१८-१९ तक पाँच वर्ष हेतु पत्र संख्या १७०११/१८/२०१४-ईपी (आई.एम-१) दिनांक १४.०८.२०१४ के द्वारा	पहले से ही कालेज को वर्ष २०१८-१९ तक (०५ वर्ष से अधिक नहीं) की अनुमति प्रदान की गई है। आर-१२०११/१८/२००८-ई.पी. (आई.

	जिला उत्तर प्रदेश-२८१४०१	०५ (पॉच) वर्ष की अनुमति प्रदान की गई। अतः महाविद्यालय का परिदर्शन नहीं किया गया।	एम-१) दिनांक १४.०८.२०१५
256.	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज १० के.एम. रुरकी रोड पोस्ट बरला मुजफरनगर उत्तर प्रदेश -२५१००१	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। आर-१२०११/२६/२००८-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ०६.०८.२०१५
257.	जे.बी.राय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल १७०-१७२, राजा दिनेन्द्रा स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस श्यामबाजार कोलकाता पश्चिम बंगाल-७००००४	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर.-१७०११/२०६/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
258.	इन्स्टीट्यूट ऑफ पी.जी आयुर्वेद एजुकेशन एवं रिसर्च, श्यामदास विद्या शास्त्र, पीठ २६४/३/१ आचार्य प्राफूला चन्द्रा रोड, कोलकाता-७००००६, पश्चिम बंगाल	सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक (०५ वर्ष की अवधि से अधिक नहीं) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषयों के लिए १० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई नामतः (१) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०२ सीटें (२) द्रव्यगुण-०२ सीटें (३) कायचिकित्सा-०४ सीटें एवं (४) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०२ सीटें	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन ०४ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में १० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई यानी:- (१) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत-०२ सीटें (२) कायचिकित्सा-०४ सीटें (३) द्रव्यगुण विज्ञान-०२ सीटें एवं (४) रोग निदान एवं विकृति विज्ञान-०२ सीटें आर.-१७०११/२०८/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
259.	बेल्ती संकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस कुशदगा, पी.एस. जगाददल, जिला-२४ परगनास नार्थ पश्चिम बंगाल -७४३१२६	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर.-१७०११/२०७/२०१५-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०६.२०१५
260.	इस्तामिया एजुकेशन ट्रस्ट जकारिया आयुर्वेद कॉलेज पयान दरगा रोड, रोजा (बी), गुलबर्गा -५८५१०४, कर्नाटका	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग के अधीन	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन

		स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए अनुमति देने से इन्कार। आर.-१७०११/८३/२०१५-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
261.	रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल कॉन्टेई जिला- पुरबा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति देने से इन्कार। आर-१२०११/०५/२०१२-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २०.१०.२०१५
262.	हिलसाइड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल न०. १७४/२, सलडोडी, केंगरी होबली आगरा गांव, बंगलौर साउथ, बंगलौर कर्नाटका- ५६००६२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी गई। आर-१२०११/२६/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक ०१.१०.२०१५
263.	चौधरी हरचन्द सिंह आत्माराम एजुकेशन ट्रस्ट कादरा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एन.एच.-५८, हरिद्वार रोड़ आर.के.ई. बेलदा रूकी उत्तराखण्ड-२४७६६७	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/२५/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २६.०८.२०१५
264.	महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय सिकर रोड़ हारोटा, चोमू जयपुर राजस्थान-३०३७०२	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/२२/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक ०८.०७.२०१५
265.	अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट चेलचौक, तहसील चाचायोत, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश -१७५०४५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/१४/२०१३-ई.पी. (आई.

			एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
266.	लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल साधोरा रोड, बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा-१३५०२ यमुना नगर	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/०५/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक ११.०६.२०१५
267.	प्रबुद्ध शिक्षा संस्थान, प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर गांव बाक्काखेरा, पोस्ट थारी, माल लखनऊ उत्तर प्रदेश -२२६१०४	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/०६/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २२.१०.२०१५
268.	संतुष्टी हुमन डेवलपमेंट एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी संतुष्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल हिनाउती, दगमापुर, चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश-२३१३०५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/१५/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक ०७.०६.२०१५
269.	आनन्दी शिक्षान प्रसारक मण्डलस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट धाड नाका एरिया अजंता रोड बुलंदाना महाराष्ट्र -४४३००१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/२०/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २२.०७.२०१५
270.	श्री धानेश्वरी मानव विकास मण्डल, सोउ शांतादेवी वेदप्रकाश पाटिल आयुर्वेद कॉलेज एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट गेट न०. ४२१, हट्टा तालुका बसमत जिला हिंगोली-४३१७३८	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/१६/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
271.	जगदम्बा एजुकेशन सोसायटी मातोश्री असराबाई डारडे आयुर्वेद कॉलेज बाभुलगांव येओला जिला नासिक	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन

	महाराष्ट्र-४२३४०९	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों के लिए सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/२६/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २४.०७.२०१५
272.	पेसीफिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेन्टर २००, इच्चीपुर, इन्डस्ट्रीयल एरिया गोरखपुर- २७३०१५ उत्तर प्रदेश	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के प्रवेश लेने हेतु अनुमति नहीं दी गई। आर-१२०११/०३/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक १६.११.२०१५
273.	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मैनपुरी जानकी प्रसाद कमुआ बिलासपुर रोड़ बैरेली उत्तर प्रदेश -२४३००९	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई। आर-१२०११/०१/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५ मंत्रालय के गत आदेश संख्या आर. १२०११/०१/२०१३-ई.पी. (आई.एम.-१) दिनांक २१.१०.२०१५ का अतिक्रमण करते हुए पत्र संख्या आर. १२०११/०१/२०१३-ई.पी.(आई.एम.-१) दिनांक २७.११.२०१५ द्वारा शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए सशर्त अनुमति दी गई।
274.	शिवालिक सेवा ट्रस्ट, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल गांव बिजरवा पोस्ट बंकत पी. एस. मुबारकपुर जिला आजमगढ उत्तर प्रदेश- २७६१२५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/०७/२०१३-ई.पी. (आई. एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
275.	श्री कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल राउना खुर्द चोलापुर वाराणसी उत्तर प्रदेश-२२१००९	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन

		स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/१३/२०१३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.१०.२०१५
276.	शिव शक्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सुनम रोड़ टॉउन भिखी जिला मन्सा पंजाब -१५१५०४	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३ग/१३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों में प्रवेश लेने हेतु अनुमति नहीं दी गई। आर-१२०११/२४/२०१३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २७.१०.२०१५
277.	धन्वतरि आयुर्वेद कॉलेज कोयदम तालुका वीरपुर जिला, माहीसागर गुजरात-३८८२६०	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/२७/२०१३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
278.	कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल एन.एच. डब्लू-२७ गावं-बंसदा तहसील- गोगुंदा जिला- उदयपुर राजस्थान-३१३७०५	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/०४/२०१३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १५.०७.२०१५
279.	महाराष्ट्र कुवंर शेखर विजेन्द्रा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर शोभित यूनिवर्सिटी, आदर्श इन्स्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्रा मार्ग, गंगोह साहरनपुर उत्तर प्रदेश-२४७३४१	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु (१०० सीटों की बजाय) सशर्त अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई ।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु (१०० सीटों की बजाय) सशर्त अनुमति दी गई। आर-१२०११/२८/२०१३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक २१.१०.२०१५ मंत्रालय के गत आदेश संख्या आर.१२०११/२८/२०१३-ई.पी. (आई.एम.-१) दिनांक २१.१०.२०१५ का अतिक्रमण करते हुए शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों हेतु प्रवेश लेने के लिए सशर्त अनुमति दी गई।

280.	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बिलासपुर अशोक नगर, बिलासपुर -४९५००१ छत्तीसगढ़	सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में अनुमति नहीं प्रदान करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति की गई।	शैक्षिक सत्र २०१५-१६ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की धारा १३क के अधीन स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों के लिए प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी गई। आर-१२०११/११/२०१३-ई.पी. (आई.एम-१) दिनांक १८.०८.२०१५
------	--	--	---

यूनानी

चिकित्सीय अर्हता की मान्यता

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की धारा १४ उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सीय केन्द्रीय परिषद् के परामर्श से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में यूनानी की निम्नलिखित चिकित्सीय अर्हताओं को वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान मान्यता दी/सम्मिलित किया :-

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसा पर निम्नलिखित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त तीन अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया

विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सीय संस्था का नाम	मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं	रजिस्ट्रीकरण के लिए संश्लेषाक्षर	टिप्पणी
१.	२.	३.	४.
१७क. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.यू.एम.एस.	१९७९ से २००७ तक
	(क) कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.यू.एम.एस.	२००८ से २०१२ तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, नई दिल्ली को प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन: २०१३ से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, नई दिल्ली को प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन:

	(ख) माहिर-ए-तिब्ब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)	(एम.डी. यूनानी)	वर्ष २००५ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज, नई दिल्ली को प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीनः २०१२ से आगे केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, नई दिल्ली को प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन”
” दक. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.यू.एम.एस.	१९६६ से २००५ तक
	कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.यू.एम.एस	२००६ से २०१२ तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन, अर्थात् :- (१) कश्मीर तिब्बिया कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जम्मू-कश्मीर : (२) इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंसिज, जकुरा, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर २०१३ से आगे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों को प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन, अर्थात् :- (१) कश्मीर तिब्बिया कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जम्मू-कश्मीर : (२) इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंसिज, जकुरा, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर !”

११९८. महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नाशिक	(क) कामिल-ए-तिब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.यू.एम.एस.	२००३ से आगे
	(ख) माहिर-ए-तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)	एम.डी. (यूनानी)	२००६ से आगे निम्नलिखित महाविद्यालयों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन अर्थात् :- (i) जुलैखाबाई वली मुहम्मद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, २३६०-बी, केबी हिदायतुल्लाह रोड, न्यू मोदीखाना कैम्प, आजम कैम्पस, ऐंग्लो उर्दू स्कूल कैम्पस, पुणे-४११००१ (महाराष्ट्र)। (ii) मुहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय और अस्सायर अस्पताल, डा.घ.नं.१२८, मनसूरा, मालेगांव, नाशिक-४२३२०३ (महाराष्ट्र)।
	(ग) माहिर-ए-जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी)	एम.एस. (यूनानी)	२०१३ से आगे निम्नलिखित महाविद्यालयों को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रवेश के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के अध्यक्षीन अर्थात् :- (i) जुलैखाबाई वली मुहम्मद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, २३६०-बी, केबी हिदायतुल्लाह रोड, न्यू मोदीखाना कैम्प, आजम कैम्पस, ऐंग्लो उर्दू स्कूल कैम्पस, पुणे-४११००१ (महाराष्ट्र)। (ii) मुहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय और अस्सायर अस्पताल, डा.घ.नं.१२८, मनसूरा, मालेगांव, नाशिक-४२३२०३ (महाराष्ट्र)।

सत्र २०१५-१६ हेतु नए प्रस्ताव

नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, २००३ तथा (संशोधन) विनियम, २०१३ के अधीन भारत सरकार, आयुष मंत्रालय से निम्नलिखित नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। केन्द्रीय परिषद् ने निम्नलिखित संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा इस परियोजना के अनुमोदन/निरनुमोदन हेतु आयुष मंत्रालय को अनुशंसायें भेजी।

१. नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	भा.चि.के.प.की संस्तुतियाँ	भारत सरकार का निर्णय
१.	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर	स्नातकीय पाठ्यक्रम १०० सीटों सहित नए यूनानी महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु।	स्नातकीय पाठ्यक्रम १०० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु संस्तुत किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में १०० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया गया।
२.	हसरत मोहानी मेमोरियल यूनानी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु संस्तुत किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ६० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया गया।
३.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोक (राजस्थान)	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम ६० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु संस्तुत किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ५० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया गया।
४	रहबर यूनानी मेडिकल कॉलेज, पंजाब	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम ५० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु संस्तुत किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में ५० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया गया।

५	कॉलेज ऑफ इंडियन मेडिकल साइन्सेज एण्ड हॉस्पिटल, सम्भल	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम १०० सीटों सहित नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु।	प्रस्तावित महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।
---	--	--	--

२. स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	भा.चि.के.प.की संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
१.	देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवबंद	०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु ०२ से ०५ प्रत्येक विषय में नामत:- (i) मुआलाजात एवं (ii) जराहत	कॉलेज ने प्रस्ताव वापस लिया।	
२.	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, देवास	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया
३.	फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए।	कमियों का अनुपालन न होने के कारण प्रस्ताव भारत सरकार को वापिस भेजा गया	भारत सरकार ने प्रस्ताव कॉलेज को वापिस किया।
४.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, नई दिल्ली	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की

			संस्तुत नहीं किया।	वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया।
५.	राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु २६ से ६० सीटों की वृद्धि के लिए।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु २६ से ६० सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुत किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु २६ से ६० सीटों की वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया।
६.	एच.एम.एस यूनानी मेडिकल कॉलेज, टूमकुर (कर्नाटक)	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुत किया।	स्नातकीय (बी.यू.एम.एस) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया

३. नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्ताव	संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
१.	लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज, बिजापुर (कर्नाटक)	नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु (i) तहफुज्जी वा समाजी तिब्ब (१० सीटों के लिए)	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु (i) तिहफुज्जी वा समाजी तिब्ब (०६ सीटों के लिए) संस्तुत किया।	नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किया (i) तहफुज्जी वा समाजी तिब्ब (०६ सीटों के लिए)

महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने खण्ड 9३ग के अन्तर्गत वर्ष २०१५-१६ (१ अप्रैल २०१५ से ३१ मार्च २०१६) हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए निम्नलिखित यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया:-

क्र. मं	महाविद्यालय का नाम	सत्र २०१५-१६ हेतु भा.चि.के. प. की अनुशंसाएं	सत्र २०१४-१५ हेतु भारत सरकार का निर्णय
१.	राजकीय निजामिया तिब्बिया महाविद्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ७५ सीटों हेतु एवं ०५ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में (३४ सीटों) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई :- (i) मोआलाजात १० सीटें (ii) इलमुल अदविया ५ सीटें (iii) कबालात वा अमराजे निस्वां ६ सीटें (iv) तहफफुजी वा समाजी तिब्ब ५ सीटें एवं (v) कुलियात ५ सीटें
२.	अब्दुल हक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
३.	राजकीय तिब्बिया महाविद्यालय, पटना (बिहार)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु।
४.	जैड.एच. यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, सीवान बिहार	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
५.	सल्फिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा बिहार	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। सत्र २०१५-१६ हेतु

६.	निजामिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गया (बिहार)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ४० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
७.	मोहसिन ए-मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ४० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
८.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, (नई दिल्ली)	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में १० सीटों हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई।
९.	यूनानी चिकित्सा संकाय, जामिया हमदर्द, (नई दिल्ली)	स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई एवं ३ विषयों में स्नातकोत्तर ६ सीटों पाठ्यक्रम :- (i) मोआलाजात -०३ सीटें, (ii) इल्मुल अदविया - ०३ सीटें (i) तहफ्फुज़ी वा सामाजी तिब-०३ सीटें हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
१०.	इन्स्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइन्सेज एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	स्नातकीय पाठ्यक्रम ४० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति दी गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
११.	कश्मीर तिब्बिया महाविद्यालय, हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर	स्नातकीय पाठ्यक्रम ४० सीटों सहित पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०) हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक)

१२.	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बंगलौर (कर्नाटक)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
१३.	लुकमान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर (कर्नाटक)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
		स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति प्रदान की गई :- (i) अमराजे निस्वां व कबालत - ३ सीटें (ii) मोआलाजात - ४ सीटें	नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अनुमति ०२ विषयों में अमराजे निस्वां व कबालत - ३ सीटें (i) मोआलाजात - ४ सीटें हेतु।
१४.	टीपू सुल्तान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा (कर्नाटक)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
१५.	एच.एम.एस यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, टुमकुर	स्नातकीय पाठ्यक्रम ४० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
१६.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर (कर्नाटक)	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु संस्तुति नहीं की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु	०८ विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की ४७ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। (i) मोआलाजात - ८ सीटें (ii) इल्मुल कबालत-ओ-अमराजे- निस्वां ७ सीटें (iii) तहफफुज़ी -वा- सामाजी तिब - ७ सीटें (iv) इल्मुल अदविया - ८ सीटें (v) कुलियात उमरे तबिया - ४ सीटें एवं

			(vi) इल्मुल सैदला ४ सीटों (vii) जराहत - ४ सीटें (viii) इलाज बिद तदबीर - ५ सीटें हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई
१७.	सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय बुरहानपुर, (म.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों सहित सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु।
१८.	अल-फारूक यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों हेतु सशर्त संस्तुति की गई	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु।
१९.	हकीम सैयद जियाउल हसन राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु ६० सीटों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
२०.	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु ४० सीटों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
२१.	अंजुमन इस्लाम डॉ. इशाक जाम खानावाला तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हाजी अब्दुल रज्जाक कालसेकर तिब्बिया अस्पताल, (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ हेतु ५० सीटों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
		स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० से ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
२२.	मौहम्मदिया तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल, मालेगांव (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु ६० सीटों के लिए अनुमति प्रदान	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम २

		करने हेतु भारत सरकार को सशर्त संस्तुति की गई एवं ०२ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम १. इल्मुल अदविया - ०२ सीटें २. कबालत व अमराजे निस्वां - ०२ सीटें सत्र २०१५-१६ हेतु संस्तुति प्रदान की गई	सीटों हेतु सशर्त अनुमति (i) इल्मुल अदविया - ०२ सीटें (ii) कबालत व अमराजे निस्वां - ०२ सीटें सत्र २०१५-१६ हेतु
२३.	जैड वी एम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों हेतु एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ०३ सीटें तहफफुजी व समाजी तिब ०६ सीटें एवं मोआलाजात ०६ सीटें, जराहत में ०३ सीटों हेतु सत्र २०१५-१६ के लिए सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ६० सीटों एवं ३ विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु (i) तहफफुजी वा सामाजी तिब-०६ सीटें (ii) मोआलाजात-०६ सीटें (iii) जराहत में ०३ सीटें हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
		नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कबालत व अमराजे निस्वां विभाग में ०२ सीटों सहित प्रारंभ करने हेतु सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ०२ सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। कबालत व अमराजे निस्वां विभाग में ०२ सीटों हेतु
२४.	अहमद गरीब यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अक्कलकुर्ऑ (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं। (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०) हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०)
		स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ५० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई।

२५.	इकरा सोसायटी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जलगाँव, (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों सत्र २०१५-१६ प्रवेश हेतु के लिए सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
२६.	राजपुताना यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
२७.	राजस्थान यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान (म.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
२८.	राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में २६ सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
२९.	राज्य तकमिल-उल-तिब महाविद्यालय, लखनऊ, (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
३०.	राज्य यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, हिम्मतगंज, इलाहाबाद (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु संस्तुति नहीं की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
३१.	जामिया तिब्बिया देवबन्द, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मोआलाजात ०४ सीटों हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०) संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों एवं स्नातकोत्तर में मोलेजात -०४ सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०)

३२.	इब्ने-सिना तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल, आजमगढ़ (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
३३.	देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर, (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ०४ विषयों में मोआलाजात, मुनाफुलाजा, इलमुल कबालत व अमराजे निस्वां एवं इलमुल जराहत (प्रत्येक विषय में ०२ सीटें) पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०) हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम ४० सीटों एवं ४ विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुमति प्रदान की गई मोआलेजात, मुनाफुलाजा, इलमुल कबालत व अमराजे निस्वां एवं इलमुल जराहत (प्रत्येक विषय में ०२ सीटें पांच वर्ष से ज्यादा नहीं (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०)
३४.	अल्लामा इकबाल यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर, (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान की गई।
		स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ०२ विषयों के लिए १. तहफफुज़ी व समाजी तिब्ब २. कुलियात (प्रत्येक में ०५ सीटें) एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ०२ विषयों के लिए हेतु अनुमति प्रदान की गई। १. तहफफुज़ी व समाजी तिब्ब २. कुलियात एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान की गई।

३५.	अलीगढ़ यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, ए. सी.एन. अस्पताल, अलीगढ़ (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
		स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ०२ विषयों के लिए १. मोआलाजात २. कुलियात (प्रत्येक में ०४ सीटें) एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ०२ विषयों के लिए हेतु अनुमति प्रदान की गई। १. मोआलाजात २. कुलियात (प्रत्येक में ०४ सीटें) एवं स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० से ६० सीटों की वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान की गई।
३६.	शम्मे- गौसिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
३७.	इरम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
३८.	अब्दुल अली तिब्बिया महाविद्यालय, लखनऊ, (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
३९.	अजमल खॉं तिब्बिया कालेज, अलीगढ़, (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ०६ विषयों में १६ सीटें यथा (i) मोआलाजात-०४ सीटें (ii) इल्मुल अदविया-०४ सीटें (iii) कबालत वा अमराजे निसवान-०१ सीट (iv) तहफ्फुजी वा सामाजी

			<p>तिब-१ सीट (v) कुल्लियात-०४ सीटों (vi) इलमुल जराहत -०२ सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई । सत्र २०१५-१६ हेतु</p>
४०.	कलकत्ता यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता, (पश्चिम बंगाल)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ४० सीटों के लिए संस्तुति की गई ।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
४१.	यूनुस फजलानी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र)	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं सत्र २०१५-१६ से २०१६-२०) संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु पांच वर्ष से ज्यादा नहीं अनुमति प्रदान की गई (सत्र २०१५-१६ से २०१६-२० तक)
४२.	हकीम रईस यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, संभल, मुरादाबाद, (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ५० सीटों के लिए सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
४३.	गौसिया यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फतेहपुर, (उ.प्र.)	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु ६० सीटों के लिए संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
४४.	अल-अरिफ़ यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना	स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में प्रवेश हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में १०० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
४५.	मरकज यूनानी मेडिकल कॉलेज, कोइकोड़ (केरल)	नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में ६० सीटों सहित सशर्त संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु

४६.	उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार, (उत्तराखंड)	नया यूनानी महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु स्नातकीय पाठ्यक्रम सत्र २०१५-१६ में ६० सीटों सहित संस्तुति की गई।	स्नातकीय पाठ्यक्रम में ६० सीटों हेतु अनुमति प्रदान की गई। सत्र २०१५-१६ हेतु
-----	--	--	---

सिद्ध

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष २०१५-१६ सत्र हेतु भारत सरकार को अनुशंसाएं भेजने के लिए निम्नलिखित सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन आयोजित किया:-

क्र सं.	महाविद्यालय का नाम	भा.चि.के.पं. की भारत सरकार को संस्तुतियां	भारत सरकार का निर्णय
१.	शान्तिगिरि सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पो.ओ. कोलियाकोडे, तिरुवनन्तपुरम, केरल	स्नातकीय ५० सीटों हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
२.	ए.टी.एस.वी.एस. सिद्ध मेडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, पुडूक्काडई, कन्याकुमारी, तमिलनाडू	स्नातकीय ४० सीटों हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
३.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	स्नातकीय ५० सीटों एवं स्नातकोत्तर २८ सीटों (५ विषयों) हेतु संस्तुति की गई। १. मरुथुवम -६ सीटें, २.गुणपाडम -६ सीटें, ३.सिरापू मरुथुवम-५ सीटें, ४. कुझान्थै मरुथुवम -४ सीटें, ५.नोई नाडल एवं नोई मुथल नाडल -४ सीटें	स्नातकीय ५० सीटों एवं स्नातकोत्तर ३४ सीटों (५ विषयों) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। १. मरुथुवम -१० सीटें, २.गुणपाडम -१० सीटें, ३. कुझान्थै मरुथुवम- ५ सीटें, ४. नोई नाडल एवं नोई मुथल नाडल -४ सीटें, ५. सिरापू मरुथुवम-५ सीटें
४.	राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	स्नातकीय १०० सीटों एवं स्नातकोत्तर ५६ सीटों (६ विषयों) हेतु संस्तुति की गई। १. मरुथुवम -६ सीटें, २.गुणपाडम -१० सीटें, ३. कुझान्थै मरुथुवम-६ सीटें, ४.नोई नाडल एवं नोई मुथल नाडल -८ सीटें, ५. सिरापू मरुथुवम -१० सीटें, ६. नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि	स्नातकीय १०० सीटों एवं स्नातकोत्तर ५६ सीटों (६ विषयों) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। १. मरुथुवम -०६ सीटें, २.गुणपाडम -१० सीटें, ३. कुझान्थै मरुथुवम -६ सीटें, ४. नोई नाडल एवं नोई मुथल नाडल -८ सीटें, ५. सिरापू मरुथुवम-१० सीटें, ६. नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि

		नूलम-१० सीटें	नूलम-१० सीटें ७.
५.	आर.वी.एस. सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	स्नातकीय ३० सीटों हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय १०० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
६.	शिवराज सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम, तमिलनाडु	स्नातकीय ५० सीटों हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
८.	श्री साईराम सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसन्धान केन्द्र, चेन्नई, तमिलनाडु	स्नातकीय ५० सीटों हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय ५० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
९.	वेलुमाडलु सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीपेरुमबुदूर, तमिलनाडु	स्नातकीय ४० सीटों हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय ४० सीटों हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।
१०.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु	स्नातकोत्तर ४३ सीटों (०६ विषयों) हेतु संस्तुति की गई। १. मरुथुवम -८ सीटें २. गुणपाडम -६ सीटें ३. सिरापू मरुथुवम-८ सीटें ४. कुझान्थै मरुथुवम -८ सीटें ५. नोई नाडल एवं नोई मुथल नाडल -७ सीटें ६. नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-७ सीटें	स्नातकोत्तर ४१ सीटों (६ विषयों) हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई। १. मरुथुवम -८ सीटें २. गुणपाडम -५ सीटें ३. सिरापू मरुथुवम-८ सीटें ४. कुझान्थै मरुथुवम -८ सीटें ५. नोई नाडल एवं नोई मुथल नाडल -७ सीटें ६. नान्जू नूलम मरुथुवम नीथि नूलम-७ सीटें
११.	मायरा एजूकेशनल एवं चैरीटेबल, कन्याकुमारी, तमिलनाडू	आशय पत्र के लिए स्नातकीय १०० सीटों हेतु संस्तुति की गई।	स्नातकीय १०० सीटों हेतु अनुमति पत्र प्रदान किया गया।

प्रशासन

परिषद् के कार्यालय के लिए पदों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	पदनाम	संस्कृत पदों की संख्या	समूह	भरे हुए पद	रिक्त पद
१.	निबंधक -सह- सचिव	१	क	१	--
२.	सहायक निबंधक (आयुर्वेद)	१	क	१	--
३.	सहायक निबंधक (यूनानी)	१	क	१	--
४.	सहायक निबंधक (सिद्ध)	१	क	१	--
५.	सहायक सचिव (प्रशासन)	१	क	--	१
६.	पंजीयन अधिकारी	१	ख	--	१

७.	कार्यालय अधीक्षक	१	ख	१	--
८.	लेखाकार	१	ख	१	--
९.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	१	ख	१	--
१०.	उच्च श्रेणी लिपिक	४	ग	४	--
११.	कनिष्ठ आशुलिपिक	३	ग	१	२
१२.	निम्न श्रेणी लिपिक	११	ग	८	३
१३.	डुप्लीकेट आरेटर	१	ग	१	--
१४.	दफ्तरी	२	ग	२	--
१५.	मल्टी टॉस्क स्टॉफ (चपरासी)	४	ग	१	३
१६.	मल्टी टॉस्क स्टॉफ (चौकीदार)	१	ग	--	१
१७.	मल्टी टॉस्क स्टॉफ (सफाईवाला)	१	ग	--	१
	कुल	३६		२४	१२

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसमें ३६ पद हैं। तथापि, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु हर सावधानी बरती जा रही है। विभिन्न वर्गों के लिए किए गए आरक्षण की स्थिति निम्नवत् है :-

१. अनुसूचित जाति	०२
२. अनुसूचित जनजाति	०३
३. अन्य पिछड़ा वर्ग	०२
४. शारीरिक रूप से विकलांग	०२

वित्त बजट के स्रोत

वर्ष २०१५-२०१६ के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.		गैर-योजना (रु० लाखों में)	योजना (रु० लाखों में)
१.	बजट प्राक्कलन २०१५-२०१६ (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	६६०.००	१२५.००
२.	बजट प्राक्कलन २०१५-२०१६ (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	१५०.००	१२५.००
३.	संशोधित प्राक्कलन २०१५-२०१६ (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	१०४०.००	१००.००
४.	संशोधित प्राक्कलन २०१५-२०१६ (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	१५०.००	१००.००
५.	अनुदान सहायता (मंत्रालय द्वारा दिया गया धन)	१५०.००	१००.००

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा वर्ष २०१५-१६ के दौरान प्राप्त उपलब्धियाँ

१. समय पर केन्द्रीय पंजिका के अद्यतन हेतु राज्य पंजीयन बोर्ड को प्रोत्साहित करना।
२. आवेदकों के पूर्व में जारी किए गए केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र में अतिरिक्त अर्हता को सम्मिलित करने संबंधी प्रावधान।

भविष्य के कार्यक्रम

१. शिक्षण के घण्टों का औचित्य बताते हुए शिक्षण नयाचार मानक की तैयारी।
२. आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध की शिक्षा पद्धति में सुधार हेतु कार्यशाला आयोजित करना।
३. संस्थानों, अस्पतालों, पंजिकाओं तथा सॉफ्टवेयर के विकास में एकरूप फार्मेट को लाया जाना।
४. सी.आर.आर.आई. लॉग बुक तथा स्नातकोत्तर छात्रों की लॉग बुक की कार्यान्वयन।
५. ई-लर्निंग, शिक्षकों का अद्यतन, सी.एम.ई., स्नातकोत्तर उपाधि धारकों तथा शिक्षकों के प्रकाशनों पर अधिक जोर देना।
६. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के नाम से जाली/पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई।
७. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में चिकित्सकों के सटिक संख्या का निर्धारण करना।
८. स्वास्थ्य रक्षा हेतु नियन्त्रक निकाय की भूमिका।
९. भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों हेतु नौकरी के अवसरों की परिधि के विस्तार में सुधार हेतु कार्रवाई।
१०. भारतीय चिकित्सा पद्धति की विश्वव्यापी शिक्षा तथा अनुसंधान को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु विदेश मंत्रालय के स्तर पर किए जाने वाले उपाय।
११. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी पद्धतियों में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लोगों की स्मृति अवार्ड प्रदान किए जाएंगे।
१२. न्यूनतम मानको के अनुसार महाविद्यालय की आधारभूत संरचना की पूर्ति की प्राप्ति।
१३. प्रमाण आधारित आयुर्वेद की उपलब्धि में अपनी भूमिका हेतु अपने कर्तव्य समझने में मार्ग दर्शक/स्नातकोत्तर शिक्षक।
१४. शैक्षिक अनुसंधान के लक्ष्य को परिभाषित करने तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक योजना तैयार करने में स्नातकोत्तर शिक्षकों की सहायता।

नोट:- यदि कहीं अंग्रेजी एवं हिन्दी में भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी को ही मान्य माना जाएगा।

**कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली**

संख्या ए.एम.जी.॥/एस.ए.आर./७-१६/सी.सी.आई.एम./२०१६-१७/१०७०

दिनांक :- ०६.१२.२०१६

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति डा. के नटराजन, रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, ६१-६५, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-११००५८ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-११०१२४ को भेजी जाएं।

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता./-

उप-निदेशक (ए.एम.जी.॥)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.) का मार्च, २०१६ को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा रिपोर्ट

१. हमने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की ३१ मार्च, २०१६ के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र का तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखें व प्राप्तियों और भुगतान लेखों का भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, १९७६ के खण्ड ८६ (१) के साथ पठित परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्तियाँ, सेवा शर्तों) अधिनियम, १९७१ की धारा १६ (२) के अन्तर्गत लेखा परीक्षण किया। वित्तीय विवरण परिषद् प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय-विवरण पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

२. इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखा प्रक्रिया सहित अनुपालन, लेखा मानकों प्रतिमानकों को प्रकट करना आदि के संबंध में लेखों के निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों का समावेश है। कानून, नियमों विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) अनुपालन के और कार्यक्षमता-सह-नि-पादन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय सव्यवहार पर लेखा प्रेक्षकों को, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट करना है।

३. हमने अपना लेखा-परीक्षण सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम अपनी योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त कर लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तुपरक यथार्थ विवरण हो। लेखा परीक्षण में परीक्षण जॉच आधार पर, राशि की पुष्टि का प्रमाण तथा वित्तीय विवरण में प्रकट करना आदि शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा-सिद्धान्तों का मूल्यांकन तथा प्रबन्धकों द्वारा तैयार किया गया वित्तीय विवरण के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा-परीक्षा में अपने विचारों के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया है।

४. अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर हमने रिपोर्ट किया है कि:

i. हमें मांगी गई सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, जो कि हमारे पूर्ण ज्ञान के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, प्राप्त हुए।

ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एवं एकरूप फॉर्मेट में तैयार किया गया है।

iii. हमारे विचार में लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा लेखों की पुस्तको एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का सही तरीके से रख-रखाव किया गया है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य

क.१. लेखों में सेवा.निवृत्ति हितलाभ हेतु प्रवाधान बीमांकन आधार पर नहीं किए गए थे।

क.२. मार्च माह हेतु वेतन एवं भत्तों हेतु प्रावधान परिषद् द्वारा प्रोद्भवन आधार पर नहीं किए गए थे।

क.३. दो अर्द्धवार्षिक ब्लॉक में लेखों के एकरूप फॉर्मेट के अनुसार वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों का परिवर्धन चित्रित नहीं किया गया था।।

क.४. सामान्य भविष्य निधि के रु. १३२.४४ लाख का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या मि.सं.११/४/२०१३-पी.आर. दिनांक ०२.०३.२०१५ के द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुसार नहीं किया गया था।

क.५. तुलन पत्र की अनुसूची ६ के अर्न्तगत रु. १२२.४५ लाख का बकाया शुल्क था, जिसका काल के आधार पर विघटन लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

क.६. चेक जमा के रूप में बैंक समाधान विवरण में रु. ५००/- का असमाधानित शेष था, परंतु १ नवम्बर, २०१२ तक बैंक में जमा नहीं किया गया था।

ख. सहायता अनुदान

वर्ष २०१५-१६ के दौरान परिषद् को आयुष मंत्रालय से रु. २५०.०० लाख (योजना: रु. १००.०० लाख तथा गैर योजना: रु. १५०.०० लाख) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। परिषद के पास वर्ष के दौरान रु. १७४५.०० लाख (गैर योजना) की अपनी स्वयं की प्राप्ति तथा रु.१४४.०४ लाख (योजना: रु.१६.६० लाख तथा गैर योजना: रु. १२७.४४ लाख) का अव्ययित शेष था। परिषद वर्ष २०१५-१६ के दौरान रु. १०५७.७८ लाख (गैर योजना) की अप्रयुक्त राशि को छोड़कर रु. १०८१.२६ लाख (योजना: रु. ११६.६० लाख तथा गैर योजना: रु. ९६४.६६ लाख) का प्रयोग कर सकी।

v हमारे प्रेक्षण के अनुसार कार्यवाही के पैरा में हमने रिपोर्ट किया है कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के समझौते के अनुसार हैं।

vi हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरण लेखों पर लेखाकरण नीति एवं टिप्पणी के साथ दिया गया है एवं इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित उपर्युक्त महत्वपूर्ण सामग्री तथा अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य सामग्री सत्य एवं स्वच्छ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।

- क. तुलन पत्र में दिए गए ३१ मार्च, २०१६ तक के क्रियाकलाप भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से सम्बन्धित है।
- ख. यह समाप्ति वर्ष की तिथि तक की आय और व्यय लेखा के अधिशेष से सम्बन्धित है।

भारत के सी. एवं ए.जी. की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: ०६.१२.२०१६

हस्ता./-
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(केन्द्रीय राजस्व)

अनुलग्नक-।

१. आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता
वर्ष २०१४-१५ के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की आंतरिक लेखा-परीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा की गयी।
२. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता
आंतरिक नियंत्रण पद्धति निम्नलिखित के कारण अनुपयुक्त थी:-
क. वर्ष २०१२ से चेक जमा किए गए तथा बैंक में जमा नहीं किए गए असमाधानित रह गए।
ख. वर्ष २०१४-१५ की अवधि से सम्बन्धित ०८ अनुच्छेद ३१ मार्च, २०१६ को बकाया थे।
३. स्थाई परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन पद्धति
वर्ष २०१५-१६ की अवधि हेतु स्थाई परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया गया।
४. सामान सूची की भौतिक सत्यापन पद्धति
वर्ष २०१५-१६ हेतु पुस्तकों तथा प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन कराया गया।
वर्ष २०१५-१६ हेतु लेखन सामग्री तथा उपभोज्य वस्तुओं इत्यादि का भौतिक सत्यापन कराया गया।
५. देय राशि के भुगतान में नियमितता
३१.०३.२०१६ को छः माह तक सांविधिक देय राशि की उत्कृष्ट देयताएं नहीं थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण

(गैर-लाभ-संगठन वर्ष 2015-16 के लिए)

विषय सूची

शीर्ष	पृष्ठ संख्या
तुलन-पत्र	182
आय एवं व्यय का लेखा	183
वित्तीय विवरण की अनुसूचियां	184 से 206
प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा गैर-योजना एवं योजना, सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन पद्धति तथा सार्वजनिक जमा लेखा	207 से 210

**भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
(गैर-लाभ-संगठन)**

31 मार्च, 2016 को यथा तुलनपत्र

(राशि रु.)

दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
समग्र निधि	1 (गै.यो) व 9 (यो.)	42459324	26322	26894550	41448
सार्वजनिक जमा खाता	2	104689260		37252951	
चालू दायित्व	3	67500		17500	
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेंशन पद्धति टायर-1	4	16002925		17230066	
कुल		163219009	26322	81395067	41448
परिसम्पत्तियां					
स्थायी परिसम्पत्ति (अनुसूची 8)		4455525	6362	2818306	21488
चालू परिसम्पत्ति	5 (गै.यो)	29700	19960	29700	19960
बकाया शुल्क	6 (गै.यो)	12245687		9570762	
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेंशन पद्धति टायर-1		16002925		17230066	
डाक टिकटें	7 (गै.यो)	10069		9114	
अन्त शेष :-					
बैंक में नकद (मुख्य खाता)		21643001		11501102	
बैंक में नकद (सार्वजनिक जमा खाता)	10 (गै.यो)	104689260		37252951	
सार्वजनिक जमा खाता पर प्रोद्भूत ब्याज		4142842		2980066	
कुल		163219009	26322	81395067	41448
लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियां	20				

(डा. के. नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

अनुसूची-1

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
समग्र निधि –गैर योजना
यथा 31.3.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

समग्र निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
गत तुलन पत्र के अनुसार	26894550		17310972	
जोड़ें : व्यय से आय की अधिकता	18544840		14728612	
	45439390		32039584	
कटौती :- समायोजित प्रोद्भूत ब्याज	2980066		4934896	
कटौती :- अपूँजीगत परिसम्पत्ति/विमोचन	-	42459324	210138	26894550
कुल		42459324		26894550

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सार्वजनिक जमा खाता
यथा 31.3.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
सार्वजनिक जमा खाता				
गत लेखे के अनुसार	37252951		55095495	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	65000000		-	
	102252951		55095495	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	-		21500000	
	0		33595495	
जोड़े : अर्जित ब्याज	2436309	104689260	3657456	37252951
कुल		104689260		37252951

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
चालू दायित्व का ब्यौरा – गैर योजना
 31.03.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
चालू दायित्व				
प्रतिभूति				
गत लेखे के अनुसार	17500		17,500	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	50000		0	
	67500		17,500	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	0	67500	0	17500
कुल		67500		17500

(डा.के.नटराजन)
 रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि एवं नई पेंशन पद्धति टायर-1
यथा 31.03.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
सामान्य भविष्य निधि				
सावधि जमा के रूप में निवेश	13244034		10244034	
बैंक में नकद	768184	14012218	5492228	15736262
नई पेंशन पद्धति टायर-1				
बैंक में नकद		1990707		1493804
कुल		16002925		17230066

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
गैर-योजना के अधीन चालू परिसम्पत्ति
यथा 31.03.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
पर्व अग्रिम				
गत लेखे के अनुसार	29700		29250	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	49500		49500	
	79200		78750	
घटाएं : वर्ष के दौरान की गई कटौती	49500	29700	49050	29700
कुल		29700		29700

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
गैर-योजना के अधीन बकाया शुल्क का ब्यौरा
31.03.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
बकाया शुल्क				
गत लेखे के अनुसार	9570762		6653719	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	3838925		7488000	
	13409687		14141719	
घटाएं : बकाया के विरुद्ध वसूली	1164000	12245687	4570957	9570762
कुल		12245687		9570762

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभासी

अनुसूची-7

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
डाक टिकटों का ब्यौरा-गैर-योजना
31.03.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
डाक टिकटें				
गत लेखे के अनुसार	9114		8911	
जोड़ें : वर्ष के दौरान	10000		13000	
	19114		21911	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजित	9045	10069	12797	9114
कुल		10069		9114

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
योजना के अन्तर्गत अनावर्तक परिसम्पत्ति (2015-16)

(राशि रू.)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01.04.2015 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03. 2016 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपस्कर	10%	7069	-	-	7069	707	6362
2	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	100%	14419	-	-	14419	14419	0
	कुल		21488	-	0	21488	15126	6362

(डा. के. नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
गैर योजना के अन्तर्गत अनावर्तक परिसम्पत्ति (2015-16)

(राशि रु.)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	अवमूल्यन की दर	01.04.2015 को आद्य शेष	जमा	विमोचन	31.03. 2016 को अन्त शेष	अवमूल्यन	लिखित मूल्य
1	फर्नीचर एवं उपस्कर	10%	1180916	518611	-	1699527	154730	1544797
2	कार्यालय उपकरण	7.5%,15% 25%, 60%	1198204	2321561	-	3519765	977298	2542467
3	वातानुकूलित उपकरण	15%	433248	-	-	433248	64987	368261
4	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	100%	5938	-	-	5938	5938	0
	कुल		2818306	2840172	-	5658478	1202953	4455525

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
समग्र निधि – योजना

31.03.2016 के तुलनपत्र की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
समग्र निधि				
गत तुलनपत्र के अनुसार अव्ययित अनुदान सहित	41448		87199	
घटाएं : आय पर व्यय की अधिकता	1674930		1656013	
	(-) 1633482		1743212	
घटाएं : अपूंजीगत परिसम्पत्ति	-		41960	
			1701252	
अव्ययित अनुदान 15-16	1659804	26322	1659804	41448
कुल		26322		41448

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क गैर-योजना

31.03.2016 तक के आय एवं व्यय लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के दौरान वसूलने योग्य शुल्क	64355000	22710000
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	28350000	9450000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि से प्राप्त शुल्क / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	36125000	37660000
जुर्माने से प्राप्त शुल्क	17200000	500000
नामांकन से प्राप्त शुल्क	21370715	608300
सीधा पंजीयन से प्राप्त शुल्क	-	25000
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	10236	30817
कुल	167410951	70984117

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
प्राप्त वास्तविक शुल्क गैर-योजना

31.03.2016 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बकाया से प्राप्त शुल्क	1164000	4570957
वर्ष के दौरान प्राप्त शुल्क	60516075	15222000
नए महाविद्यालयों से प्राप्त शुल्क	28350000	9450000
प्रवेश क्षमता में वृद्धि से प्राप्त शुल्क/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क	36125000	37660000
जुर्माने से प्राप्त शुल्क	17200000	500000
नामांकन से प्राप्त शुल्क	21370715	608300
सीधा पंजीयन से प्राप्त शुल्क	0	25000
सूचना के अधिकार से प्राप्त शुल्क	10236	30817
कुल	164736026	68067074

(डा. के. नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
अन्य प्राप्तियां गैर-योजना

31.03.2016 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
बचत खाता से प्राप्त ब्याज	1117877	463716
रद्दी की बिक्री	0	38253
कर्मचारियों से के.स.स्वा.यो. के लिए प्राप्त अंशदान	67175	52125
निविदा शुल्क	0	3000
नीलामी	0	82100
विविध प्राप्तियां	1762085	0
कुल	2947137	639194

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राम्भारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
स्थापना व्यय गैर-योजना

अनुसूची-14

31.03.2016 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
सचिव और कर्मचारी वर्ग का वेतन चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता सहित	4406766	4776487
मंहगाई भत्ता	5151235	4841980
मकान किराया भत्ता	1309474	1361991
मंहगाई भत्ता के साथ वाहन भत्ता	1066636	1050499
धुलाई भत्ता	4320	4440
बोनस	62172	69,080
अवकाश यात्रा रियायत	104834	151792
समयोपरि भत्ता / प्रतिकर भत्ता	20500	13325
मानदेय	7500	136000
के.स.स्वा.या. में अंशदान	368832	353464
शिक्षा शुल्क	202963	241316
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	328979	339941
सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित ब्याज	54799	176782
मजदूरी	6859796	3859379
समेकित वेतन	10431983	7130489
एन.पी.एस. टायर-1 में अंशदान	206423	200154
निर्वाह भत्ता	1008879	132364
आयकर	15203	10090
पुरस्कार	0	7300
छूटटी नकदीकरण	21133	92067
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण	24258	48516
वेतन एवं भत्ते	739640	0
जॉच अधिकारी शुल्क	101250	0
भर्ती शुल्क	46048	0
स्टॉफ को प्रशिक्षण	2000	0
कुल	32545623	24997456

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
प्रशासनिक व्यय गैर-योजना

अनुसूची-15

31 03 2016 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रु.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेखन सामग्री	1257154	1317129
दूरभाष	186434	118968
डाक एवं तार	690514	776489
डाक टिकटें	9045	12797
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	23912	18306
वर्दी	21800	9322
लेखा परीक्षा शुल्क	51475	145750
मुद्रण	1735260	518697
विधि सम्बन्धी	3943315	6704731
प्रकाशन	2901730	9444190
बैंक प्रभार	9717	5424
रखरखाव	774604	661881
विविध	1804656	1572531
वेतन के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक में जमा टी.डी.एस.	2078011	1702558
सूचना प्रौद्योगिकी प्रभार	6055562	1248154
कोरियर	38362	3030
टैक्सी प्रभार	13266	7750
विज्ञापन	264555	809634
अध्यक्ष के आवास हेतु किराया	666467	400052
प्रतिभूति जमा	-	168000
नवीकरण	3679234	2020013
उपभोग्य वस्तुएं	-	1540
कुल	26205073	27666946

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सेवा निवृत्ति लाभ

31.03.2016 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
मासिक पेंशन	3283018	3055613
उपदान	0	0
संराशीकृत पेंशन	0	0
छुट्टी नकदीकरण	0	0
कुल	3283018	3055613

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

अनुसूची-17

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
स्थायी परिसम्पत्तियाँ गैर-योजना

31.03.2016 तक के प्राप्तियां ए वं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
फर्नीचर एवं उपस्कर	518611	780239
कार्यालय उपकरण	2321561	1193499
ऐअर कूलिंग यंत्र	0	544588
कुल	2840172	2518326

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
यात्रा व्यय योजना

31.03.2016 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू)

शीर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्यशाला (आयुर्वेद)	3519032	356743
कार्यशाला (यूनानी)	1164407	2413081
कार्यशाला (सिद्ध)	1229106	629081
कार्यशाला (आयुर्वेद / यूनानी / सिद्ध)	973329	1914074
परिदर्शन प्रपत्र हेतु ऑन लाइन प्रशिक्षण	0	1735043
लेखन सामग्री	85500	47370
विविध व्यय	827583	1244804
सूचना प्रौद्योगिकी	3860847	0
कुल	11659804	8340196

(डा. के. नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुसूची-20

लेखाओं एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों पर टिप्पणियां

- 1 खाते ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 2 केन्द्र सरकार से प्राप्त योजना निधि को पृथक निधि के रूप में दर्शाया गया है।
- 3 सार्वजनिक जमा खाता भविष्य के खर्चों के लिए प्राप्त शुल्क से बनाई गई है।
- 4 जोखिम तत्वों से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में लम्बे समय के लिए सावधि जमा में निवेश किया गया है।
- 5 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय गैर-योजना एवं योजना अनुदान तथा शुल्क से प्राप्त राशि से किये गये हैं।
- 6 **समग्र निधि :-**
यह व्यय से आय की अधिकता पर संचित शेष को दर्शाता है जो मुख्यतः शुल्क तथा नियत परिसम्पत्ति के निवल मूल्य से प्राप्त है।
- 7 परिषद पर आज तक के तुलन पत्र पर पेंशन संराशीकरण तथा उपदान इत्यादि हेतु कोई दायित्व नहीं है।
- 8 वर्ष 2015-16 हेतु नियत परिसम्पत्ति पर अवमूल्यन अनुसूची -8 गैर योजना तथा योजना के अनुसार तैयार किया गया है तथा इसे वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।
9. वर्ष 2015-16 हेतु शुल्क का विवरण अनुसूची -11 एवं 12 गैर योजना के अनुसार तैयार किया गया है तथा इसे वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।
10. नई पेंशन पद्धति टायर-1, सामान्य भविष्य निधि तथा सार्वजनिक जमा लेखा के लेखे अलग से हैं तथा मुख्य तुलन-पत्र में गैर-योजना के अधीन दर्शाए गए हैं।
11. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के लेखे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं।

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

सामान्य भविष्य निधि अंशदान का ब्यौरा

31.03.2016 तक के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की रूपित आंशिक अनुसूची

(राशि रू.)

शीर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष	
गत लेखे के अनुसार	15777490		12817804	
जोड़ें : अंशदान व अग्रिमों की वसूली	2520800		2603390	
सावधि जमा पर ब्याज	1050783		1001530	
बचत खाता पर ब्याज	19574		47984	
गैर योजना से स्थानान्तरित ब्याज	54799	19423446	176782	16647490
घटाएं :				
i) अन्तिम अदायगी तथा निकासी	5020000		850000	
ii) कर्मचारियों को अग्रिम	350000	5370000	2000	870000
कुल		14053446		15777490

(डा. के. नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रु.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष		गत वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना		गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना
आद्य शेष					स्थापना व्यय अनुसूची 14 (गै.यो.)	32545623		24997456	
हस्तगत रोकड़	49735		8645						
बैंक में नकद	11454367	1659804	4262561	5099560	प्रशासनिक व्यय अनुसूची 15 (गै.यो.)	26205073		27666946	
डाक टिकटें	9114		8911						
					सेवा निवृत्ति लाभ अनुसूची (16)	3283018		3055613	
प्राप्त अनुदान	15000000	10000000	15660000	4900440	नियत परिसम्पत्ति अनुसूची 17 (गै.यो.)	2840172		2518326	
सार्वजनिक जमा खाता			21500000		यात्रा व्यय अनुसूची 18 (गै.यो.) एवं 19 (यो.)	31593380	11659804	39860503	8340196
प्राप्त शुल्क अनुसूची 12 (गै. यो.)	164736026		68067074		पर्व अग्रिम	49500		49500	
					सार्वजनिक जमा खाता	65000000		0	
त्योहार अग्रिमों की वसूली	49500		49050		राहत निधि	616750		533875	
					सावधि जमा मे निवेश	12500000			
					अन्त शेष				
नई पेंशन पद्धति निधि	1990707				हस्तगत रोकड़	279321		49735	
अन्य प्राप्तियां अनुसूची 13 (गै. यो.)	2947137		639194		बैंक में नकद	21363680		11454367	1659804
प्रतिभूति जमा	50000				डाक टिकटें	10069		9114	
कुल	196286586	11659804	110195435	10000000	कुल	196286586	11659804	110195435	10000000

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि
31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रू.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष					
बैंक में नकद	5492228	2532542	अग्रिम	350000	20000
प्राप्त ब्याज					
i) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1050783	1001530	निकासी व अन्तिम अदायगी	5020000	850000
ii) बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	19574	47984			
iii) गैर-योजना से स्थानान्तरित ब्याज	54799	176782	सावधि जमा में निवेश	3000000	
अन्य प्राप्तियां			अन्त शेष		
i) अंशदान व अग्रिमों की वसूली	2520800	2603390	बैंक में नकद	768184	5492228
ii) परिपक्व सावधि जमा		0			
कुल	9138184	6362228	कुल	9138184	6362228

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

नई पेंशन पद्धति टायर-1

31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रू.)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
			बचत खाता सं 10502082060 में स्थानांतरित	1990707	शून्य
आद्य शेष					
बैंक में नकद	1493804	1050264			
कर्मचारियों से प्राप्त मासिक अंशदान	206423	198555			
परिषद द्वारा महीने का बराबर का अंशदान	206423	198555	अन्त शेष		
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	84057	46430	बैंक में नकद	शून्य	1493804
कुल	1990707	1493804	कुल	1990707	1493804

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

सार्वजनिक जमा खाता

31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

(राशि रु.)


प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
आद्य शेष			भा.चि.के.प. को स्थानांतरित	0	21500000
बैंक में नकद	10045541	5021566			
परिपक्व सावधि जमा	27207410	63676714	सावधि जमा में निवेश	104522423	40810195
भा.चि.के.प. से स्थानांतरित	65000000	-	बैंक प्रभार		
बचत खाता पर प्राप्त ब्याज	121295	125250	अन्त शेष		
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	2315014	3532206	बैंक में नकद	166837	10045541
कुल	104689260	72355736	कुल	104689260	72355736

(डा.के.नटराजन)
रजिस्ट्रार प्राभारी



61-65, Institutional Area, Janakpuri,
New Delhi-110058

ORGANIZATION CHART



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2015-16

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Gazette Notification Extraordinary Part-II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Government of India vide issuing amendments in the said Gazette Notification has changed the members from time to time.

The main objects of the Central Council are as under: -

- i) To prescribe the minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha, Unani Tib and Sowa Rigpa.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition (inclusion/withdrawal) of medical qualifications in/from Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- iv) To prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.
- v) To consider and furnish the recommendations to Government of India on the proposals received from various institutions through Government of India for establishment of new colleges of Indian Systems of Medicine, to increase intake capacity in Under-graduate, Post-graduate degree and diploma courses and to start new Post-graduate course or additional subjects.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been framing and implementing various regulations including the Curricula and Syllabi in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha, Unani Tib at Under-graduate and Post-graduate level.

Central Council has already prescribed following courses at Under-graduate and Post-graduate level. Minimum Standards of Education and Syllabus for different courses for Ayurved, Siddha and Unani Tib have also been laid down by the Council:-

Ayurved

Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurved Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Ayurved Vachaspati (MD- Ayurved)	3 years
Ayurved Dhanwantari (MS-Ayurved)	3 years
PG Diploma in Ayurved (specialty)	2 years

Unani Tibb

Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Mahir-e-Tib (MD-Unani)	3 years
Mahir-e-Jarahat (MS-Unani)	3 years
PG Diploma in Unani (specialty)	2 years

Siddha

Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery)	5-1/2 years
Siddha Maruthuva Perarignar (MD-Siddha)	3 years
PG Diploma in Siddha (specialty)	2 years

All the Colleges of Ayurved, Unani and Siddha are affiliated to various Universities in the country. These Colleges are following the Minimum Standards of Education, Curricula and Syllabi laid down by the Central Council of Indian Medicine.

In pursuance of amendment of Section 13C in Indian Medicine Central Council Act, 1970 by Government of India, the Central Council had to furnish the recommendations to Government of India. Accordingly all Ayurved, Unani and Siddha Colleges have been visited to assess the available facilities of teaching and practical training from admitting students for the year 2015-16 and to verify the compliance submitted by the colleges as well as progress made by colleges after last visitation. The visitation reports were scrutinized and considered, thereafter, CCIM has furnished the recommendations to Government of India. The Government of India after considering the recommendations of Central Council of Indian Medicine, after giving the opportunity of hearing if required has granted/not granted the permission to the colleges for admission.

In this regard, the Central Council of Indian Medicine adopted the following policies forwarded by Government of India, Department of AYUSH, New Delhi vide letter No.R.11011/10/2015-EP (IM-1) dated 05.05.2015 for the year 2015-16 while considering the visitation report of the Ayurveda, Unani & Siddha Colleges visited for the year 2015-16 to send the recommendations to Government of India for granting/not granting permission under Section 13C/13A by Ministry of AYUSH for admission of students in UG & PG Course as the case may be.

On carefully examining the initial findings of the visitation reports received from the Central Council of Indian Medicine (CCIM) till 23.03.2015 for grant of permission or otherwise to Ayurveda, Siddha and Unani (ASU) colleges for the academic session 2015-16, the decision has been taken by the Central Government to adopt the clause of conditional permission under the MSR Regulations for ASU colleges and to grant relaxation in the following three criteria of Minimum Standard Requirements (MSRs) for processing of the cases of ASU colleges for grant/denial of conditional permission

under section 13C/13A of the Indian Medicine Central Council (IMCC) Act, 1970 for the academic session 2015-16 and these relaxations will be applicable for the academic session 2015-16 only will not be applicable for the academic session 2016-17.

- I. Computerized Central Registration System in OPD/IPD: The condition of maintaining the computerized records of patients in OPD/IPD as specified in Sub-regulation (3) of Regulations 7 of MSRs will be exempted for 2015-16 session.
- II. Equipment and Instruments : Availability of requisite number of equipment and instruments as specified in Schedule VII of MSRs will be relaxed by 40% of the total requirement i.e. 60% requirement is cut off for 2015-16 session. However, the colleges will be required to fulfill 90% of the total requirement of equipment by 31st December, 2015.
- III. Part time teachers : Availability of minimum 3 part time teachers out of total requirement as specified in the note of Schedules V of MSRs will be mandatory for 2015-16.
- IV. Availability of at least one teacher in departments:
 - (i) For Ayurveda & Siddha Colleges: The colleges having intake capacity either up to sixty or from sixty-one to hundred sets shall have at least one eligible teacher in each of 14 departments as specified in MSRs.
 - (ii) For Unani Colleges: The Unani colleges having intake capacity either up to sixty seats or from sixty-one to hundred seats shall have at least one eligible teacher in each of 12 departments instead of 14 departments as specified in MSRs.
- V. Higher Faculties : Availability of Higher Faculties as specified in the Schedule V of MSRs will be relaxed as follows:
 - (i) For Ayurveda & Siddha Colleges: The colleges having intake capacity up to sixty seats shall have at least 12 Higher Faculty (as specified in Ayurveda and Siddha MSRs) distributed in at least 7 departments. The colleges having intake capacity from 61 to 100 seats shall have at least 19 Higher Faculty (as specified in Ayurveda and Siddha MSRs) distributed in at least 10 departments.
 - (ii) For Unani Colleges: The colleges having intake capacity up to sixty seats shall have at least 11 Higher Faculty (instead of 12 HF as specified in Unani MSR) distributed in at least 6 departments. The colleges having intake capacity from 61 to 100 seats shall have at least 17 Higher Faculty (instead of 19 HF as specified in Unani MSR) distributed in at least 9 departments.

It may be noted that other mandatory requirements for grant/denial of conditional permission to the ASU colleges for the academic session 2015-16 will be taken into consideration as per the IMCC Act, 1970 and relevant regulations including concerned ASU MSR Regulations without any relaxation.

2. The above mentioned **relaxation for 2015-16 session in the eligibility criteria under MSRs will be considered only on furnishing of an undertaking** by all such

deficient colleges that they will fulfill the shortcomings in these criteria before 31st December, 2015 definitely, in terms of the provisions of the aforesaid Act and Regulations. The compliance made by such colleges in this regard along with compliance to all the eligibility criteria as specified in the concerned MSR Regulations for ASU colleges and attached Hospitals will be verified by the CCIM through a *suo moto* inspection/visitation for consideration of the matter for permission for the next academic session 2016-17. The colleges requiring to furnish undertaking for any of the relaxations as in para 1 above shall be asked specifically by the Central Government to furnish the same in the format and manner specified therein in due course of time.

3. Further, all the three post-graduate education regulations for Post-graduate (PG) ASU colleges are under finalization, the policy decision adopted for the grant/denial of permission to the ASU PG colleges for the academic session 2014-15 is extended for the academic session 2015-16 also as under:

(A) For PG Institutions having UG course:

(i) Teachers: in addition to the Under-graduate (UG) requirement of teachers, 1 Higher Faculty (Professor or Reader) + 1 Lecturer, in concerned department and fulfillment of teacher-student ratio (1:3 for professor, 1:2 for Reader & 1:1 for Lecturer),

(ii) Beds in Hospitals: Minimum 100 bedded hospital for PG Colleges of Ayurveda/Siddha and Minimum 75 bedded hospital for PG Colleges of Unani + 1:4 student-bed ratio for each PG clinical seat over and above the total requirement of beds for UG students intake capacity (up to 60 seats or 61 to 100 seats),

(iii) **Average attendance of patients** per day in OPD as per requirement for UG students intake capacity as specified in concerned MSR Regulations.

(iv) **Bed occupancy:** Minimum 50 % bed occupancy in IPD and

(v) **Fulfillment of other provisions** including staff requirement under relevant PG Education Regulations like Non-teaching staff, Clinical Registrar etc.

(B) For standalone PG Institutions:

(i) **Teachers:** Institute which do not have UG course, shall have 1 Professor or Reader + 1 Lecturer of the concerned specialty and fulfillment of teacher-student ratio (1:3 for professor, 1:2 for Reader, 1:1 for Lecturer),

(ii) **Beds in IPD:** Minimum 75 no. of beds and no. of clinical PG seats should be calculated on the basis of student bed ratio of 1:4.

(iii) **Bed occupancy:** Minimum 50% bed occupancy in IPD,

(iv) **Average attendance of 100 patients** per day in OPD, and

(v) **Fulfillment of other provisions** including staff requirement under relevant PG Education Regulations like Non-teaching staff, Clinical Registrar etc.

4. The CCIM is requested to take into consideration the above-mentioned policy decision of the Central Government on these requirements while forwarding their recommendations and reports in respect of the ASU colleges for grant/denial of permission for the academic session 2015-16. All the

requirements are to be taken into consideration as per the concerned MSRs and UG/PG Regulations for ASU colleges.

5. Further, the Central Council of Indian Medicine is hereby also requested to communicate this policy decision adopted for grant/denial of conditional permission to the ASU UG and PG colleges for the academic session 2015-16 immediately to all concerned colleges, Universities and State Government and also to place the same on the Councils website for wider publicity.
6. This issues with the approval of Competent Authority.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation and maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council. As per provisions of IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining a Central Register in the prescribed manner, which contains the detailed information of practitioners who are enrolled on State Registers of Indian Medicine and who possess any of the recognized medical qualifications included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The maintenance of Central Register of Indian Medicine and updating of the same is a continuous process.

Central Register of Indian Medicine has been displayed on the Council's website i.e. www.ccimindia.org, therefore, the practitioners can verify their names in Central Register of Indian Medicine.

During the year 2015-16, Central Register of the following States for the period mentioned against their names were notified in the Gazette of India Part III, Section IV:-

Details of Central Registers Notified during April 2015- March 2016, is as under:-

	Name of State	Period	Gazette Notification No.	Dated
1.	Bihar	Ist April 2013 to 31 st March 2014	297	August 31, 2015
2.	Goa	Ist April 2013 to 31 st March 2014	299	August 31, 2015
3.	Himachal Pradesh	Ist April 2013 to 31 st March 2014	298	August 31, 2015
4.	Punjab	Ist April 2013 to 31 st March 2014	300	August 31, 2015
5.	Madhya Pradesh	11 th July 2013 to 31 st March 2014	25	January, 15, 2016
6.	Combined Central Register of various States (C.C.R.)	A.P., Goa, Gujarat, Haryana, H.P., J.&K., Karnatak, Kerala, Maharashtra, M.P. T.N., U.P. & Uttrakhand	23	January, 15, 2016
7.	Haryana (Deletion)	From inception to 31 st March, 2014	231	June 27, 2015

8.	Bihar (Deletion)	From January 1987 to 31 st March 2013	339	October 1, 2015
9.	Himachal Pradesh (Deletion)	From inception to 31 st March, 2013	339	October 1, 2015
10.	Chhatisgarh (Deletion)	From inception to 31 st March, 2014	339	October 1, 2015
11.	Gujarat (Deletion)	From inception to 31 st March, 2015	339	October 1, 2015
12.	Madhya Pradesh (Deletion)	From inception to 31 st March, 2014	339	October 1, 2015
13.	Uttar Pradesh (Deletion)	From inception to 31 st March, 2013	22	January 15, 2016
14.	Karnataka (Deletion)	From inception to 31 st March, 2009	24	January 15, 2016
15.	Madhya Pradesh (Deletion)	From inception to 10 th July, 2013	36	January 22, 2016
16.	Punjab (Deletion)	From inception to 31 st March, 2013	37	January 22, 2016
17.	Uttar Pradesh (Deletion)	From inception to 31 st March, 2013	38	January 22, 2016
18.	Maharashtra (Deletion)	From inception to December, 2007	39	January 22, 2016

"Central Registration Certificate issued from 01.04.2015 to 31.03.2016 & Direct Registration Certificate issued from 01.04.2015 to 31.03.2016"

		CRC	DRC
Apr-15	4528 to 4554	27	Nil
May-15	4555 to 4581	27	Nil
Jun-15	4582 to	Nil	Nil
Jul-15	CRC	15	Nil
Aug-15	CRC	Nil	Nil
Sep-15	CRC	28	Nil
Oct-15	CRC	36	Nil
Nov-15	CRC	45	Nil
Dec-15	CRC	40	Nil
Jan-16	CRC	Nil	Nil
Feb-16	CRC	55	Nil
Mar-16	CRC	211	Nil
<u>Total</u>		54+430	

From 1st April, 2015 to 31st March, 2016 484 Central Registration Certificate has been issued 484 and **No** Direct Registration Certificate has been issued.

ADMINISTRATIVE REPORT

Composition of the Central Council of Indian Medicine

The following were the members of the Central Council as on 01.04.2015:-

1. AYURVEDA

1.	Dr. Mallu Prasad	2.	Dr. Mardana Lakshmu Naidu
3.	Dr. Gajendra Bharali	4.	Dr. Basant Kumar Singh
5.	Dr. Mantosh Kumar Jha	6.	Dr. Subhash Chandra Verma
7.	Dr. Prajapati Tripathi	8.	Dr. Ravi Kumar Khichariya
9.	Dr. Karan Singh	10.	Dr. Sawant Pramod Pandurang
11.	Dr. Bharatkumar Khodabhai Boghra	12.	Dr. Kamlesh Chandulal Rajgor
13.	Dr. Vishwajeet Singh	14.	Dr. Ashok Kumar Sharma
15.	Dr. Narendra Kumar	16.	Dr. Gurulinganagouda Basanagouda Patil
17.	Dr. Gowdar Amaregouda Mahantagouda	18.	Dr. Rajashekhar Shankarappa Ganiger
19.	Dr. V.G. Udayakumar	20.	Dr. Ram Mohan
21.	Dr. Surender Patel	22.	Dr. Thorat Dnyaneshwar Eknath
23.	Dr. Sardeshmukh SAdanand Prabhakar	24.	Dr. Wagh Suryakiran Parashuram
25.	Dr. Sawant Ashanand Indrakumar	26.	Dr. Deopujary Jayant Yeshwnt
27.	Dr. Sudarshan Behera	28.	Vaidya Jagjeet Singh
29.	Vaidya Reghunandna Sharma	30.	Dr. Ved Prakash Tyagi
31.	Dr. Hari Ram Bhadoria	32.	Dr. Phool Chander Choudhary
33.	Dr. Bhrigupati Pandey	34.	Dr. Sudhanshu Dutt Sharma
35.	Dr. Manoj Kumar Misra	36.	Dr. Prasanta Kumar Sarkar
37.	Dr. Amitabh Kumar	38.	Dr. Jageshwar Prasad Chaurasia
39.	Dr. R.R. Choudhary	40.	Dr. Umesh Shukla
41.	Dr. D.P. Das	42.	Vaid Shrikant Gunwantrao Deshmukh
43.	Dr. B.R. Ramakrishna	44.	Dr. Nandhinee Vijay
45.	Prof. Satya Narayan Singh	46.	Dr. Rajesh Kumar Sharma
47.	Dr. Ramesh Babu Devalla	48.	Prof. Kulwant Singh
49.	Dr. Niranjani Singh Tyagi	50.	Dr. Mukesh Sharma
51.	Vaidya Devendra Triguna	52.	Dr. Mrs. Ragini Rajan Patil
53.	Dr. Gani K. Mansuri	54.	Dr. Ramesh Krishna Deshmukh
55.	Dr. S. Sarangapani	56.	Dr. Srinivas K. Bannigol
57.	Dr. M. Mohan Alva	58.	Dr. Prof. M.R.V. Nampoothiri
59.	Dr. Swapan Kumar Bhunia	60.	Prof. (Dr.) Badri Prasad Shaw
61.	Dr. (Smt.) Vanitha Muralikumar	62.	Dr. Prasanna Narsimha Rao
63.	Dr. Arvind Kumar Chaudhary		

2. UNANI

1.	Dr. Madanapalli Faseer Ahmed	2.	Dr. Tabrez Akhter
3.	Dr. Rashidullah Khan	4.	Dr. Vinod Pundir
5.	Dr. Ilyas Mazhar Hussain	6.	Dr. Abdul Kabir Dar
7.	Dr. Shamin Ahmad Khan	8.	Dr. Shuhabuddin
9.	Hakim Yousuf Khalil Hussaini	10.	Dr. Shaikh Zubair Ahmed Mohamed Ebrahim
11.	Dr. Mohd. Shafique	12.	Hakim Syed Shafiq Ahmad

13.	Dr. Mohammad Harun	14.	Dr. Anwar Sayeed
15.	Dr. Sayyad Ariz Ahmad Kadri	16.	Hakim Syed Faizan Ahmad
17.	Prof. Mohd. Shoaib Azmi	18.	Prof. Mohd. Ayyoob
19.	Prof. (Mrs.) Shagufta Aleem	20.	Dr. M.D. Kalimur Rahman
21.	Hakim Azhar Hasan	22.	Dr. Rakshinda Subhani
23.	Prof. Dr. Mir Yusuf Ali	24.	Prof. Anis Ahmed Ansari
25.	Dr. Shakir Jamil	26.	Prof. Khalid Zaman Khan

3. SIDDHA

1.	Dr. B. Muthukumar	2.	Dr. V.B. Vijayakumar
3.	Dr. V. Banumathi	4.	Dr. V. Arunachalam

4. SOWA RIGPA

1.	Dr. Thinley Yangjor
----	---------------------

COMMITTEES

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following three main Committees, namely:-

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of the members elected/nominated under clause (a), (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

President is elected by the CCIM as per provision provided in Sub-section 2 of Section 3 of the IMCC Act, 1970.

The following are the office bearers of CCIM as on 31.03.2016:-

1.	President	Dr. Ved Prakash Tyagi
2.	Vice-President (Ayurved)	Dr. Amitabh Kumar
3.	Vice-President (Unani)	Dr. Rashidullah Khan
4.	Vice-President (Siddha)	Dr. V. Arunachalam

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with Clause 6 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Executive Committee consists of the members of all these Systems of Medicine i.e. Ayurveda, Unani & Siddha.

The followings are the members of the Executive Committee as on 31.03.2016:-

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Dr. Ved Prakash Tyagi, President, CCIM | Chairman |
| 2. | Dr. Amitabh Kumar, Vice-President (Ayurveda) | Member |
| 3. | Dr. Rashidullah Khan, Vice-President (Unani) | Member |
| 4. | Dr. V Arunachalam, Vice-President (Siddha) | Member |
| 5. | Dr. Bhirgupati Pandey | Member |
| 6. | Dr. V.G. Udayakumar | Member |
| 7. | Dr. Umesh Shukla | Member |
| 8. | Dr. Srinivas K. Bannigol | Member |
| 9. | Dr. Mohd. Shafique | Member |
| 10. | Dr. Shuhabuddin | Member |
| 11. | Dr. B. Muthukumar | Member |

Meeting of Central Council of Indian Medicine and its various Committees

During the year 2015-16, the following meetings were held:-

1.	Meeting of Enquiry Committee in respect of 46 th Ayurved Committee and 51 st Unani Committee and delay notification of PG Diploma (Unani and Siddha) held on 06.04.2015 at New Delhi.	06.04.2015
2.	Meeting of 210 th Executive Committee held at New Delhi.	07.04.2015
3.	Meeting of 40 th Registration Committee held at New Delhi.	08.04.2015
4.	Meeting to finalize the Syllabus of BUMS final professional session.	21-22.04.2015
5.	Meeting of the Sub-committee to examine the Enquiry Report in respect of Dr. P.R. Sharma, Secretary, CCIM.	21.04.2015
6.	Meeting of the Sub-Committee to revise existing RRs for existing of employees of CCIM.	22.04.2015
7.	Meeting of 211 th Executive Committee held at New Delhi.	22.04.2015
8.	Meeting of 212 th Executive Committee held at New Delhi.	06.05.2015
9.	Meeting of Hearing Committee in respect of Dr. Ram Singh, Mr. Kunwar Shekhar, Mr. Vijendra and others Ayurved College held at New Delhi.	05.05.2015
10.	Meeting of Anti-ragging committee regarding complaint of Dr. Ram Lal Sharma F/o Dr. Deepika Sharma (BAMS student of Sh. Satya Sai Muralidhar Ayurved Medical College & Hospital, Moga, Punjab) held at New Delhi.	05.05.2015
11.	Meeting of Screening Committee of Unani held at New Delhi.	07.05.2015
12.	Meeting of Screening committee of Ayurved held at New Delhi.	6-8.05.2015
13.	Meeting of Hearing Committee in respect of duplicity of A teacher name i.e. Dr. Ashish Parveen.	12.05.2015
14.	Meeting of Screening Committee of Ayurveda held at New Delhi.	13-14.5.2015
15.	Election of Vice-President (Siddha) held at New Delhi.	15.05.2015
16.	Meeting of 213 rd Executive Committee held at New Delhi.	15.05.2015
17.	The meeting of Enquiry report in respect of Dr. P.R. Sharma, Secretary, CCIM held at office of CCIM.	16.05.2015
18.	Meeting of Selection Committee to consider the candidature for one post of Stenographer Grade-II (Hindi-reserved for OBC).	26.05.2015
19.	Meeting of record of proceedings of the Hearing Committee and its meeting.	27.05.2015

20.	Meeting of Sub-committee to be held at New Delhi in respect of amendments of MSR, MSE and PG-regulations of Ayurveda.	27.05.2015
21.	Meeting of Unani Sub-committee in respect on amendments of MSR, MSE and P.G. Regulations of Unani held at New Delhi.	27.05.2015
22.	Meeting of Revision of Standing orders of the employees of the CCIM.	28.05.2015
23.	Sub-committee constituted to purchase of tablet for CCIM members held at New Delhi.	28.05.2015
24.	Meeting of 214 th Executive Committee held at New Delhi.	28.05.2015
25.	Meeting of Sub-committee for proposed amendments in MSR, MSE and PG-regulations of Ayurveda and Unani held at New Delhi.	28.05.2015
26.	Meeting of Revision of Standing orders of the employees of the CCIM.	16.06.2015
27.	Meeting of Sub-committee in respect of purchase of tablet for CCIM members.	16.06.2015
28.	Meeting of Screening Committee Ayurveda and Unani held at New Delhi.	16.05.2015
29.	Meeting of 215 th Executive Committee held at New Delhi.	16.06.2015
30.	Meeting of Hearing Committee in respect of Dr. S.N. Sharma, Professor Dayanand Ayurvedic Medical college and hospital, Siwan and J.D. Ayurvedic medical College, Aligarh held at New Delhi.	17.06.2015
31.	Meeting to examine the enquiry report in respect of Dr. P.R. Sharma, Secretary, CCIM at New Delhi.	17.06.2015
32.	Meeting of Regional Workshop of Ayurveda at Bangalore.	3-4.07.2015
33.	Meeting of discuss on ASU nursing care and education regarding at New Delhi.	07.07.2015
34.	Meeting in respect of Syllabus followed by Hamdard University, Bangladesh for BAMS.	07.07.2015
35.	Meeting of Screening Committee of Ayurveda and Unani held at New Delhi.	08.07.2015
36.	Meeting of Selection committee for the post of Stenographer Grade-II Hindi reserved for OBS held at New Delhi.	08.07.2015
37.	Meeting of 216 th Executive Committee held at New Delhi.	09.07.2015
38.	Meeting of 217 th Executive Committee held at New Delhi.	22.07.2015
39.	Meeting of examine the enquiry report in respect of Dr. P.R. Sharma, Secretary, CCIM.	23.07.2015
40.	Meeting of prepare the syllabus for the 3 rd and 4 th professional BSMS at National Institute of Siddha, Chennai.	30-31.7.2015
41.	Meeting of Jury for the Selection of Awardees in various fields the Ayurveda, Siddha and Unani held at New Delhi	06.08.2015
42.	Meeting of Hearing Committees Ayurved College in the matter related to the discrepancies in the facts submitted by colleges and the teachers held at New Delhi.	10.08.2015
43.	Meeting to Enquire the works of Mr. B.K. Raju, UDC, CCIM.	18.08.2015
44.	Meeting of Co-ordinators of Regional Centre for training to teachers (TTT) is held at New Delhi.	18.08.2015
45.	Meeting of Siddha committee held at New Delhi.	18.08.2015
46.	Meeting of Hearing Committees of Ayurveda in the matter related to the discrepancies in the facts submitted by college and visitors held at New Delhi.	19.08.2015

47.	Meeting of 218 th Executive Committee held at New Delhi.	19.08.2015
48.	Meeting regarding preparation of visitation team schedule for the visitations of Unani college under section 13A.	19.08.2015
49.	Meeting to examine the enquiry report of Dr. P.R. Sharma, Secretary, CCIM.	08.09.2015
50.	Meeting of enquiry committee in respect of working of Mr. B.K. Raju, UDC, CCIM.	08.09.2015
51.	Meeting to review 3 rd professional BSMS course held at National Institute of Siddha, Chennai.	05.09.2015
52.	Meeting to review and amend 13A Regulations held at New Delhi.	21.09.2015
53.	Meeting of 219 th Executive Committee held at New Delhi	21.09.2015
54.	Meeting in respect of Drafting of Regulations on "Minimum Standards infrastructure for Ayurvedic Post-Graduate institution held at New Delhi.	22-23.9.2015
55.	Meeting of Resources, persons to prepare Basic course module for training to teacher (TTT) held at New Delhi	22-23.9.2015
56.	To examine the Enquiry report in respect of Dr. P.R. Sharma, Secretary, CCIM at New Delhi.	23.09.2015
57.	Meeting to finalize the Draft Siddha Post-graduate Regulations and to prepare the draft Regulations of MSR for the Post-graduate Siddha Colleges and attached hospital held at New Delhi	30.09.2015 & 01.10.2015
58.	Meeting of Reforms in UG-regulations (Unani), 2013 held at New Delhi	01.10.2015
59.	Meeting of Review & Finalize Regulations committee held at New Delhi.	12- 13.10.2015
60.	Walk-in-interview for senior, junior Ayurved, Unani and Siddha Technical Associate and multimedia graphic designer in the office of the CCIM.	14.10.2015
61.	Meeting of Screening Committee Ayurveda held New Delhi	26-27.10.2015
62.	Meeting of Education Committee of Siddha held at New Delhi	27.10.2015
63.	Meeting of Ayurved, Unani and Siddha Committee is held at New Delhi	28.10.2015
64.	Meeting of 220 th Executive Committee held at New Delhi	28.10.2015
65.	Meeting of General Body and its various committees is held at New Delhi	29.10.2015
66.	Meeting of orientation for resource person of TTT (Training to teacher) programme is held on New Delhi.	17.11.2015
67.	Meeting in respect of Revise the Recruitment Rules for all the posts of CCIM is held at New Delhi	10.12.2015
68.	Meeting to discuss draft Regulations of Sowa-Rigpa held at New Delhi.	9-10.12.2015
69.	Meeting to Revise the Recruitment Rules for all the posts of CCIM is held at New Delhi.	10.12.2015
70.	Meeting to prepare teaching hours for subjects proposes in "Graduate Ayurveda Medial Education Regulations is held at New Delhi.	10.12.2015
71.	Meeting of 221 st Executive Committee held at New Delhi	11.12.2015
72.	Meeting to prepare teaching hours for subjects proposed in graduate Ayurved medical education regulation held at New Delhi	11.12.2015
73.	1 st meeting of the fund society held at New Delhi	11.12.2015

74.	Meeting to prepare CME module to orient allopathy doctors about Ayurved is held at New Delhi	14-15.12.2015
75.	Meeting to distribution of teaching hours in semester system in Unani.	21.12.2015
76.	Meeting to discuss hours distribution of tending hours in the UG Regulations (Siddha) held at New Delhi.	23.12.2015
77.	Meeting of 222 nd Executive Committee held at India Habitat Centre at New Delhi.	30.12.2015
78.	Meeting of Advisory Panel at India Habitat Centre at New Delhi.	30.12.2015
79.	Meeting of meeting 223 rd Executive Committee held at New Delhi	12.01.2016
80.	Meeting to Finalize PG Diploma Syllabus in respect of Ilmul Saidla and Medicinal plants (Unani).	20.01.2016
81.	Meeting of 224 th Executive Committee to be held at New Delhi	20.01.2016
82.	Walk-in-interview for senior and junior technical associate and TTT programme/E-learning (Online Registration).	21.01.2016
83.	Meeting of 225 th Executive Committee to be held at New Delhi	25.01.2016
84.	Meeting of Sub-committee in respect of misconduct of Dr. V.P. Tyagi held at New Delhi	25.01.2016
85.	Meeting of Hearing regarding reliving order of Dr. Seema from BNM Ayurvedic Medical College Bijapur and Dr. Satyaendra Kumar Mishra Ayujyoti Ayurvedic Medical College Sirsa and Uttaranchal Ayurvedic Medical College Dehradun held at New Delhi	17.02.2016
86.	Meeting of Screening Committee (Ayurveda) held at New Delhi (under session 2016-17 of 13C/13A)	18.02.2016
87.	Meeting of Screening Committee (Unani) to held at New Delhi	18.02.2016
88.	Meeting of Honorarium to the employees of CCIM.	18.02.2016
89.	Meeting of review the recruitment rules for group 'A' posts and amendment in the recruitment rules for the post of Registration officer in CCIM at New Delhi	18.02.2016
90.	Meeting of 226 th Executive Committee held at New Delhi	18.02.2016
91.	Meeting of Sub-Committee in respect of Registration/inclusion held at New Delhi.	29.02.2016
92.	Meeting of Constitution of Complaint Redressal Committee of CCIM at New Delhi	29.02.2016
93.	Meeting of Sub-committee in respect of preparation of curriculum of PG course in Ayurveda for MBBS graduate.	29.02.2016
94.	Meeting of Sub-committee hearing of principals of 06 Ayurveda Colleges and respective inspection team members in pursuance to the inspection report submitted by investigation team and inspection committee of Ministry of AYUSH at New Delhi	01.03.2016
95.	Meeting of Hearing Committee regarding surprise visit conducted by Govt. of India in respect of Unani college at New Delhi	01.03.2016
96.	Meeting of Sub-committee in respect of preparation of revised MSR Ayurveda, Unani and Siddha.	02.03.2016
97.	Meeting of Sub-committee forwarded by 226 th EC under Addl. Agenda Item NO. 13 for the matter regarding consideration of Dr. Surendra Patel as visitor the provision of section 20 of IMCC Act, 1970 at New Delhi.	02.03.2016
98.	227 th Meeting of Executive Committee at New Delhi.	02.03.2016
99.	Meeting of Sub-committee in respect of revised MSR (Ayurveda and	08.03.2016

	Unani) with grading of colleges at CCIM office at New Delhi.	
100.	Meeting of Sub-committee in respect of preparation of revised MSR of Siddha of colleges at New Delhi	10.03.2016
101.	Meeting of Hearing in respect of Dr. Seema Radramneppa, Reader BNM Ayurvedic medical college, Bijapur at New Delhi.	10.03.2016
102.	Meeting of discuss and to do the necessary action as various pending matters pertaining to Siddha System at New Delhi.	21.03.2016
103.	Meeting in respect of discussion on various court cases related to council at New Delhi.	22.03.2016
104.	Meeting of Sub-committee for fact findings regarding allegations imposed on Dr. P.R. Sharma, Registrar-cum-Secretary, CCIM vide office order dated 18.01.2016 at office of the CCIM at New Delhi.	23.03.2016
105.	Meeting of Sub-committee constituted to conduct the matter in respect of NOC at New Delhi.	30.03.2016
106.	Meeting of Sub-committee constituted to examine the present status of Legal work and expenses at New Delhi.	31.03.2016

AYURVEDA

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/included the following medical qualifications of Ayurveda in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 during the year 2015-16 also decided to include the name of college along with recognition of University:-

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
119.63K	Datta Meghe Institute of Medical Sciences (Deemed University), Nagpur	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From the 1st January, 2012 to the 31st December, 2014 If awarded to the students who were admitted with the permission of Government of India in the year 2007 onwards in Mahatma Gandhi Ayurved College, Sawangi (Meghe), Wardha, Maharashtra"	SO 174(E) dated, 08.01.2015
121.	Gujarat Ayurved University, Jamnagar	Ayurved Dhanwantri	(M.S. Ayurved)	From the 1st January 2007 to 31st December 2014, if awarded to students admitted with the permission of the Central Government in the year 2004 onwards in the Institute for Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, office of the Director, Sushruta Bhawan, Gujarat Ayurved	S.O. 1354(E) Dated 12.05.2015

				University, G.G. Hospital Road, Jamnagar-361008, Gujarat.”	
122. 117 & 117A	West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Ayurvedachrya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	B.A.M.S	“From the 1st May, 2010 to the 31st December, 2014, If awarded to the students admitted in the year 2004-05 to 2008-09 with thperrmission of Central Government in the following colleges, namely :- (i) The J.B. Roy State Ayurvedic Medical College and Hospital, 170-172, Raja Dinendra Street, Kolkata - 700 004, West Bengal; (ii) The Belley-Sankarpur Rajib Gandhi Memorial Ayurvedic College and Hospital, Post Kushdanga, Distt. North 24-Parganas, Near Railway Station, Kankinara 743126, West Bengal”	SO No.1564(E) dated, the 04.06.2015
	West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	Ayurved Vachaspati	(M.D. Ayurved)	From the 1st January, 2007 to the 31st December, 2014, If awarded to the students admitted in the year 2004-05 to 2008-09, 2010-11 and 2011-12 with the permission of Central Government in the Institute of Post Graduate Ayurvedic Education and Research Shyamadas Vidya Shastra, Pith. 294/3/1 Asharya Prafulla Chandra Road Kolkata – 700009, West Bengal”.	
125. “25A.	University of Jammu”	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 2006 Onwards	SO No.2846(E) dated, the 24.09.2015
		Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	B.A.M.S	From 1969 to 1981 to the students of Government Ayurvedic College, Jammu	
		Ayurveda Vachaspati (M.D. Ayurveda)	(M.D. Ayurved)	From 2011 onwards Subject to permission granted to the Jammu Institute of Ayurveda and Research, Jammu Tawi, for admission by the Central Government.”	
		Ayurveda Dhanvantri (M.S. Ayurveda)	(M.S. Ayurved)		

126. "9B.	Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 2001 Onwards	SO No.2847(E) dated, the 13.10.2015
		Ayurveda Vashaspati (M.D. Ayurveda)	(M.D. Ayurved)	From 2001 to 2009 Subject to permission granted to Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurved College, Raipur, Chhattisgarh, for admission by the Central Council of Indian Medicine. From 2010 to 2011 Subject to permission granted to Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurved College, Raipur, Chhattisgarh, for admission by the Central Government.	
		Ayurveda Dhanwantri	M.S (Ayurved)	From 2010 to 2011 subject to permission granted to Shri Narayan Prasad Awasthi Government Ayurved College, Raipur, Chhattisgarh for admission by the Central Government."]126	
129. 88E.	Guru Ravidas Ayurved University, Punjab, Hoshiarpur.	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	A. From 2012 to 2013 If granted to the students of regular batch of 2007 and supplementary batches of 2002 to 2007 who are admitted in the following colleges, namely:- (i) Babe Ke Ayurvedic Medical College, Daudhar, District Moga; (ii) Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar; (iii) Desh Bhagat Ayurvedic College, Mandi Gobindgarh; (iv) Government Ayurvedic College, Patiala; (v) Guru Nanak Ayurvedic Medical College and Research Institute, Gopalpur; (vi) Guru Nanak	SO No.2933(E) dated, the 27.10.2015

				<p>Ayurvedic Medical College and Hospital, Muktsar;</p> <p>(vii) Mai Bhago Ayurvedic Medical College, Muktsar;</p> <p>(viii) Saint Sahara Ayurvedic Medical College, Bathinda;</p> <p>(ix) Shaheed Kartar Singh Sarabha Ayurvedic Medical College, Sarabha;</p> <p>(x) Shree Lakshmi Narayan Ayurvedic College, Amritsar;</p> <p>(xi) Smt. Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences, Hoshiarpur;</p> <p>(xii) Sri Satya Sai Murlidhar Ayurvedic College, Moga;</p> <p>B. From 2014 onwards Subject to permission granted for admission by the Central Government to the following colleges, namely:-</p> <p>(i) Babe Ke Ayurvedic Medical College, Daudhar, District Moga;</p> <p>(ii) Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar;</p> <p>(iii) Desh Bhagat Ayurvedic College, Mandi Gobindgarh;</p> <p>(iv) Government Ayurvedic College, Patiala;</p> <p>(v) Guru Nanak Ayurvedic Medical College and Research Institute, Gopalpur;</p> <p>(vi) Guru Nanak Ayurvedic Medical College and Hospital, Muktsar;</p> <p>(vii) Mai Bhago Ayurvedic Medical College, Muktsar;</p> <p>(viii) Saint Sahara Ayurvedic Medical College, Bathinda;</p> <p>(ix) Shaheed Kartar</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(x) Singh Sarabha Ayurvedic Medical College, Sarabha; Shree Lakshmi Narayan Ayurvedic College, Amritsar;</p> <p>(xi) Smt. Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences, Hoshiarpur;</p> <p>(xii) Sri Satya Sai Murlidhar Ayurvedic College, Moga;</p>	
128. 63F.	Bharati Vidyapeeth (Deemed University), Pune	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 2000 onwards	SO 2932(E) dated 27.10.2015
		Ayurved Vachaspati (M.D. Ayurved)	(M.D. Ayurved)	From 2002 onwards	
		Ayurveda Dhanvantri (M.S. Ayurved)	(M.S. Ayurved)	<p>From 2008 to 2009 subject to permission granted to the Bharati Vidyapeeth (Deemed University), College of Ayurveda, Pune-411043, Maharashtra for admission by Central Council of Indian Medicine;</p> <p>From 2010 onwards Subject to permission granted to the Bharati Vidyapeeth (Deemed University), College of Ayurveda, Pune-411043, Maharashtra for admission by the Central Government."</p>	
130. 9AB	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur "	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 1992 onwards	SO 2990(E) & dated 02.11.2015
		Ayurveda Vachaspati (M.D. Ayurveda)	(M.D. Ayurved)	<p>From 1993 to 2010 Subject to permission granted to the Government Ayurvedic College and Hospital, Kadam Kuan, Patna- 03, Bihar, for admission by Central Council of Indian Medicine.</p> <p>From 2011 onwards Subject to permission granted to the Government Ayurvedic College and Hospital, Kadam Kuan, Patna-03, Bihar for admission by Central Government."</p>	

"79E.	KLE University, Belgaum	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 2015 onwards subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanawadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for Admission by Central Government.	SO 1278(E). & dated 15.03.2016
		Ayurveda Vachaspati	M.D. (Ayurveda)	From 1st July 2012 onwards subject to permission granted to KLE Shri B.M. Kankanawadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum for admission by Central Government.	
		Ayurveda Dhanvantri	M.S. (Ayurveda)		
24BC	Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S	From 2014 onwards subject to permission granted for admission by the Central Government to the following colleges, namely:- (i) Shri Baba Mastnath Ayurvedic College, Asthal Bohar, Rohtak; (ii) Gaur Brahmin Ayurvedic College and Hospital, Brahmanwas, Rohtak; (iii) Murari Lal Rasiwasia Ayurvedic College and Hospital, Charkhi Dadri, Bhiwani; (iv) Shri Krishna Government Ayurvedic College and Hospital Umri Road, Kurukshetra; (v) Chaudhary Devilal College of Ayurveda, Jagadhri, Yamuna Nagar."	SO 1279(E). & dated 22.03.2016

THE FORTH SCHEDULE

Sl. No.	Name of University	Recognized medical Qualification	Abbreviation	Validity Period	Gazette Notification No.
120	"Tribhuvan University Institute of Medicine, Kathmandu, Nepal	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery (Ayurved Chikitsa Shastra-Shastri)	B.A.M.S	From the 1st January, 2000 onward."	SO 1198(E) & dated 25.04.2015

NEW PROPOSALS FOR 2015-16 UNDER SECTION 13A

As per the provisions of Section 13 A of the IMCC Act, 1970, and "the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Studies or Training and

Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003,” 56 proposals for establishment of Ayurveda colleges, 43 for new starting PG Course and or Increase in Intake Capacity in existing PG Courses and 11 Combined UG & PG proposals from various Colleges were forwarded by Government of India, Ministry of AYUSH. The Central Council inspected the institutions and made recommendations for approval/ disapproval of the scheme to the Department of AYUSH.

Proposals Received in 2015-2016 for Establishment of New College under Section 13A

S.No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI decision Letter No. & Dated
1.	Baba Hira Das Ji Ayurvedic Medical College & Hospital, V.P.O Badal, Distt.-Muksar-152113 (Punjab)	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/28/2015-EP(IM-1) dated 27.01.2016
2.	Harmony Ayurvedic Medical College & Hospital Adjoining FCI Godowns, Kachha Zira Road, Ferozepur City Punjab-	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/11/2015-EP(IM-1) dated 25.02.2016
3.	Sri Guru Nanak Dev Ayurvedic college and hospital, Raikot Road, Viii.Raqba, Mullanpur, Ludhiana-141422 Punjab	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/37/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
4.	Saraswati Professional and Higher Education Society, VPO Gharuan-140413, Tehsil Kharar, District S.A.S. Nagar Mohali, Punjab	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/07/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
5.	Khalsa Ayurvedic Medical College And Hospital, Punjab,	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session	LOI Not issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/17/2015-EP(IM-1) dated 06.04.2016

		2016-17.	
6.	CIT Ayurvedic College & Research Centre" NH-30, Naya Raipur, Abhanpur, Dist:Raipur-493661 Chhattisgarh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/41/2015-EP(IM-1) dated 05.01.2016
7.	Bharti Ayurved Medical College & Hospital" Pulgaon Chowk, Durg, Chhatisgarh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/14/2015-EP(IM-1) dated 25.02.2016
8.	National College of Ayurved" Dhani Garan Road, Barwala-125121,Hisar, Haryana	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/08/2015-EP(IM-1) dated 25.02.2016
9.	Gold Field Institute of Ayurvedic Medical Sciences & Research, Village Chhainsa, Ballabgarh, Faridabad-121004 Haryana	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI not issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/32/2015-EP(IM-1) dated 02.05.2016
10.	Maa Kalawati Ayurvedic Medical College & Hospital Rajaulatu, Namkum, Ranchi-834010 Jharkhand	Recommended for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI Not recived yet form GOI
11.	Shiva Ayurvedic College and Hospital" Village Luhanu Kanetain, P.O. Chandpur Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur 174004 Himachal Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/20/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
12.	Swami Vivekanand Ayurved	Recommended for	LOI issued to establish a new

	Medical College & Hospital (A unit of Kalyan Seva Sansthan), At Madhav Villa, Simultala, Jamui-Bihar	issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/12/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
13.	Sai Ayurved College, Hospital and Research Centre, at Gat No. 67, Dhengale- Patil nagar, Solapur- barshi Highway, Tal- Barshi, Solapur, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/09/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
14.	Dr. R.N. Lahoti Ayurvedic College, Hospital and Research Institute at Sultanpur, Tal- Lonar, Buldhana, Pin-443307, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/31/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
15.	Shree Rashiklal Manickchand Dhariwal Ayurved College and Hospital" Girivihar, Taleti Road, Palitana, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/30/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
16.	Indian Institute of Ayurved Research & Hospital" Opp. Hill Viw Club, Kalawad Road, 150 ft Ishawariya Ring Road, Rajkot- 360110, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats (instead of 100 seats because the NOC of State Govt. & Consent of affiliation of University is for 60 seats and college also filled 60 seats in visitation proforma) in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/57/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
17.	State Model Institute of Ayurveda Sciences" C/O Block No. 1,2nd Floors, Jivraj Mehta Bhawan, Old Sachivalaya, Kolavada, Gandhinagar, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/05/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
18.	"Shree Swaminarayan	Recommended for	LOI issued to establish a new

	Ayurvedic College" Opp. Kalol GIDC National Highway No. 8, At & Post-Saij, Ta-Kalol, Dist-Gandhinagar 382721-Gujarat	issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/13/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
19.	Eva College of Ayurved" Supedi, Zanzmer Road, at. Supedi, Dist, Rajkot-360440 Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/10/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
20.	Manjushree Research Institute of Ayurvedic Science" Pethapur Mahudi Road Nr GGS, Piplaj Gandhinagar-382610, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/59/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
21.	Haridwar Ayurved Medical College & Research Center, Mustafadbad (Padartha), Dhanpura, Haridwar-249405, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/42/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
22.	Motherhood Ayurved Medical College, Vill.-Karoundi, Po-Bhagwanpur, The.-Roorkee, Distt.- Haridwar, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/23/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
23.	Om Ayurvedic College and Research Centre, Near Crystal World, Roorkee Haridwar NH-58, Vill.-Punchayanpur, PO-Daulatpur, Roorkee (Haridwar) 249402, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/51/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
24.	Sult Ayurvedic medical College & research centre, Shashikal, Tehsil-Sult, District-Almora, Uttarakhand-263676	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in	LOI Not issued to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.

		Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	F.No.R.12011/44/2015-EP(IM-1) dated 26.04.2016
25.	Faculty of Ayurveda, Uttarakhand Ayurved university , Hartawala, Dehradun-248001 Uttarakhand	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/19/2015-EP(IM-1) dated 04.05.2016
26.	Dr. N.A. Magadam Ayurvedic Medical College & Hospital, at Ankali, Tq- Chikodi, Dist. Belgaum, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats (instead of 100 seats because Consent of affiliation from RGUHS, Karnataka and NOC of Govt. of Karnataka is for 60 intake capacity in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/33/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
27.	Sharada Ayurvedic Medical College & Hospital, at Mundarga, Yadgir Distt. Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/39/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
28.	Bidar Vidya Kendra (R) Akkamahadevi Ayurvedic Medical College & Research Centre, Chidri, Bidar, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/06/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
29.	Prasanna College of Ayurveda and Hospital, at Laila, Belthangady, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/29/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
30.	K.T.G. Ayurvedic Medical College & Hospital, at Srigandhadakaval, Hegganhalli Cross, Sunkadakatte-Peenya Road, Vishwaneedma Post, Bangalore, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/61/2015-EP(IM-1) dated 14.03.2016

		the academic session 2016-17.	
31.	Parashar Ayurvedic Medical College & Hospital, Zirniya Narsinggard Road, Parvalia Bhopal -462003, Madhya Pradesh	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI Not issued to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/47/2015-EP(IM-1) dated 11.05.2016
32.	People's University, Peoples Campus Bhanpur, Ayodhyay By Pass Road, Bhopal-462037, Madhya Pradesh	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI Not issued to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/15/2015-EP(IM-1) dated 26.04.2016
33.	Ashtamgam Ayurveda Chikisalyam & Vidyapeedham at Vavanoor, Koottanad, Palakkad, Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/40/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
34.	Vivek College of Ayurvedic Sciences & Hospital, Moradabad Road, Post Agri, Distt. Bijnor Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/02/2015-EP(IM-1) dated 26.02.2016
35.	Indian Institute of Ayurveda & Dhanwantari Life Line Hospital, Village & Post-Sherpur Khanajadpur, Distt. Saharanpur-247162 Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/45/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
36.	Sanjeevani Ayurvedic Medical College, Village- Kudana Chak, Near Brijghat, District-Amroha, Pin-244235 Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/16/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
37.	S.R.S. Ayurvedic Medical	Recommended for	LOI issued to establish a new

	College and Hospital, Village-Sikandarpur, P.O.-Tehara, Gwailor Road, Distt. Agra-282001 (Uttar Pradesh)	issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/26/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
38.	Bapu Ayurvedic Medical College Evam Hospital, Ladanpur, Kopaganj, Dist. Mau, Uttar Pradesh-275101	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/25/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
39.	Prem Raghu Ayurvedic Medical College and Hospital, Near Polytechnic College, Agra Road, Distt. Hathras-204101, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/27/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
40.	K.V. Ayurvedic Medical College & Dev Hospital, Kuberpur, NH-2, Agra-283202 Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/53/2015-EP(IM-1) dated 01.03.2016
41.	Jeevak Ayurved Medical College & Hospital, Research Centre, at Kamlapur, Akauni Chandauli, Uttar Pradesh,	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/35/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
42.	'R.K. Ayurvedic Medical College & Hospital, Kashipur, Surai, Sathiaon, Azamgarh, Uttar Pradesh – 243501	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/43/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
43.	'G.S. Ayurveda Medical College & Hospital, Village-Peeplabandpur, Near Railway	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the

	Station, Pilkhuwa, Distt. Hapur-245304 Uttar Pradesh	new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	academic session 2016-17. F.No.R.12011/56/2015-EP(IM-1) dated 29.02.2016
44.	Glocal College of Ayurvedic Medical Science and Research Centre, Delhi-Yamunotri Marg (State Highway No.-57), Mirzapur,-Pole, Distt.- Saharanpur-247122 Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/22/2015-EP(IM-1) dated 14.03.2016
45.	R.B. Ayurvedic Medical College & Hospital at Jalesar Road, Agra, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/34/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
46.	Mahaveer Ayurvedic Medical College & Hospital, Pohalli Saradhana Road, Meerut, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/21/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
47.	Sri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Vill.-Dungrawali, partapur Bye Pass Road (Delhi- Haridwar Highway), Distt.-Meerut-250103 Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/58/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
48.	'Institute of Ayush Medical Sciences, Vimalarjun Nagar, Bhagoo Kheda, Mohanlal Ganj, Lucknow-261005 Uttar Pradesh'	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/60/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
49.	Dr. Vijay Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre at Village-Bhandaha Kala, Post, Kaithi, Varanasi, Uttar Pradesh'	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/62/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016

		the academic session 2016-17.	
50.	Shri Ramachandra Vaidya Ayurvedic Medical College and Hospital, Yamuna Vihar, Malhaur Road, Near Eldico Tiraha, Chinhat, Lucknow-226028 Uttar Pradesh	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/04/2015-EP(IM-1) dated 13.07.2016
51.	J.P. Ayurvedic Medical College & Hospital" G.T. Road, Sikandrarao, Hathras-204215 Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/46/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
52.	Prakash Institute of Ayurvedic Medical Sciences and Research, at Jhhajar, Bulandshahr, Uttar Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI issued to establish a new Ayurvedic College with 100 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/48/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
53.	Bhagwant Ayurvedic College & Hospital, Bhagwantpuram, 17th Mile Stone, Bijnor-Delhi Highway, Vill-Kelapur Jasmore, Tehsil-Jansath Distt-Muzaffarnagar-251315 Uttar Pradesh	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI Not issued to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/52/2015-EP(IM-1) dated 10.05.2016
54.	WTM Ayurvedic Medical College and Hospital, Village-Fatehpur Mafi, Post-Palaula Joya-Sambhal Road, Distt. Amroha-244222' Uttar Pradesh	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI Not issued to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/49/2015-EP(IM-1) dated 10.05.2016
55.	SRC Ayurvedic Medical College & Hospital, Viii. Rasoolpur, Post-Magorra, Distt.-Mathura, Pin-281001 Uttar Pradesh	Recommend for not issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	LOI Not issued to establish a new Ayurveda College with 100 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/55/2015-EP(IM-1) dated 13.04.2016
56.	Dhanvantari Ayurvedic	Recommended for	LOI issued to establish a new

	Medical College & Hospital, Vill. Chitauli, P.O. Fatehganj (W), Distt. Bareilly-243501 Uttar Pradesh	issuing the Letter of Intent to establish a new Ayurveda College with 60 seats in Ayurvedacharya UG (BAMS) Course from the academic session 2016-17.	Ayurvedic College with 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.12011/24/2015-EP(IM-1) dated 26.02.2016
--	--	--	---

For Starting New PG Course and or Increase in Intake Capacity in existing PG Course Under Section 13A (2015-16)

S. NO	College Name	Recommendation of CCIM	GOI Permission
1.	PNNM Ayurveda Medical College, Shoranur, P.O. Cheruthuruthy-679531, Taluk Thalappilly, Dist.- Thrissur Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 01 new PG courses is Shalyatantra (Samanya) with 03 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 01 new PG courses namely:- Shalyatantra (Samanya) with 03 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/25/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
2.	Ayurved College, 242 B Trichy Road, Sulur Coimbatore 641108, Tamilnadu	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 06 new PG courses namely (i) Samhita Siddhant (ii) Rasashastra (iii) Rognidan (iv) Dravyaguna (v) Kayachikitsa (vi) Shalya tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 06 new PG courses namely (i) Samhita Siddhant (ii) Rasashastra (iii) Rognidan (iv) Dravyaguna (v) Kayachikitsa (vi) Shalya tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/16/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
3.	Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College & Hospital Taluka Ron, Dist. Gadag-582209, Karanataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely (i) Sharir Rachna (ii) Prasuti & Stri Rog (iii) Panchakarma with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 03 new PG courses namely (i) Sharir Rachna (ii) Prasuti & Stri Rog (iii) Panchakarma with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/26/2015-EP(IM-1) dated 11.04.2016
4.	Parul Institute of Ayurved PO Limda Ta. Waghodia Distt. VADODARA 391760 (Gujrat)	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely: - (i) Shalakya Tantra (Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga), (ii) Panchakarma and (iii) Shalya Tantra (Samanya) with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 03 new PG courses namely: - (i) Shalakya Tantra (Shiro Nasa Karna Avum Kantha Roga), (ii) Panchakarma and (iii) Shalya Tantra (Samanya) with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/07/2015-EP(IM-1), F.No.R.14011/06/2015-EP(IM-1) & F.No.R.14011/05/2015-EP(IM-1) dated 11.04.2016
5.	Mahatma Gandhi Ayurved College Hospital & Research Centre, Salod (H), Wardha-442004, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 01 new PG courses namely: - (i) Kaumarbhritya with 06 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 01 new PG courses namely: - (i) Kaumarbhritya with 06 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/14/2015-EP(IM-1) dated 14.03.2016

6.	JR's Tantiya Shri Ganganagar College of Ayurvedic Sciences, Hanumangarh Road, RICCO, Sriganganagar Rajasthan	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely (i) Rachna Sharir-06 (ii) Swasthavritta-04 (instead of 06) and (iii) Dravyaguna- 06 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 03 new PG courses namely (i) Rachna Sharir-06 (ii) Swasthavritta-06 and (iii) Dravyaguna- 06 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/03/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
7.	Shri DGM Ayurvedic Medical College & Hospital, Dr.S.V.Savadi Road, Shivananda Nagar, GADAG, Distt. Dharwad (Karnataka)	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely (i) Kaumarbhritya (ii) Prasuti & Strirog and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 03 new PG courses namely (i) Kaumarbhritya (ii) Prasuti & Strirog and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/30/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
8.	Nitishwar Ayurved Medical College & Hospital Bawan Bigha, Kanhauli P.O. Ramana MUZZAFARPUR 842002 Bihar	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely :- (i) Kayachikitsa (ii) Shalakya Tantra and (iii) Panchakarma with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 03 new PG courses namely:- (i) Kayachikitsa, (ii) Shalakya Tantra and (iii) Panchakarma with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/08/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
9.	Dhanwantari Ayurved College & Hospital P.O.SIDDHAPUR – 581355 Distt. North Kanada, Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG courses namely (i) Kayachikitsa (ii) Panchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 02 new PG courses namely (i) Kayachikitsa (ii) Panchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/31/2015-EP(IM-1) dated 13.04.2016
10.	Govt. Ayurved College, BALANGIR 767001, Orissa	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 01 new PG courses namely: - (i) Rog Nidan evam vikriti vighyan with 04 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 01 new PG courses namely: - (i) Rog Nidan evam vikriti vighyan with 04 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/19/2015-EP(IM-1) dated 16.03.2016
11.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomus) Ayurved College & Institute Science Hills, BHOPAL 462003, Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 01 new PG courses namely:- Kriya Sharir with 05 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 01 new PG courses namely:- Kriya Sharir with 05 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/29/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
12.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Ajwa Road, Vadodara- 390019 Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG courses namely:- (i) Dravyaguna (ii) Rasashastra avum Bhaisjyakalpna with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 02 new PG courses namely:- (i) Dravyaguna (ii) Rasashastra avum Bhaisjyakalpna with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/23/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
13.	Govt. Ayurved College, Sadar	Recommended for issuing	LOI issued to start new PG

	Bagh, JUNAGARH -362001 , Gujarat	the letter of intent to start new PG course namely Samhita Siddhant with 05 seats from the academic session 2016-17.	course namely Samhita Siddhant with 05 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.14011/09/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
14.	TMAE Society's Ayurved Medical College Sankalapur, Tanda Ballary Road HOSPET-583201 (Karnataka)	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase admission capacity in existing PG Course i.e. Shalya Tantra-from 03 to 06 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase admission capacity in existing PG Course i.e. Shalya Tantra-03 to 06 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/40/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
15.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust Ayurved Vishwashanti Dham WAGHOLI -412207 Talq Haveli, Distt. Pune , Maharashtra	Recommended for issuing the letter of intent to start new PG course namely Rognidan with 03 seats and to increase the admission capacity in 01 existing PG Course .i.e. Rachna Sharir from 03 to 06 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start new PG course namely Rognidan with 03 seats and to increase the admission capacity in 01 existing PG Course .i.e. Rachna Sharir from 03 to 06 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/08/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/02/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
16.	Dr.DY Patil Pratishthan Ayurved College, Pimpri, Pune 411018, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 04 new PG Courses Namely:- (i) Rognidan evum Vikriti Vigyan-05 seats(Instead of 06 seats) (ii) Agad Tantra -05 seats, (Instead of 06 seats), (iii)Kaumarbhritya – 04 seats (Instead of 06 seats) and (iv) Shalaky Tantra(Netra Roga)- 02 seats (Instead of 04 seats) (Seats as per NOC issued by state govt. and Consent of Affiliation issued by recognized University submitted by college) and to increase admission capacity in 01 existing PG course (i) Kayachikitsa-04 to 06 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 04 new PG Courses Namely:- (i) Rognidan evum Vikriti Vigyan-05 seats(Instead of 06 seats) (ii) Agad Tantra -05 seats, (Instead of 06 seats), (iii) Kaumarbhritya – 04 seats (Instead of 06 seats) and (iv)Shalaky Tantra(Netra Roga)- 02 seats (Instead of 04 seats in Netra Roga and 6 seats in Shiro-Nasa- Karna evum Kanth Rog) (as per NOC issued by the govt. and Consent of Affiliation issued by recognized University and consented by the college) and to increase admission capacity in 01 existing PG course (i) Kayachikitsa-04 to 06 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/23/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/15/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
17.	Bhagvan Mahavir Jain Ayurved College GAJENDERGARH-582114 Distt. Gadag (Karnataka)	Recommended for not issuing the Letter of Intent to open 01 new PG courses namely Prasuti Tantra with 05 seats from the academic session 2016-17	LOI Not issued to open 01 new PG courses namely Prasuti Tantra with 05 seats from the academic session 2016-17 F.No.R.14011/27/2015-EP(IM-1) dated 26.04.2016

Proposal received in 2015-2016 for increasing Intake Capacity in UG Course only Under Section 13A

S. No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
1.	Rani Dhullaiya Ayurved College & Hospital Z 24, Zone 1, MP Nagar BHOPAL 462011 Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/25/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
2.	Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore Palace Compound, Jaya Mahal Road BANGALORE-560006 (Karnataka)	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 45 to 60 seats with remediable shortcomings. In addition to above, in view of shortcomings, this Council recommends to withdraw the permission for five years i.e. 2014-15 to 2018-19 issued vide letter no. R.17011/59/2014-EP (IM-1) dated 11.08.2014 and to issue conditional permission for this academic year i.e. 2015-16 for existing 45 seats in UG (BAMS) Course.	LOI Not recived yet form GOI
3.	Pt. Shivshakti Lal Sharma Ayurved Mahavidyalaya 497, Katju Nagar RATLAM M.P.	Recommended for not issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/43/2015-EP(IM-1) & 13011/10/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
4.	Bharat Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, 10 K.M., Roorkee Road, Muzaffarnagar, Uttarpradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/04/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
5.	Govindbhai Jorabhai Patil Ayurved Medical College, Vallabh Nagar, Vidyanagar PB No.2 At. Tal . Dist. Anand 388121 (Gujrat)	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/09/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
6.	Maharashtra Education Society, MES Ayurved Mahavidyalaya, Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Distt. Ratnagiri, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/21/2015-

			EP(IM-1) dated 14.03.2016
7.	Vimla Devi Ayurvedic Medical College & Hospital At Wandhari, Post-Tadali Tal & Dist-Chandarpur Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/06/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
8.	Rajiv Gandhi Ayurved Mahavidyalya E-8, Trilanga Colony Distt. SHAHPUR BHOPAL -462039 Madhya Pradesh	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/38/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
9.	Uttaranchal Ayurved College, Ayurved Estate, 17, Old Mussorie Road, Rajpur, Dehradun – 248009, Uttranchal	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/07/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
10.	Dada Saheb Surupsingh Naik Ayurved Mahavidyalaya, Shri Suwalal Bafna, Vidyanagar, Mumbai Agra Mahamarg, NANGAON, Distt. Dhule-424004 Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase intake capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 50 seats (NOC from State Govt. and consent of affiliation from the University available for 40 to 50 seats only) from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 50 seats (instead of 60 seats because the NOC of State Govt. & Consent of affiliation of University concerned is only for 50 seats) in UG (BAMS) course from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/13/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
11.	Mahila Utkarsh Pratishthan Ayurved College, Hospital & Research Centre, PunalikNagar, Degaon, Resort Distt. Washim, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/36/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
12.	JS Ayurved Mahavidyalaya, College Road NADIAD 387001 (Gujrat)	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/27/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
13.	Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences No.34/C, Shivalli	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course

	Industrial Area Taluk & Distt. Udupi, Manipal-576104 Karnataka	UG (BAMS) course from 40 to 100 seats from the academic session 2016-17.	from 40 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/46/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
14.	Rama Krishna Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Center, #54/2, Ramagondanahalli, Yelahanka, Bangalore-560064 (Karnataka)	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase intake capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats with remediable shortcomings (mentioned in the Assessment report enclosed herewith) which have to be complied with by the college before the date of visitation by CCIM for LOP.	LOI Not received yet form GOI
15.	Ayurved & Unani Tibbia College, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, NEW DELHI - 110005	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/32/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
16.	Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Mandir, JAMNAGAR-361008, Gujarat	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/02/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
17.	Ashvin Rural Ayurved College, Sadhvi Preeti Sudhaji MaharajNagar, Manchi Hill, Ashvi B.K. Tal . Sangamner, Distt. Adhmednagar-413714, Maharashtra	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/11/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
18.	B. M. Education Foundation Trust, Shekhawati Ayurvedic College Behl Road, Harikunj, Ganga Colony, Teh. Chirawa, Dist. Jhunjhunu, Pilani - 333031, Rajasthan	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/05/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
19.	Punjab Medical, Technical and General Educational Society, Patiala's Punjab Ayurved Medical College & Hospital, SRI Ganganagar, Rajasthan	Recommended for not issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI Not received yet form GOI
20.	Rajiv Gandhi Rajkiya Government Ayurvedic Post-graduate College,	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course

	Distt Kangra, Paprola – 176115 (HP)	UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/03/2015-EP(IM-1) dated 04.03.2016
21.	KVG Ayurved Medical College & Hospital Kurunji Bag SULLIYA-574327 Distt. Dakshin Kannada (Karnataka)	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/44/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
22.	KMCT Ayurveda Medical College Manassery, P.O, Taluk & District Kozhikkode-673602 Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/20/2015-EP(IM-1) dated 11.04.2016
23.	Shri Hingulambika Education Society Ayurved College Sidramrao Astikar Marg Bhavani Nagar, Maktampura GULBARGA-585 101 (Karnataka)	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/45/2015-EP(IM-1) dated 09.03.2016
24.	Vishnu Ayurveda College, P.O Government Press, Shoranur-679122 Dist.Palakkad Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/31/2015-EP(IM-1) & 14011/24/2015-EP(IM-1) dated 10.05.2016
25.	Shri Dhanwantry Ayurved College & Hospital Sector 46 B CHANDIGARH 160017	Recommended for not issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI Not issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/19/2015-EP(IM-1) dated 26.04.2016
26.	Shri Dhanwantri Ayurvedic Medical College & Research Centre, Chhatta, Mathura	Recommended for not issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17.	LOI Not issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/41/2015-EP(IM-1) dated 26.04.2016

Combined UG & PG Proposals 2015-2016

S. No.	Name of the College	Recommendation of CCIM	GOI Permission
1.	Shri Basaveshwar Vidya VardhakSangha Ayurved College, Bagalkot Distt. Bagalkot 587 101 Bijapur (Karnataka)	Recommended for issuing the Letter of Intent to open 02 new PG courses namely:- (i) Dravyaguna and (ii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject and and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats (which have to be complied with by the college before the date of visitation by CCIM for LOP. Further, the college via letter no AMVB15-16/785 dated 23.11.2015 clarified to cancel their application for PG course in Shalya Tantra(ksharsutra) and Ayurved Samhita & Siddhant , they have applied online for these 02 additional subjects by mistake. Therefore, the above said subjects shall not be considered for LOP for academic session 2016-17.)	LOI issued to open 02 new PG courses namely:- (i) Dravyaguna and (ii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats for academic session 2016-17. And to withdrawal of 02 additional PG course in i. e. (i) Shalya Tantraand (ii) Ayurved Samhita & Siddhant as withdrawn by the college for academic session 2016-17. F.No.R.13011/34/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/28/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
2.	Surya Mukhi Dinesh Ayurved College & Hospital Dinesh Nagram Booty, RANCHI 835217 Jharkhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and to start 04 new PG courses namely:- (i) Pamchakarma (ii) Swasthvrita (iii) Samhita Siddhant (iv) Shalya Tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and to start 04 new PG courses namely:- (i) Pamchakarma (ii) Swasthvrita (iii) Samhita Siddhant (iv) Shalya Tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/37/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/18/2015-EP(IM-1) dated 14.03.2016
3.	Patanjali Bhartiya Ayurvigyan Avum AnusandhanSansthan, Patanjali Yog Peeth, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadradbad Haridwar-249402, Uttarakhand.	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 08 new PG courses namely (i) Samhita Siddhant (ii) Kriya Sharir (iii) Dravyaguna (iv) Rasashastra & Bhaisjyakalpna (v) Kayachikitsa (vi) Shalya Kshar karma evam Anushastra Karma (vii) Karna, Nasa Kantha evam Shiro Rog (viii) Pamchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 08 new PG courses namely:- (i) Samhita Siddhant (ii) Kriya Sharir (iii) Dravyaguna (iv)Rasashastra & Bhaisjyakalpna (v) Kayachikitsa (vi) Shalya (instead of Kshar karma evam Anushastra Karma as per NOC of the State & consent of affiliation), (vii)Shalakya (instead of Karna, Nasa Kantha evam Shiro Rog as per NOC of the state & consent

			of affiliation) and (viii) Pamchakarma with 05 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/17/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/10/2015-EP(IM-1) dated 11.04.2016
4.	University College of Ayurveda (Rajasthan Ayurved University) Post Kadwad, Nagaur Road, Jodhpur-342005, Rajasthan	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and not issuing the letter of Intent to start 02 new PG courses namely:- (i) Panchkarma and (ii) Stri Roga & Prasuti tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and LOI issued to start new PG courses with 12 seats in 02 PG subjects namely:- (i) Panchkarma and (ii) Stri Roga & Prasuti tantra with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/47/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/35/2015-EP(IM-1) dated 11.03.2016
5.	Pankaj Kasthuri Ayurved College, Killy Jn. KALLODE Kaltakada, Thiruvananthapuram Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 01 new PG course in namely Samhita Siddhant with 04 seats instead of 6 seats (NOC issued by state govt. and Consent of Affiliation issued by recognized University is for 04 seats only) and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 01 new PG course in namely Samhita Siddhant with 04 seats (instead of 6 seats because the NOC of state govt. and Consent of Affiliation of University is for 04 seats and college also consented to consider the proposal for 04 seats only) and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/42/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/33/2015-EP(IM-1) dated 13.04.2016
6.	Rishikul Campus, Uttarakhand Ayurved University HARIDWAR-249401, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats and not issuing the LOI to start 07 new PG courses namely :- (i) Bal Roga-03 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Kriya Sharir-06 seats, (iv) Agad Tantra-06 seats, (v) Swasthavritta-06 seats, (vi) Roga Nidan-06 seats and (vii) Maulik Siddhant-06 seats from the academic session 2016-17.	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats and to start 07 new PG courses namely (i) Bal Roga-03 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Kriya Sharir-06 seats, (iv) Agad Tantra-06 seats, (v) Swasthavritta-06 seats, (vi) Roga Nidan-06 seats and (vii) Maulik Siddhant-06 seats from the academic session 2016-17.

			F.No.R.13011/29/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/22/2015-EP(IM-1) dated 02.05.2016
7.	Mannam Ayurved Medical College The Mannam Sugar Mills Cooperative Ltd. 4324 PANDALAM 689501 Kerala	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG courses namely (i) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-03 seats (ii) Dravyaguna-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 02 new PG courses namely (i) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-03 seats (ii) Dravyaguna-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/30/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/32/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
8.	Dr.NR Shastry Govt.Ay. College, Besides VK Super Bazar, Bandar Road, VIJAYAWADA- 520002 (AP)	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely :- (i) Kayachikitsa-05, (ii) Prasuti Tantra-03 seats (instead of 05 seats) and (iii) Dravyaguna-3 seats (instead of 05 seats) and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued the Letter of Intent to start 03 new PG courses namely:- (i) Kayachikitsa, (ii) Prasuti Tantra and (iii) Dravyaguna with 05 seats in each subject and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/12/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/13/2015-EP(IM-1) dated 13.04.2016
9.	Govt. Gurukul Ayurved College ,Gurukul Kangari, HARIDWAR -249404, Uttarakhand	Recommended for issuing the Letter of Intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 06 new PG courses namely :- (i)Kayachikitsa-04 seats, (ii) Panchkarma-03 seats, (iii)Shalya tantra-02 seats, (iv)Shalakya tantra-02 seats (v)Kaumarbhritya-02 seats and not issuing (i) Stri roga & Prasuti tantra-02 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to start 06 new PG courses namely :- (i)Kayachikitsa-04 seats, (ii) Panchkarma-03 seats, (iii)Shalya tantra-02 seats, (iv)Shalakya tantra-02 seats (v)Kaumarbhritya-02 seats and (vi) Stri roga & Prasuti tantra-02 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/28/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/21/2015-EP(IM-1) dated 04.05.2016

10.	Ashwini Educational Association's Ayurved Medical College & PG Centre, #405/1, Op. Bathi Lake, "Ashwini Nagar", P.B. Road, DAVANGARE – 577566 (Karnataka)	Recommended for issuing the letter of intent to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to increase the admission capacity in existing 02 PG course namely:- (i) Kayachikitsa (05 to 06 seats) and (ii) Shalya Tantra (05 to 06 seats) and open 02 new PG course namely:- (i) Kaumarbhritya and (ii)Prasuti Tantra & Stri Rog with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17.	LOI issued to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to increase the admission capacity in existing 02 PG course namely:- (i) Kayachikitsa (05 to 06 seats) and (ii) Shalya Tantra (05 to 06 seats) and open 02 new PG course namely:- (i)Kaumarbhritya and (ii)Prasuti Tantra & Stri Rog with 06 seats in each subject from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/26/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/20/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016
11.	Ayurved Mahavidyalaya, Heggari Extension, OLD HUBLI- 580024 , Karnataka	Recommended for issuing the Letter of Intent to start 02 new PG Courses namely:- (i) Rachna Sharir-03 seats (ii) Roganidan-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to increase admission capacity in 05 existing PG Courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 to 06 seats (ii) Panchakarma- 05 to 06 seats (iii) Rasashastra- 05 to 06 seats (iv)Basic Principal-05 to 06 seats, (v) Shalya Tantra-02 to 05 seats from the academic session 2016-17.	LOI issued to start 02 new PG Courses namely:- (i) Rachna Sharir-03 seats (ii) Roganidan-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and to increase admission capacity in 05 existing PG Courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 to 06 seats (ii) Panchakarma- 05 to 06 seats (iii) Rasashastra- 05 to 06 seats (iv)Basic Principal-05 to 06 seats, (v) Shalya Tantra- 02 to 05 seats from the academic session 2016-17. F.No.R.13011/18/2015-EP(IM-1) and F.No.R.14011/11/2015-EP(IM-1) dated 18.03.2016

**Permission Status for the Proposals of Colleges Received in Previous Year Under Section 13A
(For Letter of Permission)**

S. NO	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
1.	Nitishwar Ayurved Medical College & Hospital Bawan Bigha, Kanhali, P.O. Ramana Muzzafarpur- 842002 Bihar	Recommended to Central Govt. for issuing the Letter of Permission to start new PG courses with 11 seats in 02 PG subjects namely:- (i) Shalya Tantra-06 seats and (ii) Prasuti Tantra & Striroga-05 seats (instead of 06 seats) from the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to start new PG courses with 12 seats in 02 PG subjects namely:- (i) Shalya Tantra (ii) Prasuti Tantra & Striroga 06 seats in each course from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/52/2014-EP(IM-1) dated 19.10.2015
2.	J.S. Ayurved Mahavidyalaya,	Recommended for issuing LOP to start 03 new PG courses	LOP of the Central Govt. is hereby granted to open 03 new PG

	College Road, Nadiad-387001 Dist.-Kaira-Nadiad Gujarat	namely (i) Rachana Sharir (05 seats) (ii) Dravyaguna (05 seats) and (iii) Panchakarma (05 seats) for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	courses namely:-(i) Rachna Sharir(05 seats), (ii) Dravyaguna (05 seats) and (iii) Panchkarma (05 seats) U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/08/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
3.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Ajwa Road, Vadodara- 390019 Gujarat	Recommended for not issuing LOP to increase admission capacity from 35 to 60 seats in existing UG(BAMS) course under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 35 to 60 seats in existing UG(BAMS) course from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act,1970. R-13011/23/2014-EP (IM-1), 27.10.2015
4.	Sheth JP Govt. Ayurved College Opp. Sardar Baug, Panvadi Bhavnagar-364001 Gujarat	recommended for not issuing LOP to increase admission capacity from 35 to 60 seats in existing UG(BAMS) course under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 35 to 60 seats in existing UG(BAMS) course from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act,1970. R-13011/50/2014-EP (IM-1), 27.10.2015
5.	Govt. Ayurved College Pancheshwar Road, Near Geeta Cinema Junagadh 362001 Gujarat	recommended for issuing LOP to increase admission capacity in existing UG Course from 35 to 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 35 to 60 seats in existing UG(BAMS) course from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act,1970. R-13011/56/2014-EP (IM-1), 11.09.2015
6.	Institute for Post-graduate Training & Research In Ayurveda Office to the Director Sushruta Bhavan Gujrat Ayurved University G.G. Hospital Road Jamnagar 361008 Gujarat	recommended to the Central Govt. for issuing the LOP to increase admission capacity in existing 03 PG courses namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 to 06 seats, (ii) Shalaky Tantra-05 to 06 seats and (iii) Kaumarbhartiya-04 to 05 seats and also not issuing the LOP for increase admission capacity in existing 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-04 to 06 seats and (ii) Shalya Tantra-05 to 06 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase admission capacity in existing 03 PG courses namely:-(i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 to 06 seats, (ii) Shalaky Tantra-05 to 06 seats and (iii) Kaumarbhartiya-04 to 05 seats and Denail of permission to increase admission capacity in existing 02 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-04 to 06 seats and Shalya Tantra from 05 to 06 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970. R-13011/47/2014-EP(IM-1) 28.10.2015
7.	Parul institute of ayurved at. Post. Limda Tal. Waghodia, Dist. Vadodara,	recommended to the Central Govt.for issuing the LOP to start new PG Courses in 30 seats in 05 PG subjects namely:-(i) Rasashastra & Bhaishajya	granted permission for issuing LOP to start new PG courses in 05 subjects namely (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (ii) Kriya Sharir (iii) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan

	Gujarat-391760	Kalpna-06 seats, (ii) Kriya Sharir (Doosa Mala Vigyan) -06 seats, (iii) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan-06 seats, (iv) Ayurved Samhita and Siddhanta-06 seats, and (v) Rachna Sharir-06 seats the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	(iv) Ayurved Samhita and Siddhanta and (v) Rachna Sharir with 06 seats in each subject from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970 R-14011/37/2014-EP (IM-1), R-14011/38/2014-EP (IM-1), R-14011/40/2014-EP (IM-1), R-14011/41/2014-EP (IM-1) & R-14011/42/2014-EP (IM-1) 15.10.2015
8.	Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda BPS Mahila Vishwavidyalaya, VPO - Khanpur Kalan, Sonipat Haryana 131305	recommended for issuing letter of permission to increase intake capacity in existing UG course from 50 to 60 seats for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant permission for LOP to increase the admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/13/2014-EP (IM-1) 12.11.2015
9.	Seth Murarilal Rasiwasia Ayurved College & Hospital Ram Krishna Gupta Marg Charkhi Dadri Haryana 127306	recommended for issuing letter of permission to increase intake capacity in existing UG course from 50 to 60 seats for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant permission for LOP to increase the admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/06/2014-EP (IM-1) 14.8.2015
10.	Chaudhary Devlal College of Ayurveda Village-Bhagwanagarh, P.O.-Fatehpur Buria Road, Jagadhri, Yamuna Nagar Haryana 135101	recommended to the Central Govt. For issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats from the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing the Letter of Permission to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats from the session 2015-16. R.13011/02/2014-EP (IM-1) Dated 08.10.2015
11.	AV Samiti's Ayurved Mahavidyalaya Vidya Nagar Bagalkot Road Bijapur Karnataka 586109	recommend to issuing the LOP to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course and to start new PG Courses in 18 seats in 04 PG subjects namely:- (i)Ayurved Samhita Siddhant - 04 seats, (ii) Dravyaguna - 05 seats, (iii) Kayachikitsa - 05 seats, and (iv)Shalya Tantra-04 seats from the session 2015-16 under session 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to open new 04 PG courses namely:- (i)Ayurved Samhita Siddhant - 03 seats (instead of 04 seats), (ii) Dravyaguna -05 seats, (iii) Kayachikitsa - 05 seats, and (iv)ShalyaTantra-04 seats and to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 under session 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/22/2014-EP(IM-1) & R-13011/41/2014-EP(IM-1)30.10.2015
12.	KLE University Shri.BM Kankanawadi Ayurveda Mahavidyalaya Post Graduate	recommended to Central Govt. for issuing LOP to increase admission capacity from 75 to 100 seats in existing UG(BAMS) course, to start 03 new PG courses namely (i) Swasthavritta	Granted Permission for issuing Letter Of Permission to start 03 new PG courses namely, (i) Swasthavritta, (ii) Rasayan & Vajikaran and (iii) Shalakyta Tantra with 06 seats in each subject, and

	Studies and Research Centre Belgaum Shahapur Karnataka 590003	(ii) Kayachikitsa - Rasayan & Vajikaran (iii) Shalaky Tantra with 06 seats in each subject and to increase admission capacity in PG courses namely (i) Kayachikitsa-03 to 06 seats (ii) Sangyahan-02 to 03 seats (instead of 06) (iii)Shalya Tantra- 03 to 06 seats under section 13A of IMCC Act, 1970.	to increase the admission capacity in existing PG courses namely,(i) Kayachikitsa-03 to 06 seats, (ii) Shalya Tantra-03 to 06 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 75 to 100 seats for the session 2015-16. And denial of permission to increase the of PG seats in Sangyahan-02 to 06 seats as the college withdrawn the proposal for the session 2015-16. R.14011/23/ 2014-EP (IM-1)&R.13011/37/ 2014-EP (IM-1) Dated 01.10.2015
13.	JSS Ayurved Medical College No. 41/E, Lalithadripura Road Mysore Karnataka - 570028	recommended for issuing the LOP start new PG Courses in 10 seats in 02 PG subjects namely:- (i) Rognidan 05 seats and (ii) Shalya Tantra-05 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted Permission for issuing LOP of the Central Govt. is hereby granted to open 02 new PG Courses namely:-(i) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/45/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
14.	Sindagi Shantaveereshwar Ayurvedic Medical College Hospital Shantaveer Nagar,P.B.Road, Ijarilakmapur, Haveri, Karnataka 581110	Recommended to Govt. for issuing the letter of permission to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 40 to 60 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of permission to issuing the letter of permission to increase the admission capacity from 40 to 60 seats (20 additional seats) in existing UG (BAMS) course, from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/49/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
15.	Shri Vijay Mahenthesh Ayurvedic Medical College Bus Stand Road, Ilkal. Tqhungund Disst. bagalkot Karnataka 587125	recommended to the Central Govt. for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats and PG in 02 subjects namely (i) Ayurved Samhita Siddhant and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject from the session 2015-16 u/s 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to open 02 new PG courses namely (i) (i) Ayurved Samhita Siddhant and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject and to increase the admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/16/2014-EP (IM-1) &13011/29/2014EP(IM-1) dated 15.10.2015
16.	TMAE Society Ayurved Medical College Sankalapura Tanda, Bellary Road, Hospet Karnataka 583201	recommended for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG course from 50 to 60 seats from the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG(BAMS) course from the academic session 2015-16 U/S 13A of IMCC Act 1970. R.13011/40/2014-EP(IM-1) 15.10.2015

17.	TMAE Society Ayurved Medical College And Hospital Nidige Post.Shimoga Karnataka 577222	recommended for issuing letter of permission to increase admission capacity from 40-60 seats in existing UG (BAMS)course under section 13A of the IMCC Act, 1970.	granting permission for issuing LOP to increase admission capacity from 40-60 seats in existing UG (BAMS)course from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R.13011/75/2014-EP(IM-1) 15.10.2015
18.	Bapuji Ayurvedic Medical College And Hospital Bapuji Campus, T.R. Nagara, Challakere, Chitradurga Karnataka 577522	Recommended to Govt. Of India for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. 13011/67/2014-EP (IM-1) dated 27.10.2014.
19.	Shri J.G. Cooperative Hospital Society's Ayurved Medical College, Ghataprabha, Tq Gokak, Dist. Belgaum, Karnataka 591310	recommended for issuing letter of permission to increase admission capacity from 50-60 seats in existing UG (BAMS)course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for Letter of Permission to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the session 2015-16. R.13011/36/2014-EP (IM-1) 09.10.2015
20.	Shri Kalabyaraveswara Swamy Ayurvedic Medical College No.10, Pipe Line Road, RPC Layout, Vijayanagar, Bangalore. Karnataka 560104	recommended for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG Course from 60 to 100 seats and also to increase the admission capacity in existing 05 PG Courses i.e. (i) Panchkarma, (ii) Prasuti Tantra & Stri Roga, (iii) Shalya Tantra, (iv) Shalakyia tantra and (v) Kayachikitsa from 05 to 06 seats (01 seats in each subject) for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for LOP of the central government is hereby granted to increase admission capacity in existing UG course from 60 to 100 seats and also to increase admission capacity in existing 05 PG courses i.e. (i) Prasuti & Stri Roga, (ii) Kayachikitsa, (iii) Shalya Tantra, (iv) Shalakyia Tantra and (v) Panchkarma from 05 to 06 seats (01 seats in each subject) from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/08/2014-EP (IM-1) & R- 13011/09/2014-EP (IM-1) 4.9.2015
21.	Alvas Ayurveda Medical College Sundari Anand Alva Campus Vidhyagiri, Moodbidri, Mangalore Karnataka 574227	recommended for issuing the Letter of Permission to the college to start 05 PG Courses namely (i) Manovijnana evum Manasa Roga (ii) Sharir Kriya (iii) Swasthavritta (iv) Rognidana evem Vikriti Vijnana and (v) Shalakyia Tantra with 04 seats in each subject for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant permission for LOP to open new 05 PG courses namely- (i) Kriya Sharir (ii) Swasthavritta (iii) Manovigyana evum Manas Roga (iv) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan and (v) Shalakyia Tantra with 04 seats in each subject for the session 2015- 16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/05/2014-EP (IM-1) 14.8.2015

22.	SNVV Samasthe's SGV Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, Tal: Bailhongal, Dist. Belgaum- 591102 Karnataka	recommended to the Govt. for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG Course from 40-60 seats and also to start 04 new PG Course i.e. (i) Swasthavritta, (ii) Kayachikitsa, (iii)Prasuti Tantra & Strirog and (iv) Kaumarbhritya with 04 seats in each subject from the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for LOP to open new 04 PG Courses namely:- (i) Swasthivritta & Yoga, (ii) Prasuti & b Stri Roga (iii) Kaumarbhartiya-Bala Roga and (iv) Kayachikitsa with 04 seats in each subject to increase admission capacity from 40 to 60 seats (20 additional seats) in existing UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/33/2014-EP (IM-1) &R-13011/39/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
	Shri Shivayogeshwar Rural Ayurvedic Medical College & Hospital, Tq:- Saundatti, Dist.-Belgaum, Inchal – 591102 Karnataka	recommended for issuing the Letter of Permission to the college to start 03 new PG Courses namely (i) Sharir Rachna (ii) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana and (iii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject and to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the session 2015-16U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	granted permission for LOP to open 03 PG courses namely:- (i) Rachna Sharir (ii) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana and (iii) Kayachikitsa with 05 seats in each subject and to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/47/2014-EP (IM-1), R-13011/69/2014-EP (IM-1) 15.9.2015
23.	Shri Jagadguru Gavisiddeshwar Sansthan, Ayurvedic Medical College, PG Studies Gavimath Campus, Koppal- 583231 Karnataka	recommended to the Central Govt. for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	granting permission for issuing LOP to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R.13011/16/2014-EP(IM-1) 15.10.2015
24.	Kalmathada Pujya Sri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College & Hospital Manvi-584123, Dist. Raichur Karnataka	Recommended to Govt. for issuing the Letter of Permission to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R.13011/53/2014-EP(IM-1) 02.11.2015 The permission of a period not exceeding five years granted to the college for 40 UG seats vide letter No.R.17011/67/2014-EP(IM-1) dated 06.08.2014 is hereby withdrawn and conditional permission for 40 UG seats under Section 13C/A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2015-16

25.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha Ayurved Medical College & Hospital, P.B. No. 34. Distt. Bagalkot-587101 Bijapur Karnataka	recommended for issuing LOP to open 02 new PG Course namely (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing the Letter of Permission to start 02 new PG Course namely (i) Rasashastra & Bhaishajya kalpana and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject for the session 2015-16. R.14011/18/ 2014-EP (IM-1) 09.10.2015
26.	Shri S.B.Siddhaling Shivacharrya Swamiji Ayurvedic Medical College and Hospital Koppal Road, Mundargi, Dist- Gadag Karnataka 582118	recommended to Central Govt. for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the session 2015 -16 U/S 13A of the IMCC Act.	Granted Permission for issuing the Letter of Permission to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 30 to 60 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970. R.13011/55/ 2014-EP (IM-1) 23.10.2015
27.	Shri Veerpulikeshi Vidyavardhak Samasths Rural Ayurved College & Research Centre Opposite Jmfc Court Ramdurg Road Badami Post Bagalkot Karnataka 587201	recommended to Govt. of India for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 40 to 60 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 40 to 60 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/46/2014-EP (IM-1)27.10.2015
28.	Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College & Hospital Taluka Ron, Dist. Gadag-582209, Karanataka	recommended for issuing letter of permission to increase admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for LOP of the Central Govt. is hereby granted to the admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/31/2014-EP (IM-1) 30.09.2015
29.	Rama Krishna Ayurvedic Medical College and Research Centre, #54/2, Ramagondanahalli, Yelahanka, Bangalore-560064 Karnataka.	recommend to the Central Govt. for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 40 to 60 seats and 25 seats in 05 seats new PG subjects namely (i)Rasashastra & Bhaishykalpana (ii)Dravyaguna (iii) Kayachikitsa (iv) Shalya Tanta & (v) Panchkarma with 05 seats in each subject U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for LOP to open new 05 PG courses namely:- (i) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Dravyaguna Vigyana, (iii) Kayachikitsa, (iv) Shalya Tantra and (V) Panchkarma with 05 seats in each subject and to increase admission capacity from 40 to 60 seats (20 Additional seats) in existing UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/15/2014-EP (IM-1) &R-13011/28/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
30.	Karnataka Ayurved College KECT towers, Near Daivagna Kalyana Mantapa	recommended to the Central Govt. for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats and to	Granted permission for issuing LOP to open 03 New PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana -05 seats, (iii)

	Hoigeball, Ashoknagar post Mangalore, Karnataka 575006	open 03 New PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana -05 seats, (iii) Panchkarma-05 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Panchkarma-05 and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/02/2014-EP (IM-1) & R-13011/07/2014-EP (IM-1) 30.10.2015
31.	Sushrutha Ayurvedic Medical College & Hospital, 'Prashanti Kuteera', Jodi Bingipur, Jigani Hobli, Anekal Taluk, Bangalore – 560106, Karnataka	recommended for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 100 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats for the academic session 2015-16U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/06/2014-EP (IM-1) & R-13011/14/2014-EP (IM-1) 23.10.2015
32.	Sri Sri College Of Ayurvedic Science And Research 21st K.M, Kanakapura Road Udayapura Post, Bangalore Karnataka 560082	Recommended to Govt. of india for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 100 seats & to start 15 seats in 03 new PG courses namely:- (i)Ayurved Samhita Siddhant-04 seats, ii)Dravyaguna-05 seats & (iii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -06 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	granted permission for issuing LOP to open new PG courses with 15 seats in 03 subjects namely:-(i) Ayurved Samhbita & Siddhant-04 seats, (ii) Dravyaguna Vigyana-05 seats and (iii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats and to increase admission capacity from 50 to 100 seats in existing UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/12/2012-EP (IM-1) & R-13011/12/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
33.	Ashwini Ayurvedic Medical College & Research Centre Ring Road, Maralur, Tumkur Karnataka 572105	recommended to Central Govt. of India issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats & to open 03 new PG courses namely :- (i) Swasthvritta-05 seats, (ii) Kriya Sharir-05 seats, (iii) Shalya Tantra-05 seats & to increase admission capacity in existing PG courses from 04 to 05 seats namely (i) Kayachikitsa, (ii) Panchkarma, (iii) Dravyaguna and (iv) Shalakya Tantra for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	granted permission for issuing LOP to open 03 new PG courses namely :- (i) Swasthvritta-05 seats, (ii) Kriya Sharir-05 seats, (iii) Shalya Tantra-05 seats & to increase admission capacity in existing PG courses in (i) Kayachikitsa, (ii) Panchkarma, (iii) Dravyaguna and (iv) Shalakya Tantra from 04 to 05 seats in each course & also to increase the admission capacity from 60 to 100 seats in existing UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of IMCC Act 1970. R-14011/25/2014-EP(IM-1) & R.13011/38/2014-EP(IM-1) Dated 15.10.2015.
34.	SDM Trust's Ayurvedic Medical College, Padma Ayurvedic Hospital & Research Centre, Terdal-587315, Tq.	for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats & to start new PG Course with 14 seats in 04 PG subjects namely:- (i)Rachna	granted permission for issuing LOP to open only 02 new PG Courses namely: - (i) Agad Tantra-05 seats & (ii) Swasthvritta & Yoga- 05 seats & to increase the admission capacity in existing UG

	Jamkhandi, Dist. Bagalkot Karnataka	Sharir - 02 seats (instead of 05 seats) (ii) Kriya Sharir-03 seats (instead of 05 seats) (iii) Agad Tantra- 04 seats (instead of 05 seats) & (iv) Swasthavritta- 05 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	(BAMS) course from 50 to 60 seats and denied to open 2 new PG courses namely: - (i) Rachna Sharir and (ii) Kriya Sharir from the academic session 2015- U/S 13A of the IMCC Act 1970. R-14011/29/2014- EP (IM-1) and R-13011/15/2014- EP (IM-1) 09.11.2015
35.	Smt. Rajeshwari Karpurmth Memorial Ayurved Medical College & Hospital Research Centre Karpurmth Campus, 100Ft Ring Road, Behind KC Naga Near Solapur Road Vijayapura Bijapur Karnataka, 586103	recommended to the Central Govt. for issuing the LOP to increase admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG(BAMS) course & to start new PG courses in 11 seats in 04 PG subjects namely:- (i) Ayurved Samhita and Siddhanta-02 seats, (ii) Swasthavritta-03 seats, (iii) Prasuti & Striroga-03 seats and (iv) Shalakya Tantra-03 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted Permission for issuing the Letter of Permission to increase admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG(BAMS) course and to start new PG courses with 11 seats in 04 PG subjects namely:-(i) Ayurved Samhita and Siddhanta-02 seats, (ii) Swasthavritta-03 seats, (iii) Prasuti & Striroga-03 seats and (iv) Shalakya Tantra-03 seats for the session 2015-16. R.14011/54/2014-EP (IM-1) & R.13011/73/ 2014-EP (IM-1) Dated 09.10.2015
36.	Shri Siddhivinayaka Rural Ayurvedic Medical College Hospital and Research Center Harugeri Gokak Road Harugeri Karnataka 591220 Belgaum	Recommended to Govt of India for granting conditional permission for LOP to increase the Admission Capacity in existing UG course from 50 to 60 seats from the session 2015-16 under section 13A of The IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase the Admission Capacity in existing UG course from 50 to 60 seats from the academic session 2015-16 under section 13A of The IMCC Act, 1970 R.13011/48/2014-EP (IM-) dated 28.10.2014
37.	Pankaja Kasthuri Ayurveda Medical College, Killy, Kattakada, Thiruvananthapuram Kerala 695572	recommended for issuing LOP to start 02 New PG Course of studies namely (i) Kayachikitsa-04 seats and (ii) Shalyatantra with 04 seats in each course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing Letter of permission to start 02 New PG Course namely (i) Kayachikitsa-04 seats and (ii) Shalya Tantra with 04 seats in each course for the session 2015-16. R.14011/13/ 2012-EP (IM-1) Dated 08.10.2015
38.	Sree Narayana Institute of Ayurvedic Studies & Research R Sankar Nagar, Karimpinpuzha P.O, Puthoor, Kollam Kerala 691507	Recommended for issuing LOP to increase admission capacity in existing UG course from 50 to 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granting Letter of Permission to increase admission capacity from 50 to 60 seats (10 additional seats) in existing UG (BAMS) course for 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/70/2014-EP (IM-1) dated 8.9.2015
39.	Parrasianikkadavu Ayurved Medical Colleg, PO Parassinikkadavu, Distt. Kannur	Recommended to Govt. of India for issuing the Letter of Intent to start new PG courses of study in 02 subjects i.e. (i) Agad Tantra & Vidhivaidyak- 03 seats (Instead	Granted to issuing LOP to start 02 new post graduate course of studies namely (i) Agad tantra avum vidhi vaidyaka with 03 seats and (ii) panchakarma with 04 seats

	Kerala 670563	of 06 seats) because NOC of the State Government is for 04 seats & consent of affiliation of University is for 03 seats and (ii) Panchkarma with 04 seats (Instead of 06 seats because NOC of the State Government is for 04 seats & Consent of Affiliation is for 10 seats) subject for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970	from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/01/2015-EP(IM-1) 17.11.2015
40.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurved College & Institute, Behind Manit, Nehru Nagar, Kolar Bypass Road, Science Hills, Bhopal-462003 Madhya Pradesh	for issuing the LOP to start 01 new PG course i.e. Rachna Sharir with 06 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing the Letter of Permission to start 01 new PG course namely, (i) Rachna Sharir with 06 seats for the session 2015-16. R.14011/13/ 2014-EP (IM-1) Dated 08.10.2015
41.	Ayurved Seva Sangh's Ayurved Mahavidyalaya Ganeshwadi Panchavati Tal. & Dist. Nashik- 422003 Maharashtra	recommended for issuing letter of permission to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG course U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing Letter of permission to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG course for the session 2015-16. R.13011/18/ 2014-EP (IM-1) Dated 08.10.2015
42.	Government Ayurved College TULJAPUR ROAD OSMANABAD Maharashtra 413501	recommended for issuing LOP to start 06 new PG courses namely:-(i) Rachna Sharir(ii) Kriya Sharir (iii) Dravyaguna (iv) Agad Tantra (v) Prasuti Tantra (vi) Kaumarbhritya with 06 seats in each course and to increase the admission capacity in 02 existing PG courses i.e. (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana and (ii) Shalya Tantra from 02 to 06 seats in each course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP of the Central Govt. is hereby granted to start 06 new PG course namely:-(i) Rachna Sharir(ii) Kriya Sharir (iii) Dravyaguna (iv) Agad Tantra (v) Prasuti Tantra (vi) Kaumarbhritya with 06 seats in each course and to increase the admission capacity in 02 existing PG courses i.e. (i) (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana and (ii) Shalya Tantra from 02 to 06 seats in each course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/04/2014-EP (IM-1) & R-13011/62/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
43.	Smt. KC Ajmera Ayurved Mahavidyalaya Dayasagar Educational Campus, Agra Road, Deopur, Dhule	recommend to the Central Govt. for issuing the LOP to start 01 new PG course namely Swasthavritta with 05 seats, for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	granted permission for issuing LOP to start new PG course in Swasthavritta with 05 seats from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act 1970. 14011/50/2014-EP(IM-1) DATED 14.10.2015

	Maharashtra 424002		
44.	Ayurvedya Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Near Sion Railway Station Sion, Mumbai Maharashtra 400022	recommended for issuing the LOP to start new PG course in Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana with 06 seats and to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats & 03 PG subjects namely:- (i)Ayurved Samhita from 2 to 6 seats, (ii) Dravyaguna- from 2 to 3 seats and (iii) Kayachikitsa- 2 to 6 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to issuing the Letter fo Permission to start new PG course in Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana with 06 seats and to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats & 03 PG subjects namely:- (i)Ayurved Samhita from 2 to 6 seats, (ii) Dravyaguna- from 2 to 3 seats and (iii) Kayachikitsa- 2 to 6 seats, from the academic session 2015-16U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-14011/49/2014-EP (IM-1) and R-13011/64/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
45.	Nalasopara Ayurved College (Swargiya Shri Suresh Nursingh Dube) Suvery No 112, Medical College Road, Nallasopara E, Tal -vasai Dist- Palghar Thane Maharashtra 401209	Recommend to Govt. of india for issuing the LOP to increase capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 60 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to issuing the Letter fo Permission to increase theadmission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course, from the academic session 2015-16U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/72/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
46.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Sakkardara Square Umred road Nagpur Maharashtra 440024	recommended for issuing the LOP to start 01 new PG course of study in Ayurved Samhita & Siddhant with 05 seats (instead of 06 seats) & to increase the admission capacity in existing 09 PG course i.e. (I)Rachna Sharir- 04 to 06 seats, (ii) Kriya Sharir- 04 to 06 seats, (iii)Rasashastra & Bhaishjya Kalpana- 02 to 05 seats(instead of 06 seats), (iv)Kayachikitsa- 02 to 06 seats, (v)Swasthavritta- 01 to 06 seats, (vi)Shalya Tantra-03 to 06 seats, (vii)Rog Nidana evam Vikriti Vigyan- 01 to 06 seats, (viii)Shalakya Tantra- 01 to 06 seats & (ix)Agad tantra-03 to 06 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted permission for issuing LOP to start 01 new PG course of study in Ayurved Samhita & Siddhant with 06 seats and to increase the admission capacity in existing 09 PG course i.e. (I)Rachna Sharir- 04 to 06 seats, (ii) Kriya Sharir- 04 to 06 seats, (iii)Rasashastra & Bhaishjya Kalpana- 02 to 06 seats, (iv)Kayachikitsa- 02 to 06 seats, (v)Swasthavritta- 01 to 06 seats, (vi)Shalya Tantra- 03 to 06 seats, (vii)Rog Nidana evam Vikriti Vigyan- 01 to 06 seats, (viii)Shalakya Tantra- 01 to 06 seats & (ix)Agad tantra-03 to 06 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/12/2014-EP (IM-1) & R-13011/19/2014-EP (IM-1) 21.10.2015
47.	Mahadeorao Shivankar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research	recommended for issuing the LOP to start PG courses in 05 New subjects viz (i) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-02 seats(instead of 06 seats) and	Granted permission for isuing LOP to start 03 new PG courses namely (i) Panchakrama- 06 seats (ii) Shalya tantra - 06 seats (iii) Kayachikitsa-06 seats and denial of

	Institute, Gondia MS At Kudwa, Ta Gondia Dist Gondia MS Maharashtra 441614	(ii) Kayachikitsa-06 seats, (iii) Shalya Tantra(Samanya) -06 seats (iv) Shalaky Tantra(Netra Roga)03 seats (instead of 06 seats), and (v) Panchkarma-06 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	permission to 02 subjects namely (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats and (ii) Shalaky Tantra-06 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970. R-14011/44/2015-EP (IM-1)-21.10.2015
48.	Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya, P-2, MIDC Area, Shendri Mal, Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur – 416502 Maharashtra	Recommended to Govt. of india for issuing LOP for to start 02 new PG Course of studies namely (i) Panchkarma-06 seats & (ii) Sangyahan-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG Course from 50 to 60 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of Permission for issuing Letter of permission to start 02 new PG Course namely (i) Panchkarma-06 seats & (ii) Sangyahan-04 seats and to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) Course from 50 to 60 seats for the academic session 2015-16. R.14011/19/ 2014-EP (IM-1)& R.13011/34/ 2014-EP (IM-1) Dated 07.10.2015
49.	Pravara Medical Trust's Ayurved College and Shri Eknath Ayurved Rughalaya Shevgaon Tal-Shevgaon Maharashtra 414502	recommended to the Govt. for issuing the LOP to start new PG courses with 06 seats in 02 PG subjects namely:-(i) Prasuti evum Strirog-03 seats and (ii) Shalya Tantra(Samanya)-03 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	granted permission for issuing LOP of the Central Govt. is hereby granted to start 02 New Post Graduate Course of studies i.e. (i) Prasuti Evum Striroga & (ii) Shalyatantra (Samanya) with 03 seats in each course from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/53/2014- EP (IM-1) 01.10.2015
50.	Dr.D.Y.Patil College of Ayurved and Research Centre, Pimpri, Pune Sant Tukaram Nagar, Pimpri, Pune-411018 Maharashtra	recommended for issuing the Letter of Permission to increase admission capacity in existing UG course from 75 to 100 seats in UG (BAMS) course U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970.	granted permission for LOP to increase admission capacity from 75 to 100 seats in existing UG (BAMS) course, from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/58/2014-EP (IM-1) 01.10.2015
51.	Government Ayurved College,Vazirabad, Nanded Vazirabad Maharashtra 431601	recommended for Issuing the LOP to increase the intake capacity in 04 PG courses namely:- (i) Kriya Sharir-04 to 06 seats, (ii) Rognidan-02 to 04 seats, (iii) Kaumarbhartiya-03 to 06 seats and (iv) Shalya Tantra-04 to 06 seats from the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase the admission capacity in 04 PG courses namely:- (i) Kriya Sharir-04 to 06 seats, (ii) Rognidan-02 to 06 seats, (iii) Kaumarbhartiya-03 to 06 seats and (iv) Shalya Tantra-04 to 06 seats from the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970 R-13011/30/2014-EP (IM-1)Dated 21.10.2015
52.	Dr. J.J. Magdum Ayurved Medical College, jaysingpur C.S.No.295,Agar Bhag, Shirol- Wadi	recommended to issue Letter of Permission to the college to increase the admission capacity in existing UG course from 40 to 60 seats for the session 2015-16	granting permission for issuing LOP to increase the admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13 A of the IMCC Act, 1970.

	Road, A/p. Jaysingpur, Tal.Shirol , Dist. Kolhapur Maharashtra 416101	U/S 13 A of the IMCC Act, 1970.	R-13011/32/2014-EP (IM-1) 15.10.2015
53.	SMBT Ayurved College and Hospital NandiHills, Dhamangaon, Tal. Igatpuri, Dist.Nashik Maharashtra 422403	recommended to the Central Govt. of India for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG course from 50 to 60 seats and to start new PG course in 42 seats in 07 PG subjects namely:-(i) Kayachikitsa-06 seats, (ii) Panchkarma-06 seats,(iii) Prasuti & Striroga-06 seats, (iv) Balroga-06 seats, (v) Sangyahan-06 seats, (vi) Shalya Tantra-06 seats and (vii) Shalakya Tantra-06 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to to increase the admission capacity in existing UG course from 50 to 60 seats and to start 07 new PG courses with 40 seats namely:-(i) Kayachikitsa-06seats, (ii) Panchkarma-06 seats,(iii) Prasuti & Striroga-06 seats, (iv) Balroga-06 seats, (v) Sangyahan-04 seats (instead of 06 seats), (vi) Shalya Tantra-06 seats and (vii) Shalakya Tantra-06 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-14011/43/2014-EP (IM-1) & 13011/61/2014-EP (IM-1) 27.10.2015
54.	Shri KR Pandav Ayurved College & Hospital Bahadura, Near Dighori Naka Umred Road Nagpur Maharashtra- 411204	recommended for issuing LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to60 seats 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing Letter of permission to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to60 seats 2015-16. R.13011/60/2014-EP (IM-1) Dated 08.10.2015
55.	Mai Bhago Ayurvedic Medical College for Women Ferozpur Road, Distt. Muktsar- 152026, Punjab	recommended to the Govt. For issuing the LOP to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/ S 13 A of the IMCC Act, 1970.	recommended for issuing the LOP to increase the admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BAMS) course, from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/06/2014-EP (IM-1) 31.8.2015
56.	Smt. Urmila Devi Ayurvedic College & Hospital V.P.O Kharkan Distt. Hoshiarpur Punjab 146110	recommended to Govt. of India for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 100 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing Letter of permission to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 (instead of 100 seats) from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/22/2014-EP(IM-1) 5.11.2015
57.	Babe Ke Ayurvedic Medical College & Hospital VPO. Daudhar Moga Punjab 142053	recommended to Govt. of India for not issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 60 to 100 seats for the session2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Issue permission letter to increase admission capacity from 60 to 100 seats in existing UG course as Letter of Intent dated 20.03.2015 is hereby withdrawn. R-13011/03/2014-EP(IM-1) dated 28.10.2015

58.	Sri Ganganagar College of Ayurvedic Sciences and Hospital Tantia University, Near RIICO Bus Stand Ganganagar Rajasthan 335002	recommended for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats for the session 2015-16 under session 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG course from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-13011/66/2014-EP (IM-1) 16.9.2015
59.	University College of Ayurved, DR S R Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur University College of Ayurveda NH 65 Nagour Road Karwar Jodhpur Rajasthan 342037	recommended to the Central Govt. of India for issuing the LOP to increase admission capacity in existing BAMS (UG) course from 50 to 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	granted permission for issuing LOP to increase admission capacity from 50 to 60 seats (10 additional seats) in existing UG course from the academic session 2015-16 U/S 13a of the IMCC Act, 1970 R-13011/20/2014-EP (IM-1) 29.9.2015
60.	Government Ayurveda Medical College & Hospital Cape Road Kottar Nagercoil Tamil Nadu 629002	recommended to Govt. Of India for issuing the LOP to increase admission capacity in existing UG (BAMS) course from 50 to 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing Letter of permission to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG course for the session 2015-16. R.13011/63/ 2014-EP (IM-1) Dated 21.10.2015
61.	State Ayurved College Tulsidas MARG Lucknow Uttar Pradesh 226003	recommended to the Central Govt. for issuing the LOP to start new PG Courses with 15 seats in 03 PG subjects namely:-(i) Kaumarbhartiya-05 seats(ii) Dravyaguna-05 seats and (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Granted permission for issuing LOP to to start 02 new PG courses (instead of 03 PG courses) namely:-(i) Kaumarbhartiya-05 seats(ii) Dravyaguna-05 seats and denial of permission to start 01 new PG course namely Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats from the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R.14011/03/2014-EP(IM-1) 30.10.2015
62.	Aligarh Ayurvedic Medical College and ACN Hospital, Aligarh opp.F.M. Tower, Anoopshahar Road Aligarh Uttar Pradesh 202002	recommended for issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG (BAMS)Course from 50 to 60 seats from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Granted Permission for issuing Letter of permission to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970. R.13011/05/ 2014-EP (IM-1) Dated 23.10.2015
63.	JD Ayurvedic Medical College & Hospital Bhankari, G.T. Road, Aligarh Uttar Pradesh 202001	recommended to Central Govt. For issuing the LOP to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 100 & to start new PG course in 29 seats in 05 subjects namely (i) Ayurved Samhita	granted permission for issuing LOP to start new PG course in 05 subjects namely (i) Ayurved Samhita evam Siddhanta-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya

		evam Siddhanta-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats and (v) kayachikitsa-05 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Kalpana-06 seats and (v) kayachikitsa-05 seats and to increase the admission capacity in existing UG(BAMS) course from 50 to 100 U/S 13A of IMCC Act 1970 from the academic session 2015-16. R-14011/26/2014-EP(IM-1) & R-13011/35/2014-EP(IM-1) 14.10.2015
64.	Major SD Singh P.G. Ayurved Medical College & Hospital Bewar Road, Fatehgarh Uttar Pradesh 209601	recommended for issuing LOP to start new PG courses in 06 subjects i.e. (i)Dravyaguna - 06 seats (ii) Swasthavritta - 06 seats (iii) Agad Tantra - 06 seats (iv) Kaumarbhritya - 06 seats (v)Shalakya Tantra - 06 seats (vi) Panchakarma - 06 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970.	Granted permission for issuing LOP to start new PG courses in 06 subjects i.e. (i) Dravyaguna Vigyan (ii) Swasthavritta (iii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka(iv) Kaumarbhritya (v)Shalakya Tantra (vi) Panchakarma with 06 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-14011/20/20014-EP(IM-1) dated 27.10.2015
65.	Faculty of Ayurveda Institute Of Medical Science Banaras Hindu University Faculty of Ayurvda Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University Varanasi Uttar Pradesh 221005	recommended for issuing LOP to start 01 new PG Course namely:- (i) Shalya-Kshara Sutra evam Anu Shastra Karma-06 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act , 1970 &Recommended to Govt. of India for granting conditional permission to 02PG Diploma courses namely:-(i) Kaumarbhritya (Balroga)-02 seats and (ii) Sangyaharan-02 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Granting permission for issuing LOP to start 01 new PG Course namely:- (i) Shalya-Kshara Sutra evam Anu Shastra Karma-06 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act , 1970. R-14011/35/2014-EP (IM-1) 29.10.2015
66.	Sri Adi Shiva Sadguru Alli Saheb Sivaaryula Ayurvedic Medical College and Research Centre, Guntakal- 515801, Anantapur, Andhar Pradesh	Recommended to Govt. Of India for issuing the Letter of Permission to establish new Ayurved College with 100 seats in UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/25/2014-EP (IM-1) 6.8.2015
67.	Maria Educational and Charitable Trust, Chevaracode, Veeyanoor Post, Kanyakumari Distt- 629177 Tamil Nadu	Recommended to Govt. Of India for issuing the Letter of Permission to establish new Ayurved College with 60 seats in UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/23/2014-EP (IM-1) 17.7.2015

68.	Shri Dharmasthala Manjunatheshwar a Institute of Ayurveda & Hospital, Anchepalya, Kumbalagoudu Village, Bengaluru, Karnataka	Recommended to Govt. Of India for issuing the Letter of Permission to establish new Ayurved College with 100 seats in UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/18/2014-EP (IM-1)21.7.2015
69.	Tapovana Ayurvedic Medical College & Hospital Doddabathi – 577566, Davangere, Karnataka	Recommended to Govt. of india for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2014-EP (IM-1) 19.8.2015
70.	Faculty of Ayurvedic Science, Jayoti Vidayapeeth Women's University, Vedant Gyan Valley, Jharna, Mahala-Jobner Link Road, Jaipur- Ajmer Expressway, Jaipur- 303122, Rajasthan	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2014-EP (IM-1) 15.7.2015
71.	Mansarovar Ayurved Medical College, Hospital & Research Center Kolar Road- Bhopal- 4642024 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved collegewith 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2014-EP (IM-1) 18.11.2015
72.	Shanti Institute of Medical & Higher studies, Shanti Ayurvedic Medical College & Hospital, Majhauri-Ballia 277001, Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for issuing the LOP with 60 seats in UG(BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2014-EP (IM-1) 21.9.2015
73.	Shaheed Narendra Kumar Ayurveda Medical College & Hospital, Pisawa Road Chandans, Aligarh-212132 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/19/2014-EP (IM-1) 12.10.2015
74.	Dr. Krishna Gopal Dwivedi Ayurvedic Medical College and Hospital	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 50 seats in	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 50 seats in UG (BAMS) course from the

	Sarmau, Jhansi-284003 Uttar Pradesh	UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2014-EP (IM-1) 12.8.2015
75.	Shri Babu Singh Dadduji Ayurvedic Medical College & Hospital Krishna Nagar (Baghar) Kanpur Road, Fatehgarh-Farrukhabad-209601 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/03/2014-EP (IM-1)24.7.2015
76.	Shri V.M. Mehta Institute of Ayurved, 405, Shilp Tower, Tagore Road, Nr. Bhaktinagar Railway Station, Rajkot, Campus Gardi Vidyapith, Kalavad Road, Village, Anandpur-361162,Rajkot Gujarat	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 50 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/06/2014-EP (IM-1) 03.9.2015
77.	Faculty of Indian Medical System, SGT University, Chandu-Budhera, Gurgaon- Badli Road, Haryana-122505	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/14/2014-EP (IM-1) 31.7.2015
78.	Sri Babu Singh Jay Singh Ayurvedic Medical College & Hospital Bhaupur, Bewar Road, Fatehgarh, Dist. Farrukhabad - 209602 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/09/2014-EP (IM-1) 21.7.2015
79.	Gangaputra Ayurvedic College,Kaithal Road Kandela,Distt. Jind - 126102 Haryana	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2014-EP (IM-1) 15.10.2015
80.	Jeevan Jyoti Ayurvedic Medical College & Hospital, 10TH K.M. Mile Stone, Khair Road	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.

	Lodha, Aligarh-202001, Uttar Pradesh	IMCC Act, 1970.	R-12011/35/2014-EP (IM-1) 3.9.2015
81.	Yashvantrao Chavan Ayurvedic Medical College & Hospital, Shiva Trust Campus, Nipani Bhalgaon, Near Videocon Communication Ltd., Beed Highway Road, Aurangabad-431005, Maharashtra	Recommended to Govt. of India for issuing the letter of permission to establish new ayurved college with 100 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission to establish a new Ayurveda Medical College with intake capacity of 100 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/39/2014-EP (IM-1) 16.9.2015

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Ayurveda colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2015-16 (1st April, 2014-31st March, 2015) under section 13C of IMCC Act, 1970.

S.No	Name of the College	Recommendation by CCIM for the Year 2015-16	Decision of Govt of India for the Year 2015-16
1.	Dr. BRKR Govt Ayurvedic College Opp. E.S.I Hospital Erragadda Hyderabad-500038 Andhra Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 30 seats in 06 PG namely:-(i) Kayachikitsa-10 seats, (ii) Shalya Tantra-03 seats, (iii) Shalaky Tantra- 03 seats,(iv) Prasuti & Striroga-04 seats, (v) Dravyaguna-06 seats & (vi) Panchakarma-04 seats(instead of 06 seats) and denial of permission for 06 seats in 01 PG course i.e. Ayurveda Samhita & Siddhanta for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG)course and 31 seats in 06 PG courses namely (i) Kayachikitsa-10 seats, (ii) Shalya Tantra-03 seats, (iii) Shalaky Tantra-03 seats, (iv) Prasuti & Striroga- 04 seats, (v) Dravyaguna-06 seats & (vi)Panchakarma-05 seats(instead of 06 seats) and denial of permission for 06 seats in 01 PG course i.e. Ayurveda Samhita & Siddhanta for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/01/2015-EP (IM-1) 14.9.2015
2.	Dr.NR Shastry Govt. Ayurvedic College, M.G.Road,Vijayawada-520002 Urban Mandal, Krishna District Andhra Pradesh	Recommended to Govt. Of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 30 seats & 05 seats in 01 PG subjects namely, Rasashastra & Bhaishajya Kalpna for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional Permission for UG (BAMS) course with 30 seats and 05 seats in 01 PG subject namely, Rasashastra & Bhaishajya Kalpna, for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/02/2015-EP (IM-1) 15.09.2015
3.	Sri Venkateswara Ayurvedic College SVIMS Campus, Tirupati North-517507 Andhra Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BAMS) course with 40 seats and 28 seats in 05 PG	Grant of conditional permission with 40 seats in BAMS(UG) course and 29 seats in 05 PG courses namely:-(i) Dravyaguna-06 seats, (ii) Rasashastra evum

		subjects namely(i) Dravyaguna-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii) Shalya Tantra-06 seats, (iv) Panchkarma-06 seats and (v) Kaumarbhartiya-04 seats (instead of 06 seats) and denial of permission for 06 seats in 01 PG course namely, (i) Ayurveda Samhita Siddhant for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Bhaishajya kalpana-06 seats, (iii) Panchkarma-06 seats (iv) Shalya Tantra-06 seats, (V) Kaumarbhartiya-05 seats (instead of 06 seats) and denial of permission for 06 seats in 01 PG course i.e. Ayurveda Samhita & Siddhanta for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/03/2015-EP (IM-1) 01.10.2015
4.	Anantha Laxmi Govt. Ayurvedic College, Post Laxmipura, Labour Colony, Tq. & Dist. Warangal-506013 Andhra Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG) course for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, R-17011/04/2015-EP (IM-1), 11.9.2015
5.	Vaagdevi Ayurvedic Medical College Vill: Bollikunta, Mdl: Sangem, Dist:-Warangal- 506005 Andhra Pradesh	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.12011/23/2007-EP(IM-1) 20.10.2015
6.	Shree Vaageshwari Ayurvedic Medical College, Rama Krishna Colony, Near L.M.D. Police Station, Thimmapur, Karimnagar - 505481 Andhra Pradesh	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.12011/12/2007-EP(IM-1) dated 20.10.2015
7.	MNR Ayurveda Medical College & Hospital MNR Nagar, Narsapur Road, Fasalwadi, Sangareddy- 502294, Medak District Andhra Pradesh	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.12011/32/2007-EP(IM-1) 16.10.2015
8.	Government Ayurvedic College, Jalukbari, Distt-Kamrup (Metro), Guwahati- 781014 Assam	Recommended to Govt. Of India for not granting permission for existing UG (BAMS) course and 02 PG courses i.e. (i) Kayachikitsa and (ii) Samhita Siddhant for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 06 PG courses viz (i) Ayurveda Samhita & Siddhant-06 seats, (ii) Rachna Sharir-02 seats, (iii) Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan-03 seats (iv) Prasuti Tantra & Stri Roga-04 seats, (v) Kayachikitsa-06 seats and (vi) Shalya Tantra-03 seats for the academic session 2015-16 U/S 13c/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/05/2015-EP(IM-1) 01.10.2015
9.	Government Ayurvedic College & Hospital Kadam Kuan, Patna	Recommended to Govt. of india for not granting permission for UG	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 08 seats in 02 PG

	800003, Bihar	(BAMS)/PG course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	courses i.e. (i) Dravyaguna - 04 (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana - 04 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/06/2015-EP(IM-1) dated 15.10.2015
10.	Ravindranath Mukherjee Ayurved College Motihari, Dist. East Champaran- 845401 Bihar	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS Course with 40 seats under section 13C/13A of the IMCC Act for the academic session 2015-16. R17011/07/2015 –EP (IM-1) 20-10-2015
11.	Rajkiya Ayodhya Shivkumar Ayurved College & Hospital At Lohiyannagar, Po- Suhirdnagar, Dist. Begusai-851218 Bihar	Recommended to Govt. of india for not granting conditional permission for existing UG(BAMS) course with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2015-16. R.17011/08/2015-EP(IM-1) dated 21.10.2015
12.	Swami Raghavendracharya Tridandi Ayurved Mahavidyalaya and Chikitsalaya, Karjara Station, PO Manjhouli Via Wazirganj, Gaya- 823001 Bihar	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19. letter no.R-17011/09/2014-EP (IM-1) 29.08.2014	
13.	Shri Motisingh Jageshwari Ayurved College & Hospital Bada Telpa, Chapra- 841301, Saran Bihar	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/10/2015-EP(IM-1) dated 15.10.2015
14.	Nitishwar Ayurved Medical College & Hospital Bawan Bigha, Kanhauli, P.O. Ramana Muzzafarpur- 842002 Bihar	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/11/2015-EP(IM-1) 01.10.2015
15.	Ayurved Mahavidyalaya Ghughari Tand, Gaya- 823001 Bihar	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2015-16. R-17011/12/2015-EP(IM-1) dated16.10.2015
16.	Dayanand Ayurvedic Medical College & Hospital Siwan- 841266 Bihar	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 08 seats in 02 PG course namely:-(i)	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS)course and 08 seats in 02 PG courses namely (i) Kayachikitsa-

		Kayachikitsa-04 seats and (ii) Dravyaguna-04 seats for the session 2015-16 under section 13C of IMCC Act, 1970	04seats (ii) Dravyaguna-04 seats for the session 2015-16 under section 13C/13A of IMCC Act, 1970. R.17011/13/2015-EP(IM-1) 15.09.2015
17.	Shri Narayan Prasad Awasthy Government Ayurved College G.E. Road, Raipur- 492001 Chhattisgarh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats and 28seats in 07 PG course namely- (1)Kayachikitsa-05 seats(ii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpna-03 seats(iii)Ayurved Samhita Siddhant-03 seats,(iv)Rachna Sharir-03 seats, (v)Shalya Tantra-03 seats, (vi)Dravyaguna-06 seats and (vii)Roga Nidan-05 seats(Instead of 06 seats) for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS)course and 29 seats in 07 PG course namely-(1)Kayachikitsa-05 seats (ii)Rasashastra & Bhaishajya Kalpna-03 seats (iii) Ayurved Samhita Siddhant-03 seats, (iv)Rachna Sharir-03 seats, (v)Shalya Tantra-03 seats, (vi)Dravyaguna-06 seats and (vii)Roga Nidan-06 seats for the academic session2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R.17011/15/2015-EP (IM-1) 26.8.2015
18.	Rajiv Lochan Ayurved Medical College Village & Post- Chandkhuri Gunderdehi Road, Distt. Durg- 491221 Chhatisgarh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS)course for the acedemic session 2015-16 under section13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/16/2015/-EP(IM-1) 27.7.2015
19.	Chhatisgarh Ayurved Medical College G.E. Road, Village Manki, Dist.-Rajnandgaon 491441 Chhatisgarh	Recommended to Govt.of India for granting conditional permission for existing UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S, 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the acedemic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/03/2005/-EP(IM-1) 15.7.2015
20.	Shri Dhanwantry Ayurvedcl College & Dabur Dhanwantry Hospital Plot No.-M-688, Sector 46-B Chandigarh- 160017	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5years i.e. Upto 2018-19 letter. R.17011/14/2014 -EP(IM-1) 25.09.2014	
21.	Ayurved & Unani Tibbia College and Hospital Ajmal Khan Road, Karol Bagh New Delhi-110005	Recommended to Govt. of india for granting conditional permission for UG (BAMS) Course with 40 seats and also for not granting permission to 02 PG Courses i.e. (i) Kayachikitsa-03 seats, (ii) Kriya Sharir-03 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course and denial of permission for 06 seats in 02 PG Courses namely (i) Kayachikitsa-03 seats, (ii) Kriya Sharir-03 seats for the acedemic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/17/2015/-EP (IM-1) 28.10.2015

22.	Chaudhary Brahm Prakesh Charak Ayurved Sansthan Khara Dabur, Najafgarh, New Delhi-110073	Recommended to Govt. of india for granting Conditional Permission for UG (BAMS)course with 100 seats and 29 seats for post graduate courses in 05 subjects namely (i)Rachana Sharir- 06 seats (ii) Kriya Sharir- 06 seats (iii) Rognidan- 06 seats (iv) Kayachikitsa- 06 seats (v) Panchkarma-05 seats for the session 2015-16	Grant conditional permission in BAMS (UG) course with 100 seats and 03 PG courses i.e. (i) Rachna Sharir, (ii) Kayachikitsa and (iii) Rog Nidan & Vikriti Vigyan with 06 seats in each course and denial of permission for taking admission in 02 PG courses namely:-(i) Panchkarma-05 seats and (ii) Kriya Sharir-06 seats for the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/03/2010-EP(IM-1) 15.7.2015
23.	Bharteeya Sanskrit Prabodhini, Gomantak Ayurveda Mahavidyalaya & Research Centre,Kamakshi Arogyadham Vajem, Shiroda Tq. Ponda, Dist. North Goa- 403103 Goa	Recommended to Govt. of india for granting Conditional Permission for UG (BAMS)course with 60 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/18/2015-EP(IM-1) 13.8.2015
24.	Govt. Akhandanand Ayurved College & Hospital Lal Darvaja, Bhadra Ahmedabad- 380001 Gujarat	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG course and PG in 04 subjects namely:-(i)Kayachikitsa (ii) Panchkarma (iii) Shalya- samanya and (iv) Shalaky- Karna, Nasa, Kantha & Shiro Roga for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 (instead of 75) seats in (BAMS) course and 04 PG courses namely:- (i)Kayachikitsa-06 seats, (ii) Panchkarma-05 seats, (iii) Shalya-samanya - 05 seats and (iv) Shalaky- Karna, Nasa, Kantha & Shiro Roga -05 seats for the session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/19/2015-EP(IM-1) 01.10.2015
25.	J.S. Ayurved Mahavidyalaya, College Road, Nadiad- 387001 Dist.-Kaira-Nadiad Gujarat	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG course with 60 seats and PG course in 02 subjects i.e. (i) Bhaishajya kalpana-05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission for conducting the BAMS course with 60 UG seats and 02 PG courses namely:-(i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970 R-17011-20/2015-EP(IM-1) 15.7.2015
26.	Govt. Ayurved Mahavidyalaya Ajwa Road, Vadodara- 390019	Recommended to Govt. of india for granting Conditional Permission for UG (BAMS) course with 35 seats for session	Grant of conditional permission for 35 seats in UG (BAMS)course for the academic session 2015-16

	Gujarat	2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/21/2015-EP(IM-1), 11.9.2015
27.	Aryakanya Shuddha Ayurved Mahavidyalaya Kareli Baug, Vadodara- 390018 Gujarat	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2015-16. R.17011/22/2015-EP(IM-1) dated 21.10.2015
28.	Sheth JP Govt. Ayurved College Opp. Sardar Baug, Panvadi, Bhavanagar- 364001 Gujarat	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG(BAMS) course with 35 seats, for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 35 seats in UG (BAMS)course for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/23/2015-EP(IM-1), 16.10.2015
29.	Govt. Ayurved College, Pancheshvar Road, Nr. Geeta Cinema Junagadh- 362001 Gujarat	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 35 seats, for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970	Grant of Conditional permission for conducting the BAMS course with 35 UG seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/24/2015-EP(IM-1) 24.7.2015
30.	Shri Balahanuman Ayurved Mahavidyalaya At & Post Lodra, Ta.Mansa, Dist. Gandhinagar-382835 Gujarat	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 35 UG seats for the academic session 2015-16 R.17011/25/2015-EP(IM-1) dated 29.10.2015
31.	Shri OH Nazar Ayurved College Nr. Railway Station, Lal Darwaja Road, Tauka: Choryasi, Dist- Surat- 395003, Gujarat	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG(BAMS) course with 50 seats, for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 UG seats in BAMS course for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/26/2015-EP(IM-1) 5.8.2015
32.	Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya Dhanwantri Mandir Jamnagar 361008 Gujarat	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG(BAMS) course with 60 seats, for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act 1970. R-17011/27/2015-EP(IM-1) 15.09.2015
33.	Institute for Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda Office to the Director Sushruta Bhavan Gujrat Ayurved University	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 49 seats (instead of 50 seats) in 10 PG subjects namely:- (i) Ayurveda Samhita	Grant of conditional permission for 49 seats (instead of 50 seats) in 10 PG subjects namely:- (i) Ayurveda Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii)

	G.G. Hospital Road Jamnagar 361008 Gujarat	& Siddhanta-06 seats, (ii) Dravyaguna-06 seats (iii) Kaumarbhartiya-04 seats, (iv) Rognidan-03 seats, (v) Shalaky Tantra-05 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats, (vii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (viii) Panchkarma-06 seats, (ix) Kayachikitsa-03 (instead of 04 seats) and (x) Prasuti Tantra & Stri Roga-06 seats and 06 PG Diploma courses namely:-(i) Kashara Karma- 02(instead of 05 seats), (ii) Balroga-02 seats(instead of 05 seats), (iii) Netra Roga Vigyan-05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (v) Ayurvedic Cosmetology & Skin Disease-02 seats & (vi)Prasuti Tantra & Stri Roga-02 seats for the session 2015- 16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Dravyaguna-06 seats (iii) Kaumarbhartiya-04 seats, (iv) Rognidan-03 seats, (v) Shalaky Tantra-05 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats, (vii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (viii) Panchkarma-06 seats, (ix) Kayachikitsa-03 (instead of 04 seats) and (x) Prasuti Tantra & Stri Roga-06 seats and 17 seats in 04 PG Diploma courses namely:-(i) Balroga-05 seats(ii) Netra Roga Vigyan-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, & (vi) Prasuti Tantra & Stri Roga-02 seats and denial of permission for 07 seats in 02 PG Diploma courses namely (i) Ayurvedic Cosmetology & Skin Disease-02 seats (ii)Kashara Karma-05 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/28/2015-EP(IM-1) 16.10.2015
34.	Parul Institute of Ayurved, P.O Limda, Tal. Waghodia Distt. Vadodara- 391760 Gujarat	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 100 seats and 30 seats in 05 PG courses namely:-(i) Kaumarbhartiya-06 seats, (ii) Shalya Tantra-Kshar Karma evam Anushastra Karma-06 seats, (iii) Prasuti Tantra & Stri Roga-06 seats, (iv) Kayachikitsa-06 seats and(v) Dravyaguna-06 seats, for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 05 PG courses namely-(i) Kaumarbhartiya, (ii) Shalya Tantra-Kshar Karma evam Anushashtra Karma (iii) Prasuti Tantraevam Stri Roga (iv) Kayachikitsa and (v) Dravyaguna with 6 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/04/2005-EP(IM-1) 14.8.2015
35.	Govindbhai Jorabhai Patel Ayurveda College and Research Centre B/h G.I.D.C, New Vallabh Vidyanagar, Taluka; Dist. Anand-388121 Gujarat	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970. (College submitted letter to surrender the Post Graduate seats in the subjects of Kayachikitsa and Rognidan with 05 seats in each subject).	Grant of Conditional Permission for 60 seats in UG (BAMS) course and Denial of Permission for 10 seats in 02 PG courses namely-(i) Rog Nidan avam Vikriti Vigyan-05 seats and (ii) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970

			R-12011/01/2005-EP(IM-1) 01.10.2015
36.	Shri Baba Mastnath Ayurvedic College VPO :- Asthal Bohar Distt. Rohtak- 124021 Haryana	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission for BAMS course with 60 UG seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/29/2015-EP(IM-1) 27.8.2015
37.	Shri Maru Singh Memorial Institute of Ayurveda B.P.S. Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan, Tehsil-Gohana, Dist.- Sonipat-131305 Haryana	Recommended to Govt. of india for granting Conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act 1970.	Grant of conditional permission with 50 UG seats in BAMS course for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/30/2015/EP(IM-1) 14.8.2015
38.	Gaur Brahmin Ayurvedic College & Hospital, Village & P.O. Brahmanwas Dist. Rohtak-124001 Haryana	Recommended to Govt. of india for not granting permission for UG (BAMS) course with 100 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Denied permission for taking admission to BAMS Course with 100 UG Seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the Academic session 2015-16. R-17011-31/2015-EP (IM-1) 16-11-2015
39.	Murari Lal Rasiwasia Ayurvedic College & Hospital, R.K. Gupta Marg Charkhi Dadri, Dist.-Bhiwani-127306 Haryana	Recommended to Govt. of india for Conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 UG seats in BAMS course for the academic session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970 R-17011/32/2015EP(IM-) 27.7.2015
40.	Shri Krishna Govt. Ayurvedic College & Hospital Umri Road, Near DC Residence, Sec-8, kurukshetra-136118 Haryana	Recommended to Govt. of india for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Granted Conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16. R-17011-33/2015-EP (IM-1) Dated 01.10.2015
41.	Chaudhary Devlal College of Ayurveda, Bhagwangarh, Buria Road, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar, Haryana	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 UG seats in BAMS course for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act 1970. R-17011/34/2015-EP(IM-1) 5.8.2015
42.	Ayujyoti Ayurvedic College & Hospital Jodhpuria, Sirsa- 1250766 Haryana	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG course with 50 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019- 20 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 50 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 under section 13C of the IMCC Act, 1970 R-12011/11/2009-EP(IM-1) 15.7.2015

43.	Rajiv Gandhi Govt. Post-Graduate, Ayurvedic College, Paprola, Tehsil-Bajjnath, Dist. Kangra-176115 Himachal Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 11 PG courses namely (i) Kayachikitsa-06 seats, (ii) Shalya tantra-04 seats, (iii) Shalakyta tantra-04 seats, (iv) Samhita Siddhanta-04 seat, (v) Rasashastra-03 seats (vi) Dravyaguna-03 seats (vii) Rognidan-03 seats (viii) Prasuti tantra -03 seats, (ix) Balaroga-03 seats, (x) Panchakarma-03 seats (xi) Swasthavritta-03 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission for conducting the BAMS course with 50 UG seats & 11 PG Courses, i.e. (i) Kayachikitsa-06 seats (ii) Shalya Tantra-04 seats (iii) Shalakyta Tantra-04 seats, (iv) Ayurveda Samhita & Sidhant -04 seats (v) Rasashastra & Bhishajyakalpana-03 seats (vi) Dravyaguna-03 seats (vii) Rognidan & Vikruti Vigan-03 seats (viii) Prasuti Tantra -03 seats, (ix) Kaumarbhritya (Balroga)-03 seats, (x) Panchakarma-03 seats & (xi) Swasthavritta-03 seats for the session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/35/2015-EP(IM-1) 28.8.2015
44.	Jammu Institute of Ayurved & Research Muthi, Nardhani Raipur Ban Talab Road Jammu Tawi 181123	Recommended to Govt of India for granting permission for UG course with 90 seats and 03 PG course with 05 seats in each subject namely (i) Kriya Sharir (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeded five years with 90 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 03 PG courses viz (i) Kriya Sharir, (ii) Kayachikitsa and (iii) Shalya Tantra with 05 seats in each course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/36/2015-EP(IM-1) 16.7.2015
45.	Suryamukhi Dinesh Ayurved Medical College & Hospital At & P.O-Booty, Via Neori Vikash Dist:- Ranchi 835217 Jharkhand	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 40 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeded five years with 40 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 under section 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/37/2015-EPIM-1)-15.7.2015
46.	Govt. Ayurveda Medical College & Hospital Sayyaji Rao Road, Vishweshwaraiah Circle, District Mysore-570021 Karnataka	Recommended to Govt. Of India for not granting permission for UG(BAMS) course with 50 seats and 12 seats in 02 PG subjects namely:- (i) Ayurved Samhita Siddhant-05 seats & (ii) Kayachikitsa-07 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG(BAMS) course & 02 PG courses viz. (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-05 seats & (ii) Kayachikitsa-07 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act 1970.

			R-17011/38/2015-EP(IM-1) 4.9.2015
47.	Aroor Laxminarayana Rao Memorial Ayurvedic Medical College, Koppa- 577126, Dist. Chikmagalur Karnataka	Recommended to Govt. of india for granting Conditional permission for UG (BAMS)course with 60 seats and 16 seats in 03 PG courses namely (I) Dravyaguna-06 seats, (II) Kayachikitsa-05 seats (III) Rasashastra &Bhaishjyakalpna-05 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG(BAMS) course and 16 seats in 03 PG courses viz-(i) Dravyaguna Vigyana-06 seats, (ii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (iii) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/39/2015-EP(IM-1) 26.8.2015
48.	Govt. Ayurvedic Medical College Dhanwantri Road, Bangalore-560009 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 40 seats in 06 PG course namely:-(i) Dravyaguna-07 seats, (ii)Rasashastra-06 seats, (iii) Rognidan-06 seats, (iv) Shalya Tantra-07 seats, (v) Shalkya Tantra-07 seats & (vi) Panchkarma-07 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG(BAMS) course and 40 seats in 06 PG courses viz-(i) Dravyaguna-07 seats, (ii)Rasashastra-06 seats, (iii) Rognidan-06 seats, (iv) Shalya Tantra-07 seats, (v) Shalakyia Tantra-07 seats & (vi) Panchkarma-07 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/40/2015-EP(IM-1) 26.8.2015
49.	Taranath Govt. Ayurvedic Medical College, Ananthpura Road, Bellary- 583101 Karnataka	Recommended to Govt. of india not to grant permission for UG (BAMS)course with 40 seats and PG in Rasashastra 07 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 40 seats in UG (BAMS) course and 01 PG courses in Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana with 07 Seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/41/2015-EP(IM-1) 8.9.2015
50.	A.V. Samiti's Ayurveda Mahavidyalaya Vidya Nagar, Bagalkot Road, Dist. & Tal Bijapur-586101 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats and PG in Rasashastra and Bhaishajyakalpna with 05 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and PG in Rasashastra & Bhaishajyakalpna with 05 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/42/2015-EP(IM-1) 5.8.2015
51.	Ayurved Mahavidyalaya & Hospital Heggeri Extension	Recommended to Govt. of india for Conditional Permission for UG course with 50 seats and PG	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 22

	Old Hubli-508824 Karnataka	courses with 22 seats in 05 subjects i.e.(i) Samhita Siddhanta-05 seats,(ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-05 seats,(iii) Kayachikitsa-05 seats,(iv) Shalya Tantra -02 seats and (v) Panchkarma -05 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	seats in 05 PG courses viz (i) Ayurved Samhita & Siddhant-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-05 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats, (iv) Shalya Tantra-02 seats and (v) Panchkarma-05 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/43/2015-EP(IM-1) 21.7.2015
52.	Karnataka Liberal Education University, Shri B.M. Kankanawadi Ayurveda Mahavidyalaya Shahapur, Belgaum- 590003 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for 75 seats in UG (BAMS) course and 42 seats for PG in 8 subjects viz (i) Kayachikitsa-03 ,(ii)Shalya Tantra-03, (iii) Sangyahan- 02, (iv) Dravyaguna-05, (v) Rasashastra-11, (vi) Agad Tantra-06, (vii) Kaumarbhartiya-06, (viii) Panchkarma- 06 for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 75 seats in UG (BAMS) course and 42 seats in 08 seats in PG courses viz (i) Dravyaguna-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-11 seats, (iii) Agad Tantra-06 seats, (iv) Kaumarbhartiya-06 seats, (v) Kayachikitsa-03 seats, (vi) Shalya Tantra-03 seats, (vii) Sangyahan-02 seats and (viii) Panchkarma-06 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/44/2015-EP(IM-1) 3.8.2015
53.	Ashwini Educational Association's Ayurved Medical College & PG Centre, #405/1, Opp. Bathi Lake, " Ashwini Nagar", P.B. Road, Dist. Davangare Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats and 10 seats in 02 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-05 seats & (ii) Shalya Tantra-05 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-05 seats & (ii) Shalya Tantra-05 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/84/2015-EP (IM-1) 14.9.2015
54.	N.K. Jabshetty Ayurvedic Medical College & P.G.Centre Siddharudh Math, Gumpa, Manhalli Road, Bidar- 585403 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 30 seats in 07 PG courses namely:-(i) Rachna Sharir-05 seats,(ii) Dravyaguna-04 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (iv) Rognidan-04 seats, (V) Prasuti Tantra-05 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats,&(vii) Panchkarma-03 seats, for the	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 30 seats in 07 PG courses viz (i) Rachna Sharir-05 seats,(ii) Dravyaguna-04 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats (iv) Rognidan-04 seats, (V) Prasuti Tantra-05 seats, (vi) Shalya Tantra-05 seats,&(vii) Panchkarma-03 seats for the

		session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/45/2015-EP(IM-1) 15.9.2015
55.	Dr. B.N.M Rural Ayurvedic Medical College&Hospital Smt. Sushiladevi, Nagur Colony College Road, Tq. & Dist. Bijapur -586101 Karnataka	Recommended to Govt. of India for not granting peermission for existing UG (BAMS) course with 50 seats and 21 seats in 05 PG courses namely-(i) Kayachikitsa-05 seats and (ii) Panchkarma-03 seats (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-07 seats (iv) Dravyaguna Vigyana-03 seats and (iv) Swasthvritta & yoga-03 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 UG seats and 05 PG courses namely-(i) Kayachikitsa-05 seats and (ii) Panchkarma-03 seats (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-07 seats (iv) Dravyaguna Vigyana-03 seats and (iv) Swasthvritta & yoga-03 seats for the academic sesion 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/46/2015-EP(IM-1) dated 30.10.2015
56.	JSS Ayurveda Medical College Shri ShivarathreeshwaraNagar, Mysore-570015 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG course with 100 seats and 16 seats in 04 PG subjects namely namely (i) Dravyaguna-04 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats & (iii) Panchkarma-05 seats and (iv) Swasthavritta -03 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20	Grant of permission for a period not exceeding five years for 100 seats in UG (BAMS) course and 16 seats in 04 PG courses viz-(i) Dravyaguna-04 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-04 seats, (iii) swasthavritta-03 seats and (iv) Panchkarma-05 seats from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 under section 13C of the IMCC Act, 1970 R-17011/47/2015-EP (IM-1)30.7.2015
57.	Sindagi Shanta Veereshwar, Ayurvedic Medical College & Hospital Shantaveera nagar, Ijarilakamapur, P.B. Road, Tq/Dist.-Haveri-581183 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter No.17011/48/2014-EP (IM-1) dated 06.08.2014	
58.	Shri Vijay Mahantesh Ayurvedic Medical College, Ilkal-587125, Tq. -Hungund, Dist. Bagalkot Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BAMS) course with 50 seats and 20 seats in 04 PG subjects namely:- (i)Kayachikitsa-05 seats (ii) Panchkarma-05 seats, (iii) Prasuti Tantra & Stri Roga-05 seats and (iv) Shalakya tantra-05 seats from the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 20 seats in 04 PG courses viz-(i) Prasuti & Stri Roga, (ii) Kayachikitsa, (iii) Shalakya Tantra and (iv) Panchkarma with 05 seats in each course for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/49/2015-EP (IM-1) 11-9-2015

59.	Bapuji Ayurvedic Medical College & Hospital, Sowlanga Road, Opp. A.G. College, Channamumbapura, Shimoga-577204 Karnataka	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/50/2015-EP (IM-1), 15.9.2015
60.	T.M.A.E Society's Ayurvedic Medical College, Sankalapura, Tanda, Ballary Road, Hospet-583201, Karnataka	Recommended to Govt. Of India for UG(BAMS) course with 50 seats and PG course in Shalya tantra with 03 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course and PG in Shalya tantra with 03 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/51/2015-EP (IM-1) 26.8.2015
61.	TMAES Ayurvedic Medical College Nidige (P), Shimoga-560001, Karnataka	Recommended to Govt. of india for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/52/2015- EP (IM-1) 24.7.2015
62.	Amrutha Ayurvedic Medical College & Hospital Behind Onake Obavva Stadium Dist. Chitradurga-577501 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 40 seats, for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A, of the IMCC Act, 1970 R-17011/53/2015-EP(IM-1) 15.9.2015
63.	Bapuji Ayurvedic Medical College and Hospital Bapuji Campus, T.R. Nagara, Challakere-577522 Dist. Chitradurga Karnataka	Not visited as college already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/54/2014-EP (IM-1) dated 06.08.2014.	
64.	Sri Dharmathala Manjunatheshwara College of Ayurveda and Hospital Thanniruhalla, B M Road, Taluka & Dist. Hassan-573201 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/55/2014-EP (IM-1) dated 12.08.2014	
65.	K.V.G Ayurved Medical College & Hospital Ambatedka Sullia, Dist. Dakshin Kannada -574327 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 34 seats in 06 PG course namely:-(i) Dravyaguna-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats,(iii) Agad Tantra-05 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats,(v) Shalya Tantra-06 seats & (vi)Panchkarma-06 seats,for the	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course and 34 seats in 06 PG courses viz-(i) Dravyaguna Vigyana-06 seats, (ii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka-05 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats, (v) Shalya Tantra-06 seats and (vi) Panchkarma-06 seats for

		session 2015-16 13C of the IMCC Act, 1970	the academic session 2015-16 U/S13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/56/2015-EP (IM-1) 26.8.2015
66.	Shri Jagadguru Gurusiddeshwar Co-Operative Hospital Society's Ayurvedic Medical College, Ghataprabha-591310 Tal-Gokak, Dist. Belgaum Karnataka	Recommended to Govt. of india to grant permission for UG(BAMS) course with 50 seats and 10 PG courses namely (i) Dravyaguna-05 seats, (ii) Panchkarma-05 seats, (iii) Swasthavritta-05 seats, (iv) Rasashastra-05 seats, (v) Rognidan-05 seats, (vi) Shalaky Tantra-05 seats, (vii) Kaumarbhritya-05 seats, (viii) Prasuti tantra & Striroga-05 seats, (ix) Shalya tantra-05 seats (x) Kayachikitsa-05 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970 .	Grant of permission for a period not exceeding five years with 50 seats in UG (BAMS) course and 10 PG courses viz, (i) Dravyaguna-, (ii) Rasashashtra & Bhaishajya kalpana, (iii) Rog Noidan, (iv) Swasthavritta, (v) Prasuti & Striroga, (vi) Kaumarbhartiya, (vii) Kayachikitsa, (viii) Shalya Tantra, (ix) Shalaky Tantra and (x) Panchkarma with 05 seats in each subject from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/57/2015-EP(IM-1)-15.7.2015
67.	Sri Kalabyraveswara Swamy Ayurvedic Medical College, Hospital and Research Centre, No.10, Pipe Line Road, R.P.C Layout, Vijayanagar, Bangalore-560104 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting Conditional permission for UG with 60 seats and 25 seats in 05 PG subjects viz (i) Prasuti & Strirog (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya Tantra (iv) Shalaky Tantar (v) Panchkaram with 05 seats in each subject for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course and 25 seats in 05 PG courses viz (i) Prasuti & Stri Roga, (ii) Kayachikitsa, (iii) Shalya Tantra, (iv) Shalaky Tantra and (v) Panchkarma with 05 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/58/2015-EP (IM-1) 30.7.2015
68.	Indian Institute of Ayurvedic Medicine & Research, Bangalore Palace Compound, Jayamahall Road, Opp. Darga, Bangalore-560006, Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter.F.No.R-17011/59/2014-EP (IM-1) dated 11.08.2014	
69.	Mahaganapati Ayurvedic College Hoysalnagar-580003 Halyal Road, Dist. Dharwad Karnataka	Recommended to Govt. of India not to grant permission for UG course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 60 seats for the academic session 2015-16 R.17011/62/2015-EP(IM-1) dated 20.10.2015

70.	Alva's Ayurveda Medical College Moodbidri, Mangalore Dist. Dakshin Kannada- 574227 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 100 seats and 55 seats in 10 PG courses i.e (i) Ayurved Siddhanta-05 seats, (ii) Rachana Sharir-05 seats, (iii) Dravyaguna-05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-10 seats, (v) Agad tantra-05 seats, (vi) Prasuti tantra & Striroga-05 seats, (vii) Kaumarbhritiya-05 seats, (viii) Shalya tantra-05 seats, (ix) Kayachikitsa-05 seats & (x) Panchkarma-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional Permission for 100 seats in UG (BAMS) course and 55 seats in 10 PG courses viz-(i) Ayurved Samhita & Siddhanta-05 seats, (ii) Rachana Sharir-05 seats, (iii) Dravyaguna-05 seats, (iv) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-10 seats, (v) Agad tantra-05 seats, (vi) Prasuti Striroga-05 seats, (vii) Kaumarbhritiya-05 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix) Shalya Tantra-05 seats and (x) Panchkarma-05 seats for the academic session 2015-16 U/S13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/60/2015-EP (IM-1) 24.7.2015
71.	SNVV Samasthe's SGV Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, Tal: Bailhongal, Dist. Belgaum-591102 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG(BAMS) course with 40 seats from the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970 onwards not exceeding 5 years i.e. up to session 2019-20	Grant of permission for a period not exceeding five years with 40 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 under section of 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/61/2015-EP (IM-1) 18.8.2015
72.	Shri Shivayogeshwar Rural Ayurvedic Medical College & Hospital, Tq:-Saundatti, Dist.-Belgaum, Inchal – 591102 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 03 PG courses i.e (i) Dravyaguna,(ii) Shalya Tantra and (iii) Panchkarma with 05 seats in each course from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission under section 13C/13A of the IMCC Act,1970 for a period not exceeding five years with 50 seats in UG (BAMS)course and 15 seats in 03 PG courses viz (i) Dravyaguna, (ii) Shalya Tantra and (iii) Panchkarma with 05 seats in each course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/63/2015-EP (IM-1) 15.7.2015
73.	Taluka Shikshan Prasarak Sahakara Mandali Ayurvedic Medical College and Hospital Sindgi-586128, Dist. Bijapur Karnataka	Recommended to Govt. of India for not granting conditional permission for UG(BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Denied permission for taking admission to UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/64/2015-EP (IM-1) 08.9.2015
74.	Shri Jagadguru Gavisiddheshwar Ayurvedic	Recommended to Govt. of India for granting permission for	Grant of permission for a period not exceeding five

	Medical College, Post Graduate Studies & Research Center, Koppal – 583231 Karnataka	UG(BAMS) course with 50 seats and 41 seats in 09 PG subjects namely(i) Kriya Sharir-04 seats, (ii) Dravyaguna-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajyakalpna-05 seats, (iv) Swasthavritta-05 seats, (v) Prasuti tantra & Striroga-04 seats, (vi)Kaumarbhartiya-04 seats,(vii) Shalya Tantra-05 seats, (viii) Shalaky Tantra-04 seats, and (ix)Panchkarma-05 seats, from the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. up to 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	years with 50 seats in UG (BAMS) course and 09 PG courses viz (i) Kriya Sharir-04 sets, (ii) Dravyaguna Vigyana-05 seats, (iii) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Swasthavritta-05 seats, (v) Prasuti & Striroga-04 seats, (vi) Kaumarbhartiya-04 seats, (vii) Shalya Tantra-05 seats, (viii) Shalaky Tantra-04 seats and (ix) Panchkarma-05 seats from the academic session 2015-16 to the academic session 2019- 20 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/65/2015-EP (IM-1) 26.8.2015
75.	Shri Hingulambika Education Society's Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Bhavsar Nagar, Sedam Road, Gulbarga-585106 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permissionfor existing 40 seats in UG(BAMS) course seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional Permission to take admissions for 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act 1970. R-17011/66/2015-EP (IM-1) 4.9.2015
76.	Kalmathada Pujya Sri Virupaksha Shivacharya Ayurvedic Medical College & Hospital Manvi-584123, Dist. Raichur Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter.R.17011/14/2014 - EP(IM-1) dated 25.09.2014	
77.	Shri Basaveshwar Vidya Vardhak Sangha Ayurved Medical College & Hospital, P.B. No. 34. Distt. Bagalkot-587101 Bijapur Karnataka	Recommended to Govt. of india for Conditional Permission for UG course with 50 seats for the session 2015-16 U/ S 13C ofd the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/68/2015-EP (IM-1) 18.8.2015
78.	Shri Bahubali Vidhyapeeth's J.V. Mandal's Grameen Ayurvedic Medical College Gurukul Campus, Tq. Jamkhandi, Dist. Bagalkot, Terdal -587315 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 u/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/69/2015-EP (IM-1) 4.8.2015
79.	S.S.V.Samiti's Shri SBS Ayurvedic Medical College, Mundargi-582118, Dist. Gadag Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional Permission for UG (BAMS) course with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act 1970.	Grant of conditional permission for 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970

			R-17011/70/2015-EP (IM-1) 19.10.2015
80.	JSVV Samsthe's Danappa Gurushiddappa Melmalagi Ayurvedic Medical College, Hospital Dr. Savadi Road, Shivananda Nagar , Ta. & Dist. Gadag-582103 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 60 seats and 04 PG courses i.e.(i) Dravyaguna-04 seats (ii) Rasashastra-05 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats and (iv) Panchkarma -05 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e.upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years to the college with 60 seats inUG (BAMS) course and 04 PG courses viz (i) Dravyaguna-04 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats and (iv) Panchkarma-05 seats from the academic session 2015-16 to the acadmic session 2019-20 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/71/2015-EP (IM-1) 15.7.2015
81.	Shri Veerpulikeshi Rural Vidyavardhak Samasth's Rural Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Opposite J.M.F.Court, Ramadurg Road, P.O & Tq. Badami-587201, Dist. Bagalkot Karnatka	Recommended to Govt. of india for granting permission for existing UG(BAMS) course with 40 seats from the session2015-16 onwards not exceeding five years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) Course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R17011/72/2015-EP (IM-1) 09/10/2015
82.	Kannada Balag Society's Rural Ayurveda Medical College, Auto Nagar, Main Double Road, Tq & Dt. Belgaum-590016 Karnataka	Recommended to Govt. of india for not granting permission for existing UG(BAMS) course with 40 seats from the session2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denied permission for taking admission to UG (BAMS)course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/73/2015-EP (IM-1) 01.10.2015
83.	Bagamar Seva Samiti's Bhagwan Mahaveer Jain Ayurvedic Medical College & Hospital Gajendergad-582114 Tq:Ron , Dist. Gadag Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats & 20 seats in 04 PG subjects namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -05 seats, (ii) Kayachikitsa- 05 seats, (iii) Shalya Tantra-05 seats & (iv) Panchkarma-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 04 PG courses viz(i) Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana, (ii) Kayachikitsa (iii) Shalya Tantra and (iv) Panchkarma with 05 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/74/2015-EP (IM-1) 4.9.2015
84.	Shri Kalidas Ayurvedic Medical College Banashankari Road, Post: Badami-587201, Dist. Bagalkot Karnataka	Recommended to Govt. of india for Conditional Permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/75/2015-EP (IM-1)- 16.7.2015

85.	Rajiv Gandhi Education Society's Ayurvedic Medical College & Hospital Taluka Ron, Dist. Gadag-582209, Karanataka	Recommended to Govt. of india for granting permission for UG (BAMS) course with 40 seats and 03 PG courses namely (i)Dravyaguna – 06 seats(ii) Kayachikitsa – 06 seats (iii)Shalya Tantra – 06 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e.upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years for 40 seats in UG (BAMS) course and 18 seats in 03 PG courses viz (i) Dravyaguna, (ii) Kayachikitsa and (iii) Shalya Tantra with 06 seats in each course from the session 2015-16 to the academic session 2019-20 under section 13C/A of the IMCC Act,1970. R-17011/76/2015-EP (IM-1) 15.7.2015
86.	Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences No.34/C, Shivalli Industrial Area Taluk & Distt. Udupi , Manipal-576104 Karnataka	Recommended to Govt. of india for granting Conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seats and 29 seats in 05 PG courses i.e (i) Dravyaguna-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana -09 seats, (iii) Kayachikitsa -05 seats, (iv) Shalya Tantra -05 seats and (v) Panchkarma -05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970	Grant of Conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seats and 29 seats in 05 PG courses i.e. (i) Dravyaguna-05 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana -09 seats,(iii) Kayachikitsa -05 seats,(iv) Shalya Tantra -05 seats and (v) Panchkarma -05 seats for the session 2015-16. R-17011/77/2015-EP (IM-1) 26.08.2015
87.	Dhanvantari Ayurveda College & Hospital, Siddapur, District- Uttara Kannada 581355 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting Conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission to take admission for 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/78/2015-EP(IM-1) 15.7.2015
88.	Rama Krishna Ayurvedic Medical College and Research Centre, #54/2, Ramagondanahalli, Yelahanka, Bangalore-560064 Karnataka.	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/79/2015-EP (IM-1) 26.8.2015
89.	Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College of Ayurveda & Hospital, Laxminarayan Nagar, P.O. Kuthpady Taluk and District -Udupi - 574118 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 75 seats and 71 seats in 13 PG courses i.e.(i) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats,(ii) Rachana Sharir-06 seats (iii) Dravyaguna-06 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -06 seats, (v) Rognidan - 05 seats, (vi) Swasthawritta-04 seats, (vii) Agadanttra-05 seats, (viii) Prasuti & Striroga-06 seats, (ix)Kaumarbhritya-04 seats, (x) Kayachikitsa-06 seats,	Grant of permission for a period not exceeding five years for UG course with 75 seats and 71 seats in 13 PG courses i.e.(i) Ayurved Samhita & Siddhant-06 seats ,(ii) Rachana Sharir-06 seats (iii) Dravyaguna-06 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -06 seats ,(v)Rognidan -05 seats ,(vi) Swasthawritta-04 seats ,(vii) Agadanttra-05 seats ,(viii)Prasuti & Striroga-

		(xi)Manasroga-05 seats, (xii)Shalya Tantra-06 seats and (xiii) Panchkarma- 06 seats from the session2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e.upto 2019- 20U/S 13C of the IMCC Act, 1970	06 seats,(ix)Kaumarbhritiya- 04 seats,(x) Kayachikitsa-06 seats,(xi)Manasroga-05 seats,(xii)Shalya Tantra-06 seats and (xiii) Panchkarma- 06 seats from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970. R -17011/80/2015-EP (IM-1) 15.07.2015
90.	Karnataka Ayurveda Medical College & Hospital K.E.C.T Tower, Ashok Nagar, Mangalore D.K., Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BAMS) course with50 seats and 10 seats in 02 PG courses namely:- (i) Dravyaguna-05 seats and (ii) Shalya Tantra-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG courses namely (i) Dravyaguna Vigyana and (ii) Shalya Tantra with 05 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/81/2015- EP (IM-1) 15.10.2015
91.	Sushrutha Ayurvedic Medical College & Hospital, 'Prashanti Kuteera', Jodi Bingipur, Jigani Hobli, Anekal Taluk, Bangalore – 560106, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) Course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970	Grant of conditional permission to take admissions for the 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-2016 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/82/2015 – EP (IM-1) 209-10-2015
92.	Sri Sri College of Ayurvedic Sciences & Research, 21 st KM Kanakapura Road, Post Udayapura Bangalore- 560062 Karnataka	Recommended to Govt of India for granting permission for UG course with 50 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019- 20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 o the academic session 2019-20 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2004-EP (IM-1)- 15.7.2015
93.	Ashwini Ayurvedic Medical College & Research Centre, Ring Road, Maralur Taluk & District Tumkur-572105 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats and 16 seats in 04 PG subjects namely (i) Dravyaguna-04 seats, (ii) Kayachikitsa-04 seats, (iii) Panchkarma-04 seats & (iv) Shalaky Tantra-04 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional Permission for 60 seats in UG(BAMS) course and 04 PG courses with 16 seats viz. (i) Dravyaguna (ii) Kayachikitsa (iii) Shalaky Tantra and (iv) Panchkarma with 04 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/25/2003-EP (IM-1) 24.7.2015

94.	Shri C.B. Guttal Ayurvedic Medical College, Mummigatti village Dist. Dharwad-580001 Karnataka	Recommended to Govt of India for granting permission for UG (BAMS) course with 50 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act,1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970. R-12011/18/2004- EP (IM-1) 24.7.2015
95.	Atreya Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre Post Kodigehalli, Doddaballapura Bangalore-561203 Karnataka	Recommended to Govt. of India for Conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2005-EP (IM-1) 15.7.2015
96.	Sri Raghavendra Ayurveda Medical College & Hospital, P.O Malladihalli-577531, Tq. Holalkere Distt. Chitradurga Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-12011/43/2003-EP (IM-1) 12.08.2014	
97.	SDM Trust's Ayurvedic Medical College, Padma Ayurvedic Hospital & Research Centre, Terdal-587315, Tq. Jamkhandi, Dist. Bagalkot Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS)course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of Conditional Permission to take admission for 50 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2005-EP (IM-1) 01.10.2015
98.	Shree Chhatrapati Shivaji Education Society's Dhanwantari Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Industrial Area, Shiv- Shankar Nagar, Jatrat Road, Nipani-591237, Tal: Chikodi, Dist Belgaum, Bangalore, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG(BAMS) course with 40 seats, from the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. Upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years with 40 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/86/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
99.	SMVVS, Smt. Rajeshwari Karpurmath Memorial Ayurved Medical College & Research Centre, 100ft. Ring Road, Behind KC Nagar, Bijapur -03 Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 40 seats, for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 40 seats in UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/85/2015-EP (IM-1) 30.7.2015.
100.	YET's Sri Siddhrameshwar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre, Naubad, Bidar-585402 Karnataka	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 UG seats U/S 13C/13A for the academic session 2015-16 R.17011/88/2015-EP(IM-1) dated 29.10.2015
101.	S.S. Jambagi Memorial Education & Charitable Trust's	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-12011/17/2007-EP (IM-) dated 11.08.2014	

	Shri Siddhivinayaka Rural Ayurveda College, Harugeri-591220, Tq. Raibag, Dist: Belgaum, Karnataka		
102.	Latthe Education Society's Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College & Hospital A/P- Bedkihal-Shamanewadi, Tal-Chikodi, Dist. Belgaum-591214 Karnataka	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/87/2014-EP(IM-1) dated 14.08.2014	
103.	Government Ayurveda College Dhanwantri Nagar Taluk Kanayannur, Distt. Ernakulam-682301, Tripunithura Kerala	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats and 25 seats in 06 PG subjects namely:-(i) Shalya tantra-05 seats, (ii) Shalakya Tantra-04 seats, (iii) Rasashastra-04 seats, (iv) Dravyaguna-04 seats, (v) Panchkarma-04 seats, (vi) Swasthavritta-04 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act1970.	Grant of conditional permission for UG (BAMS) course with50 seats and 25 seats in 06 PG subjects namely :- (i) Shalya tantra-05 seats, (ii) Shalakya Tantra-04 seats, (iii) Rasashastra-04 seats, (iv) Dravyaguna-04 seats, (v) Panchkarma-04 seats, (vi) Swasthavritta-04 seats for the session 2015-16. R-17011/89/2015-EP (IM-1) Dated 10.10.2015
104.	Nangelil Ayurveda Medical College, P.O Nellikuzhy, Taluk Kothamangalam-686691 Dist. Ernakulam Kerala	Recommended to Govt. of india for granting Conditional Permission with 60 seats in UG course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS)course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A ofthe IMCC Act, 1970. R-17011/90/2015- EP (IM-1) 03.8.2015
105.	P.N. Panicker Souhruda Trust's Ayurveda Medical College, P.O: Parakalai, Anandashram(Via), Dist. Kasaragod - 671531 Kerala	Recommended to Govt. of India for granting Conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13 C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) coursefor the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/01/2007-EP (IM-1) 24.7.2015
106.	Santhigiri Ayurveda Medical College Olassey, P.O. Kodumba (Via) Taluk & District Palakkad- 678551 Kerala	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG (BAMS) course with 50 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. Upto 2019-20 U/S, 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/91/2015- EP (IM-1) 31.7.2015
107.	Vaidyaratnam Ayurveda College, Ollur, Thaikattusery Thrissur-680322 Kerala	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats & 04 seats in 01	Grant of conditional permissionfor UG (BAMS) course with 50 seats and 04 PG in 01 course i.e.

		PG subject namely Kayachikitsa for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Kayachikitsa for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act,1970. R-17011/92/2015-EP (IM-1) 14.9.2015
108.	Vishnu Ayurveda College, P.O Government Press, Shoranur-679122 Dist. Palakkad Kerala	Recommended to Govt. of India for granting of conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/93/2015-EP (IM-1) 17.7.2015
109.	Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College,Kottakkal, P.O Edarikode-676501, Taluk-Tirur, Dist. Malappuram Kerala	Recommended to Govt. of India for Granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats and 22 seats in 05 PG course namely:-(i) Manasroga 06 seats, (ii) Agad tantra-04 seats, (iii) Panchkarma-04 seats, (iv) Dravyaguna-04 seats & (v) Swasthavritta-04 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG(BAMS) course and 22 seats in 05 PG courses i.e. (i) Manovigyan avum Manas Roga (6 seats) , (ii) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka (4 seats), (iii) Panchkarma (4 seats), (iv) Dravyaguna Vigyana (4 seats) and (Swasthavritta & Yoga (4 seats) for the session 2015-16 U/S 13C/A of the IMCC Act,1970. R-17011/94/2015- EP(IM-1) 26.8.2015
110.	KMCT Ayurveda Medical College Manassery, P.O, Taluk & District Kozhikkode-673602 Kerala	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R.12011/12/2004-EP(IM-1) dated 25.09.2014	
111.	Mannam Ayurveda Co-Operative Medical College, MSM P.O. Pandalam-689501, Dist. Pathanamthitta Kerala	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS)course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/29/2005-EP (IM-1) 20.7.2015
112.	PNNM Ayurveda Medical College, Shoranur, P.O. Cheruthuruthy-679531, Taluk Thalappilly, Dist.- Thrissur Kerala	Recommended to Govt. of India for granting permission for 50 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e.upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant conditional permission for a period not exceeding five years with 50 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/33/2006-EP (IM-1) 16.7.2015
113.	Govt. Ayurveda College, M.G Road, Taluke & District Thiruvananthapuram-695001 Kerala	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for (BAMS) course with UG 70 seats and 63 seats in 11 PG courses i.e. Ayurveda siddhanta-06 seats, Dravyaguna-	Grant of conditional permission for 70 seats in UG (BAMS) course and 63 seats in 11 PG courses i.e. (i) Ayurveda samhita & siddhanta-06 seats,(ii)

		06 eats, Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-12 seats, Swasthavritta-06 seats, Agad Tantra-05 seats, Prasuti Tantra & Striroga-06 seats, Kaumarbhartiya-05 seats, Kayachikitsa-06 seats, Shalya Tantra-03 seats, Shalaky Tantra-03 seats, and Panchkarma-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Dravyaguna-06 seats,(iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-12 seats, (iv)Swasthavritta-06 seats, (v)Agad Tantra-05 seats, (vi)Prasuti Tantra & Striroga-06 seats, (vii)Kaumarbhartiya-05 seats, (viii)Kayachikitsa-06 seats, (ix)Shalya Tantra-03 seats,(x) Shalaky Tantra-03 seats, and (xi)Panchkarma-05 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/A of the IMCC Act, 1970. R-17011/95/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
114.	Pankajakasthuri Ayurveda Medical College, Killy, Kattakada, Thiruvananthapuram Kerala	Recommended to Govt. of India for Conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/96/2015-EP (IM-1) 31.7.2015
115.	Shree Narayan Institute of Ayurvedic Studies & Research, P.O Puthur 691507, Kottarakkara (Via) Dist. Kollam Kerala	Recommended to Govt. of India for Conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/44/2003-EP (IM-1) 20.7.2015
116.	Parassinikkadavu Ayurveda Medical College, P.O Parassinikkadavu, Dist. Kannur-670563 Kerala	Recommended to Govt. of india for not granting permission for UG(BAMS) Course with 50 seats & 06 seats in 01 PG Course i.e Rasashastra & Bhaishajya Kalpana for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission for 50 seats in UG BAMS course and 06 seats in 01 PG course namely-Rasashastra & Bhaishajya kalpana for the academic session 2015-16 U/S 13C/A of the IMCC Act, 1970 R-17011/97/2015-EP (IM-1) 01.10.2015
117.	Government Ayurveda College P.O Pariyaram Medical College Kannur-670503 Kerala	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG(BAMS) course with 40 seats and 10 seats in 02 PG subjects namely (i) Kriya Sharir- 05 seats (ii) Rognidan - 05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course and 10 seats in 02 PG course i.e.-(i) Roga Nidan evam vikriti Vigyan-5 seats, (ii) Kriya Sharir-5 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A, of the IMCC Act, 1970 R-17011/98/2015-EP (IM-1) 18.8.2015

118.	Amrita School of Ayurveda P.O Clappana, Taluk- Karunagappally Distt. Kollam-690525 Kerala	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG(BAMS) course with 60 seats and 38 seats in 09 PG courses namely:-(i) Samhita Siddhantha- 04 seats, (ii) Dravyaguna-04 seats, (iii) Swasthavrita-04 seats, (iv) Prasuti tantra & Striroga-04 seats, (v) Kayachikitsa-04 seats, (vi) Shalya tantra-04 seats, (vii) Shalaky tantra-04 seats, (viii) Panchkarma-04 seats & (ix) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-06 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course and 38 seats in 09 PG courses i.e. (i) Ayurveda Samhita & Siddhanta(4 seats), (ii) Dravyaguna Vigyana (4 seats), (iii) Swasthavrita & Yoga (4 seats), (iv) Prasuti & Stri Roga (4 seats), (v) Kayachikitsa (4 seats), (vi) Shalya Tantra(4 seats), (vii) Shalaky Tantra(Netra Rog Vigyan) (4 seats), (viii) Panchkarma (4 seats) (ix) Rasa Bhartiya & Bhaishajya Kalpana (6 seats) for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/59/2003-EP (IM-1)-11-9-2015
119.	Ahalia Ayurveda Medical College Kozhipara, Palakkad Dist. 678557 Kerala	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S, 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS)course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/02/2009-EP (IM-1) 20.7.2015
120.	Govt. Auto Ayurved College & Hospital, Amkho Lashkar, Gwalior -474009 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course with 60 seats and Kriya Sharir-04 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for granting conditional permission for UG (BAMS) Course with 60 seats and denial of permission in 01 PG subject namely, Kriya Sharir-04 seats for the session 2015-16. R-17011/99/2015-EP (IM-1) 09.10.2015
121.	College of Ayurvedic Medicine & Hospital Baraghata, Near Railway Under Bridge, Jhansi Road, Gwalior-474001 Madhya Pradesh	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.12011/47/2006-EP(IM-1) dated 19.10.2015
122.	Government Autonomous Ayurved College, Gwarighat, Jabalpur- 482001 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seatsfor the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional permission with 40 seats for UG (BAMS) course for the session 2015-16. R-17011-100/2015-EP (M-1) 01.10.2015
123.	Govt. Dhanwantri Ayurvedic College & Hospital, Mangalnath Marg, Taluka & District Ujjain- 465001 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats from the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for UG (BAMS) course with60 seats and Denial of Permission for 09 seats in 03 PG course i.e. (i)Kayachikitsa (03 seats), (ii)

			Dravyaguna (04 seats) and (iii) Rachna Sarir (02 seats) for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/101/2015-EP (IM-1) 14.9.2015
124.	Pt. Shiv Shaktilal Sharma Ayurvedic College & Hospital Banjali, Sailana Road, Dist. Ratlam-457001 Madhya Pradesh	Recommend to govt. Of India for conditional permission for existing 50 seats in UG (BAMS) course and 18 seats in 03 PG course in subjects namely:- (i) Ayurved Samhita Siddhanta-6 seats, (ii) Kayachikitsa-6 seats (iii) Panchkarma-6 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG)course and 18 seats in 03 PG courses viz (i) Ayurved Samhita & Siddhanta (6 seats), (ii) Kayachikitsa (6 seats) and (iii) Panchkarma (6 seats) for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/102/2015-EP (IM-1) 4.9.2015
125.	Smt. Dhairya Prabha Devi Sojatia Ayurved Medical College, Neemthur, Bhanpura-458775 Dist. Mandasaur Madhya Pradesh	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.12011/39/2006-EP(IM-1) dated 20.10.2015
126.	Pt. Shivnath Shastri Auto Govt. Ayurved College & Hospital Shikarpura, Near Water Tank, Burhanpur 450331 Madhya Pradesh	Recommended to Govt of india for not granting permission for UG(BAMS)coursefor the session 2015-16 13C of the IMCC Act,1970	Denied permission for taking admission to BAMS course with 40 UG seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2015-16. R - 17011/103/2015- EP (IM-1) dated 09.10.2015
127.	Shaskiya Swashasi Ashtanga Govt. Auto Ashtang Ayurvedic College Lokmanay Nagar, Indore- 452009 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. Of India for not granting permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S/13A13C of the IMCC Act 1970. R-17011/104/2015-EP (IM-1)Dated 16.10.2015
128.	Acharya Gyan Ayurved College 278, Jawahar Marg, Malganj Choraha Indore	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.17011/105/2015-EP(IM-1) 16.10.2015
129.	Shubhdeep Ayurved Medical College Gram- Datoda, Khandwa Road Teh. Mhow, Near Chokhi Dhani Dist.- Indore-452020 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of India for conditional permission for existing 60 seats in UG (BAMS)course & 21 seats in 05 PG course in subjects viz (i) Kayachikitsa-03 (instead of 05) (ii) Ayurveda Samhita & Siddhant-05, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -05,(iv) Rog Nidan Evam	Grant of Conditional permission for existing 60 seats in UGcourse & 25 seats in 05 PG course in subjects viz-(i) Kayachikitsa- 05 (ii) Ayurveda Samhita & Siddhant-05, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -05,(iv) Rog Nidan Evam Vikrutu Vigyan-05,(v) Panchkarma-05

		Vikriti Vigyan-05,(v) Panchkarma-03(instead of 05) for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	seats for the session 2015-16. R-17011/106/2015-EP (IM-1) dated 17.8.2015
130.	Govt. (Auto) Ayurved College Nipaniya the Huzur Dist-Rewa 484001 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course & 01 seats in PG course in subjects namely:-(i) Samhita Siddhant-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission with 60 seats in UG(BAMS)course & 05 seats in 01 PG course i.e. Ayurveda Samhita & Siddhant for the academic session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act 1970. R-17011/107/2015-EP (IM-1) dated 16.10.2015
131.	Ajeewan Swasthya Samvardhan Ayurveda Mahavidyalay Arogyadham, Deendayal Research Institute, Chitrakoot, Dist. Satna- 485331 - Madhya Pradesh	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic sesion 2015-16. R.12011/08/2007-EP(IM-1) dated 20.10.2015
132.	Pt. Khushilal Sharma Govt. (Autonomous) Ayurved College & Institute, Behind Manit, Nehru Nagar, Kolar Bypass Road, Science Hills, Bhopal-462003 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of india for granting conditional permission with 60 seats in BAMS(UG) course & 25 seats in 05 PG course i.e. (i)Swathavritta-04 seats, (ii)Dravyaguna-05 seats, (iii) Rasashastra & Kalpana-05 seats, (iv) Rog Nidan Evum Vikriti Vigyan-06 seats & (v) Panchkarma-05 seats fro the session 2015-16 U/S 13C	Grant of conditional permission with 60 seats inUG BAMS course and 25 seats in 05 PG subjects namely:-(i) Swasthavritta-04 seats, (ii) Dravyaguna-05 seats, (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats, (iv) Rog Nidan evum Vikriti Vigyan-06 seats & (v) Panchkarma-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970, R-17011/108/2015-EP (IM-1), 11.9.2015
133.	Rajiv Gandhi Ayurvedic College & Hospital E-8, Trilanga Colony Shahpura, Bhopal-462039 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of india for granting conditional permission with 50 seats in UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13Aof the IMCC Act, 1970. R-17011/109/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
134.	Rani Dullaiya Smriti Ayurved Mahavidyalaya & Chikitsalaya, Barkhedhi Kalan, Bhadbhada road, Bhopal-462044 Madhya Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R.17011/110/2014-EP(IM-1) dated: 02.09.2014	
135.	Veenavadini Ayurved College & Hospital,	Recommended to Govt. of India for granting conditional	Grant of conditional permission for UG (BAMS)

	Akbarpur, Phase-II, Behind Kanhakunj, Kolar Road, Bhopal Madhya Pradesh	permission for existing 50 seats in UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	course with 50 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/111/2015-EP (IM-1) 17.8.2015
136.	Om Ayurvedic Medical College & Hospital, Jamthi, PO, Bharat Bharati, Betul 460001 Madhya Pradesh	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2015-16 R.17011/112/2015-EP(IM-1) dated 23.10.2015
137.	Bhanwar Lal Nahata Samriti Sansthan, Mandsaur Institute of Ayurved education & Research, Mandsaur, 458001 Madhya Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/10/2009-EP (IM-1) 01.10.2015
138.	Bharti Vidyapeeth's University, College of Ayurved, -Satara Road, Tal.Haveli. Pune- 411043 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for Conditional permission 100 seats in UG (BAMS) course and 57 seats in 14 PG courses i.e. 1. Ayurveda samhita-04 2. Rachana sharir-04 3. Kriya sharir-04 4. Dravyaguna-04 5. Bhaishajya Kalpana-04 6. Rognidan-03 7. Swasthavritta-05 8. Agadtnatra & Vidhivaidyaka-04 9. Prasusti tantra& Strirog-05 10. kaumarbharitya-04 11. Kayachikista-05 12. Shalya-04 13. Shalakya-04 14. Panchkarma-03 and 12 seats in 06 PG diploma course i.e. 1. Panchkarma 2. Ayurvedic Sangyahanan 3. Ayurvedic Cosmetology & Skin diseases 4. Prasusti & Strirog 5. Balroga 6. Netrayoga Vigyan with 02 seats in each course.for the session 2015-16.	Grant of conditional permission with 100 seats in BAMS (UG) course and 57 seats in 14 PG courses viz-(i) Ayurveda Samhita & Siddhant-04 seats, (ii) Rachna Sharir-04 seats, (iii) Kriya Sharir-04 seats, (iv)Dravyaguna-04 seats, (v) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats(vi) Rog Nidan-03 seats, (vii) Swasthavritta-05 seats, (viii) Agad Tantra-04seats, (ix) Prasuti Tantra & Stri Roga-05 seats, (x) Kaumarbhartiya-Balroga-04 seats. (xi) Kayachikitsa-05 seats, (xii) Shalya Tantra-04 seats, (xiii) Shalkaya Tantra-04 seats, (xiv) Panchkarma-03 seats and 12 seats in 06 PG Diploma courses namely:-(i) Panchkarma-02 seats, (ii) Ayurvedic Sangyahanan-02 seays, (iii) Ayurvedic Cosmetology & Skin Diseases-02 seats, (iv) Prasuti & Stri Roga-02 seats, (v) Balroga-02 seats (vi) Netraroga Vigyan with 02 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/113/2015-EP(IM-1) 03.8.2015

139.	Tilak Ayurved Mahavidyalaya 583/2, Rasta Peth, Pune - 411011 Maharashtra	Recommended for Conditional permission for BAMS Course with 100 UG seats and 57 seats in 15 PG i.e. 1. Ayu samhita-03 2. Rachana sharir- 05 3. Kriya sharir-04 4. Dravyaguna-03 5. Rasashastra-05 6. Sangyahan-03 7. Rognidan-04 8. Swasthavritta-02 9. Agadtnatra & Vidhivaidyaka-04 10. Prasuti tantra & Strirog-04 11. Kayachikista-06 12. Shalya Samanya-04 13. Shalakya-04 14. Panchkarma-04 15. Kaumarbhritya - 02 for the session 2015-16 U/S13A/13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 100 seats in UG (BAMS) course and 57 seats in PG courses viz-(i) Ayurved Samhita & Siddhanta-03 seats, (ii) Rachna Sharir-05 seats, (iii) Kriya Sharir-04 seats, (iv) Dravyaguna-03 seats, (v) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-05 seats, (vi) Rog Nidan-04 seats, (vii) Swasthavritta-02 seats, (viii) Agadtnatra-04 seats, (ix) Prasuti & Striroga-04 seats, (x) Kaumarbhartiya-02 seats, (xi) Kayachikitsa-06 seats, (xii) Shalya-Sangyahan-03 seats,(xiii) Shalya Samanya-04 seats, (xiv) Shalakya Tantra-04 seats and (xv) Panchkarma-04 seats under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session-2015-16. R-17011/114/2015-EP(IM-1)22.7.2015
140.	Ashtang Ayurveda College, 2062 (New), Sadashiv Peth, Vijaynagar Colony, Late Vd. H.B. Paranjape Chowk, Pune 411030 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seats and 09 seats in 03 PG course namely- (1)Samhita Siddhant-03 seats,(ii)-Rachna Sharir-03 seats, and (iii)- Prasuti Tantra & Stri Roga-03 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course and 09 seats in 03 PG courses i.e. (i) Ayurved Samhita& Siddhant, (ii) Rachna Sharir and (iii) Prasuti & Stri Rog with 3 seats in each course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/210/2015-EP(IM-1) 26.8.2015
141.	Ayurved Seva Sangh's Ayurved Mahavidyalaya Ganeshwadi Panchavati Tal. & Dist. Nashik- 422003 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting permission for 50 seats in UG course and 10 seats in 03 PG courses i.e.(i) Kayachikitsa-05 seats,(ii) Shalyatantra-04 seats and (iii) Panchkarma-01 seat from the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of permission for a period not exceeding five years for50 seats in UG (BAMS) course & 10 seats in 03 PG courses viz (i) Kayachikitsa -05 seats (ii) Shalya Tantra-04 seats, (iii) Panchkarma-01 seats from the academic session 2015-16. to the academic session 2019-20 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/115/2015-EP (IM-1)-16.7.2015
142.	Shri Gangadhar Shastri Gune Ayurved Mahavidyalaya, Vishrambaug, Dist. Ahmednagar- 414001	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-17011/116/2014-EP(IM-I) dated 09.09.2014	

	Maharashtra		
143.	Karmvir Vyanketrao Tanaji Randhir, Ayurved College, Boradi, Tal . Shirpur, Dist. Dhule-425428 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional Permission for existing UG(BAMS) course with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 30 seats in UG (BAMS)course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/117/2015- EP (IM-1) 15.9.2015
144.	Vasant Dada Patil Ayurved Medical College & Institute of Yoga, South Shivaji Nagar, Opposite Income Tax Office, Miraj road, Tal. Miraj, Sangli 416416 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/118/2015- EP (IM-1) 20.7.2015
145.	Shri Vivekanand Nursing Home Trust's Ayurved Mahavidyalaya Shri Shivaji Nagar, A/P- Rahuri Factory, Tal. Rahuri, Dist. Ahmednagar-413706 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter F.No.R-17011/119/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014	
146.	Maharashtra Arogya Mandal's Sumati Bhai Shah Ayurved Mahavidyalaya Malwadi, Hadapsar, Tal: Haveli, Dist. Pune-411028 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG(BAMS) Course with 60 seats and 78 seats in 13 PG subjects namely;- (i)Samhita Siddhanta-06 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii)Kriya Sharir-06 seats, (iv) Dravyaguna-06 seats, (v)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -06 seats (vi)Rognidan-06 seats, (vii)Prasuti tantra-06 seats, (viii)Agad tantra-06 seats, (ix)Kayachikitsa-06 seats, (x) Shalya tantra-06 seats, (xi)Swasthavritta & Yoga-06 seats, (xii)Shalakya (Netra)-06 seats & (xiii)Panchkarma-06 seats & (xiii) Panchkarma-06 seats & 10 seats in PG diploma in 02 subjects namely (i)Ayurvedic Pharmaceutics-Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05seats & (ii)Prasuti tantra & Striroga-05 seats from the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) Course and 78 seats in 13 PG subjects namely;-(i)Samhita Siddhanta-06 seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii)Kriya Sharir-06 seats, (iv) Dravyaguna-06 seats, (v)Rasashastra & Bhaishajya Kalpana -06 seats (vi)Rognidan-06 seats, (vii)Prasuti tantra-06 seats, (viii)Agad tantra-06 seats, (ix)Kayachikitsa-06 seats, (x) Shalya tantra-06 seats, (xi)Swasthavritta & Yoga-06 seats, (xii)Shalakya (Netra)-06 seats & (xiii)Shalakya (Netra)-06 seats & (xiii)Panchkarma-06 seats & (xiii) Panchkarma-06 seats & 10 seats in PG diploma in 02 subjects namely (i)Ayurvedic Pharmaceutics-Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05seats & (ii)Prasuti tantra & Striroga-05 seats from the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/120/2015-EP (IM-1) 15.9.2015

147.	Poona District Education Association's, College of Ayurved & Research Centre, Sector No. 25, Pradhikaran, Akurdi, Nigadi, Tal. Haveli, Dist. Pune – 411044 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-17011/121/2014-EP (IM-1) dated 01.08.2014	
148.	Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya Tal. Sangamner – 422605, Dist. Ahmednagar Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) Course with 60 seats & 15 seats in 03 PG courses namely, (i) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Prasuti Tantra & Stri Roga-05 seats, & (iii) Shalkya Tantra-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in BAMS (UG) course and 15 seats in 03 PG course i.e. (i) Kayachikitsa-05 seats, (ii) Prasuti Tantra & Stri Roga-05 seats, & (iii) Shalakyia Tantra-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 F. No.-R-17011/122/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
149.	Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya Pimparne Road, Sangamner Kd, Tal. Sangamner, Dist. Ahmednagar-422605 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 60 seats & 24 seats in 07 PG course namely:-(i) Prasuti & Striroga-02 seats, (ii) Kaumaryabhartiya-02 seats, (iii) Shalya Tantra-02 seats, (iv) Kayachikitsa-02 seats ,(v) Rachna Sharir-04 seats,(vi) Sanskrit Samhita Siddhant-06 seats & (vii) Rog Nidan-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 60 seats in BAMS (UG) course & 24 seats in 07 PG course viz. (i) Ayurved Samhita & Siddhanta-06 seats, (ii) Rachana Sharir-04 seats, (iii) Rog Nidan-06 seats, (iv) Kayachikitsa-02 seats, (v) Prasuti & Striroga-02 seats (iv) Kaumaryabhritya-02 seats (vii) Shalya Tantra-02 seats for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/123/2015-EP(IM-1) 26.8.2015
150.	Bharatiya Sanskriti Darshan Trust's Ayurved Mahavidyalaya Vishwa Shanti Dham, A/P Wagholi, Tal.-Haveli, Dist.-Pune-412207, Maharashtra	Recommended to Govt. of India for Conditional Permission for UG course with 60 seats & 09 seats in 03 PG courses namely (i) Kayachikitsa -03 seats (ii) Samhita - 03 seats and (iii) Rachana sharir -03 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in BAMS (UG) course and 09 seats in 03 PG courses viz (i)Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir and (iii) Kayachikitsa with 03 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/124/2015-EP(IM-1) 17.7.2015
151.	Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sanstha's Ayurved Mahavidyalaya & Rugnalaya Kanchanwadi, Paithan Road Tq. & Dist.: 8 -431002 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for Conditional permission for 100 seats in UG course and 60 seats in 09 PG courses i.e.(i) Rachana Sharir-06 seats,(ii) Kayachikitsa-06 seats ,(iii) Prasuti & Stri Roga-06 seats,(iv) Kaumarabhritya-06 seats,(v) Shalya-06 seats,(vi)Samhita	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 60 seats in 10 PG courses with 06 seats in each subject namely:-(i) Agad Tantra (ii) Ayurved Samhita & Siddhanta (iii) dravyaguna, (iv)Kaumarbhartiya (v)

		Siddhant-06 seats,(vii)Rognidan-06 seats,(viii) Dravyaguna -06 seats & (ix) Agadtantra-06 seats (x) Panchakarma - 06 seats for the session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970.	Kayachikitsa (vi) Panchkarma (vii) Prasuti Tantra & Stri Rog, (viii) Rachna Sharir, (ix) Rog Nidan and (x) Shalya Tantra for the session 2015-16 under section13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/125/2015-EP (IM-1) 30.7.2015
152.	Govt. Ayurvedic College Tulajapur Road, Osmanabad-413501 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 04 seats in 02 PG courses namely:- (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-02 seats and (ii) Shalya Tantra-02 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional permission with 50 seats in BAMS (UG) course & 04 seats in 02 PG courses i.e. (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-02 seats & (ii) Shalya Tantra-02 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/126/2015/EP(IM-1) 26.8.2015
153.	Seth Chandanmal Mutha Aryangla Vaidyak Mahavidyalaya I.T.I Road, Gendamal, Satara-415002 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 03 seats in 01 PG subject namely Kayachikitsa for the session 2015-16 U/S, 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional permission for 50 seats in BAMS (UG) course & 03 seats in 01 PG course i.e. Kayachikitsa for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/127/2015-EP(IM-1) 27.8.2015
154.	Seth Govindji Raoji Ayurved College 21-A/13, Budhwar Peth, Samrat Chowk, Dist. Sholapur 413002 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for Conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats and PG in Kayachikitsa-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission for 50 seats in BAMS (UG) course & 05 seats in 01 PG course i.e. Kayachikitsa for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act,1970 R-17011/128/2015-EP(IM-1) 20.7.2015
155.	Yashwant Ayurvedic College Post Graduate Training & Research Centre, At & P.O, Kodoli-416114 Tal. Panhala, Dist. Kolhapur, Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 90 seats in 15 PG courses namely(i) Ayurved Samhita , (ii) Kayachikitsa,(iii) Rasashastra,(iv) Rachna Sharir , (v) Swasthwritha,(vi) Prasuti & Stri rog,(vii) Kaumarbhritya , (viii) Shalya Tantra (Samanya) , (ix) Roganidan ,(x) Agadtantra , (xi) Shalaky Tantra, (xii) Kriya Shareer , (xiii) Dravyaguna Vigyan ,(xiv) Panchkarma and (xv) Sangyahan with 06 seats in each course from the session	Grant of permission for a period not exceeding five years with 100 seats in UG (BAMS) course and 90 seats in 15 PG courses viz (i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Rachna Sharir, (iii) Kriya Sharir,(iv) Dravyaguna, (v) Rasashastra & Bhaishajyakalpana, (vi) Rog Nidan, (vii) Swasthavritta, (viii) Agadtantra, (ix) Prasuti & Striroga, (x) Kaumarbhartiya, (xi) Kayachikitsa, (xii) Sangyahan, (xiii) Shalya

		2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Tantra (xiv) Shalakyia Tantra and (xv) Panchkarma with 06 seats in each course from the academic session 2015-16 to 2019-20 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/129/2015-EP (IM-1)-16.7.2015
156.	Hanuman Shikshan Prasarak Mandal Savarde's Ayurvedic Medical College Peth, Vadgaon, Taluka-Hatkanangale Dist. Kolhapur-416112 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/130/2015-EP(IM-1)26.8.2015
157.	Ganga Education Society's Ayurvedic Medical College 147/A Ganga Hospital Building, Rankalaves Dudhali, Dist. Kolhapur-416012 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course for the session 2015-16 under Section 13C of the IMCC Act, 1970	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 UG seats U/S 13C/13A for the academic session 2015-16 R.17011/131/2015-EP(IM-1) dated 30.10.2015
158.	Smt. K.C. Ajmera Ayurved College, Dayasagar Educational Campus, Agra Road, Deopur, Dist. & Tal Dhule – 424002, Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats, for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/132/2015-EP(IM-1)26.8.2015
159.	Dadasaheb Surupsing Naik Ayurved Mahavidyalaya, Suwalal Bafna, Vidyanagar, At & Post- Nagaon, Dist.: Dhule-424004 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 under session 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/133/2015-EP (IM-1)7.9.2015
160.	Kisan Dnyanoday Mandal Gudhe's Ayurved College & Hospital Near Aurangabad Bye Pass, Dhule Raod, Chalisgaon, Dist. Jalgaon-424101 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for not granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission with 50 seats in (UG)BAMS course for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act 1970 17011/134/2015-EP (IM-1)dated 15.10.2015
161.	Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya Sakegaon, N.H.No-6, Tal-Bhusawal Dist-Jalgaon-425201 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for Conditional permission for UG course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/135/2015/EP(IM-1)17.7.2015

162.	R.A. Podar Ayurved Medical College Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 100 seats & 42 seats in 13 PG subjects namely, (i)Ayurved Samhita-03 seats (ii) Dravyaguna-02 seats (iii) Rasashastra-03 seats, (iv) Shalya Tantra-04 seats (v) Sharir Kriya-02 seats (vi) Kayachikitsa-08 seats (vii) Prasuti Tantra & Stririga-05 seats (viii) Rachana Sharir-03 seats (ix) Swasthavitra-02 seats, (x) Shalakya Tantra -03 seats (Instead of 04 seats) (xi) Rognidan- 02 seats, (xii) Agad Tantra-01 seat & (xiii) Panchakarma -04 Seats (instead of 06 seats) for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 100 seats in UG(BAMS) course 34 seats in 10 PG courses namely (i)Ayurved Samhita &Siddhant-03 seats (ii) Dravyaguna Vigyana-02 seats (iii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-03 seats, (iv) Shalya Tantra -04 seats (v)Kriya Sharir-02 seats (vi) Kayachikitsa-08 seats (vii) Prasuti & Stri Roga-05 seats (viii)Rachna Sharir-03 seats (ix) Swasthavritta & Yoga-02seats (x)Rognidan avum Vikriti Vigyan-02 seats and denial of permission for 11 seats in 03 PG courses namely (i) Shalakya Tantra-04 seats (ii)Agad Tantra-01 seat & (xiii) Panchakarma -06 Seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act 1970 R-17011/136/2015-EP (IM-1)dated 15.10.2015 & 16.10.2015
163.	Smt. Kamaladevi Gauridutt Mittal Puanvasu Ayurved Mahavidyalaya Vd. Ramgopal Sharma Chowk, Netaji Subhash Road, Charni Road (West), Dist. Mumbai -400002 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for not to grant permission for existing UG course with 50 seats and 04PG courses (i) Kayachikitsa (8 seats), (ii)Ayurved Samhita & siddhant(4 Seats), (iii)Drayaguna(2 Seats) and (iv)Rasashastra (2 seats) for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional Permission for BAMS (UG) course with 50 seats & denial of 16 seats in 04 PG courses U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 (Not to Grant Permission for taking admissions to 16 seats in 04 PG courses i.e. Kayachikitsa (8 seats), Ayurved Samhita & Siddhanata (4 seats), Dravyaguna (2 seats) and Rasashastra (2 seats) during the session 2015-16 R-17011/137/2015-EP(IM-1)27.8.2015
164.	Ayurved Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Near Sion Railway Station, Dist. Mumbai- 400022 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats & 06 seats in 03 PG subjects namely:- (i) Kayachikitsa-02 seats, (ii) Samhita Siddhanta-02 seats & (iii) Dravyaguna-02 seats for the sesiion 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats & 06 seats in 03 PG subjects namely:- (i) Kayachikitsa-02 seats, (ii) Samhita Siddhanta-02 seats & (iii) Dravyaguna-02 seats for the sesiion 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/138/2015-EP (IM-1) 8.9.2015

165.	Yerala Medical Trust Ayurvedic Medical College & Hospital Institutional Area, Sector No.4, Kharghar, Navi Mumbai-410 210 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG(BAMS) course with 100 seats and 54 seats in 13 PG subjects namely(i) Rachna Sharir-4 seats (ii) Kriya Sharir-4 seats (iii) Dravyaguna-4 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-8 seats (v)Kayachikitsa-4 seats(vi) Shalya Tantra-(Samanya)-02 seats(vii)Shalya Tantra(Kshara Karma and Anushastra Karma)-04 seats(viii)-Shalakya Tantra-04 seats(ix) Samhita-Siddhanta-04 seats(x) Rognidan and Vikriti Vigyan -04 seats (xi)Agadtantra-04 seats(xii)Prasuti Tantra & Stri Rog-04 seats and (xiii)Panchkarma-04 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 100 seats in UG (BAMS) course and 54 seats in 13 PG courses namely:- (i)Rachna Sharir-4 seats, (ii) Kriya Sharir-4 seats,(iii) Dravyaguna-4 seats(iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-8 seats, (v) Kayachikitsa-4 seats, (vi) Shalya Tantra-2 seats(vi)Shalya Tantra(Samanya)-2 seats,(vii) Shalya Tantra(Kshara karma And Anushastra Karma)-4 seats,(viii) Shalkaya Tantra- 4 seats, (ix) Ayurved Samhita Siddhant-4 seats, (x) Rog Nidan and Vikriti Vigyan-4 seats, (xi) Agad Tantra-4 seats, (xii) Prasuti Tantra & Stri Rog-4 seats and (xiii) Panchkarma-4 seats for the academic session-2015-16 under section 13C/13A, of the IMCC Act, 1970 R-17011/139/2015-EP (IM-1) 24.7.2015
166.	RJVS Bhaishaheb Sawant Ayurved Mahavidyalaya, Sutikagriha Parisar, Khaskilwada Taluka- Sawantwadi – 416 510 Dist. Sindhu Durg Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/140/2015-EP (IM-1) 30.7.2015
167.	Shri Narsingh K.Dube Charitable Trust's Nalaspada Ayurved Medical College & Hospital (Swargiya Shri Suresh Nursing Dube Ayurved College) Medical College Road, Serve No-59 (Old) 112 New, Achole, Nallasopara (E) Tal . Vasai, Dist. Thane-401209 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R.17011/141/2014-EP(IM-1) dated 24.09.2014	
168.	Bhau Saheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya Great Nag Road, Nandanwan, Dist. Nagpur 440009 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting Conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats and 23 seats in 09 PG courses namely . (i)Samhita & Siddhanta-04 seats (ii)Rachana Sharir-03 seats (iii) Kriya Sharir-02 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats(v)	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course and 23 seats in 09 PG courses namely . (i)Ayurved Samhita & Siddhanta-04 seats (ii)Rachana Sharir-03 seats (iii) Kriya Sharir-02 seats (iv) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-04 seats(v)

		Swasthavritta-03 seats (vi) Dravyaguna-01 seats(vii) Agad tantra-03 seats (viii) Kaumarbhritya-02 seats (ix) Kayachikitsa-01 seat for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Swasthavritta-03 seats (vi) Dravyaguna-01 seats(vii) Agad tantra-03 seats (viii) Kaumarbhritya-02 seats (ix) Kayachikitsa-01 seat for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/142/2015-EP (IM-1) 5.8.2015
169.	Govt. Ayurvedic College, Raje Raghuji Nagar, Umrer Road, Sakkardara Chowk, Nagpur- 440024 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional Permission for BAMS(UG) course with 100 seats & 21 seats in 09 PG courses namely (i)Rachna Sharir-4 seats (ii) Kriya Sharir-4 seats (iii) Rasashastra-2 seats, (iv) Swasthavitra-1 seat (v) Rognidan-1 seat, (vi) Agad tantra-3 seats (vii)Shalya Tantra (Samanya)-3 seats (viii) Shalaky tantra-1 seat & (ix) Kayachikitsa- 2 seat for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 100 seats in UG (BAMS) course 21 seats in 09 PG courses namely (i)Rachna Sharir-4 seats (ii) Kriya Sharir-4 seats (iii) Rasashastra-2 seats, (iv) Swasthavitra-1 seat (v) Rognidan-1 seat, (vi) Agad tantra-3 seats (vii)Shalya Tantra-3 seats (viii) Shalaky tantra-1 seat & (ix) Kayachikitsa-2 seat for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/143/2015-EP (IM-1) 21.10.2015
170.	Shri Ayurved Mahavidyalaya, Dhanwantri Marg, Hanuman Nagar Nagpur 440009 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 70 seats and 34 seats in 09 PG subjects namely:-(i)Ayurved Samhita Siddhanta-06 seats, (ii) Rachna Sharir-04 seats, (iii) Kriya Sharir-03 seats, (iv) Dravyaguna- 03 seats (v) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (v) Rog Nidan Avum Vikriti Vigyan- 03 seats(vii) Shalya Tantra-04 seats (viii) Shalaky Tantra-03 seats and (ix) Panchkarma-02 seats and not recommended for 04 PG subjects namely:- Swasthavritta, Agad Tantra, Kaumarbhartiya and Kayachikitsa for the session 2015- 16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant conditional permission with 70 seats and 18 seats in04 PG subjects namely:-(i) Kriya Sharir-03 seats (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats (iii) Dravyaguna-03 seats and (iv) Ayurved Samhita & Siddhant -06 seats and Denial of Permission for 29 seats in 09 PG courses namely:-(i) Rachna Sharir-04 seats, (ii) Rog Nidan Avum Vikriti Vigyan-03 seats (iii) Swasthavritta-03 seats (iv) Agad Tantra-03 seats (v) Shalya Tantra-04 seats (vi) Shalaky Tantra-03 seats (vii) Panchkarma-02 seats (viii) Kaumarbhritya-02 seats and (ix) Kayachikitsa-05 seats for the academic session 2015-16 U/S13C/13A of the IMCCAct, 1970. R-17011/144/2015-EP (IM-1) 17.9.2015
171.	Shri Radhakisan Toshniwal Ayurved Mahavidyalaya Kediya Plots, Jathur Peth Road,	Recommended to Govt. of india for grating Conditional permission for UG course with 50 seats and 10 seats in 04 PG	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG) course and 10 seats in 04 PG course viz. (i)

	Dist. Akola-444005 Maharashtra	courses namely (i) Kayachikitsa-03 seats (ii) Shalya tantra-03 seats (iii) Rachna Sharir-02 seats (iv)Samhita & Siddhanta -02 seats for the session 2015-16. U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Ayurved Samhita & Siddhanta-02 seats, (ii) Rachna Sharir-02 seats, (iii) Kayachikitsa-03 seats and (iv)Shalya Tantra-03 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/145/2015-EP (IM-1) 17.7.2015
172.	Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya Dhawantari Nagar, Chhatra Talao Road, Taluka & District Amrawati 444606 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats and 08 seats in 04 PG subjects namely, (i) Shalya Tantra-03 seats, (ii) Shalaky Tantra-01 seat, (iii) Swasthavritta-02 seats and (iv) Kayachikitsa-02 seats for the session 2015-16 under session 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats inUG(BAMS)courses and 08 seats in 04 PG courses i.e. (i) Swasthavritta-02 seats, (ii) Kayachikitsa-02 seats, (iii) Shalya Tantra-03 seats and (iv) Shalaky Tantra-01 seats for the academic session 2015-16 under section 13C/13A. Of the IMCC Act,1970 R-17011/146/2015-EP(IM-1) 03.8.2015
173.	Shri Gurudeo Ayurved College, At/Po. Gurukunj Ashram, Tq. Tiosa, Dist. Amravati-444902 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for Conditional permission for UG course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission to take admission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/147/2015-EP(IM-1)-17.7.2015
174.	Dayabhai Maoji Majithiya Ayurved Mahavidyalaya Shivaji Nagar, Arni Road, Dist.-Yavatmal-445001 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats & 6 seats in 02 PG course namely:-(i) Kayachikitsa-03 seats and (ii) Rognidan evum Vikriti Vigyan-3 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course and 06 seats in 02 PG courses viz (i) Kayachikitsa-03 seats and (ii) Rognidan evum Vikriti Vigyan-3 seats for the session 2015-16 U/S 13C /13A of the IMCC Act, 1970 F. No.-17011/148/2015-EP (IM-1) 11.9.2015
175.	Shri Gajanan Maharaj Sansthan Ayurved Mahavidyalaya Washim Road, Tq. Pusad – 445215 Dist. Yavatmal Maharashtra	Recommended to Govt. of india for conditional permission with 50 seats in UG(BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission to take admission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/149/2015-EP (IM-1)-17.7.2015
176.	Dr. Vandana Jagannathrao Dhone Gramin Ayurved Mahavidyalaya Taluka Patur – 444501, Dist. Akola Maharashtra	Recommended to Govt. of india for conditional permission with 50 seats and 12 seats in 02 PG subjects namely (i) Shalya Tantra-06 seats, & (ii) Kayachikitsa-06 seats for the	Grant of Permission for a period not exceeding five years with 50 seats in UG (BAMS) course and 12 seats in 02 PG courses viz (i) Shalya Tantra-06 seats, & (ii)

		session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970	Kayachikitsa-06 seats for the session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/150/2015- EP (IM-1) 01.10.2015
177.	Lt. Sunil Ramsinh Chunawale Ayurved Mahavidyalaya Deendayal Nagar, Tq. Chikhli – 443201, Dist. Buldana Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R.17011/151/2014-EP(IM-1) dated: 04.09.2014	
178.	Mahadeorao Shivankar Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Institute, Post- Kudwa, Distt- Gondia-441614 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970	Grant of permission for a period not exceeding five years for 60 seats in UG (BAMS) course from the academic session 2015-16 to 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/152/2015-EP (IM-1)-16.7.2015
179.	Shree Saptashrunji Ayurved Mahavidyalaya & Hospital Kamal Nagar, Hirawadi, Panchavati, Tal. & Dist. Nashik-422003 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-17011/153/2014-EP (IM-1) dated 04.08.2014	
180.	Late Kedari Redekar Ayurvedic Mahavidyalaya, P- 2, MIDC Area, Shendri Mal, Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur – 416502 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-17011/154/2014-EP (IM-1) dated 28.07.2014	
181.	Pravara Medical Trust's Padmashri Dr. Vitthal Rao Vikhe Patil Foundation Ayurved College Akhegaon Road, Tal. Shevgaon, Dist. Ahmednagar-414502 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 80 seats and 32 seats in 06 PG courses namely:- (i) Rachna Sharir-06 seats (ii) RASASHASTRA & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-05 seats (iv) Kayachikitsa-06 seats, (v) Dravyaguna-03 seats and (vi) Shalaky Tantra-Netra Rog-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of permission for a period not exceeding five years with 80 seats in UG (BAMS) course and 32 seats in 06 PG courses namely:-(i) Rachna Sharir-06 seats (ii) RASASHASTRA & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii) Ayurved Samhita & Siddhant-05 seats (iv) Kayachikitsa-06 seats, (v) Dravyaguna- 03 seats and (vi) Shalaky Tantra-Netra Rog-06 seats for the session 2015-16 U/S 13A/C of the IMCC Act, 1970. R-17011/155/2015-EP(IM-1) 8.9.2015
182.	Dr. D.Y. Patil Vidya Pratishthan Society's Padmashree Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Centre, Pimpri, Pune 411018,	Recommended to Govt. of india to grant permission for UG (BAMS) course with 75 seats and 48 seats in 09 PG subjects namely Samhita -06 seats, Rachana Sharir -06 seats, Prasuti	Grant of permission for a period not exceeding five years for for UG (BAMS)course with 75 seats and 48 seats in 09 PG subjects namely Samhita -06

	Maharashtra	Tantra -04 seats, Kayachikitsa - 04, Shalya Tantra -04 seats, Kriya sharir-6 seats, Swasthvritta-6 seats, Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-6 seats and Panchkarma-6 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970.	seats, Rachana Sharir -06 seats, Prasuti Tantra -04 seats, Kayachikitsa -04, Shalya Tantra -04 seats, Kriya sharir-6 seats, Swasthvritta-6 seats, Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-6 seats and Panchkarma-6 seats from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970 R-17011/156/2015-EP(IM-1) 31.7.2015
183.	Government Ayurved College Wazirabad, Tal. & Dist. Nanded 431601 Maharashtra	Recommended to Govt. of India granting conditional permission for existing UG(BAMS) Course with 100 seats & 35 seats in 12 PG courses Namely (i) Ayurved Samhita-02 seats (ii) Rachna Sharir- 03 Seats (iii) Kriya Sharir-04 (iv) Dravyaguna-02 seats (v) Rasashastra-02 seats (vi) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan-02 seats (vii) Swasthvritta & Yoga-02 seats (viii) Prasuti Tantra & Striroga-02 seats (ix) Kaumarbhritya-03 seats (x) Kayachikitsa-04 seats (xi) Shalya Tantra (Samanya)-04 seats and (xii) Shalakaya Tantra-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Granted conditional permission for existing UG {BAMS} course with 100 seats and 35 seats in 12 PG courses namely (i) Ayurved Samhita Siddhant- 02 seats (ii) Rachna Sharir- 03 Seats (iii) Kriya Sharir- 04 seats (iv) Dravyaguna- 02 seats (v) Rasashastra- 02 seats (vi) Rog Nidan avum Vikriti Vigyan- 02 seats (vii) Swasthvritta & Yoga- 02 seats (viii) Prasuti Tantra & Striroga- 02 seats (ix) Kaumarbhritya- 03 seats (x) Kayachikitsa- 04 seats and, (xi) Shalya Tantra (Samanya)- 04 seats and (i) Shalakaya Tantra- 05 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act 1970. R-17011/157/2015-EP (IM-1) Dated 09.10.2015 & 21.10.2015
184.	Jupiter Ayurved Medical College & Hospital, Shankarpur, Post- Khapri, Tehsil & District Nagpur – 15 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG(BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission in existing UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16. R-17011/158/2015-EP (IM-1) Dated 09.10.2015
185.	Hon. Shri Annasaheb Dange Ayurved Medical College and Post Graduate Training Research Centre, Ashta, Tal. Walwa, Dist. Sangli- 416301 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing 60 seats in UG(BAMS) course & 64 seats in 12 PG course in subjects viz (i) Panchkarma-3 seats, (ii) Kaumarbhritya-5 seats (iii) Sangyahan-5 seats (iv) Rachna Sharir-6 seats (v) Kriya Sharir-5 seats, (vi) Rasashastra evam	Grant of permission for a period not exceeding five years with 60 seats in UG (BAMS) course and 64 seats in 12 PG courses viz-(i) Panchkarma-03 seats (ii) Kaumarbhritya-5 seats (iii) Sangyahan-5 seats (iv) Rachna Sharir-6 seats (v) Kriya Sharir-5 seats, (vi)

		Bhaishajya Kalpana-5 seats(vii) Shalya Tantra-5 seats, (viii) Samhita Siddhanta-6 seats, (ix) Kayachikitsa-6 seats, (x) Rognidan avam vikriti Vigyan-6 seats, (xi) Striroga avam Prasuti Tantra-6 seats, (xii) Shalakya Tantra-6 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana-5 seats(vii) Shalya Tantra-5 seats, (viii) Samhita Siddhanta-6 seats, (ix) Kayachikitsa-6 seats, (x) Rognidan avam vikriti Vigyan-6 seats, (xi) Striroga avam Prasuti Tantra-6 seats, (xii) Shalakya Tantra-6 seats from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/159/2015-EP (IM-1) 01.10.2015
186.	Late Shri Babrawan Vithalrao Kale Ayurved Medical College & Hospital, Behind Bus Stand, Gandhi Maidan, Tq. Latur-413512 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 01 PG course namely Rachana Sharir with 04 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in BAMS (UG) course and 04 seats in 01 PG course i.e. Rachana Sharir under section 13C/13A, of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2015-16. R-17011/160/2015-EP (IM-1) 5.8.2015
187.	Bal Bhagwan Shikshan Prasarak Mandal's Dhanwantari Ayurved Medical College & Hospital, Degloor Road, Udgir-413517, Dist. Latur Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-17011/161/2014-EP (IM-1) dated 31.07.2014	
188.	Ashvin Rural Ayurved College Manchi Hill, Ashvi B.K. Ashvi BK, Tal . Sangamner, Dist. Ahmednagar-413714 Maharashtra	Recommended to Govt. of india for Conditional permission in UG (BAMS) course with 40 seats and 18 seats in 03 PG courses namely (i) Rashashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats , (ii) Kayachikitsa - 06 seats and (iii) Shalyatantra-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 40 seats in BAMS (UG) course and 18 seats in 03 PG courses viz (i) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (ii) Shalya Tantra , (iii) Kayachikitsa with 06 seats in each subject for the academic session 2015-16 under section 13c/13A, of the IMCC Act, 1970 R-17011/162/2015-EP (IM-1)-17.7.2015
189.	BSSS'S Ramrao Patil Ayurved Mahavidyalaya & Rugnalaya Bus Stand Road, Tq. Purna, Dist. Parbhani Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 under session 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 40 seats UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/163/2015- EP (IM-1) 12.8.2015
190.	Loknete Rajarambapu Patil Ayurvedic Medical College, Hospital,	Recommended to Govt of India for granting permission for UG course with 60 seats and 78	Grant of permission for a period not exceeding five years with 60 seats in BAMS

	Post Graduate Institute & Research Centre Urun-Islampur, Sangli Road, Tal. Walwa, Dist. Sangali- 415409 Maharashtra	seats in 14 PG courses namely (i) Swasthavritta-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats, (iii) Agad tantra & Vidhivaidyaka-06 seats, (iv) Rognidan-06 seats, (v) Shalya tantra-05 seats, (vi)Kaumarbharitya-06 seats, (vii) Kayachikitsa-05 seats, (viii) Panchkarma-06 seats, (ix) Prasuti tantra & Striroga-05 seats & (x) Shalakya tantra-06 seats (xi) Dravyaguna-06 seats(xii)ChayaAvum Vikiran Vigyan-06 seats(xiii)Asthi Sandhi evam Marmaghat Roga-03 seats & (xiv) Sangyahan - 06 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	course and 78 seats in 14 PG courses viz, (i) Swasthavritta-06 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishajyakalpana-06 seats, (iii) Agad Tantra-06 seats, (iv) Rog Nidan-06 seats, (v) Shalya Tantra-05 seats, (vi) Kaumarbhartiya-06 seats, (vii) Kayachikitsa-05 seats, (viii) Panchkarma-06 seats, (ix) Prasuti & Striroga-05 seats(x) Shalakya Tantra -06 seats, (xi) Dravyaguna-06 seats, 9xii) Chaya Avum Vikrim Vigyan-06 seats (xiii) Asthi Sandhi Evam Marmaghat Roga-03 seats & (xiv) Sangyahan-06 seat from the academic session 2015-16 to 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/164/2015-EP (IM-1)-16.10.2015
191.	SCSES'S Rural Institute of Ayurved, Research Centre & Hospital, At Vidyagiri, Mayani, Tal. Khatav, Dist. Satara-415102, Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting Conditional permission for UG(BAMS) Course with 50 UG Seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in existing UG(BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/29/2003-EP (IM-1) 5.8.2015
192.	Dr. J.J Magdum Ayurved Medical College, Tal. Shirol-Wadi Road, Jaysingpur-416101, Dist.-Kolhapur Maharashtra	Recommended to Govt. of india for Conditional permission for BAMS Course with 40 UG Seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in existing UG(BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/165/2015-EP (IM-1) 15.10.2015
193.	Mahatma Gandhi Ayurved College, Hospital & Research Centre, Salod Hirapur, Dist. Wardha Maharashtra	Recommended to Govt. of india for Conditional permission for BAMS Course with 60 seats in UG course and 38 seats in 08 PG subjects namely (i) Samhita siddhanta - 04 seats (ii) Rachna sharir-04 seats (iii) Dravyaguna vigyan- 04 seats (iv) Agadtantra - 06 seats (v)Rasashastra &Bhaishajya Kalpana-06 seats (vi) Kayachikitsa-06seats (vii) Panchkarama-06seats (viii)Shalyatantra with 02 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in BAMS (UG)course and 38 seats in 08 PG courses viz (i) Ayurved Samhita& Siddhanta-04 seats, (ii) Rachna Sharir-04 seats,(iii) Dravyaguna-04 seats, (iv)Rasashashtra & Bhaishajya kalpana-06 seats, (v) Agad Tantra-06 seats, (vi) Kaychikitsa-06 seats, (vii) Shalya Tantra-02 seats and (viii) Panchkarma-06 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,

			1970. R-12011/11/2006/EP (IM-1)- 17.7.2015
194.	Aditya Ayurved College, At Telgaon Road, Dist. Beed- 431122 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS)course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act. R-12011/01/2006-EP (IM- 1)4.9.2015
195.	Mahesh Ayurved College, Ashti, Teh. Ashti, Dist. Beed 414203 Maharashtra	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.12011/37/2006-EP(IM-1) dated 20.10.2015
196.	S.M.B.T. Ayurved College & Hospital At. Nandi Hills, Dhamangaon, Teh. Igatpuri, Dist. Nashik Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG(BAMS) course with 50 seats, from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019- 20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 to 2019-20, U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R- 12011/02/2006-EP (IM-1) 11.9.2015
197.	Mahila Utkarsha Pratishthan's Ayurved College, Hospital & Research Centre, Pundlik Nagar, Degaon, Tq. Risod Dist. Washim-444506 Maharashtra	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R.12011/38/2006- EP(IM-1) dated 25.09.2014	
198.	SSUD Ayurved Medical College, Rural Hospital & Research Centre, Koli, Tq. Karanja (Lad), Distt. Washim Maharashtra	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16. R.12011/10/2007-EP(IM-1) dated 20.10.2015
199.	Shri K.R. Pandav Ayurved College & Hospital, Bahadura, Near Dighori Naka, Umred Road, Dist. Nagpur Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS)course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970. R-12011/43/2006-EP (IM-1) 4.9.2015
200.	Padamshri Dr. Dr. D.Y. Patil College of Ayurved & Research Institute, Dr. D.Y. Patil Vidya Nagar, Sector-7, Taluka-Nerul, Navi Mumbai, Dist.- Thane- 400706 Maharashtra	Recommended to Govt. of india for Conditional permission with 100 seats in UG course and 45 seats in 12 PG courses namely (i) Sharir Rachna-03 seats,(ii)Sharir Kriya-03 seats ,(iii) Samhita Saddhant -03 seats,(iv) Swasthvritta-03 seats , (v) Rognidan-03 seats , (vi) Shalya	Grant of conditional permission for 100 seats in UG (BAMS) course and 45 seats in 12 PG courses namely (i) Sharir Rachna-03 seats,(ii)Sharir Kriya-03 seats ,(iii) Samhita Saddhant -03 seats,(iv) Swasthvritta-03 seats , (v) Rognidan-03 seats

		Tantra-03 seats,(vii) Dravyaguna-04 seats,(viii) Agadtantra-04 seats,(ix) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-09 seats , (x) Kayachikitsa-04 seats , (xi) Shalaky -03 seats and (xii) Kaumaryabharitya -03 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970	, (vi) Shalya Tantra-03 seats,(vii) Dravyaguna-04 seats,(viii) Agadtantra-04 seats,(ix) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-09 seats , (x) Kayachikitsa-04 seats , (xi) Shalaky -03 seats and (xii) Kaumaryabharitya -03 seats for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.12011/05/ 2003-EP (IM-1) Dated 05.08.2015
201.	MES Ayurved Mahavidyalaya, MES Institute of Health Sciences, Prashuram Hospital and Research Centre Ghanekhunt-Lote, Tal. Khed, Dist Ratnagiri-4157222 Maharashtra	Recommended to Govt. of India for granting Conditional permission for existing UG course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional Permission for 50 seats in UG(BAMS)course for the academic session U/S 13A of the IMCC Act,1970. R-12011/15/2009- EP (IM-1) 16.7.2015
202.	Vimla Devi Ayurvedic Medical College & Hospital At Wandhari, Post-Tadali Tal & Dist-Chandarpur Maharashtra	Recommended to Govt. of india for granting Conditional permission for existing UG course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS)coursefor the academic session 2015-16 U/S 13A of theIMCC Act, 1970. R-12011/13/2009- EP (IM-1)-16.7.2015
203.	Gopabandhu Ayurveda Mahavidyalaya, VIP Road, Puri-752002 , Orissa	Recommended to Govt. of India for granting conditional Permission for BAMS (UG) Course with 30 seats and 15 seats in 05 PG Courses namely (i) Kayachikitsa-07 seats (ii) Shalya Tantra-03 seats (iii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-02 seats (iv) Prasuti Tantra & striroga-01 seat (v) Kaumarbharitya-02 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 30 seats in UG (BAMS) course and 13 seats (instead of 15 seats) in 04 PG courses (instead of 05 PG courses) namely (i) Kayachikitsa-07 seats (ii) Shalya Tantra-03 seats (iii) Rasashastra & Bhaishajya kalpana-02 seats (iv) Prasuti Tantra & striroga-01 seat and demial of permission for 02 seats in 01 PG course namely Kaumarbharitya for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/166/2015-EP (IM-1)-20.10.2015
204.	Indira Gandhi Memorial Ayurvedic Medical College & Hospital, At-Pokhariput, P.O.-Khandagiri, Dist-Khurda, Bhubaneshwer-751030 Orissa	Recommended to Govt. of India for granting conditional Permission for BAMS (UG) Course with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of IMCC Act.	Grant of conditional permission for 30 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/167/2015-EP(IM-1)-21.10.2015

205.	Mayurbhanj Ayurved Mahavidyalaya At & Post Takatpur, Via Baripada, Dist Mayurbhanj-757003Orissa	Not visited due to Non submission of compliance by the college. Therefore, not recommended to Govt. of India	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/168/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2015
206.	Kaviraj Ananta Tripathy Sharma Ayurved College & Hospital, At/P.O Ankushpur, Via Kukudakhandi Dist. Ganjam 761100 Orissa	Recommended to Govt. of india for not granting permission for UG course (BAMS) with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/169/2015-EP(IM-1) dated 26.10.2015
207.	Govt. Ayurved College AT Tulsi Nagar, Bolangir - 767001 Orissa	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970	Granted Conditional permission for UG (BAMS) course with30 seats for the session 2015-16. R-17011/170/2015-EP (IM-1) Dated 01.10.2015
208.	Sri Sri Nrusinghnath Ayurved College & Research Institute, P.O Paikmal, Dist. Bargarh-768039 Orissa	Recommended to Govt. of India for granting Conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act,1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/171/2015-EP (IM-1)16.9.2015
209.	Government Ayurved College Near Gurudwara Moti Bagh, Patiala-147001	Recommended to Govt. of India for not granting permission for 40 seats in UG(BAMS) course and denial of permission for 02 PG courses i.e. (i) Rasashastra - 04 seats and (ii) Dravyaguna-04 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 40 seats in UG (BAMS) course and denial of the permission for 08 seats in 02 PG courses namely (i) Rasashastra -04 seats and (ii) Dravyaguna-04 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/172/2015-EP (IM-1)16.10.2015
210.	Desh Bhagat Ayurvedic College & Hospital Post Box No.5, Amloh Dist. Fatehgarh Sahib-147203 Punjab	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 10 seats in 02 PG courses namely:-(i) Kayachikitsa-05 seats & (ii) Rasashastra-05 seats for the session-2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 UG seats in BAMS course and 02 PG courses namely:- (i) Kayachikitsa-05 seats (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/173/2015-EP (IM-1)30.7.2015
211.	Sri Satya Sai Murlidhar Ayurvedic College & Hospital Vill. Duneke,	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 40 seats for the session	Grant of conditional permission with 40 UG seats in BAMS course for the academic session 2015-16

	G.T. Road, Dist. Moga-142001, Punjab	2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/174/2015-EP (IM-1)24.7.2015
212.	Mai Bhago Ayurvedic Medical College for Women Ferozpur Road, Distt. Muktsar-152026 Punjab	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats, for the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of Permission for a period not exceeding five years for 50 UG seats in BAMS course under section 13C of the IMCC Act, 1970 from the academic session 2015-16 to 2019-20. R-17011/175/2015-EP (IM-1) 28.7.2015
213.	Guru Nanak Ayurvedic Medical College & Hospital Near Ajit Cinema, Barkandi Road, Taluka: Muktsar-152026 Punjab	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 60 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. Upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in BAMS (UG) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/176/2015-EP (IM-1)23.7.2015
214.	Guru Nanak Ayurvedic Medical College & Research Institute, Malerkotla Road, Gopalpur, Near Dehlon, Dist. Ludhiana-141118 Punjab	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant for conditional permission for conducting the UG (BAMS) course with 60 UG seats for the academic session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970. R-17011/177/2015-EP (IM-1) -15.7.2015
215.	Shri Lakshmi Narayan Ayurvedic College Sant Tulsi Dass Marg Amritsar 143001 Punjab	Recommended to Govt. of India for Conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/178/2015-EP(IM-1) 31.7.2015
216.	Dayanand Ayurvedic College, Mahatma Hans Raj Marg, G.T. Road, Opp. Burlton Park, Dist. Jalandhar-144008 Punjab	Recommended to Govt. of India for granting permission for 50 seats in UG (BAMS) course from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of permission for a period not exceeding five years for 50 seats in BAMS (UG) course from the session 2015-16 to 2019-20 under section 13C of the IMCC Act, 1970 R-17011/179/2015-EP (IM-1) 9.7.2015
217.	Shaheed Kartar Singh Sarabha Ayurvedic Medical College & Hospital VPO Sarabha, Dist. Ludhiana-141105, Punjab	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. Upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/180/2015-EP(IM-1) 15.9.2015
218.	Smt. Urmila Devi Ayurvedic College of Medical Sciences & Hospital Una Road (10	Recommended to Govt. Of India for granting conditional permission for UG (BAMS)	Grant of conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the

	Km), V & P.O Kharkan, Dist. Hoshiarpur 146001 Punjab	course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	session 2015-16 under section 13C/13A of the IMCC Act 1970. R-17011/181/2015-EP(IM-1) 15.09.2015
219.	Babe Ke Ayurvedic Medical College & Hospital Village & P.O Daudhar, Tehsil & Dist. Moga- 142053 Punjab	Recommend to Govt.of India for granting conditional permission for UG(BAMS) Course with 60 seats & 19 seats in 04 PG subjects namely:(i) Samhita Siddhanta- 06seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Dravyaguna-06 seats & (iv) Kaumarbhritya-01 seat from the session2015-16 onwards not exceeding five years i.e. upto2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of permission for a period not exceeding five years for UG (BAMS) course with 60 seats & 19 seats in 04 PG subjects namely:(i) Samhita Siddhanta-06seats, (ii) Rachna Sharir-06 seats, (iii) Dravyaguna-06 seats & (iv) Kaumarbhritya-01 seat from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/182/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
220.	Saint Sahara Ayurvedic Medical College & Hospital, Kot Shamir, Bathinda- 151001 Punjab	Recommended to Govt. of India for not grating permission for BAMS (UG) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act 1970. R-12011/18/2006-EP(IM-1) 16.10.2015
221.	Rajiv Gandhi Ayurveda Medical College Chalakkara Mahe-P.B No-.26 pin- 673310 Puducherry	Recommended to Govt. of India for granting permission for 50 seats in UG (BAMS) course from the session2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e.upto 2019- 20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of Conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act 1970. R-12011/02/2010-EP(IM-1) 05.08.2015
222.	National Institute of Ayurveda Madhav Vilas Palace Amer Road, Jaipur-302002 Rajasthan	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 92 seats and 59 seats in 11 PG subjects namely:-(i) Ayurved Samhita-06 seats(instead of 08 seats), (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-06 seats(instead of 09 seats), (iii) Panchkarma-03 seats(instead of 07 seats), (iv)Kriya Sharir-06 seats(instead of 08 seats), (v) Dravyaguna-06 seats(instead of 08 seats), (vi) Kayachikitsa-06 seats(instead of 09 seats), (vii) Swasthavritta-05 seats(instead of 07 seats),(viii) Rognidan-06 seats(instead of 08 seats), (ix) Shalya Tantra-06 seats(instead of 07 seats), (x)	Grant of Conditional Permission for 92 seats in UG(BAMS)course 83 seats in 11 PG courses namely (i) AyurvedSiddhant (08 seats) (ii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana (09 seats) (iii) Panchakarma (07 seats) (iv) Rachna Sharir (07 seats) (v) Dravyaguna Vigyana (08 seats) (vi)Kayachikitsa (09 seats) (vii) Swasthavritta & Yoga (07 seats) (viii) Roga Nidan avum Vikriti Vigyan (08 seats) (ix) Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka(06 seats) (x) Shalya Tantra (07 seats) (xi) Prasuti & Stri Roga (07 seats) and denial of permission for 21 seats in

		Prasuti Tantra & Stri Rog-05 seats (instead of 07 seats) and (xi) Agad Tantra-04 seats (instead of 06 seats) and also recommend to Govt. of India for not granting permission for 03 PG courses namely (i) Rachna Sharir- 07 seats, (ii) Kaumarbhartiya- 07 seats (iii) Shalaky Tantra-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act 1970.	03 PG courses namely (i) Kriya Sharir (08 seats) (ii) Shalaky Tantra (06 seats) (iii) Kaumarbhartiya (07 seats) for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act 1970. R-17011/184/2015-EP(IM-1) dated 15.10.2015
223.	MMM Govt. Ayurved College, Th. Girwa, Dist. Udaipur 313001 Rajasthan	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing 60 seats in UG (BAMS) course and 03 PG courses in subjects viz (i) Kayachikitsa-5 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-5 seats & (iii) Dravyaguna-4 seats (instead of 05 seats) for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course and 15 seats in 03 PG courses i.e. (i) Kayachikitsa-5 seats, (ii) Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-5 seats & (iii) Dravyaguna-5 seats for the session 2015-16 U/S 13C/A of the IMCC Act, 1970 R-17011/185/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
224.	Shri Bhanwar Lal Dugar Ayurved Vishwabharti Gandhi Vidya Mandir Dist. Churu, Sardar Shah-331403 Rajasthan	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/186/2015-EP(IM-1) 11.9.2015
225.	JR's Tania Shri Ganganagar College of Ayurvedic Science & Hospital, Near RIICO, Hanumangarh Road, Sri Ganganagar-335002 Rajasthan	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/58/2003-EP (IM-1) 26.8.2015
226.	Punjab Ayurved Medical College & Hospital, 43 MMK, Hanumangarh road Morjand Khari, Sri Ganganagar-335037 Rajasthan	Recommended to Govt. Of India for not granting permission for UG (BAMS) course for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R.11011/10/2006-EP(IM-1) dated 09.11.2015
227.	University College of Ayurved, Rajasthan Ayurved University, Nagaur Road, Kadwad, Jodhpur Rajasthan	Recommended to Govt. Of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 17 seats in 03 PG subjects namely- (i) Kayachikitsa-05 seats (instead of 06 seats), (ii) Dravyaguna-06 seats and (iii) Shalya Tantra-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course & 18 seats in 03 PG courses i.e. (i) Kayachikitsa, (ii) Dravyaguna Vigyana & (iii) Shalya Tantra with 06 seats in each course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2003-EP 9IM-1) 4.9.2015

228.	B. M. Education Foundation Trust, Shekhawati Ayurvedic College Behl Road, Harikunj, Ganga Colony, Teh. Chirawa, Dist. Jhunjhunu, Pilani - 333031, Rajasthan	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course subject for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/08/2008- EP(IM-1) 15.9.2015
229.	Shri Shirdi Sai Baba Ayurvedic College & Hospital Mundiagarh Kishangarh- Renwal, Jaipur- 303603 Rajasthan	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session- 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/12/2009-EP(IM-1) 16.9.2015
230.	Ayurveda College, RVS Campus, 242-B Trichy Road, Sulur, Coimbatore-641108 Tamil Nadu	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 40 seats in UG course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 40 seats in BAMS (UG) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/187/2015-EP(IM-1) 21.7.2015
231.	Dharma Ayurved Medical College & Hospital, No. 48, G.W.T. Road, Opp. Rajiv Gandhi Memorial, Taluk Sriperumbudur-602105 Shri Perumbudur, Dist. Kancheepuram Tamil Nadu	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG(BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 UG seats U/S 13C/13A for the academic session 2015-16 R.17011/188/2015-EP(IM-1) dated 29.10.2015
232.	Sri Sai Ram Ayurveda Medical College & Research Centre, Sai Leo Nagar, Poonthandalam Sriperumbudur, Taluk Kanchipuram Chennai – 600044 Tamil Nadu	Recommended to Govt. of India for granting permission for 50 seats in UG course from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant permission for a period not exceeding five years with 50 seats in BAMS (UG) course from the academic session 2015-16 to the academic session 2019-20 under section 13C/13A of the IMCC Act, 1970 R-17011/189/2015-EP (IM-1)15.7.2015
233.	Sri Jayendra Sarswathi Ayurveda College & Hospital 4/295, Bangalore High Road, Nazarethpet, Chennai-600123 Taluka Poonamallee, Dist. Thiruvallur Tamil Nadu	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG) course for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/190/2015-EP (IM-1)31.7.2015
234.	Government Ayurveda Medical College and Hospital, Kottar, Nagercoil – 629002, Tamil Nadu	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in BAMS (UG) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2009- EP (IM-1)15.7.2015

235.	Govt. Gurukul Ayurved College, Kangari, Haridwar-249404 Uttarakhand	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing 60 seats in UG(BAMS) course 33 seats in 07 PG course in subject viz(i) Shalya Tantra-5 seats(ii) Panchkarma-5 seats, (iii) Rasashastra evam Bhaishjya kalpana-7 seats, (iv) Dravyaguna-4 seats, (v) Kayachikitsa-4 seats,(vi) Shalaky Tantra-4 seats, (vii)Prasuti Tantra-4 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in UG(BAMS) course 33 seats in 07 PG course in subject viz(i) Shalya Tantra-5 seats(ii) Panchkarma-5 seats, (iii) Rasashastra evam Bhaishjya kalpana-7 seats, (iv) Dravyaguna-4 seats, (v) Kayachikitsa-4 seats,(vi) Shalaky Tantra-4 seats, (vii)Prasuti Tantra-4 seats for the session 2015-16 U/S 13C/A, of the IMCC Act, 1970 R-17011/192/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
236.	Rishikul Govt P.G. Ayurvedic College & Hospital Haridwar- 249401, Uttarakhand	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats In UG (BAMS) courses for the academic session 2015-16 U/S 13C/13Aof the IMCC Act, 1970. R-17011/191/2015-EP (IM-1) 15.9.2015
237.	Uttaranchal Ayurvedic College, Ayurved Estate, 17, Old Mussoorie Road, Rajpur Dehradun – 248009 Uttarakhand	Recommended to Govt. Of India for grant conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats and 20 seats in 04 PG courses namely:-(i) Maulik Siddhanta-05 seats, (ii) Swasthavritta-05 seats, (iii) Agad Tantra-05 seats & (iv) Dravyaguna-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS)course and 20 seats in 04 PG courses i.e. (i) Ayurved Samhita & Siddhant, (ii) Swasthavritta & Yoga, (iii) Agad Tantra Avum Vidhi Vidyaka and (iv) Dravyaguna Vigyana with 05 seats in each subject for the academic session 2015-16 U/S 13C/A of the IMCC Act, 1970 R-17011/193/2015-EP (IM-1)26.8.2015
238.	Himalayiya Ayurvedic Medical College & Hospital Yoga Avam Prakartik ChikitsaSansthan, Gram-Fatehpur Tanda, Post-Via Doiwala, Jeevanwala, Dehradun-248140 Uttarakhand	Recommended to Govt. of India for grant conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 22 seats in 04 PG Subjects namely (i) Dravyaguna-06 seats, (ii) Kriya Sharir-04 seats (instead of 06 seats) & (iii) Rachna Sharir-06 seats & (iv)Panchkarma-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course 23 seats in 04 PG courses i.e. (i) Dravyaguna Vigyana-6 seats, (ii) Kriya Sharir-5 seats (instead of 6 seats), (iii) Rachna Sharir-6 seats and (iv) Panchkarma-6 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act. R-12011/13/2005-EP (IM-1)11.9.2015
239.	Patanjali Bhartiya Ayurvigyan Evam Anusandhan Sansthan, Patanjali Yoga Peeth, Haridwar – 249402,	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,

	Uttarakhand	Act, 1970.	1970. R-12011/20/2008-EP (IM-1) 01.10.2015
240.	State Ayurvedic College & Hospital Tulsidass Marg, Lucknow-226004 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats and 14 seats in 03 PG courses namely:-(i) Rachna Sharir-04 seats, (ii) Kriya Sharir-04 seats, (iii) Kayachikitsa-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course and 14 seats in 03 PG courses i.e.-(i) Rachna Sharir-04 seats, (ii) Kriya Sharir-04 seats, (iii) Kayachikitsa-06 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/209/2015-EP(IM-1) 16.10.2015
241.	Lalit Hari State P.G. Ayurvedic College & Hospital Pilibhit-262001 Uttar Pradesh	Recommended to Govt.of India for not granting permission for UG (BAMS) Course with 50 seats & 06 seats in 01 PG Course in Dravyaguna for the Session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 UG seats & 06 seats in 01 PG Course in Dravyaguna for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/194/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2015
242.	Bundelkhand Govt. Ayurvedic College & Hospital Gwalior Road, Jhansi-284001 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/195/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2015
243.	Government Ayurvedic College & Hospital Atarra- 210201, Dist. Banda Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/196/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2015
244.	S.R.M. Govt. Ayurvedic College Bansmandi, Bareilly-243005 Uttar Pradesh	Recommended to Govt.of india for not granting permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 40 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/197/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2015
245.	Swami Kalyandev Government Ayurved College Rampur, Muzaffarnagar Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for not granting conditional permission for UG course (BAMS) for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denied permission for taking admission to UG (BAMS) course with 30 seats U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970 for the session 2015-16 R-17011/198/2015-EP (IM-1) 01.10.2015
246.	Shri Lal Bhadur Shastri Smarak Rajkiya Ayurveda Govt. College,	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG(BAMS) course with 30 seats	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the

	Jawahar Nagar, Handia, Allahabad-221503 Uttar Pradesh	for the session 2015-16 under section 13C of the IMCC Act, 1970	academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/199/2015-EP(IM-1) dated 27.10.2015
247.	Sham-E-Ghausia Minority PG Ayurvedic Medical College & Hospital, Saheri, Via Nandganj Dist. Ghazipur -233302, Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG(BAMS) course with 60 seats & 17 seats in 04 PG course namely:- (i)Prasuti tantra & Striroga-04 seats, (ii)Rognidan-04 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats & (iv) Shalya tantra-04 seats from the session 2015-16 onwards not exceeding five years i.e. upto 2019-20 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant permission for a period not exceeding five years with 60 seats & 17 seats in 04 PG course namely:- (i)Prasuti tantra & Striroga-04 seats, (ii)Rognidan-04 seats, (iii) Kayachikitsa-05 seats & (iv) Shalya tantra-04 seats from the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/200/2015-EP (IM-1) 17.9.2015
248.	Aligarh Unani/Ayurvedic Medical College, ACN Hospital, Opp. F.M. Tower, Anoopshahr Road, Aligarh – 202002 Uttar Pradesh	Recommended to Govt of india for granting conditional permission for existing UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 50 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970 R-17011/201/2015-EP (IM-1) 16.9.2015
249.	Vaidya Yagya Dutt Sharma Ayurved Mahavidyalaya Opposite Dharpa Power House, Dist. Bulandshahr, G.T.Road, Khurza- 203131 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 100 seats and 70 seats in 14 PG courses namely:- (i) Kriya Sharir-05 seats (ii) Chhaya Avam Vikiran-05 seats, (iii) Prasuti Tantra & Striroga-04 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats (v) Shalya Tantra-05 seats (vi) Sangyahan-05 seats, (vii) Panchkarma-05 seats (viii) Kaumarbhartiya-05 seats (ix) Swastavritta-05 seats (x) Agad Tantra & Vyavaharhayurved-05 seats (xi) Samhita Siddhanta-06 seats (xii) Dravyaguna-05 seats (xiii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (xiv) Rachna Sharir-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional Permission for 100 seats in UG (BAMS) course and 70 seats in 14 PG courses namely:- (i) Kriya Sharir-05 seats (ii) Chhaya Avam Vikiran-05 seats, (iii) Prasuti Tantra & Striroga-04 seats, (iv) Kayachikitsa-05 seats (v) Shalya Tantra-05 seats (vi) Sangyahan-05 seats, (vii) Panchkarma-05 seats (viii) Kaumarbhartiya-05 seats (ix) Swastavritta-05 seats (x) Agad Tantra & Vyavaharhayurved-05 seats (xi) Samhita Siddhanta-06 seats (xii) Dravyaguna-05 seats (xiii) Rasashastra & Bhaishajya Kalpana-05 seats and (xiv) Rachna Sharir-05 seats for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/202/2015-EP (IM-1) 17.9.2015
250.	Sri Sai Ayurvedic Medical College & Hospital Opp. Phal Mandi, Sarsol, G.T. Road	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R-17011/203/2014-EP(IM-1) 14.08.2014	

	Aligarh – 202001, Uttar Pradesh		
251.	JD Ayurvedic Medical College & Hospital Bhankari, G.T. Road, Aligarh-202001 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/31/2003-EP (IM-1) 15.9.2015
252.	Major S.D. Singh Ayurvedic Medical College & Hospital Bewar Road, Fatehgarh, Dist. Farrukhabad-209625 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting Conditional Permission for UG(BAMS) course with 100 seats 48 seats in 08 PG courses namely:-(i)Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats, (v) Roga Nidan-06 seats, (vi) Samhita Siddhant-06 seats, (vii) Kayachikitsa-06 seats and (viii) Shalya Tantra-06 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 100 seats in UG(BAMS) course and 48 seats in 08 PG courses namely (i)Rasashastra & Bhaishjya Kalpana-06 seats, (ii) Kriya Sharir-06 seats, (iii) Rachna Sharir-06 seats, (iv) Prasuti Tantra & Striroga-06 seats, (v) Roga Nidan-06 seats, (vi) Ayurved Samhita Siddhant-06 seats, (vii) Kayachikitsa-06 seats and (viii) Shalya Tantra-06 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A/13C of the IMCC Act, 1970. R-12011/07/2005-EP(IM-1) dated 16.10.2015
253.	Dean, Faculty of Ayurveda Institute of Medical Sciences Banaras Hindu University Dist. Varanasi- 221005 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 39 seats in 14 PG course i.e (i) Ayurveda Samhita and Siddhanta-04 seats (ii) Kaumaryabhritya-03 seats, (iii) Shalakya Tantra-02 seats, (iv) Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana -03 seats, (v) Rachna Sharir-02 seats, (iv) Kriya Sharir- 02 seats, (vii) Dravyaguna-03 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix) Roganidan-02 seats, (x) Shalya Samanya-05 seats, (xi) Prasuti & Striroga-04 seats, (xii) Manas Roga-01 seat, (xiii)Sangyahanana-02 seats and (xiv)Swasthavritta-01 seat for the session 2015- 16 U/S 13C of the IMCC Act 1970 &	Grant of conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats and 39 seats in 14 PG course i.e (i) Ayurveda Samhita and Siddhanta-04 seats (ii) Kaumaryabhritya-03 seats, (iii) Shalakya Tantra-02 seats, (iv) Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana -03 seats, (v) Rachna Sharir-02 seats, (iv) Kriya Sharir-02 seats, (vii) Dravyaguna-03 seats, (viii) Kayachikitsa-05 seats, (ix) Roganidan-02 seats, (x) Shalya Samanya-05 seats, (xi) Prasuti & Striroga- 04 seats, (xii) Manas Roga- 01 seat, (xiii)Sangyahanana- 02 seats and (xiv)Swasthavritta-01 seat and 04 seats 02 PG Diploma courses namely:- (i)Kaumarbhartiya(Balroga)- 02 seats and (ii) Sangyahanana-02 seats in for the academic session 2015- 16 U/S 13C/13A of the IMCC

			Act 1970. R-17011/204/2015-EP (IM-1) 23.10.2015
254.	Govt. Ayurvedic College & Hospital Sampurnanand Sanskrit University Jagatganj, Varanasi- 221002, Uttar Pradesh	Recommended to Govt. Of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 40 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 40 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-17011/205/2015-EP (IM-1)17.9.2015
255.	Shri Anand Niketan Dharmshala Avom Dharmik Trust, Shri Dhanwantri Ayurvedic Medical College & Research Centre, At NH – 02, Vill. Semari, Tehsil Chhatta , Dist. Mathura, Uttar Pradesh	Not visited as College already granted for permission not exceeding 5 years i.e. Upto 2018-19 letter R.12011/18/2008-EP(IM-1) 14.08.2014	
256.	Bharat Ayurved Medical College, Hospital & Research Centre, 10 K.M., Roorkee Road, NH-58, P.O. Barla, Muzaffarnagar-251001 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting permission for 50 seats in UG course from the session 2015-16 onwards not exceeding 5 years i.e. upto 2019-20 U/S13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/26/2008-EP (IM-1)6.8.2015
257.	JB Roy State Ayurvedic Medical College & Hospital 170-172, Raja Dinendra Street Kolkata-700004 West Bengal	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C/A of the IMCC Act,1970. R-17011/206/2015-EP (IM-1)15.9.2015
258.	Institute of Post Graduate Ayurvedic Education & Research Shyamadas Vidya Shastra, Pith. 294/3/1 Asharya Prafulla Chandra Road, Kolkata- 700009, West Bengal	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 10 seats in 04 PG subjects namely:- (i)Ayurved Samhita & Siddhant-02 seats, (ii)Dravyaguna-02 seats, (iii)Kayachikitsa-04 seats & (iv) Rognidan evam Vikriti Vigyan -02 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission for 10 seats in 04 PG courses viz (i) Ayurved Samhita & Siddhant (02 seats), (ii) Kayachikitsa (04 seats), (iii) Dravyaguna Vigyana (02 seats) and (iv) Rog Nidan evum Vikriti Vigyan (02 seats) for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act. R-17011/208/2015-EP (IM-1)-11.9.2015
259.	Belley Sankarpur Rajiv Gandhi Memorial Ayurvedic College & Hospital, P.O. & Village, Fingapara, Dist. 24, Pargnas (N) 743126 West Bengal	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13C/A of the IMCC Act, 1970. R-17011/207/2015-EP (IM-1)15.9.2015

260.	Islamia Education Trust's Zakaria Ayurved College, Payan Darga Road, Roza (B), Gulbarga- 585104, Karnataka	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course with 30 seats for the session 2015-16 U/S 13C of the IMCC Act, 1970.	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 30 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R.17011/83/2015-EP(IM-1) dated 20.10.2015
261.	Raghunath Ayurved Mahavidyalaya & Hospital Contai, Dist-Purba Medinipur, West Bengal	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS)course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Denial of permission for taking admission in the BAMS course with 50 seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R.12011/05/2012-EP(IM-1) dated 20.10.2015
262.	Hillside Ayurveda Medical College and Hospital No174/2, Saldoddi, Kengeri hobli Agara Village, Bangalore South, Bangalore Karnataka 560062	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denied Permission for taking admission UG (BAMS) course with 50 seats U/S 13A of the IMCC Act, 1970 for the session 2015-16 R-12011/26/2013-Ep (IM-1) 01.10.2015
263.	Chaudhary Harchand Singh Atmaram Education Trust, Quadra Institute of Ayurveda NH-58, HARIDWAR ROAD RKE, BELDA Roorkee Uttarakhand 247667	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/25/2013/EP (IM-1)26.8.2015
264.	Mahatma Jyotiba Fule Ayurveda Mahavidyalaya Sikar Road Harota, Chomu Jaipur Rajasthan 303702	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 100 seats for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for UG (BAMS) course with 100 seats for the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/22/2013-EP (IM-1)08.7.2015
265.	Abhilashi Ayurvedic College and Research Institute Chailchowk, Tehsil Chachyot, Distt. Mandi Himachal Pradesh 175045	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/14/2013-EP (IM-1)24.7.2015
266.	Lal Bahadur Shastri Mahila Ayurvedic College And Hospital Sadhaura road, Bilaspur, distt- Yamunanagar Haryana 135102	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 50 seats in UG course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/05/2013-EP (IM-1)11.9.2015
267.	Prabuddh Ayurvedic Medical College, Hospital & Research Centre vill. bakka khera ,post thari, mall Lucknow Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 under section	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session U/S 13A of the IMCC Act, 1970.

	226104	13A of the IMCC Act, 1970	R-12011/09/2013-EP(IM-1) 28.10.2015
268.	Santusti Ayurvedic Medical College & Hospital HINAUTI, DAGMAGPUR, CHUNAR Mirzapur Uttar Pradesh 231305	Recommended to Govt. of India for granting permission for UG (BAMS) course with 100 seats for the session 2015-16 U/S, 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of Conditional Permission with 100 seats in UG (BAMS) course for the academic session U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/15/2013-EP(IM-1) 7.9.2015
269.	Anandi Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved Medical College, Hospital & Research Institute Dhad Naka Area Ajanta Road Buldana Maharashtra 443001	Recommended to Govt. of india for conditional permission with 60 seats in UG course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 60 seats in BAMS course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/20/2013-EP (IM-1)22.7.2015
270.	Shree Dhaneshwari Manav Vikas Mandal, Sou Shantadevi Vedprakash Patil Ayurved College & Research Institute Gat No. 421, Hatta, Tq. Basmat Dist. Hingoli 431738	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 50 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970	Grant of Conditional Permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/16/2013-EP (IM-1)24.7.2015
271.	Jagdamba Education Society, Matoshri Asarabai Darade Ayurved college Babhulgon,Yeola Dist.Nashik Maharashtra 423401	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 50 seats in UG course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 R-12011/29/2013-EP (IM-1)24.7.2015
272.	Pacific College of Ayurveda & Research Centre 200, Lacchipur, Industrial aREA, Gorakhpur-273015 Uttar Pradesh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970	Denied permission for taking admission to BAMS Course with 60 UG seats under section 13A of the IMCC Act, 1970 for the academic session 2015-16. R-12011/03/2013 –EP (IM-1) for 2015-16 16-11-2015
273.	Gangasheel Ayurvedic Medical College Manpuriya Janki Prasad Kamua Bisalpur Road Bareilly Uttar Pradesh 243001	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG course with 100 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denied permission for taking admission to BAMS course with 100 UG seats for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act 1970. R-12011/01/2013-EP (IM-1) 21.10.2015 Grant of conditional permission for taking admission with 100 seats for the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970., in

			suppression to the Ministry's Privity order No: R-12011/01/2013-EP (IM-1) for 2015 -16, dated 21-10-2015. R-12011/01/2013-EP (IM-1) For 2015-16 27-11-2015
274.	Shivalik Sewa Trust, Shivalik Ayurvedic Medical College & Hospital Village Bijarva, Post Bankat PS Mubarakpur District Azamgarh Uttar Pradesh 276125	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/07/2013-EP (IM-1) dated 15.10.2015
275.	Shri Krishna Ayurvedic Medical College & Hospital Rauna Khurd Chhapur Varanasi Uttar Pradesh 221001	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A, of the IMCC Act,1970	Grant of conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/13/2013-EP (IM-1) dated 15.10.2015
276.	Shiv Shakti Ayurvedic Medical College sunam road town bhikki distt-mansa punjab Punjab 151504	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for UG(BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act,1970	Denied permission for taking admission to UG (BAMS) course with 60 seats for the academic session 2015-16 U/S 13C/13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/24/2013-EP (IM-1)27.10.2015
277.	Dhanvantari Ayurved College At. Koydam Ta.Virpur, Dist.Mahisagar Gujarat 388260	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission with 50 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16. R-12011/27/2013-EP (IM-1) Dated 15.07.2015
278.	Kala Ashram Ayurveda Medical College & Hospital NHW-27, Village- Bansada Tehsil- Gogunda, District-Udaipur Rajasthan 313705	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 60 seats in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional admission with 60 seats in UG (BAMS) course for the academic session 2015-16U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/04/2013-EP (IM-1) -15.7.2015
279.	Kunwar Shekhar Vijendra Ayurved Medical College & Research Center Shobhit University, Adarsh Institutional Area, Babu Vijendra Marg, Gangoh Saharanpur Uttar Pradesh 247341	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970	Grant of conditional permission for take admission with 60 seats (instead of 100 seats) in UG(BAMS) course for the academic session 2015-16U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/28/2013-EP (IM-1) -21.10.2015

			Grant of conditional permission for take admission with 100 seats in UG(BAMS) course for the academic session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970 in supersession to the previous order No. R-12011/28/2013-EP (IM-1) - 21.10.2015
280.	Govt. Ayurved College and hospital, Bilaspur Ashok Nagar, Bilaspur 495001 Chhattisgarh.	Recommended to Govt. of India for not granting permission for UG (BAMS) course for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970.	Denied permission for taking admission to UG (BAMS) course with 60 seats for the session 2015-16 U/S 13A of the IMCC Act, 1970. R-12011/11/2013-EP (IM-1) 18.08.2015

UNANI

Recognition of Medical Qualifications

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine recognized/included the following medical qualifications of Unani in the Second Schedule to the Indian Medical Central Council Act, 1970 during the year 2015-16:-

Three qualifications awarded by following Universities have been included on the recommendations of CCIM in the Second schedule to the IMCC Act, 1970.

Name of University/ Board or Medical Institute	Recognized Medical Qualification	Abbreviation for Registration	Remarks
1	2	3	4
"7A. Delhi University, Delhi	Bachelor of Unani Medicine and Surgery	B.U.M.S	From 1979 to 2007
	(a) Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery)	B.U.M.S	From 2008 to 2012 subject to the permission granted to granted to Ayurved & Unani Tibbia College New Delhi for admission by Central Council of Indian Medicine. from 2013 Onwards; subject to the permission granted to granted to Ayurved & Unani Tibbia

			College New Delhi by Central Government
	(b) Mahir-e-Tib (Doctor of Medicine)	M. D. (Unani)	for the year 2005 subject to the permission granted to granted to Ayurved & Unani Tibbia College New Delhi for admission by Central Council of Indian Medicine; From 2012 onwards subject to the permission granted to granted to Ayurved & Unani Tibbia College New Delhi by Central Government.”
“8A. Kashmir University, Srinagar	Bachelor of Unani Medicine and Surgery	B.U.M.S	From 1969 to 2005
	Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery)	B.U.M.S	From 2006 to 2012 Subject to permission granted for admission by the Central Council of Indian Medicine to the following colleges, namely:- i. Kashmir Tibbia College Hospital and Research Centre, Srinagar, Jammu and Kashmir; ii. Institute of Asian Medical Sciences, Zakura, Srinagar, Jammu and Kashmir. From 2013 onwards Subject to permission granted for admission by the Central Council of Indian Medicine to the following colleges, namely:- i. Kashmir Tibbia College Hospital and Research Centre, Srinagar, Jammu and Kashmir; ii. Institute of Asian Medical Sciences, Zakura, Srinagar, Jammu and Kashmir.”

"11E. Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	(a) Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery)	B.U.M.S	From 2003 onwards
	(b) Mahir-e-Tib (Doctor of Medicine)	M. D. (Unani)	From 2009 onwards – subject to permission granted for admission by Central Government to following colleges namely:- (i) Zuleikhabai Valy Md. Unani Medical College & Hospital, 2390-B, KB Hidayathullah Road, New Modikhana Camp, Azam Campus, Anglo Urdu School Campus Pune-411001(MS) (ii) Mohammadia Tibbia College & Assayer Hospital, PB No. 128, Mansoor, Malegaon, Nashik-423203(MS).
	(c) Mahir-e-Jarahat (Master of Surgery)	M.S. (Unani)	From 2013 onwards – subject to permission granted for admission by Central Government to following colleges namely:- (i) Zuleikhabai Valy Md. Unani Medical College & Hospital, 2390-B, KB Hidayathullah Road, New Modikhana Camp, Azam Campus, Anglo Urdu School Campus Pune-411001(MS) (ii) Mohammadia Tibbia College & Assayer Hospital, PB No. 128, Mansoor, Malegaon, Nashik-423203(MS)"

NEW PROPOSALS FOR THE SESSION 2015-16

As per provisions of the "Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Studies or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003" and (Amendment) Regulations, 2013, following New proposals were forwarded by Government of India, Ministry of AYUSH. The Central Council inspected following institutions and made recommendations for approval/disapproval of the scheme to the Ministry of AYUSH;

1. Proposals to establish New Unani College

S.No.	Name of the college	Proposal	Recommendation of CCIM	GOI decision
1.	Glocal Unani Medical College, Saharanpur	To establish new Unani college with 100 UG seats	Recommended to start new Unani college with UG 100 Seats	LOI issued by GOI to start new Unani college with 100 Seats in UG (BUMS) course
2.	Hasrat Mohani Memorial Unani Medical College, Lukhnow	To establish new Unani college with 60 UG seats	Recommended to start new Unani college with UG 60 Seats	LOI issued by GOI to start new Unani college with 60 Seats in UG (BUMS) course
3.	University College of Unani, Tonk, Raj.	To establish new Unani college with 60 UG seats	Recommended to start new Unani college with UG 50 Seats	LOI issued by GOI to start new Unani college with 50 Seats in UG (BUMS) course
4.	Rehbar Unani Medical College, Punjab	To establish new Unani college with 50 UG seats	Not Recommended to start new Unani college with UG 50 Seats	LOI issued by GOI to start new Unani college with 50 Seats in UG (BUMS) course
5.	College of Indian Medical Sciences and Hospital, Sambhal	To establish new Unani college with 100 UG seats	Proposal withdrawn by the proposed college.	

2. Proposals for increasing intake capacity in UG/PG Course

S. No.	Name of College	Proposal	Recommendation	GOI decision
1.	Deoband Unani Medical College, Deoband	To increase admission capacity in existing 02 PG Courses namely (i) Moalejat (02 to 05 seats) (ii) Jarahat (02 to 05 seats)	Proposal withdrawn by the college.	
2.	Hakim Abdul Hameed Unani Medical College, Dewas	To increase the admission capacity in existing BUMS (UG) course from	Recommended to issue LOI for increase intake from existing 40	LOI issued by GOI for increase intake from existing 40 to 60

		40 to 60 seats	to 60 seats in UG (BUMS) course.	seats in UG (BUMS) course.
3.	Faculty of Unani Medicine, Jamia Hamdard	To increase the admission capacity in existing BUMS (UG) course from 50 to 60 seats	Proposal returned to GOI due to non compliance of short-comings	
4.	A & U Tibbia College, Karol Bagh	To increase the admission capacity in existing BUMS (UG) course from 40 to 60 seats	Not Recommended to issue LOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.	LOI issued by GOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.
5.	Govt. Unani Medical College, Chennai	To increase the admission capacity in existing BUMS (UG) course from 26 to 60 seats	Recommended to issue LOI for increase intake from existing 26 to 60 seats in UG (BUMS) course.	LOI issued by GOI for increase intake from existing 26 to 60 seats in UG (BUMS) course.
6.	HMS Unani Medical College, Tumkur	To increase the admission capacity in existing BUMS (UG) course from 40 to 60 seats	Recommended to issue LOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.	LOI issued by GOI for increase intake from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.

3. Proposal for Starting New PG Course

S. No.	Name of College	Proposal	Recommendation	GOI decision
1.	Luqman Unani Medical College Bijapur	To open new PG course i.e. Tahfuzi-wa-Samaji Tib with 10 seats	Recommended to issue LOI to start new PG course in Tahafuzzi wa Samaji Tibb with 06 seats	LOI issued by GOI to start new PG course in Tahafuzzi wa Samaji Tibb with 06 seats.

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Unani Colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2015-16 (1st April 2015 to 31st March 2016) under section 13C of IMCC Act, 1970.

S.No.	Institution Name	Recommendation sent to GOI	Permission from GOI
1.	Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad (T.S)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD course for the session 2015-16.	Granted conditional permission for 75 seats in UG (BUMS) Course and 34 seats in 05 PG courses viz 1. Moalajat (10 seats) 2. Ilmul Advia (05 Seats) 3. Qaabalat wa Niswan (9 seats) 4. Tahafuzi wa Samaji Tib (05 seats) 5. Kulliyat (05 seats) for the session 2015-16
2.	Dr. Abdul Huq Unani Medical College & Hospital, Kurnool (AP)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
3.	Govt. Tibbia College, Kadam Kuan, Patna- (Bihar)	Recommended to Govt. of India for not granting conditional permission for existing UG (BUMS) course for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16.
4.	Zulfequar Haider Unani Medical College & Hospital, Siwan-841226	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
5.	Salfia Unani Medical College & Hospital, At & Post Laheriasarai, Distt. Darbhanga-846001	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
6.	Nizamia Unani Medical College & Hospital, Gaya-(Bihar)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16
7.	Mohsin-E-Millat Unani Medical College, Raipur	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16.

8.	Ayurved & Unani Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD courses for the session 2015-16.	Granted conditional permission for 40 seats in UG (BUMS) Course and denial of permission for 10 seats in 04 PG courses viz 1. Moalajat (03 seats) 2. Ilmul Saidla (03 Seats) 3. Munafeul Aza (02) & 4. Amraze Niswan wa Qabalat (02 seats) for the session 2015-16.
9.	Dean, Faculty of Medicine, Jamia Hamdard, New Delhi	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD courses for the session 2015-16.	Granted conditional permission for 50 seats in UG (BUMS) Course and 09 seats in 03 PG courses viz 1. Moalajat (03 seats) 2. Ilmul Advia (03 Seats) 3. Tahafuzi wa Samaji Tib (03 seats) for the session 2015-16
10.	Unani Medical College Institute of Asian Medical Sciences, Srinagar	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16
11.	Kashmir Tibbia College Hospital & Research Centre, Srinagar	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG course with 40 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).	Granted permission for BUMS course with 40 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).
12.	Govt. Unani Medical College Bangalore	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
13.	Luqman Medical College & Hospital, Bijapur, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2015-16.

		Recommended to GOI for issuing Letter of Permission to start new PG in two subjects (i) Amraze Niswan wa Qabalat-03 seats (ii) Moalijat 04 Seats.	Letter of Permission issued to start new PG course in two subjects (i) Amraze Niswan wa Qabalat-03 seats (ii) Moalijat 04 Seats.
14.	Tipu Sultan Unani Medical College, Gulbarga, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2015-16.
15.	HMS Unani Medical College & Hospital, Tumkur, Karnataka	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16.
16.	National Institute of Unani Medicine, Bangalore	Recommend to Government of India for not granting permission for the session 2015-16	Granted conditional permission for for 47 seats in 08 PG Courses viz. (i) Moalajat – 08 Seats (ii) Ilmul Qabalat o Amraze Niswan – 07 Seats (iii) Tahafuzi wa Samaji Tib – 07 Seats (iv) Ilmul Advia – 08 Seats (v) Kulliyat Umoore Tabia – 04 Seats and (vi) Ilmus Saidla (vii) Jarahat – 04 Seats and (viii) Ilaj Bit Tadbeer- 05 Seats.
17.	Saifia Hamidia Unani Tibbia College & Hospital, Burhanpur	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
18.	Al-Farooque Unani Tibbia College, Indore	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
19.	Hakim Syed Ziaul Hassan Govt. Unani Medical, Bhopal- (M.P.)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2015-16

20.	Hakim Abdul Hamid Unani Medical College, DEWAS (MP)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16.
21.	Anjuman-I-Islam's Dr. Ishaq Jam Khanawala Tibbia Unani Medical College & Haji Abdul Razak Kalsekar Tibbia Hospital, (MS)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
		Recommended to Govt. of India for issuing letter of Permission to increase intake capacity from existing 50 to 60 seats in UG (BUMS) course.	Letter of Permission issued to increase intake capacity from existing 50 to 60 seats in UG (BUMS) course
22.	Mohammadia Tibbia College & Assayer Hospital, Malegaon Distt. Nasik	Recommended to Govt. of India for conditional permission for existing UG (BUMS) course with 60 Seats and 02 PG Courses in (i) Ilmul Advia – 02 Seats (ii) Qabalat wa Amraze Niswan -02 Seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 Seats and 02 PG Courses in (i) Ilmul Advia – 02 Seats (ii) Qabalat wa Amraze Niswan -02 Seats for the session 2015-16.
23.	Zuleikhabai Valy Md. Unani Medical College & Hospital, Pune- (MS)	Recommended to Government of India for granting conditional permission for existing 60 seats in UG course and 03 PG Courses namely Tahaffuzi wa Samaji Tib-06 seats, Moalijat-06 seats and Jarahat-03 Seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for existing 60 seats in UG course and 03 PG Courses namely Tahaffuzi wa Samaji Tib-06 seats, Moalijat-06 seats and Jarahat-03 Seats for the session 2015-16.
		Recommended to Government of India for issuing letter of permission to start a new PG course in department of Qabalat wa Amraze Niswan with 02 seats.	Letter of Permission issued to start New PG course in one subject namely Qabalat wa Amraze Niswan with 02 seats
24.	Ahmed Gharib Unani Medical College, Akkalkiwa, (MS)	Recommended to Govt. of India for granting permission for existing UG course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).

		Recommended to Govt. of India for issuing letter of Permission to increase admission capacity from 50 to 60 seats in existing UG (BUMS) course.	Letter of Permission issued to increase intake capacity from existing 50 to 60 seats in UG (BUMS) course.
25.	Iqra Unani Medical College, Hospital & Research Centre, Jalgaon	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
26.	Rajputana Unani Tibbia College, Jaipur- (Rajasthan)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
27.	Rajasthan Unani Medical College & Hospital, Jaipur- (Rajasthan)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2015-16.	Not Permitted for BUMS course for the session 2015-16.
28.	Govt. Unani Medical College, Chennai	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 26 for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 26 seats for the session 2015-16.
29.	State Takmil-ut-Tib College & Hospital, Lucknow- (UP)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
30.	State Unani Medical College, ,Allahabad (U.P.)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) course for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
31.	Jamia Tibbia Deoband Deoband, Saharanpur- (U.P.)	Recommended to Govt. of India granting permission for existing UG course with 60 seats and PG – 04 Seats in Moalajat for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).	Granted permission for BUMS course with 60 seats and PG – 04 Seats in Moalajat for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).

32.	Ibne-Sina Tibbia College & Hospital, Azamgarh	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
33.	Deoband Unani Medical College, Saharanpur- (U.P.)	Recommended to Govt. of India granting permission for existing UG course with 40 seats and PG in 4 subjects namely Molajat, Munafeul Aza, Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan and Ilmul Jarahat with 2 seats each for 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20)	Granted permission for BUMS course with 40 seats and in 4 subjects namely Molajat, Munafeul Aza, Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan and Ilmul Jarahat with 2 seats each for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).
		Recommended to Govt. of India for issuing letter of Permission to increase admission capacity from 40 to 60 seats in existing UG (BUMS) course.	Letter of Permission issued to increase intake capacity from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.
34.	Allama Iqbal Unani Medical, College, Muzaffarnagar (U.P.)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16.
		Recommended to Govt. of India for issuing letter of permission to start New PG course in two subjects namely (i) Tahafuzi wa Samaji Tib and (ii) Kulliyat with 5 seats each and to increase intake capacity from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.	Letter of Permission issued to start New PG course in two subjects namely (i) Tahafuzi wa Samaji Tib and (ii) Kulliyat with 5 seats each and to increase intake capacity from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.
35.	Aligarh Unani Medical College & Hospital, Aligarh - (U.P.)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16

		Recommended to Govt. of India for issuing letter of permission to start New PG course in two subjects namely (i) Moalijat and (ii) Kulliyat with 04 seats each and to increase intake capacity from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.	Letter of Permission issued to start New PG course in two subjects namely (i) Moalijat and (ii) Kulliyat with 04 seats each and to increase intake capacity from existing 40 to 60 seats in UG (BUMS) course.
36.	Sham-e-Ghausia Minority Unani Medical College & Hospital, Ghazipur (UP)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16.
37.	Eram Unani Medical College & Hospital, Lucknow (UP)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 60 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2015-16.
38.	Dr. Abdul Ali Tibbia College & Hospital, Maliahabad, Lucknow (U.P.)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16
39.	Ajmal Khan Tibbia College, Aligarh Muslim University, Aligarh (UP)	Recommended to Govt. of India for not granting permission for existing UG (BUMS) and MD courses for the session 2015-16.	Granted conditional permission for 60 seats in UG (BUMS) Course and 16 seats in 06 PG courses viz 1. Moalajat (04 seats) 2. Ilmul Advia (04 Seats) 3. Qaabalat wa Niswan (01 seat) 4. Tahafuzi wa Samaji Tib (01 seat) 5. Kulliyat (04 seats) 6. Ilmul Jarahat 02 seats for the session 2015-16
40.	Calcutta Unani Medical College & Hospital, (W.B.)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 40 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 40 seats for the session 2015-16

41.	Yunus Fazlani Unani Medical College, Kunjekheda (MS)	Recommended for granting permission for existing UG course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).	Granted permission for BUMS course with 50 seats for a period not exceeding 5 years (from the session 2015-16 to 2019-20).
42.	Hakim Rais Unani Medical College, Sambhal, Moradabad (UP)	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 50 seats for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 50 seats for the session 2015-16.
43.	Ghausia Unani Medical College & Hospital, Fatehpur, U.P	Recommended to Govt. of India for granting conditional permission for existing UG (BUMS) course with 60 for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 60 seats for the session 2015-16.
44.	Al-Arif Unani Medical College, Hyderabad, Telangana	Recommended to Govt. of India for not granting conditional permission for existing UG (BUMS) course for the session 2015-16.	Granted conditional permission for BUMS course with 100 seats for the session 2015-16.
45.	Markaz Unani Medical College, Kerala.	Recommended to Govt. of India for granting permission to issue Letter of Permission to establish new Unani Medical college with intake of 60 seats in UG course (BUMS) from the session 2015-16.	Granted permission to establish new Unani Medical college with intake of 60 seats in UG course (BUMS) from the session 2015-16.
46.	Uttranchal Unani Medical College & Haridwar, Uttarakhand-	Recommended to Govt. of India for granting permission to issue Letter of Permission to establish new Unani Medical college with intake of 60 seats in UG course (BUMS) from the session 2015-16.	Granted permission to establish new Unani Medical college with intake of 60 seats in UG course (BUMS) from the session 2015-16

SIDDHA

VISITATION OF COLLEGES

Central Council of Indian Medicine conducted the visitation of following Siddha Colleges to furnish the recommendations to Govt. of India for the year 2015-16 sessions.

S. No.	Name of the college	Recommendation of CCIM to Govt. of India	Decision of Govt. of India
1.	Santhigiri Siddha Medical College, PO Koliyacode, Thiruvananthapuram, Kerala.	Recommended for UG - 50 Seats	Granted conditional permission for UG - 50 Seats.
2.	ATSVS Siddha Medical College and Hospital, Pudukkadai, Kanyakumari, Tamil Nadu.	Recommended for UG - 40 Seats	Granted conditional permission for UG - 40 Seats.
3.	Govt. Siddha Medical College, Chennai, Tamil Nadu.	Recommended for UG 50 Seats and PG 28 (5 Subject) 1. Maruthuvam - 9 Seats; 2. Gunapadam - 6 Seats; 3. Sirappumaruthuvam – 5 Seats; 4. Kuzhanthai Maruthuvam- 4 Seats; 5. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal- 4 Seats	Granted conditional permission for UG 50 Seats and PG 34 Seats (5 Subjects) 1. Maruthuvam - 10 Seats; 2. Gunapadam – 10 Seats; 3. Kuzhandai Maruthuvam- 5 Seats; 4. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal- 04 Seats 5. Sirappu Maruthuvam -05 seats,
4.	Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.	Recommended for UG 100 Seats and PG 56 (6 Subject) 1. Maruthuvam - 09 Seats; 2. Gunapadam – 10 Seats; 3 .Kuzhanthai Maruthuvam- 9 Seats; 5. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal- 8 Seats 6. Sirappu Maruthuvam - 10 seats, 7. Nanju Noolum Maruthuva Neethi noolum 10 -seats	Granted conditional permission for UG 100 Seats and PG 56 Seats (06 Subjects) 1. Maruthuvam - 09 Seats; 2. Gunapadam – 10 Seats; 3 .Kuzhanthai Maruthuvam- 9 Seats; 5. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal- 8 Seats 6. Sirappu Maruthuvam -10 seats, 7. Nanju Noolum Maruthuva Neethi noolum 10 -seats
5.	R.V.S. Siddha Medical College, Coimbatore, Tamil Nadu.	Recommended for UG - 30 Seats	Granted conditional permission for UG 100 Seats
6.	Sivaraj Siddha Medical College, Salem, Tamil Nadu.	Recommended for UG - 50 Seats	Granted conditional permission for UG -50 seats.

S. No.	Name of the college	Recommendation of CCIM to Govt. of India	Decision of Govt. of India
7.	Sri Sai Ram Siddha Medical College and Research Centre, Chennai, Tamil Nadu.	Recommended for UG - 50 Seats	Granted conditional permission for UG - 50 Seats.
8.	Velumailu Siddha MC, Sriperambudur, Tamil Nadu.	Recommended for UG - 40 Seats	Granted conditional permission for UG - 40 Seats.
9.	National Institute of Siddha, Chennai, Tamil Nadu.	Recommended for PG - 43 Seats (6 Subjects) 1. Maruthuvam- 8 2. Gunapadam- 6 3. Sirappumaruthuvam- 8 4. Kuzhanthai Maruthuvam-8 5. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal - 7 6. Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum- 7	Granted conditional permission for PG - 41 Seats (6 Subjects) 1. Maruthuvam- 8 2. Gunapadam- 5 3. Sirappumaruthuvam- 8 Kuzhanthai Maruthuvam- 8 4. Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal -7 5. anju Noolum Maruthuva Neethi Noolum- 7
10.	Maira Educational and charitable Kanyakumari Tamil Nadu	Recommended for UG - 100 Seats for LOI	Granted LOP for UG 100 Seats

ADMINISTRATION

The total numbers of posts for the office of the Council are as under:-

S.No.	Name of Post	Number of Sanctioned post	Group	Filled post	Vacant post
1.	Registrar-cum-Secretary	1	A	1	-
2.	Asstt. Registrar (Ayurved)	1	A	1	-
3.	Asstt.Registrar (Unani)	1	A	1	-
4.	Asstt.Registrar (Siddha)	1	A	1	-
5.	Asstt. Secretary (Admn)	1	A	-	1
6.	Registration Officer	1	B	-	1
7.	Office Superintendent	1	B	1	-
8.	Accountant	1	B	1	-

9.	Jr. Hindi Translator	1	B	1	-
10.	U.D.C	4	C	4	-
11.	Jr. Stenographer	3	C	1	2
12.	L.D.C.	11	C	8	3
13.	Duplicating Operator	1	C	1	-
14.	Daftary	2	C	2	-
15.	Multi Task Staff (Peon)	4	C	1	3
16.	Multi Task Staff (Chowkidar)	1	C	-	1
17.	Multi Task Staff (Safaiwala)	1	C	-	1
TOTAL		36		24	12

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body having 36 posts. However, every care is being taken to ensure the reservation as per order of Government of India issued from time to time. The position of reservation for different categories is as under:-

- | | |
|---------------------------|----|
| 1. Scheduled Caste | 02 |
| 2. Schedule Tribe | 03 |
| 3. Other Backward class | 02 |
| 4. Physically Handicapped | 02 |

FINANCE

BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimate and Revised Estimate for the year 2015-16 and sanctioned/released by the Government are as under:-

S.No.		Non Plan (Rs. in lakh)	Plan (Rs. in lakh)
1.	Budget Estimate 2015-16 (Approved by the Council)	960.00	125.00
2.	Budget Estimate 2015-16 (Sanctioned by the Ministry)	150.00	125.00
3.	Revised Estimate 2015-16 (Approved by the Council)	1040.00	100.00
4.	Revised Estimates 2015-16 (Sanctioned by the Ministry)	150.00	100.00
5.	Grant-in-aid (Released by Ministry)	150.00	100.00

ACHIEVEMENTS OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE IN 2015-16

1. Prompting State Registration Boards to update Central Register on time.
2. Provision to include additional qualification in Central Registration Certificate already issued to the applicants.

FUTURE PROGRAMME

1. Preparation of standard Teaching Guidelines with justification of teaching hours.
2. Workshop on Educational Reforms in Ayurveda, Unani and Siddha.
3. Bringing of uniform format in institution, hospital registers and development of software.
4. Implementation of CRRI Log Book and PG students Log Book.
5. More stress made on e-learning, Teachers updations, CMEs, Publications from Post-graduates and teachers.
6. Legal actions against the persons indulged for issuing fake/bogus Registration Certification in the name of Central Council of Indian Medicine.
7. Tacking exact numbers of practitioners of Central Register of Indian Medicine.
8. To decide the role of regulatory body for healthcare.
9. Steps to improve scope of job opportunities for ISM graduates.
10. Measures to be taken at the level of Ministry of External Affair to flourish ISM worldwide Education and Research.
11. Prestigious award shall be awarded in memory of eminent personalities in ASU Systems.
12. Attaining the fulfillment of college infrastructure as per Minimum Standards.
13. To produce Guides/Post-graduate teachers in assuming responsibility for their role in achieving evidence based Ayurved, Unani and Siddha.
14. To assist Post-graduate teachers in defining Academic Research goals and in designing a plan to meet these goals.

NOTE:- If there is any discrepancy between English and Hindi version, the English version is treated as final.



**OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL EXPENDITURE
NEW DELHI – 110002**

No.AMG-II/SAR/7-16/C.C.I.M./2016-17/1070 Dated :06.12.2016

Separate Annual Account of the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Dr. K. Natarajan, Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61- 65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for necessary action.

Two copies of documents submitted to Parliament, showing the dates when they were submitted to Parliament may be furnished to this office and the Comptroller General of Audit, New Delhi-110024.

**Sd/-
Deputy Director (AMG-II)**

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Council of Indian Medicine for the year ended March 2016.

1. We have audited the attached Balance Sheet of Central Council of Indian Medicine (Council) as at 31st March 2016, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & conditions of Services) Act, 1971 read with clause 86(1) of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulation, 1976. These financial statements are the responsibility of the Council's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - I. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - II. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance, Government of India.

- III. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Council, in so far as it appears from our examination of such books.
- IV. We further report that:

A. General

- A.1.** The provision for retirement benefits was not made in the accounts on actuarial basis.
- A.2.** The provisions for salary and allowances for the month of March was not made by the Council as per accrual basis.
- A.3.** Addition of fixed assets during the year was not depicted in two half yearly blocks as required as per the uniform format of accounts.
- A.4.** Investments of GPF of ₹ 132.44 lakh was not made as per the pattern prescribed by Ministry of Finance vide notification no. F.No.11/4/2013-PR dated 02.03.2015.
- A.5.** Under Schedule 6 of Balance Sheet, there was an outstanding fee ₹ 122.45 lakh, the age wise break up of which has not been provided to audit.
- A.6.** There was un-reconciled balance of ₹ 500/- shown in the bank reconciliation statement as cheque deposited but not credited by the bank since 1st November 2012.

B. Grant-in-aid

The Council received grants-in-aid of ₹ 250.00 lakh (Plan: ₹ 100.00 lakh and Non-Plan: ₹ 150.00 lakh) from Ministry of AYUSH during 2015-16. It had unspent balance of ₹ 144.04 lakh (Plan: ₹ 16.60 lakh and Non-Plan: ₹ 127.44 lakh) and had its own receipt of ₹ 1745.00 lakh (Non Plan) during the year. The Council utilized ₹ 1081.26 lakh (Plan: ₹ 116.60 lakh and Non-Plan: ₹ 964.66 lakh) leaving unutilized balance ₹ 1057.78 lakh (Non Plan) during 2015-16.

V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;

Vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a

true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Central Council of India Medicine as at 31 March 2016; and
- b. In so far as it relates to income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on the behalf of C&AG of India

**Director General of Audit
Central Expenditure**

**Place : New Delhi
Date : 26.10.2015**

Annexure-I

1. Adequacy of internal audit system

The internal audit of the Council was conducted upto 2014-15 by the Pr. Pay and Accounts Offcie, Ministry of Health and Family Welfare.

2. Adequacy of internal control system

The internal control system was inadequate due to the following:

- a. The cheque deposited and not credited by the bank remained unreconciled since 2012.
- b. 08 paras pertaining to the period 2014-15 were outstanding as on 31 March 2016.

3. System of physical verification of assets

The physical verification of fixed assets was conducted up to 2015-16.

4. System of Physical verification of inventory

The physical verification of Books and Publications was conducted up to 2015-16.

The physical verification of stationery and consumables etc. was conducted upto 2015-16

5. Regularity in payment of statutory dues

No payment over six months in respect of statutory dues were outstanding as on 31.3.2016.

FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI

(NON-PROFIT ORGANIZATION FOR THE YEAR 2015-16)

CONTENTS

HEAD	PAGE NO.
BALANCE SHEET	134
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	135
SCHEDULES TO FINANCIAL STATEMENTS	136 TO 158
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT NON-PLAN & PLAN, G.P.F., N.P.S. & P.D.A.	159 TO 162

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
(NON-PROFIT ORGANIZATION)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2016**

(Amount Rs.)

LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
CORPUS FUND	1 (NP) & 9 (P)	42459324	26322	26894550	41448
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT	2	104689260		37252951	
CURRENT LIABILITIES	3	67500		17500	
G.P.F. & N.P.S TIER -I	4	16002925		17230066	
TOTAL		163219009	26322	81395067	41448
ASSETS					
FIXED ASSETS (SCHEDULE -8)		4455525	6362	2818306	21488
CURRENT ASSETS	5 (NP)	29700	19960	29700	19960
OUTSTANDING FEES	6(NP)	12245687		9570762	
G.P.F. & N.P.S TIER -I		16002925		17230066	
POSTAGE STAMPS	7 (NP)	10069		9114	
CLOSING BALANCE:-					
CASH AT BANK (INTERNAL FUND)		21643001		11504102	
CASH AT BANK (PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT)	10(NP)	104689260		37252954	
ACCRUED INTEREST PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT		4142842		2980066	
TOTAL		163219009	26322	81395067	41448
NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20				

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
(NON-PROFIT ORGANIZATION)**

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(Amount Rs.)

INCOME	SCHEDULE	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
Grant-in-aid		15000000	10000000	15660000	*10000000
Fee	11 (NP)	167410951		70984117	
Other Receipts	13 (NP)	2947137		639194	
Accrued /Paid interest Public Deposit Account		4142842		2980066	
Transfer from Public Deposit Account / N.P.S.		1990707		21500000	
TOTAL A		191491637	10000000	111763377	10000000
EXPENDITURE					
Establishment Expenses	14 (NP)	32545623		24997456	
Administrative Expenses	15 (NP)	26205073		27666946	
Retirement Benefits	16 (NP)	3283018		3055613	
Travelling Expenses	18 (N.P) & 19(P)	31593380	11659804	39860503	8340196
Depreciation (Schedule-8)		1202953	15126	920372	3791
TOTAL B		94830047	11674930	96500890	8343987
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		96661590	-1674930	15262487	1656013
Transfer to Public Deposit Account		77500000			
Transfer to Corpus Fund	17 (NP)	2840172		2518326	
Transfer to President Relief Fund		616750		533875	
BALANCE BEING SURPLUS/DEFICIT					
CARRIED TO CORPUS FUND		18544840	(-)1674930	14728612	1656013
Notes On Accounts And Significant Accounting Policies	20				

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

SCHEDULE-1**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND NON-PLAN**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

CORPUS FUND	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
As per last Balance Sheet	26894550		17310972	
Add:- Excess of Income over Expenditure	18544840		14728612	
	45439390		32039584	
Deduction:- Adjusted Accrued interest	2980066		4934896	
Deduction:- Assets de-capitalized/Redemption	-	42459324	210138	26894550
TOTAL		42459324		26894550

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

SCHEDULE-2

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT				
As per last Account	37252951		55095495	
Addition : during the year	65000000		-	
	102252951		55095495	
Less : Adjusted during year			21500000	
	0		33595495	
Add. :- Interest earned	2436309	104689260	3657456	37252951
TOTAL		104689260		37252951

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

SCHEDULE-3

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF CURRENT LIABILITIES NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Current Liabilities				
Security				
As per last Account	17500		17500	
Addition : during the year	50000		0	
	67500		17500	
Less : Adjusted during the year	0	67500	0	17500
TOTAL		67500		17500

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-4

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
G.P.F. & N.P.S. TIER -I**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
G.P.F.				
Investments as F.D.	13244034		10244034	
Cash at Bank	768184	14012218	5492228	15736262
N.P.S. TIER -1				
Cash at Bank		1990707		1493804
TOTAL		16002925		17230066

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-5

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CURRENT ASSETS UNDER NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016**

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Festival Advance				
As per last Account	29700		29250	
Addition : during the year	49500		49500	
	79200		78750	
Less : Deduction during the year	49500	29700	49050	29700
TOTAL		29700		29700

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

SCHEDULE-6

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF OUTSTANDING FEES UNDER NON-PLAN
Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
OUTSTANDING FEES				
As per last Account	9570762		6653719	
Addition : during the year	3838925		7488000	
	13409687		14141719	
Less : Recovery against outstanding	1164000	12245687	4570957	9570762
TOTAL		12245687		9570762

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-7

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
DETAILS OF POSTAGE STAMPS NON-PLAN**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
POSTAGE STAMPS				
As per last Account	9114		8911	
Addition : during the year	10000		13000	
	19114		21911	
Less : Adjustment during the year	9045	10069	12797	9114
TOTAL		10069		9114

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-8**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NON- RECURRING NATURE ASSETS (2015-16) UNDER NON-PLAN****(Amount in Rs.)**

S.NO.	NAME OF ARTICLE	@ OF DEPRECIATIONS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2015	ADDITION	REDEMPTION	CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2016	DEPRECIATIONS	WRITTEN DOWN VALUE
1	Furniture & Fixtures	10%	1180916	518611	-	1699527	154730	1544797
2	Office Equipments	7.5%, 15%, 25%, 60%	1198204	2321561	-	3519765	977298	2542467
3	Air Cooling	15%	433248	-	-	433248	64987	368261
4	Book for Library	100%	5938	-	-	5938	5938	0
	Total		2818306	2840172	-	5658478	1202953	4455525

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

SCHEDULE-8

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NON-RECURRING NATURE ASSETS (2015-16) UNDER PLAN

(Amount in Rs.)

S.NO	NAME OF ARTICLE	@ OF DEPRECIATIONS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2015	ADDITION	REDEMPTION	CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2016	DEPRECIATIONS	WRITTEN DOWN VALUE
1	Furniture & Fixtures	10%	7069	-	-	7069	707	6362
2	Book for Library	100%	14419	-	-	14419	14419	0
	Total		21488	-	0	21488	15126	6362

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-9

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
CORPUS FUND PLAN**

Schedule forming part of Balance Sheet as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
CORPUS FUND				
As per last Balance Sheet with unspent Grant	41448		87199	
Less : Excess of Expenditure over Income	1674930		1656013	
	(-)1633482		1743212	
Less: Assets de-capitalized	-		41960	
			1701252	
Unspent Grant 15-16	1659804	26322	1659804	41448
TOTAL		26322		41448

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT
Details of Investment as on 31.03.2016

SCHEDULE-10

SL.NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	AMOUNT
1.	34966521615	Matured on 01.06.2016	2,00,00,000
2.	34892586459	Matured on 25.04.2016	1,00,00,000
3.	35241400969	Matured on 22.09.2016	2,00,00,000
4.	35241409430	Matured on 29.09.2016	1,00,00,000
5.	35533906746	Matured on 28.01.2018	1,50,00,000
6.	35565758086	Matured on 11.11.2016	1,46,88,128
7.	35565753962	Matured on 23.03.2017	1,48,34,295
		TOTAL	10,45,22,423

Total	10,45,22,423.00
Bank Balance	1,66,837.00
Grand Total	<u>10,46,89,260.00</u>

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-11

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Recoverable Fee during the year NON-PLAN

Schedule forming part of Income and Expenditure Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees recoverable during the year	64355000	22710000
Fees received from the New colleges	28350000	9450000
Fees received from intake capacity/Post Graduate Course	36125000	37660000
Fees received from Penalty	17200000	500000
Fees received from Enrolment	21370715	608300
Fees received from Direct Registration	-	25000
Fees received from Right to Information	10236	30817
TOTAL	167410951	70984117

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-12**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****Actual Fee Received NON-PLAN****Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2016****(Amount Rs.)**

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Fees received against outstanding	1164000	4570957
Fees received during the year	60516075	15222000
Fees received against New Colleges	28350000	9450000
Fees received against intake capacity/Post Graduate Course	36125000	37660000
Fees received against Penalty	17200000	500000
Fees received against Enrolment	21370715	608300
Fees received against Direct Registration	0	25000
Fees received against Right to Information	10236	30817
TOTAL	164736026	68067074

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

SCHEDULE-13**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****Other Receipts NON-PLAN**

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Interest received against S.B. Account	1117877	463716
Sales of Radhi	0	38253
C.G.H.S. Contribution from Employee	67175	52125
Tender Fee	0	3000
Auction	0	82100
Misc. Receipts	1762085	0
TOTAL	2947137	639194

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**SCHEDULE-14****Establishment Expenses NON-PLAN**

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PERVIOUS YEAR
Pay of Secretary & Staff with N.P.A.	4406766	4776487
Dearness Allowance	5151235	4841980
House Rent Allowance	1309474	1361991
Transport Allowance with D.A.	1066636	1050499
Washing Allowance	4320	4440
Bonus	62172	69,080
Leave Travel Concession	104834	151792
Overtime Allowance/ Compensation Allowance	20500	13325
Honorarium	7500	136000
Contribution to C.G.H.S.	368832	353464
Tuition Fee	202963	241316
Medical Reimbursement	328979	339941
Interest transferred to GPF	54799	176782
Wages	6859796	3859379
Consolidated Salary	10431983	7130489
Contribution to N.P.S Tier 1	206423	200154
Subsistence Allowance	1008879	132364
Income Tax	15203	10090
Prizes	0	7300
Leave Encashment	2113	92067
SBI Loan	24258	48516
Salary and Allowance	739640	0
Inquiry Officer Fees	101250	0
Recruitment Fees	46048	0
Training to Staff	2000	0
TOTAL	32545623	24997456

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**SCHEDULE-15****Administrative Expenses NON-PLAN**

Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PERVIOUS YEAR
Stationery	1257154	1317129
Telephone	186434	118968
Postage & Telegram	690514	776489
Postage Stamps	9045	12797
Newspapers & Periodical Books	23912	18306
Liveries	21800	9322
Audit Fee	51475	145750
Printing	1735260	518697
Legal	3943315	6704731
Publication	2901730	9444190
Bank Charges	9717	5424
Maintenance	774604	661881
Miscellaneous	1804656	1572531
T.D.S. to SBI other than Salary	2078011	1702558
I.T. Charges	6055562	1248154
Courier	38362	3030
Taxi Hire	13266	7750
Advertisement	264555	809634
Rent for President Residence	666467	400052
Security Deposit	-	168000
Renovation	3679234	2020013
Consumable Items	-	1540
TOTAL	26205073	27666946

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-16

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Retirement Benefits

Schedule forming part of Receipt & Payment Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Monthly Pension	3283018	3055613
Gratuity	0	0
Commutated Pension	0	0
Leave encashment	0	0
TOTAL	3283018	3055613

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-17

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Fixed Assets NON-PLAN

Schedule forming part of Receipts & Payment Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Furniture & Fixture	518611	780239
Office Equipment	2321561	1193499
Air Cooling Appliances	0	544588
TOTAL	2840172	2518326

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

SCHEDULE-18**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****Travelling Expenses NON-PLAN**

Schedule forming part of Receipts & Payment Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
President	1166411	1169730
Vice-President	935641	630426
Secretary/Staff	395645	330378
Executive Committee	3620451	5766310
Sub-Committee	5372106	2378017
Member of Council	1727004	4092512
Visitation of Ayurved	14765789	20365784
Visitation of Unani	2756610	2901837
Visitation of Siddha	391722	118648
DPC/Selection Committee	1500	63679
Conveyance Expenses	15951	5950
Education Committee (Ayurved)	0	414528
Bridge Course	0	66950
Seminar	0	38578
BJP Manifesto	0	222937
Advisory Committee	0	3900
Education Committee (Siddha)	0	93690
Education Committee (Unani)	0	148424
Registraton Committee	444550	455612
Education Committee (Sowarigpa)	0	127206
Finance Committee	0	60031
Regulation Committee	0	235015
Sowarigpa Syllabus	0	170361
TOTAL	31593380	39860503

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-19

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Travelling & Administrative Expenses PLAN**

Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2016

(Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Workshop (Ayurved)	3519032	356743
Workshop (Unani)	1164407	2413081
Workshop (Siddha)	1229106	629081
Workshop (Ay./ Unani/ Siddha)	973329	1914074
Training on line for visitation proforma	0	1735043
Stationery	85500	47370
Miscellaneous Expenditure	827583	1244804
I.T.	3860847	0
TOTAL	11659804	8340196

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-20

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Notes on Accounts and significant Accounting Policies

- 1 The accounts have been prepared under the historical cost convention and on accrual basis.
- 2 Plan fund received from the Central Government has been shown a separate funds.
- 3 Public Deposit Account has been generated from fees for future expenses.
- 4 Investments had been made in FD in SBI for long terms to avoid the risk factor.
- 5 Accounting of Revenue and capital expenditure are from the Grant under Non-Plan and Plan and fees received.
- 6 Corpus funds: -
This represents the accumulated balance of Excess of Income over Expenditure mainly from fees and Net value of fixed assets.
- 7 Council has no liability for Gratuity and Commutation of Pension etc. on the Balance Sheet as on date.
8. Depreciation on fixed assets has been prepared for the year 2015 -16 as per Schedule - 8 Non Plan & Plan is shown in Annual Accounts.
9. Details of fee has been prepared for the year 2015-16 as per schedule 11 & 12 Non-Plan is shown in Annual Accounts
10. Accounts of N.P.S. Tier - I, GPF and P.D.A. is maintained separately and is shown in Main Balance Sheet under Non-Plan.
11. The Annual Accounts of the CCIM are approved by the competent authority.

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

SCHEDULE-21

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
Details of General Provident Fund Subscriptions
Schedule forming part of Receipts and Payments Account as at 31.03.2016 (Amount Rs.)

HEAD	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
As per last Account	15777490		12817804	
Addition : Subscription & Recovery of Advances	2520800		2603390	
Interest on F.D.	1050783		1001530	
Interest on S.B. Account	19574		47984	
Interest transferred from N.P.	54799	19423446	176782	16647490
Less :				
i) Final Payment & Withdrawal	5020000		850000	
ii) Advances to employees	350000	5370000	20000	87000
TOTAL		14053446		15777490

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

SCHEDULE-22

GENERAL PROVIDENT FUND

Details of Investment as on 31.03.2016

SL.NO.	ACCOUNT NO.	DATE OF MATURITY	AMOUNT
1.	10502353101	Matured on 19.10.2017	3,00,000
2.	10502353112	Matured on 27.10.2017	9,00,000
3.	10502353134	Matured on 21.01.2018	3,00,000
4.	Bank of India, Jhandewalan, New Delhi	Special Deposit Scheme	2,85,261
5.	30024806985	Matured on 01.12.2017	9,58,773
6.	30727318651	Matured on 30.03.2018	10,00,000
7.	31671806380	Matured on 04.09.2016	50,00,000
8.	32507702101	Matured on 22.09.2018	15,00,000
9.	35640890482	Matured on 17.02.2019	30,00,000
		TOTAL	1,32,44,034

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR		PAYMENTS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN		NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN	PLAN
OPENING BALANCE					Estt. Expenses Sch. 14 (NP)	32545623		24997456	
Cash in Hand	49735		8645						
Cash at Bank	11454367	1659804	4262561	5099560	Admn. Expenses Sch. 15 (NP)	26205073		27666946	
Postage Stamps	9114		8911						
					Retirement Benefits Sch. (16)	3283018		3055613	
Grant Received	15000000	10000000	15660000	4900440	Fixed Assets Sch. 17 (NP)	2840172		2518326	
Public Deposit Account			21500000		Travelling Exp. Sch. 18 (NP) & 19(P)	31593380	11659804	39860503	8340196
Fee Received Sch. 12 (NP)	164736026		68067074		Festival Advance	49500		49500	
					Public Deposit Account	65000000		0	
					Relief Fund	616750		533875	
Recovery of Festival Adv.	49500		49050		Investment F.D.	12500000			
					Closing Balances				
NPS Fund	1990707		639194		Cash in Hand	279321		49735	
Other Receipts Sch.13 (NP)	2947137				Cash at Bank	21363680		11454367	1659804
Security Deposit	50000				Postage Stamps	10069		9114	
TOTAL	196286586	11659804	110195435	10000000	TOTAL	196286586	11659804	110195435	10000000

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
GENERAL PROVIDENT FUND
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OPENING BALANCE					
Cash at Bank	5492228	2532542	Advances	350000	20000
Interest Received					
i) Interest earned on F.D	1050783	1001530	Withdrawal & Final Payment	5020000	850000
ii) Interest received on S.B. Account	19574	47984			
iii) Interest transferred from N.P	54799	176782	Investment in F.D	300000	
Other Receipts			Closing Balance		
i) Subscription & Recovery of Advances	2520800	2603390	Cash at Bank	768184	5492228
ii) Matured F.D.R		0			
TOTAL	9138184	6362228	TOTAL	9138184	6362228

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW PENSION SYSTEM TIER-1
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			Transfer to SBA/c 10502082060	1990707	NIL
OPENING BALANCE					
Cash at Bank	1493804	1050264			
Monthly Contribution from employees	206423	198555			
Monthly Matching Contribution by Council	206423	198555	Closing Balance		
Interest on S.B. A/c	84057	46430	Cash at Bank	NIL	1493084
TOTAL	1990707	1493804	TOTAL	1990707	1493084

(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

PUBLIC DEPOSIT ACCOUNT

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

(Amount Rs.)

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
OPENING BALANCE			Transferred to CCIM	0	21500000
Cash at Bank	10045541	5021566			
FDR Matured	27207410	63676714	Investment on F.D.	104522423	40810195
Transferred from CCIM	65000000	-	Bank Charges	-	-
Interest received on Saving Bank A/c	121295	125250	Closing Balance	-	-
Interest received on FDR	2315014	3532206	Cash at Bank	166837	10045541
TOTAL	104689260	72355736	TOTAL	104689260	72355736

**(DR. K. NATARAJAN)
REGISTRAR INCHARGE**